"झाँसी जनपद के आर्थिक विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन"

BUNDELKHAND UNIVERSITY
Central Library
Acc. No. T-2548
Date 29/07/09
JHANSI

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय में पी-एच0डी0 की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

निर्देशक :-
डा0 एम0 एल0 मौर्य
निदेशक एवं विभागाध्यक्ष,
इंस्टीट्यूट ऑफ इक्नॉमिक्स एण्ड फाइनेंस,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय परिसर, झाँसी (उ0प्र0)

शोधार्थी :-
कु0 ताहिरा
एम.ए, एम.एड, एम.फिल

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

Dr. M.L.Maurya
D.Litt.,
Director & Head,
Institute of Economics & Finance
Bundelkhand University,
Jhansi (U.P)

प्रमाण पत्र

*प्रमाणित किया जाता है कि कु0 ताहिरा पुत्री श्री कादिर अली, ने **"झाँसी जनपद के आर्थिक विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन"** विषय पर प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पी–एच0डी0 की उपाधि हेतु निर्धारित उपस्थिति पूर्ण की तथा नियमानुसार शोध कार्य पूर्ण किया । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध कु0 ताहिरा के स्वयं के शोधकार्य पर आधारित है और उनकी मौलिक कृति है एवं उनके द्वारा लिखित है । मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ ।*

दिनाँक :– 25-11-05

25/11/05
(डा0 एम0एल0मौर्य)

आभार स्वीकृति

मानव पूर्णता में अपूर्णता की अद्धभुत कृति है । आज की जटिल अर्थव्यवस्था में कोई भी कार्य बिना सहयोग के पूर्ण नहीं किया जा सकता है । मैंनें भी अपने इस शोध कार्य में आदरर्णीय गुरूजनों तथा सहयोगियों से भरपूर सहयोग प्राप्त किया है ।

सर्वप्रथम मैं अपने आदरर्णीय निर्देशक डा0 एम0एल0मौर्य, विभागाध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनोमिक्स एण्ड फाइनेंस, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के अमूल्य निर्देशन के लिए मैं उनकी सदैव आभारी रहूँगीं इसके अतिरिक्त संस्थान के सभी अन्य गुरूजन तथा बुन्देलखण्ड महाविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के समस्त गुरूजन की आभारी हूँ जिन्होंनें समय समय पर मुझे शोध कार्य में सहायता की तथा उचित मार्गदर्शन दिया । शोध ग्रन्थ के लिए आवश्यक सामग्री/सर्वेक्षण में आने वाली कठिनाइयों से उत्पन्न निराशाओं को समाप्त करने के लिए आदरर्णीय गुरूजनों के प्रेमपूर्ण व्यवहार तथा प्रेरणादायक उद्धबोधन का कार्य करते रहे हैं । शोध को पूर्ण करना एक कठिन कार्य था इसको पूर्ण करने में जिला सांख्यिकीय कार्यालय के अधिकारियों एवं जिला विकास कार्यालय के कर्मचारियों आदि की मैं आभारी रहूँगीं, जिन्होंने समय–समय पर इस कार्य में मुझे सहयोग दिया । जिनके मार्गदर्शन में यह कार्य सम्पूर्ण हो सका ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध तैयार करने में मैंने अनेक पुस्तकों व पत्र–पत्रिकाओं की सहायता ली है । मैं उन सभी लेखकों व प्रकाशकों की अर्न्तमन से आभारी हूँ जिनकी पुस्तकों की सामग्री का मैंने इस शोध कार्य में सहयोग लिया है ।

मुझे आदरर्णीय पिताजी, माताजी एवं भाई – बहनों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग एवं प्रेरणा प्रदान की उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप ही मेरा यह कार्य सम्पन्न हो सका है ।

स्वकथन के इस अंश को और अधिक विस्तार न देते हुए मैं अपने गुरू, विद्वानों, स्नेहियों और मित्रों के प्रति आदर तथा सम्मान व्यक्त करती हूँ ।

शोधार्थी : Tahira

(कु0 ताहिरा)

स्थान –झाँसी

दिनाँक –

अनुक्रमणिका

अध्याय – 1	पृष्ठ संख्या
➢ **आर्थिक विकास**	1-26
1.1 आर्थिक विकास का अर्थ	
1.2 आर्थिक विकास के मापदण्ड	
1.3 आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व	
1.4 आर्थिक विकास में बाधायें	
1.5 आर्थिक विकास की आवश्यकता	
अध्याय – 2	
➢ **जनपद झाँसी की भौगोलिक स्थिति**	27-41
2.1 भौगोलिक एवं प्रशासनिक संरचना	
2.2 जलवायु एवं वर्षा	
2.3 प्राकृतिक साधन	
अध्याय – 3	
➢ **झाँसी जनपद के आर्थिक साधन एवं आर्थिक विकास**	42-68
3.1 यातायात के साधन	
3.2 संचार के साधन	

3.3 शक्ति के साधन

3.4 तकनीकी विकास

3.5 आर्थिक साधन एवं आर्थिक विकास

अध्याय – 4

➢ **झाँसी जनपद के मानवीय संसाधन एवं आर्थिक विकास** 69-85

4.1 जनसंख्या – आकार व घनत्व

4.2 जनसंख्या का व्यवसायिक वितरण

4.3 ग्रामीण व शहरी जनसंख्या

4.4 लिंग अनुपात, आयु अनुपात व जाति अनुपात

4.5 साक्षरता

4.6 मानवीय संसाधन व आर्थिक विकास

4.7 मानवीय संसाधन के पिछड़े होने के कारण

अध्याय – 5

➢ **झाँसी जनपद के वित्तीय साधन** 86-108

5.1 सरकारी स्रोत

5.2 व्यवसायिक बैंक

5.3 सहकारी बैंक

5.4 भूमि विकास बैंक

5.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

5.6 वित्तीय कठिनाईयाँ

अध्याय – 6

➢ झाँसी जनपद का कृषि विकास 109-143

6.1 बीज एवं उर्वरक भूमि उपयोग

6.2 कृषि स्रोतों का आकार

6.3 फसलें

6.4 सिंचाई

6.5 बीज एवं उर्वरक

6.6 कृषि तथा कृषि विकास

:अध्याय – 7

➢ झाँसी जनपद का औद्योगिक विकास 144-160

7.1 परम्परागत उद्योग

7.2 मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योग

7.3 उद्योग केन्द्र की भूमिका

7.4 उद्योग तथा आर्थिक विकास

अध्याय – 8

➢ आय, रोजगार एवं आर्थिक विकास 161-173

8.1 झाँसी की प्रति व्यक्ति आय

8.2 आय का वितरण

8.3 रोजगार की स्थिति

8.4 प्रति व्यक्ति आय व आर्थिक विकास

8.5 रोजगार व आर्थिक विकास

अध्याय – 9

➢ **झाँसी जनपद का सर्वेक्षण** 174-186

9.1 जनपद के विकास खण्डों का परिचय

9.2 अपनायी गयी निर्देशन विधि एवं प्रश्नावली

9.3 सर्वेक्षण एक रिपोर्ट

9.4 सर्वेक्षण से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष

9.5 सर्वेक्षण से प्राप्त समस्यायें

अध्याय – 10

➢ **उपसंहार** 189-205

10.1 झाँसी जनपद के आर्थिक विकास में अवरोधक तत्व

10.2 झाँसी जनपद के आर्थिक विकास की आवश्यकता

10.3 झाँसी जनपद के आर्थिक विकास की संभावनायें

10.4 झाँसी जनपद के आर्थिक विकास के सुझाव

➢ **संदर्भ ग्रन्थों की सूची** 206-208

◆◆◆◆◆◆◆◆

मानचित्र एवं रेखाचित्रों की सूची

क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	जनपद झाँसी का मानचित्र	31
2.	जनपद में तापमान की स्थिति	36
3.	जनपद में वर्षा की स्थिति	39
4.	कुल पक्की सड़कों की लम्बाई	47
5.	विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत	58
6.	मुख्य कर्मकारों में विभिन्न कर्मकारों का प्रतिशत	75
7.	साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत	81
8.	भूमि उपयोगिता (लाख हेक्टेयर)	112
9.	विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	133

◆◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय 1
आथिक विकास

अध्याय – 1

1.1 आर्थिक विकास का अर्थ

आज के इस प्रगतिशील युग की मुख्य समस्या आर्थिक विकास की समस्या है । वर्तमान आर्थिक जगत में आर्थिक विकास का विचार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा अधिकांश अर्थशास्त्रियों द्वारा किये जाने वाले चिन्तन का केन्द्र बिन्दु है । आर्थिक विकास जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है का अर्थ है – अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना । विस्तृत अर्थ में, आर्थिक विकास से अभिप्राय राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके निर्धनता को दूर करना तथा सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है । आर्थिक विकास को परिभाषित करना कठिन है क्योंकि आर्थिक विकास में अभिरूचि रखने वाले अर्थशास्त्रियों ने इस शब्द की परिभाषा विकास के विभिन्न आधारों को दृष्टि में रखकर देने का प्रयास किया है । एक वर्ग के अनुसार आर्थिक विकास का अर्थ, कुल राष्ट्रीय आय में वृदि है, तो दूसरी विचार धारा के लोगों ने प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में की जाने वाली वृद्धि को आर्थिक विकास की संज्ञा दी है । प्रथम वर्ग में ***प्रो0 साइमन कुटनेटस, मेयर तथा बाल्डविन व जे0 यंगसन*** आदि को सम्मिलित किया जाता है । जबकि इसके विपरीत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास मानने वाले अर्थशास्त्रियों में ***डा0 बैंजामिन, हिगीन्स, हार्वे लिर्वेस्टीन, डब्लू आर्थर लूईस, एच0एफ0 विलियमसन तथा वाइनर*** आदि उल्लेखनीय है । तृतीय वर्ग में उन अर्थशास्त्रियों को रखते हैं जो आर्थिक विकास की धारणा को और अधिक व्यापक अर्थ में प्रयोग करते है और वे जन साधारण के सामान्य कल्याण में वृद्धि को ही आर्थिक विकास का प्रतीक मानते है । संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक विकास का यही आधार दिया है । चतुर्थ वर्ग में अमरीका की ओवासीज डेवलपमेंट काउन्सिल आती है जो आर्थिक विकास का अर्थ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्डेक्स में वृद्धि से लगाती है ।

इन सभी वर्गों एवं विचार धाराओं वाले अर्थशास्त्रियों की परिभाषायें निम्न प्रकार हैं–

(अ) राष्ट्रीय आय में वृद्धि का दृष्टिकोण रखने वाला वर्ग :– इस वर्ग के अर्थशास्त्री ***मेयर एवं बाल्डविन*** के विचार में *"आर्थिक विकास एक प्रकिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है।"*

पाल एल्बर्ट के अनुसार, किसी देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए सभी उत्पादक साधनों का कुशलतम प्रयोग करना आर्थिक विकास कहलाता है ।

उपर्युक्त परिभाषाओं में तीन बातों पर जोर दिया गया है । एक, आर्थिक विकास एक प्रकिया है इसका अर्थ यह है कि आर्थिक विकास किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन है । दूसरा, आर्थिक विकास के अन्तर्गत लम्बे काल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और तीसरा, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए देश में उपलब्ध सभी उत्पादन साधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है ।

(ब) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि रखने वाला वर्ग :– इस वर्ग के विद्धान **रोस्टोव** के अनुसार, *"आर्थिक विकास एक ओर पूँजी व कार्यशील शक्ति में वृद्धि की दरों तथा दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि की दर के बीच एक ऐसा संबंध है जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है ।"*

एक विद्धान **हार्वे लिबिन्सटीन** के मत में *"विकास में किसी अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने की शक्ति में वृद्धि करना निहित है ।"*

इसी वर्ग के एक विद्धान **विलियमसन एवं बट्रिक** के अनुसार, *"आर्थिक विकास या वृद्धि से अर्थ इस प्रकिया से है जिससे किसी देश या क्षेत्र के निवासी उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके प्रति व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि करते हैं ।"*

काउज के शब्दों में, *"आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि की प्रकिया को बताता है । इस प्रकिया का केन्द्रिय उद्देश्य अर्थव्यवस्था के लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का ऊँचा और बढ़ता हुआ स्तर प्राप्त करना होता है ।"*

एक अन्य अर्थशास्त्री **लीविस** के अनुसार, *"आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को बताता है । प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि एक ओर उपलब्ध प्राकृतिक साधनों पर एवं दूसरी ओर मानवीय व्यवहार पर निर्भर है ।"*

उपरोक्त विद्धानों की परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है । यह उत्पादन वृद्धि निरन्तर होती रहती है । यदि यह

वृद्धि अवरूद्ध हो जाये तो आर्थिक विकास नहीं हो पायेगा । आर्थिक विकास के अन्तर्गत उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का कुशलता पूर्वक विदोहन होता है ।

(स) सामाजिक कल्याण में वृद्धि का दृष्टिकोण वाला वर्ग :– इस वर्ग के अर्थशास्त्री बी0 सिंह के अनुसार, "यह एक बहुमुखी धारण है । इसके अन्तर्गत केवल भौतिक आय में ही वृद्धि शामिल नहीं है, यद्यपि परिस्थितियों में सुधार भी शामिल है जो एक पूर्ण और सुखी जीवन का निर्माण करती है ।"

संयुक्त राष्ट्र संघ के विचार भी इसी वर्ग में आते हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रतिवेदन के अनुसार, "विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी सम्बन्धित होना चाहिए । अतः विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी शामिल हैं ।"

अतः आर्थिक विकास की स्थिति में व्यक्ति की वास्तविक आय में वृद्धि के साथ–साथ सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि होती है ।

(द) नया वर्ग :– अमेरिका की संस्था ओवरसीज डेवलपमेंट काऊन्सिल आर्थिक विकास का अर्थ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्डेक्स में वृद्धि से लगाती है । इस संस्था द्वारा इस सूचकाँक में तीन तत्वों को शामिल किया गया है ।

1. प्रत्याशित आयु   2. बच्चों की मृत्यु दर   3. साक्षरता

जिस देश की प्रत्याशित आयु सबसे अधिक है उसे 100 अंक दिये गये हैं । इसी प्रकार मृत्यु दर व साक्षरता के सम्बन्ध में भी अंक है जिस देश में प्रत्याशित आयु सबसे कम है उसे – 1 अंक देते हैं । इस प्रकार प्रत्येक देश के तीनों सूचकाँक रखकर औसत निकाल लेते हैं यदि किसी देश के इस औसत सूचकाँक में वृद्धि होती रहती है तो उसे आर्थिक विकास मानते हैं । इसका अर्थ है कि उसके भौतिक गुणों में वृद्धि हो रही है । इस संस्था ने यह माना है कि भारत के सम्बंध में 1941–49 के बीच 28, 1950–59 के बीच 36 सूचकाँक व 1960–69 के बीच 42 सूचकाँक है इस प्रकार गत वर्षो में भारत का सूचकाँक में 14 बिन्दु बढ़े हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारत में आर्थिक विकास हुआ है ।

उपरोक्त सभी वर्गों अर्थशास्त्रियों के मतों को देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक विकास से अर्थ उस प्रकिया से है जिसके फलस्वरूप देश में समस्त उत्पादन साधनों का कुशलता पूर्वक विदोहन होता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा लोगों के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकाँक बढ़ता है ।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जहां **मेंयर एवं बाल्डविन** ने आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय वृद्धि की बात कही है वहीं **विलियमसन एवं लुईस** द्वारा प्रति व्यक्ति का आधार माना है, जबकि बी0 सिंह और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामाजिक कल्याण को विकास का आधार माना है इन सभी परिभाषाओं में तीन महत्वपूर्ण बातें समान रूप से परिलक्षित होती हैं –

1. **प्रकिया** :– आर्थिक विकास एक सतत प्रकिया है जिसका अर्थ कुछ विशेष प्रकार की शक्तियों के कार्यशील रहने के रूप में लगाया जाता है । इन शक्तियों के एक अवधि तक निरन्तर कार्यशील रहने के कारण आर्थिक घटकों में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं । यद्यपि इस प्रकिया के फलस्वरूप किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन तो होता है किन्तु इस प्रकिया का सामान्य परिणाम राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना है ।

2. **वास्तविक राष्ट्रीय आय** :– आर्थिक विकास का सम्बन्ध वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि से है । ध्यान रहे वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि से अभिप्राय किसी राष्ट्र द्वारा एक निश्चित काल में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि से लगाया जाता है न कि भौतिक आय की वृद्धि से । चूंकि आर्थिक विकास को मापने के लिये राष्ट्रीय आय को ही आधार माना जाता है । इसलिये किसी देश का आर्थिक विकास तभी माना जायेगा जब उस देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निरन्तर बढ़ता रहे । कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्य ह्रास अथवा मूल्य सार में हुए परिवर्तनों को समायोजित करने पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त हो जाता हैं ।

3. **दीर्घकालीन अथवा निरन्तर वृद्धि** :– आर्थिक विकास का सम्बन्ध अल्पकाल में न होकर दीर्घकाल से होता हैं । दूसरे शब्दों में विकास की यह प्रकिया एक या दो वर्षों में होने वाले अल्पकाल में न होकर दीर्घकाल से होता है । दूसरे शब्दों में विकास की यह प्रकिया

एक या दो वर्षों में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तनों से सम्बंधित नहीं होती बल्कि 10 से 20 वर्षों के बीच दीर्घकालीन परिवर्तनों से सम्बंधित है । इस लिए अगर किसी अर्थव्यवस्था में किन्हीं अस्थायी कारणों से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है जैसे अच्छी फसल अथवा अप्रत्याशित निर्यात होना तो इसे आर्थिक विकास नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आर्थिक विकास विशेष घटकों से प्रभावित होने वाला विकास हैं ।

आर्थिक विकास की शर्तें :– गालब्रेथ ने अपने लेख में लिखा है, ''पिछली शताब्दी में आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति की आवश्यकताओं में लोक शिक्षा तथा जन ज्ञान – वृद्धि की अपेक्षा किसी और बात को इतना अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया । लोक शिक्षा कुछ ही लोगों की शक्ति नहीं बढ़ाती बल्कि अनेक व्यक्तियों की शक्ति का विस्तार करती है और इस प्रकार तकनीकी ज्ञान के द्वार खोल देती है ।'' प्रबुद्ध जनता के बिना जो कि उद्योगीकृत पश्चिमी देशों की उन्नत तकनीक के प्रयोग में रूचि न रखती हो, केवल विदेशी मशीनों के आयात से उद्योगीकरण सम्भव नहीं हो सकेगा । लोक शिक्षा द्वारा मानव की बुद्धि का विकास होता है जो किसी अन्य ढ़ग से नहीं हो सकता और तब ही लोग नयी पद्धतियों तथा नई तकनीक को अपनाते हैं जैसा कि गालब्रेथ ने लिखा है : ''शिक्षित लोग मशीनें प्राप्त करने की आवश्यकता को अच्छी प्रकार समझ लेंगें । क्या मशीनें शिक्षित लोगों को प्राप्त करने की आवश्यकता को अनुभव करेंगीं, यह समझ में नहीं आता ।'' लोक शिक्षा से लोक जागृति उत्पन्न होती है जिसके कारण जनता का अधिकांश भाग आर्थिक क्रिया में सक्रिय रूप से कार्य कर सकता है । लोक शिक्षा लोक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही प्रभावी महत्व रखती है और इस प्रकार यह विकास की इच्छा को प्रोत्साहन देती है ।

पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में देश के विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय के योगदान में काफी परिवर्तन हुआ है । इससे प्रकट होता है कि भारत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है । परन्तु अभी भारत की अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है । क्योंकि विकसित देशों की तुलना में भारत में कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान अब भी बहुत अधिक है । विकसित देशों की राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग 10 प्रतिशत से कम है जबकि भारत में लगभग 24 प्रतिशत है ।

1.2 आर्थिक विकास के मापदण्ड

कोई भी देश जो विकास की सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, उसे आर्थिक विकास की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी । प्रोफेसर ल्यूडस यह स्पष्ट करते हैं कि आर्थिक विकास के तीन तात्कालिक कारण हैं अर्थात् बचत का प्रयत्न, ज्ञान का संचय तथा इसका प्रयोग और पूंजी का संचय । उनके अनुसार स्वाभाविक ही है कि अल्पविकसित देश आर्थिक विकास की इन शर्तों को पूरा करने के लिए कुछ प्रयत्न करें । बहुत से प्रसिद्ध लेखकों ने पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में केन्द्रीय स्थान दिया है । हम न केवल इन्हीं कारणों पर बल देंगें बल्कि कुछ अन्य शर्तों पर भी, जिनको अनेक राजनीति तथा अर्थशास्त्र के विद्धानों ने महत्व दिया है ।

अल्पविकसित देश के लिए, सर्वप्रथम, एक राज्य सरकार की आवश्यकता होती है जो प्रशासन संभाल सके । राज्य सरकार का रूप क्या हो – पूंजीवादी या अन्यथा – यह प्रत्येक देश की स्थिति पर निर्भर होगा । परन्तु राज्य सरकार देश में कानून और अर्थव्यवस्था स्थापित के बिना निर्विध्न आर्थिक विकास सम्भव नहीं । यदि राजकीय नीतियां प्रायः बदलती रहें, तो आर्थिक योजनाएं सफलता प्राप्त नहीं करतीं और निजी विनियोग विफल हो जाता है । अधिकांश अल्पविकसित देशों में भ्रष्टाचार, रिश्वत आदि ऐसे कारण हैं जो कि आर्थिक विकास बाधा उत्पन्न करते हैं । इसका अर्थ यह नहीं है कि भ्रष्टाचार समृद्ध समाजों की अपेक्षा निर्धन देशों के लिए अधिक हानिकारक है । ईमानदारी के अतिरिक्त, प्रशासन प्रभावी भी होना चाहिए । अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास की एक मुख्य अड़चन राजकीय अधिकारियों में अनुभव की कमी है और प्रशिक्षण तथा योग्यता कम होने के कारण तुरन्त निर्णय न कर सकने की कमी होती है ।

इस प्रगतिशील युग में आर्थिक विकास एक बहुचर्चित विषय है । और सभी देश इस दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं । अब सवाल यह आता है कि आर्थिक विकास की कसौटी अथवा मापदण्ड क्या हैं अर्थात किसी देश में आर्थिक विकास हो रहा है अथवा नहीं, किसी क्षेत्र विशेष में विकास हुआ है या नहीं, इस बात का किस तरह पता लगाया जाये, आर्थिक विकास की माप हेतु विकासवादी अर्थशास्त्रियों ने निम्नलिखित मापदण्ड बताये हैं ।

1. राष्ट्रीय आय वृद्धि मापदण्ड:– *प्रो0 मेयर एवं बाल्डविन, कुजनेट्स, यंगसन तथा मीड* जैसे विकासवादी अर्थशास्त्रियों ने किसी देश की राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को उस देश के आर्थिक विकास का सूचक माना है । अन्य शब्दों यदि किसी देश में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो यह वृद्धि उस देश के आर्थिक विकास की कसौटी मानी जायेगी बशर्ते कि वृद्धि निरन्तर व अस्थायी न हो ।

2. प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मानदण्ड :– राष्ट्रीय आय विचार के विपरीत आधुनिक समय में अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मत है, कि राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का सही मापदण्ड नहीं है बल्कि देश में प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को उस देश में आर्थिक विकास के अभिसूचक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए । इसका कारण यह है कि अल्पविकसित देशों में मुख्य समस्या जीवन स्तर में सुधार करने की होती है और जीवन स्तर का प्रत्यक्ष सम्बंध प्रति व्यक्ति आय से होता है । इसीलिए जनता के आर्थिक कल्याण व जीवन स्तर में वृद्धि की दृष्टि से किसी देश का आर्थिक विकास तभी माना जायेगा जब उसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है ।

प्रो0 पाल बरन के अनुसार, "आर्थिक वृद्धि की परिभाषा भौतिक वस्तुओं की एक निश्चित काल में प्रति व्यक्ति प्रदा की वृद्धि के रूप में की जानी चाहिए ।"

बुकनेन तथा एलिस का भी यही विचार है । उन्हीं के शब्दों में "आर्थिक विकास से आशय पूंजी निवेश के उपयोग द्वारा अल्पविसित देशों की वास्तविक आय सम्भावनाओं को विकसित करने की दृष्टि से ऐसे परिवर्तन लाना व ऐसे उत्पादक स्रोतों को बढ़ावा देना है जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ने की सम्भावना प्रकट करते हैं ।"

प्रति व्यक्ति आय के पक्ष में तर्क :–

1. राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर यदि समाज में आय का वितरण असमान रहा हो तो बाह्रय दृष्टि से भले ही इसे आर्थिक विकास मान लिया जाये वास्तव में यह आर्थिक विकास नहीं, विषमताओं का विकास माना जायेगा ।

2. आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य पिछड़े देशो के निवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है । और जीवन स्तर में यह वृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उन लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि न हो जाये ।

3. देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि उस देश के कुल उत्पादन में इस प्रकार की वृद्धि हो कि जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन की बढ़ती हुई मात्रा, उपभोग के स्तर को ऊँचा उठा सके, ताकि आर्थिक कल्याण बढ़ सके ।

प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में भी कुछ सीमाएं नजर आती हैं :–

1. प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के बावजूद प्रति व्यक्ति उपभोग मात्रा का कम होना ।

2. ऐच्छिक रूप से अथवा अनिवार्य रूप में बचतों का अधिक किया जाना ।

3. धन का असमान वितरण ।

इस तरह की स्थिति के अनुसार एक बात और उत्तरदायी है कि व्यक्ति अपनी प्रति व्यक्ति आय को नहीं बतलाता और न ही इसको सही तरह से कुछ क्षेत्रों में नापा जा सकता है । अतः आर्थिक विकास का यह सूचक भी मानव जाति के अन्तिम लक्ष्य आर्थिक कल्याण के प्रति तटस्थ बना रहता है ।

तब सही मापदण्ड किसे जाना जाये :– आर्थिक विकास का उपयुक्त मापदण्ड क्या हो, यह समस्या आज भी अपने में विवाद ग्रस्त बनी हैं । यहां यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि आर्थिक विकास के अभिसूचक के रूप में मुख्य विवाद राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय के बीच है । चूंकि इन दोनो मापदण्डों के अपने–अपने गुण दोष है इसलिये सभी तरह की अर्थव्यवस्थाओं के लिए किसी एक का ही चुनाव करना न तो सम्भव है और न ही उचित । अतः विकसित देशो के आर्थिक विकास का अभिसूचक राष्ट्रीय आय में वृद्धि माना जाना चाहिए । अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास की कसौटी हेतु प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को स्वीकार किया जा सकता है ।

1.3 आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व

आर्थिक विकास एक व्यापक प्रकिया है । प्रत्येक देश का आर्थिक विकास अनेक घटकों से प्रभावित होता है। इन्हीं घटकों को आर्थिक विकास के घटक या तत्व कहते हैं । यह घटक कितने हैं इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों का मत नहीं है कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों को निम्नवत् बताया है –

1. प्रो0 रेगनर नर्कसे के अनुसार, ''आर्थिक विकास का मानव शक्तियों, सामाजिक मान्यताऐं, राजनीतिक दशायें, ऐतिहासिक घटनाओं के साथ घनिष्ट सम्बंध हैं पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एक मात्र निर्धारक नहीं हैं ।''

2. मेयर एवं बाल्डविन की दृष्टि में, ''आर्थिक विकास के घटकों को दो भागों में बांट देते हैं आधारभूत साधनों की पूर्ति जैसे जनसंख्या वृद्धि, पूंजी संग्रह, परिवर्तन तथा उत्पादित वस्तुओं की मांग की संरचना में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की वरीयताओं में परिवर्तन आदि ।''

3. प्रो0 शुक्पीटर के विचार में, ''आर्थिक विकास के पांच निर्धारक तत्व हैं ।''

✓ उत्पादन की नवीन प्रणाली का शुभारम्भ ।

✓ अर्द्ध निर्मित व कच्चे माल के लिये नवीन साधनों की खोज ।

✓ उद्योगों में नवीन संगठन ।

✓ नवीन वस्तुओं को शामिल करना ।

✓ नवीन बाजारों की खोज करना ।

अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले आर्थिक और अनार्थिक तत्व हैं ।

आर्थिक तत्व :– आर्थिक विकास को निर्धारित या प्रभावित करने वाले आर्थिक घटक निम्नवत् हैं –

1. प्राकृतिक साधन :– किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के प्राकृतिक साधनों जैसे भौगोलिक स्थिति, सम्पदा, जलवायु, धरातल की बनावट व मिट्टी पर निर्भर करती है । जिस देश में इन साधनों की अधिकता होगी उस देश का उतना ही अधिक आर्थिक विकास होगा । इसके विपरीत जिस देश में इन प्राकृतिक साधनों को उचित विदोहन नहीं किया जाता या प्राकृतिक साधनों का अभाव है वहां पर आर्थिक विकास अधिक नहीं होगा । कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि आज के प्रगतिशील युग में प्राकृतिक साधनों का अधिक महत्व नहीं है क्योंकि इजराइल व जापान ने अपना विकास प्राकृतिक साधनों के बल पर न करके अपनी योग्यता व क्षमता के आधार पर किया है । अतः यह अर्थ निकालना कि कोई राष्ट्र बिना प्राकृतिक साधनों के आर्थिक विकास नहीं कर सकेगा गलत है ।

लेकिन इन विद्वानों के विचार एक सीमा तक ही उचित प्रतीत होते हैं हर परिस्थिति में प्राकृतिक साधनों का होना तो एक अनिवार्य आवश्यकता है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक सम्पदा का कुछ स्तर होना आवश्यक है क्योंकि इससे वहां के उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता है ।

2. श्रम शक्ति व जनसंख्या :– श्रम शक्ति व जनसंख्या किसी भी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं क्योंकि जिस देश के व्यक्ति आलसी होगें वहां का विकास धीमी गति से होगा लेकिन जिस देश में श्रम शक्ति साहसी एवं सबल है वहां विकास की गति अधिक होगी । इसके लिए जर्मनी का उदाहरण मुख्य है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में यह देश जर्जर हो गया था लेकिन 20 वर्षों में इस देश ने काफी प्रगति की । यह उसकी श्रम शक्ति के साहस का परिणाम हैं ।

विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि विकास में सहायक है लेकिन अल्पविकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप उस देश में पूंजीगत साधनों व तकनीकी ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है । इससे जनता में समस्याएं पैदा हो जातीं हैं, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है और जीवन स्तर कम हो जाता है तथा मूल्य वृद्धि होती है,

बचत व पूंजी निर्माण की दरों में कमी आती है । अतः इस बात की आवश्यकता है कि जनसंख्या का उचित नियोजन व अनुकूलतम उपयोग करके आर्थिक विकास कर गति को तेज किया जा सकता हैं ।

3. पूंजी निर्माण :– आधुनिक आर्थिक विकास का मूल आधार पूंजी है । पूंजी निर्माण की दर बढ़ाना आवश्यक है ताकि समाज मशीनी तथा उपकरणों का भारी स्टॉक एकत्र कर सके जिसे उत्पादन कार्यो में लगाया जा सके । पूंजी निर्माण के लिए कौशल निर्माण की भी आवश्यकता होती है ताकि उत्पन्न किये भौतिक पूंजी उपकरणों का प्रयोग किया जा सके । इससे ही उत्पादन में वृद्धि होगी । भारतीय योजना आयोग के अनुसार, ''किसी समाज का उत्पादन स्तर और भौतिक कल्याण मुख्यतः इसमें उपलब्ध पूंजी के स्टॉक अर्थात् प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा और उत्पादक साधन जैसे मशीनों, भवनों, औजारों, उपकरणों, कारखानों, इंजनों, सिंचाई सुविधाओं, संचालन शक्ति, प्राजेक्टों और संचार साधनों पर निर्भर करता है । जितना अधिक पूंजी का स्टॉक होगा उतनी अधिक श्रम की आवश्यकता होगी और परिणामतः इसी प्रयास द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की अधिक मात्रा उत्पन्न की जा सकेगी ।''

इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश जनता के पूंजी निर्माण में ही निहित है । यदि किसी देश में पूंजी निर्माण नहीं होगा तो वह देश अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकेगा ।

4. तकनीकी तथा नवाचार :– किसी देश का आर्थिक विकास पर तकनीकी तथा नवाचार का भी प्रभाव पड़ता है । यहां पर तकनीक से अर्थ नवीन वस्तुओं के उत्पादन के तथा नवाचार का अर्थ पुरानी वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया में सुधार से है । जिस देश में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति तेज होती है उस देश के बाजार में नयी वस्तुएं आ जाती हैं पुरानी में सुधार हो जाता है । श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है और उत्पादन लागत कम होती है । इन सभी बातों से आर्थिक विकास तेज होता है । जिन देशों में तकनीक तथा नवाचार –वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति धीमी गति से होती है वहां आर्थिक विकास भी धीमी गति से होता है ।

5. पूंजी उत्पादन अनुपात :– पूंजी उत्पाद अनुपात किसी भी देश के आर्थिक विकास की दर को प्रभावित करती है । पूंजी उत्पादन अनुपात से अर्थ है कि उत्पादन की एक इकाई के लिए पूंजी की कितनी इकाईयों की आवश्यकता है इसी को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उपलब्ध पूंजी का निवेश करने पर उत्पादन में किस दर में वृद्धि होती है । उदाहरण के लिए यदि 5रू की पूंजी विनियोजित करने पर उत्पादन 1रू के बराबर होता है तो पूंजी 5:1 कहलायेगी जिस देश में यह अनुपात जितना कम होगा वह देश उतना ही आर्थिक विकास कर सकेगा ।

6. संगठन :– एक देश के आर्थिक विकास पर उस देश के संगठनात्मक पहलू का भी प्रभाव पड़ता है यदि किसी देश में साहसी अच्छा नेतृत्व प्रदान करने वाले दूरदर्शी परम्परगत बाधाओ को तोड़ने वाले, महत्वाकांक्षी आदि गुण रखने वाले व्यक्ति अधिक होते हैं तो वह देश अपना अच्छा आर्थिक विकास कर सकता है । परन्तु जिन देशों में इन गुणों का अभाव है वे देश आज भी अनेक नवीनतम और आधुनिक आविष्कार होने के बावजूद भी पिछड़े और अल्प–विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं इस प्रकार देश का संगठन भी आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है और यह एक महत्वपूर्ण घटक हैं ।

अनार्थिक घटक :– आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले अनार्थिक तत्व निम्नलिखित हैं –

***1.* सामाजिक घटक :–** सामाजिक परिवेश आर्थिक विकास को प्रभावित करता है इसका कारण यह है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है अतः समाज की कुछ परम्पराएं, प्रथाएं, मनोवृत्तियां, रीतिरिवाज आदि होते हैं जो मनुष्य को उन्हें पालन करने या मानने के लिये बाध्य करते हैं । यदि मनुष्य इन सीमाओं से ऊपर उठकर समाज की उन्नति की इच्छा रखता है, विकास के लिए तत्पर है तथा नवीन विधियों का प्रयोग करता है तो अधिक विकास होगा अन्यथा ऐसा सामाजिक वातावरण प्रगति में बाधक होता है । इसको *प्रो0 गिल ने अपनी पुस्तक "इकोनोमिक डेवलपमेन्ट" में स्पष्ट किया है कि "आर्थिक विकास कोई यांत्रिक प्रकिया नहीं है । यह एक मानवीय उपकम है और अन्य मानवीय उपकमों के समान इसका फल अन्तिम रूप से योग्यता, गुण एवं मनोवृत्तियों पर निर्भर करेगा ।"*

2. धार्मिक घटक :– आर्थिक विकास पर धार्मिक मान्यताओं एवं रीति रिवाजों का गहरा प्रभाव पड़ता है धार्मिक भावनायें, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों को जन्म देती है जिसके परिणाम स्वरूप नवीनता का विरोध होता है यही कारण है कि प्रो0 लुईस के अनुसार "कोई देश असंगत धार्मिक सिद्धांतों को अपनाकर अपनी आर्थिक उन्नति का गला घोंट सकता है या नये उन्नतिशील विचारों को अपनाकर आर्थिक विकास की गति तेज कर सकता है ।"

3. राजनीतिक घटक :– राजनीतिक घटक भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं यदि देश में राजनीतिक स्थायित्व है, शान्ति व सुरक्षा है, सरकार के प्रति जनता में विश्वास है तो उस देश में आर्थिक विकास कार्य तेजी से चलाया जा सकता है इसके विपरीत स्थिति में आर्थिक विकास हतोत्साहित होगा । इसलिए प्रो0 लुईस ने कहा है कि "किसी देश की राजनीतिक प्रभुसत्ता सरकारी स्वरूप, सरकारी दृष्टिकोण में विकास की सजगत, प्रशासन की श्रेष्ठता, विकास से सम्बंधित प्रश्नों पर राजनीतिक विचारधारा, आदि का आर्थिक विकास पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है ।

4. अन्तर्राष्ट्रीय घटक :– अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव किसी देश के आर्थिक विकास पर भी पड़ता है अगर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अच्छी नहीं है और पड़ोसी देशों से सम्बंध अच्छे है तो आयात–निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है इससे सम्बन्ध भी अच्छे होंगें और इससे देश का आर्थिक विकास भी बढ़ेगा ।

5. वैज्ञानिक घटक :– आर्थिक विकास वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति पर भी निर्भर करता है । यदि वैज्ञानिक प्रगति की गति तेज है और अधिक वैज्ञानिक वस्तुओं का निर्माण व बिक्री होती है तो देश का आर्थिक विकास अधिक होगा । वैज्ञानिक प्रगति के अभाव में देश का विकास भी कम होगा ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के ऊपर आर्थिक और अनार्थिक घटकों का प्रभाव एक साथ पड़ता है । किसी देश की शान्ति व सुरक्षा तथा राजनीतिक स्थिरता होने की स्थिति में पूंजी विनियोजिता में वृद्धि होती है और उत्पादन बढ़ता है इन सब के फलस्वरूप आर्थिक विकास में वृद्धि होती है ।

1.4 आर्थिक विकास में बाधायें

वर्तमान समय में प्रत्येक देश अपने विकास में लगा है । लेकिन इस विकास के रास्ते में बाधायें आती हैं । जिनमें से अल्पविकसित देशों में ये बाधायें पायी जाती हैं ।

प्रो0 मेयर एवं बाल्डविन ने इनको निम्न भागों में बांटा है – (1) निर्धनता का दुष्चक्र, (2) बाजार सम्बन्धी अपूर्णतायें, (3) अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ तथा (4) पूंजी निर्माण की निम्न दर ।

श्री येस्टर बैल्स के अनुसार, ''किसी भी विकासशील राष्ट्र में आर्थिक उन्नति उतनी ही समस्याओं को जन्म देती है जितनी समस्याओं को हल करती है। आर्थिक विकास में बाधक आर्थिक तत्वों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं –

(1) आर्थिक बाधायें

(2) गैर आर्थिक बाधायें

आर्थिक बाधायें :– आर्थिक विकास में बाधक आर्थिक तत्व निम्नलिखित हैं –

1. बाजार की अपूर्णतायें :– अल्प विकसित देशों में बाजार की अपूर्णताये, उत्पत्ति के साधनों की अगतिशीलता, कीमत दृढ़ता, बाजार दशाओं का कम ज्ञान, दृढ सामाजिक ढांचा, विशिष्टीकरण एवं प्रमाणीकरण का अभाव तथा अविकसित तकनीक के रूप में दृष्टिगोचर होती है बाजार अपूर्णताओं के विद्यमान होने पर सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि उत्पत्ति के साधनों का समुचित वितरण तथा सर्वोत्तम ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है । जिससे देशों में वास्तविक उत्पादन सम्भाव्य उत्पादन से नीचा बना रहता है ।

श्रम शक्ति की अगतिशीलता और उसका कुशलता के साथ उपयोग न होने के कारण बेरोजगारी बढ़ने लगती है श्रमिकों की उत्पादकता में ह्रास होता है, सामाजिक व सांस्कृतिक बाधाओं के कारण श्रम व पूंजी का कुशलता के साथ वितरण नहीं हो पाता जिसके फलस्वरूपएक तरफ पूंजी की सीमान्त क्षमता गिरने लगती हैं तो दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरूद्ध हो जाता है इन सब घटकों के कारण यह होता है कि इन देशों में बाजार अत्यन्त सीमित बने रहते हैं और यह देश अपनी उत्पादन सीमाओं पर पहुँच नहीं पाते ।

2. पूंजी निर्माण की निम्न दर :– पूंजी की कमी आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है और यह कमी निर्धनता के दुष्चक्रों का परिणाम है प्रश्न उठता है कि इन देशों में पूंजी की कमी क्यों होती है, उसके तीन प्रमुख कारण हैं –

1. इन देशों में व्याप्त असीम दरिद्रता पूंजी निर्माण की निम्न दर का कारण और परिणाम दोनों हैं ।

2. बचत केवल आय स्तूप के शिखर उसे 8 प्रतिशत लोगों, व्यापारियों तथा भूमिपतियों द्वारा की जाती है जो प्रायः आभूषण, कीमती पत्थर, व्यर्थ भण्डार, भूमि जागीर आदि अनुत्पादक दिशाओं में स्वाहा हो जाती है इसके अलावा एक तरफ प्रर्दशनकारी प्रभाव और दूसरी तरफ बैंकिग सुविधाओं का अभाव बचत निर्माण क्षमता पर अंकुश लगाये रखती है ।

3. इन देशों में निवेश की प्रेरणा भी कम होती है जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं –

(अ) नवप्रर्वतन की भावना न होना ।

(ब) घरेलू बाजार का सीमित आकार।

(स) पूंजी बाजार का अभाव ।

(द) साधन गतिशीलता और कुशलता के अभाव में ऊंची उत्पादन लागत से सम्भावित निवेश का रूक जाना ।

(य) आर्थिक संरचना की अपर्याप्तता से निवेश को कम प्रेरणा मिलना।

(र) उद्यमीय योग्यता का पर्याप्त रूप में उपलब्ध न होना ।

3. निर्धनता के दुष्चक :– मध्य विकसित या अर्द्धविकसित में यह विशेषता पायी जाती है कि उनके यहां गरीबी का दुष्चक चलता रहता है । प्रो0 रेगनर नर्कसे ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि "एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है ।" इनका कहना है कि इन देशों में शक्तियों का ऐसा चक्राकार नक्षत्र मंडल होता है कि वह एक दूसरे पर किया एवं प्रतिक्रिया करता है जिससे एक निर्धन देश निर्धनता की स्थिति में बना रहता है । एक अल्पविकसित

क्रिया एवं प्रतिक्रिया करता है जिससे निर्धन देश निर्धनता की स्थिति में बना रहता है । एक अल्पविकसित देश में निम्न तीन प्रकार के दुष्चक्र पाये जाते हैं ।

प्रथम चक्र :– यह पूंजी की पूर्ति में कमी के कारण होता है एक अल्पविकसित देश में प्रतिव्यक्ति आय कम होती है, बचत शक्ति कम होती है, विनियोग की दर कम होती है, पूंजी कम होने लगती है और फलस्वरूप उत्पादकता का स्तर गिरने लगता है ।

द्वितीय चक्र :– यह दुष्चक्र पूंजी की मांग में कमी के कारण उत्पन्न होता है वास्तविक आय कम होने के कारण वस्तुओं की मांग कम होती है उत्पादन कम किया जाता है विनियोग प्रेरणायें कम होती हैं और उत्पादकता का स्तर गिरने लगता है ।

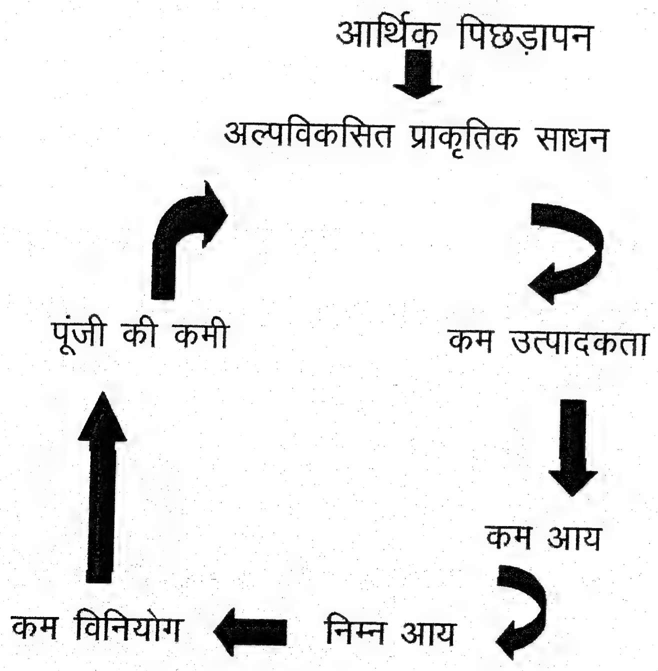

तृतीय दुष्चक :– यह दुष्चक मानवीय तथा प्राकृतिक साधनों के अल्प शोषण के कारण होता है लोगों के अशिक्षित व तकनीकी दृष्टि से पिछड़े होने के कारण प्राकृतिक साधनों का पूर्ण शोषण नहीं हो पाता है ।

मानवीय पिछड़ापन

अल्पविकसित प्राकृतिक साधन

प्रो0 आर0 एन0 भट्टाचार्य ने अपनी **'पुस्तक इण्डियन प्लान्स'** में लिखा है कि अर्थ व्यवस्था का अर्थ विकास एवं दरिद्रता पर्यायवाची शब्द है कोई भी देश इसलिये गरीब है कि वह दरिद्र है अतः अन्त में यह कह सकते हैं कि धीरे धीरे निर्धनता का दुष्चक तोड़ा जा सकता है और आर्थिक विकास बढ़ाया जा सकता है।

4. अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ :– प्रसिद्ध विकासवादी अर्थशास्त्रियों जैसे प्रो0 डब्ल्यू आर्थर, मिट गन्नार मिडल प्रेविश तथा सिंगर आदि का मत है कि विदेशी व्यापार तथा विनियोग से भी अल्प देशों का शोषण हुआ है । **मेयर एवं बाल्डविन** के अनुसार प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण अल्पविसित देशों के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों से सिद्ध हुआ है ।

(अ) द्वैत अर्थव्यवस्थायें :– विश्व के बाजारों के सम्पर्क में आने के फलस्वरूप पिछड़े हुए देशों के निर्यात व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हो गई जिससे इनकी अर्थव्यवस्था नियतिक क्षेत्र में बंट गई है । इस नियतिक पद्धति से देश का विकास हुआ लेकिन आयात करने वाले देश का विकास नहीं हो सका ।

(ब) अन्तराष्ट्रीय साधन चलनशीलता :– इसका अर्थ है कि इन देशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विवाद में नहीं पड़ना चाहिए जो देश उनको आर्थिक सहायता देने के उत्सुक हो उसके अनुकूल शर्तो पर ही सहायता स्वीकार करनी चाहिए, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए तथा मित्रता पूर्ण सम्बन्ध पड़ोसियों से रखना चाहिये । विदेशी विनियोग का आर्थिक प्रभाव सर्वथा प्रतिकूल रहा है । विदेशी विनियोग अधिकतर नियतिक उद्योग में ही किये गये जबकि अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण उद्योग अछूते ही रहे हैं फलस्वरूप आधारभूत उद्योग की उत्पादकता वास्तविक आय तथा जीवन निर्वाह के स्तर में वृद्धि नहीं हो सकी ।

(स) व्यापारिक शर्त :- पिछड़े हुए देशों के लिए विदेशी व्यापार की शर्त न केवल अलाभप्रद रही है वनन् वे निरन्तर प्रतिकूल होती जा रही है । पिछले सत्तर अस्सी वर्षों से अल्प विकसित देशों को विदेशी व्यापार की प्रतिकूल शर्तों के घातक प्रभाव वहन करने पड़े हैं इनसे इनकी आयात क्षमता में कमी हुई है । यह अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए आधारभूत उद्योगों का विकास नहीं कर सके । बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा प्रतिकूल भुगतान के सन्तुलन की स्थिति को नहीं रोका जा सकता और इन प्रतिकूल व्यापारिक दशाओं नें पूंजी निर्माण की दर को सीमित करते हुए आर्थिक विकास को अवरूद्ध कर दिया है । *प्रो0 मेयर एवं बाल्डविन का कहना है कि "जब तक ये बाधायें विद्यमान रहेंगीं और एक दूसरे को सशक्त करती रहेगीं तब तक निर्धन देशों का विकास सम्भव नहीं हो सकेगा और निर्धनता का साम्राज्य बना रहेगा ।"*

5. उद्यमशीलता एवं प्रबन्धकीय योग्यता का अभाव :- अल्प विकसित देशों में उद्धमशीलता का अभाव होता है । शुम्पीटर का मत है कि किसी देश का आर्थिक विकास मुख्य रूप से नव प्रवर्तकों तथा उद्यमियों पर निर्भर करता है आज विकासशील देश केवल उद्यमियों की सूझ बूझ व जोखिम उठाने की क्षमता पर भी निर्भर करता है । इसके अभाव में ये देश आर्थिक विकास नहीं कर सकते और न ही उन्हें आर्थिक उत्प्रेरणायें मिल सकीं । विकास के लिये वांछित दशाओं के न होने पर परम्परागत विधियों एवं मान्यताओं को अपनाये रखना ही इन देशों की दिनचर्या बनी रही इन सबका परिणाम यह हुआ कि ये देश विकास की दौड़ में चाहे अनचाहे पिछड़ते गये ।

6. आधारभूत संरचना का अभाव :- आधारभूत संरचना से अभिप्राय परिवहन एवं संचार, शक्ति, पानी, विद्युत तथा आवास आदि से है । जिन देशों में इन सुविधाओं का अभाव होगा वहां का आर्थिक विकास अधिक नहीं हो सकता है ।

गैर आर्थिक बाधाये :- यह कहना गलत है कि किसी देश के आर्थिक विकास में केवल आर्थिक कारण ही उत्तरदायी हैं लेकिन नहीं, गैर आर्थिक तत्व भी पूरी तरह उत्तरदायी हैं । आर्थिक विकास में बाधक गैर आर्थिक तत्व निम्न प्रकार हैं –

1. राजनीतिक कारण :– किसी भी देश के विकास में राजनीतिक स्थिरता का सबसे अधिक महत्व है यदि शासक विलासी है तो भी विकास कम होगा । राजनीतिक पराधीनता, अकुशल शासन व्यवस्था, घरेलु युद्ध तथा स्वतंत्रता आन्दोलन आदि अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के मार्ग की मुख्य बाधायें रहीं हैं ।

2. सामाजिक कारण :– देशों के आर्थिक विकास पर सामाजिक तत्वों का भी एक विशेष प्रभाव रहा है सामाजिक तत्वों के अन्तर्गत मुख्यतया जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली तथा उत्तराधिकार के दोषपूर्ण नियमों को सम्मिलित किया जाता है । अधिकांश पिछड़े देशों की आर्थिक जड़ता का मुख्य कारण वास्तव में ये सामाजिक तत्व ही रहे हैं । जाति प्रथा एवं छुआछूत के कारण जहां लोगों में पारस्परिक सम्बन्धों का अभाव तथा साधनों की गतिशीलता में कमी हुई है वहां उसके विपरीत संयुक्त परिवार प्रणाली तथा उत्तराधिकार के नियमों ने व्यावसायिक जोखिम व उद्यमशीलता की क्षमता को कम किया जाता है । एक सामान्य सत्य है कि विकास के साथ साथ विचारों में परिवर्तन होना आवश्यक है । लेकिन अल्प विकसित देशों का यह दुर्भाग्य रहा है कि इनके निवासियों का दृष्किोण सामाजिक सीमाओं व बन्धनों में जकड़े होने के कारण अपरिवर्तित ही बना रहा जिसके फलस्वरूप विकास के लिए आवश्यक पृष्ट भूमि तैयार नहीं हो पाती ।

3. सांस्कृतिक कारण :– अल्प विकसित देशों में लोग अधिकांश अशिक्षित, अज्ञानी, दकियानूसी, अन्धविश्वासी तथा भाग्यवादी होते हैं इस प्रकार के देशों में निर्धनता महासागर की गहराई की भांति अथाह होती है परन्तु यह ईश्वर की देन समझी जाती है । क्योंकि यह पूर्व निर्धारित होती है इसे अपने परिश्रम व उद्योगों के अभाव से कभी भी सम्बद्ध नहीं किया जाता है क्योंकि इससे विधाता के विधान को ठेस पहुंचती है । मेयर एण्ड बाल्डविन के मतानुसार अर्द्ध–विकसित देशों की संस्कृति मल्य व्यवस्था आर्थिक उपलब्धियों के लिये सर्वत्र अनुपयुक्त है जिसके फलस्वरूप इन देशों के लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बने रहते हैं ।

4. जनसंख्या :– मध्य विकसित देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है । जो देश के आर्थिक विकास की गति में बाधक बनती है । इसके अग्र पांच कारण हैं –

1. नई पूंजी का अधिकांश भाग विद्यमान रहन सहन के स्तर को बनाये रखने के लिये उपभोग पर व्यय हो जाता है जिससे विनियोजन के लिये कम राशि बचती है ।

2. देश में जनसंख्या का गुणात्मक स्तर नीचा हो जाता है अर्थात् जनसंख्या निर्धन, अशिक्षित और स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर होती है । जिसके फलस्वरूप उत्पादकता का स्तर निम्न कोटि का होता है ।

3. जनाधिक्य के कारण श्रम प्रधान तकनीकी को अपनाना पड़ता है ।

4. बेरोजगारी व बढ़ती हुई कीमतों की समस्या उत्पन्न हो जाती है ।

5. आय संरचना आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं होती । आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है ।

5. तकनीकी घटक :– अल्पविकसित देशों में आधुनिक तकनीक पाश्चात्य देशों से आयात की जाती है । पाश्चात्य तकनीक पूंजी प्रधान व श्रम बचतकारी होती है जबकि अल्प विकसित देशों में पूंजी की कमी तथा श्रम की अधिकता पायी जाती है । इस प्रकार पाश्चात्य तकनीक अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई है ।

उपर्युक्त बाधाओं को देखते हुए ये पता चलता है कि इन समस्याओं के रहते कोई भी देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता क्योंकि ये सभी समस्याएं किसी न किसी तरह आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं । आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये इन समस्याओं को कम करते हुए निम्न उपाय अपनाये जा सकते हैं ।

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय :– आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के के लिये निम्नलिखित देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उपाय किये जा सकते हैं ।

1. बचत व विदेशी विनियोग को प्रोत्साहन :– पूंजी की कमी के लिये जनसाधारण में बचत करने व इनको उद्योगों आदि में लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तथा यदि विदेशी पूंजी भी बिना शर्त या अनुकूल शर्तो पर मिले तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । आरम्भ में पूंजी वस्तुओं सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना

आयोग ने विदेशी सहायता का काफी आश्रय लिया है । क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी प्राप्तियां अपर्याप्त थीं । परन्तु 1956–57 के विदेशी मुद्रा संकट के पश्चात् निर्यात प्रोत्साहन का महत्व ठीक प्रकार से समझा गया । आयोजकों ने यह बात समझ ली कि निर्यात प्रोत्साहन तीव्र औद्योगीकरण की क्रिया में साथ साथ चल सकते हैं । तीसरी योजना में इस बात को स्पष्ट किया गया "बीते वर्षों में एक मुख्य कमजोरी यह रही है कि निर्यात के प्रोग्राम को देश के विकास – प्रयास का एक समन्वित भाग नहीं समझा गया ।" योजना आयोग इस बात से बाद में पीछे नहीं हटा– निर्यात प्रोत्साहन उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं का हमेशा ही एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है और पंचवर्षीय योजनाओं ने तो इससे भी आगे बढ़कर विदेशी सहायता की शून्य दर का लक्ष्य रखा । निर्यात प्रोत्साहन के साथ साथ आयात प्रतिस्थापन पर भी बल दिया गया ।

2. बाजारों का विस्तार :– यदि देश में क्रय शक्ति कम होने के कारण बाजारों के विस्तार करने की सम्भावनायें न हों तो निर्यात को प्रोत्साहित कर विदेशी मुद्रा अर्जित करनी चाहिये जिससे कि नये – नये उद्योगों के लिये आवश्यक मशीनें व पूंजीगत माल आयात किया जा सके ।

3. सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन :– आर्थिक विकास हेतु सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाने व धार्मिक मान्यताओं में फेरबदल करने के लिये उपयुक्त साधनों से प्रचार किया जाना चाहिये जिससे कि इन मान्यताओं में धीर – धीरे परिवर्तन लाया जा सके ।

4. जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण :– देश में बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास की गति को कम कर देती है । अतः जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिये उपाय काम में लाये जाने चाहिये । जनसंख्या वृद्धि पूंजी निर्माण की दर को कम कर देती है । जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । जनसंख्या बढ़ने के कारण आय एक सीमा तक आय बढ़ती है परन्तु इसके पष्चात् आय कम होना आरम्भ हो जाती है । जब तक जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से कम होती है प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, परन्तु जैसे ही जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से बढ़ने लगती है तो प्रति व्यक्ति आय कम होने लगती है । इस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय का

एक महत्वपूर्ण निर्धारक बन जाती है । जनसंख्या की वृद्धि के कारण भारत सरकार द्वारा अपनाये गये विकास कार्यक्रम, निर्धानता की समस्या का समाधान करने में असफल हो जाते हैं । इसलिये इसकी वृद्धि दर को नियंत्रण करना अति आवश्यक है ।

5. **उपयुक्त संरचना की स्थापना** :— देश में उपयुक्त संरचना न होने से उत्पादनों को देश के गांवों तक पहुचाने में कठिनाई होती है । अतः सड़क व अन्य परिवहन साधनों का विकास किया जाना चाहिये ।

6. **राजनीतिक स्थिरता** :— देश में राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिये जिससे कि आन्तरिक झगड़ों का अन्त हो सके व शान्ति व्यवस्था कायम की जा सके इससे नियोजन या विकास कार्यक्रम को निर्धारित गति से चलाया जा सकता है ।

7. **प्रशासनिक कुशलता** :— देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में प्रशासनिक तन्त्र मनमानी करने लगता है और प्रशासन की कुशलता में गिरावट आने लगती है इसके लिये प्रशासन में सुधार लाना चाहिये तथा इन्हें नियन्त्रण में रखकर इनकी कुशलता में वृद्वि करना चाहिये ।

8. **अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सुधार** :— आर्थिक विकास करने वाले देशों को किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय विवाद में नहीं पड़ना चाहिये जो देश उनको आर्थिक सहायता देने के लिये उत्सुक हो उन से अनुकूल शर्तों पर ही सहायता स्वीकार करनी चाहिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना चाहिये तथा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध पड़ोसियों से रखना चाहिये । इस प्रकार आर्थिक विकास के उपरोक्त पहलुओं को व्यवहारिक रूप देकर किसी देश के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है ।

9. **स्वयं रोजगार लोगों को अधिक सहायता** :— भारत में लगभग 62 प्रतिशत लोग स्वयं रोजगार में लगे हैं । इनमें से अधिकतर लोग कृषि क्षेत्र में हैं । इसके अतिरिक्त व्यापार, कुटीर उद्योग, भवन निर्माण, जलपानगृह, यातायात में काफी लोग स्वयं रोजगार वाले हैं । शहरी क्षेत्रों में रहने वाले एवं लघु सीमान्त किसानों को प्रशिक्षण की सुविधा देनी चाहिए तथा इनकी ओर अधिक से अधिक ध्यान देना आवश्यक है ।

1.5 आर्थिक विकास की आवश्यकता

आर्थिक विकास की आवश्यकता इसलिये पड़ी है क्योंकि आर्थिक विकास आर्थिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है । आर्थिक विकास का प्रश्न सभी देशों के लिये समान रूप से महत्व रखता है । अल्प विकसित देशों के लिये आर्थिक विकास की आवश्यकता इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा वे निर्धनता और अस्वभाविक घुटन से छुटकारा पा सकते हैं तो दूसरी ओर विकसित देशों के लिये आर्थिक विकास का महत्व इसको निरन्तर रूप से बनाये रखने में निहित है ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि वाणिज्यवादियों सहित एडम स्मिथ से लेकर कीन्स तक को आर्थिक विकास ने अध्ययन के लिए अपनी ओर आकर्षित किया लेकिन इन सभी का अध्ययन क्षेत्र पश्चिमी देशों तक ही सीमित था । हाँ 20वीं सदी के मध्यान्तर काल के बाद से अर्थशास्त्रियों ने अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास में अधिक रूचि लेना शुरू कर दिया । इसके दो कारण हैं पहला, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में राजनीतिक चेतना तथा आर्थिक पुनरूत्थान की लहर उठी तो दूसरी तरफ विकसित देश यह अनुभव करने लगे थे कि एक स्थान की दरिद्रता प्रत्येक दूसरे स्थान की सम्पन्नता के लिए खतरा है ।

मेयर तथा बाल्डविन का भी कहना है कि ''राष्ट्रों की निर्धनता का अध्ययन राष्ट्रों के धन के अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण है ।'' यह काफी हद तक सत्य है कि सम्पन्नता का अस्तित्व निर्धनता के निवारण पर ही निर्भर करता है । अन्यथा निर्धनता सम्पन्नता को जीने नहीं देती ।

इसी बात ने अमेरिका व रूस को प्रोत्साहित किया कि विश्व के देशों को अपनी अपनी तरफ रखने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिये इसी लहर के तहत इन देशों ने गरीब देशों को सहायता देना शुरू किया जिससे सभी देशों ने इसकी आवश्यकता समझी है । इन्हीं आर्थिक तत्वों को देखते हुए भी अल्पविकसित देश और विकासशील देश आर्थिक विकास की आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं और इसके लिये प्रयासरत हैं ।

विश्व बैंक एटलस के अनुसार 1979 में देशानुसार प्रतिव्यक्ति आय की स्थिति इस प्रकार रही : प्रथम स्थान पर कुवैत 15970 डालर, 1978 में 14890 डालर । दूसरे स्थान पर

संयुक्त अरब अमीरात 15360 डालर, 1978 में 14230 डालर । तीसरे स्थान पर स्विटजरलैंड 1300 डालर, डेनमार्क, स्वीडन तथा पश्चिमी जर्मनी 10000 डालर । और उसके बाद अमेरिका की प्रतिव्यक्ति आय 9770 डालर थी । भूटान की 80 डालर प्रतिव्यक्ति आय समूचे विश्व में न्यूनतम थी जबकि बंगलादेश 90 डालर, श्री लंका 200 डालर, बर्मा 140 डालर, नेपाल 120 डालर और इस उपमहाद्वीप में अधिकतम प्रतिव्यक्ति आय पाकिस्तान की 140 डालर अनुमानित की गयी । भारत की 1979 में प्रतिव्यक्ति आय 190 डालर और वार्षिक वद्धि दर 1. 6 प्रतिशत थी । 1970–79 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रतिशत थी जबकि इससे पूर्व यह दर 2.5 प्रतिशत थी । सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन में जनसंख्या वृद्धि दर 1979 में 1.6 प्रतिशत आंकी गयी । जबकि विश्व में सर्वाधिक 6.2 प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि दर कुवैत की रही जिसकी जनसंख्या मात्र 1.2 मिलियन है । इसलिये वर्तमान में आर्थिक विकास की आवश्यकता सभी देश महसूस करते हैं क्योंकि कम प्रतिव्यक्ति आय वाले देश अपनी प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाने के लिये और विकसित देश अपनी विकास दर स्थिर रखने या अधिक बढ़ाने के लिये आर्थिक विकास की आवश्यकता महसूस करते हैं । आर्थिक विकास की आवश्यकता को हम निम्न विवरण से स्पष्ट कर सकते हैं ।

आर्थिक पिछड़ेपन और विषमताओं के परिवेश में आधुनिक विश्व की प्रमुख समस्या आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेरित होना है । हां इसमें कोई सन्देह नहीं कि आर्थिक विकास का मुख्य सम्बन्ध मुख्यतः अल्प विकसित देशों से ही लगाया जाता है क्योंकि धनी कहे जाने वाले देश प्रगति के सभी पड़ावों को पर करके विकास की अन्तिम मंजिल तक पहुंच चुके हैं । जबकि पिछड़े हुए देशों का आर्थिक विकास आज भी अवरूद्ध बना हुआ है । निर्धनता, बेकारी, पूंजी का अभाव, घटिया जीवन स्तर, असन्तुलित विकास तथा आर्थिक पिछड़ापन इन देशों की प्रमुख समस्याऐं हैं जबकि भूख, उत्पीड़न, नैराश्य, दुःख, रोग तथा शोषण इन लोगों के मुख्य आभूषण हैं ।

यह सच है कि विभिन्न देशों के निवासियों के रंग, धर्म और भाषाओं में अन्तर होता है इतना ही नहीं इनकी संस्कृति, कलाएं, प्रथाएं और परम्पराएं भी भिन्न होतीं हैं । पर इन सब विभिन्नतओं के उपरान्त भी सभी मनुष्यों की आशाएं, उनके स्वप्न एवं उनकी आकांक्षाएं एक जैसी होती हैं । आश्चर्य की बात तो यह है कि वर्तमान शताब्दी में पायी जाने वाली मानव

सभ्यताओं ने मनुष्य के कदम चन्द्रमा तक पहुंचा दिये हैं परन्तु विश्व के अधिकांश देशों में भूख से पीड़ित एवं बिलबिलाते बच्चों को यह पर्याप्त भोजन न दे सकी ।

इसी कारण से आज विश्व का प्रत्येक अल्पविकसित देश तथा उसका प्रत्येक निवासी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहता है ताकि अपने जीवन की संध्या आने से पूर्व वह अपने परिवार के लिये खुशहाल वातावरण दे सके । आर्थिक विकास किसी देश के लोगों के आर्थिक व सामाजिक कल्याण का एक सशक्त माध्यम है । इससे व्यक्ति अपनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाता है । देश के आर्थिक विकास के लिये आर्थिक नियोजन का सहारा लेना पड़ता है या दूसरे शब्दों में आर्थिक नियोजन आर्थिक विकास का ही स्वरूप है । आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत जहां एक ओर राष्ट्रीय आय, उत्पादकता, रोजगार, आत्म निर्भरता, पूंजी निर्माण व सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है । उसके दूसरी ओर निर्धनता, बेकारी, विषमताओं, सामाजिक लागतों, असन्तुष्टता विकास एकाधिकारी प्रवृत्तियां, शोषण, उत्पीड़न, व्यापार चक्र व बाजार की अपूर्णताओं आदि में ह्रास होता है ।

आर्थिक विकास की आवश्यकता निम्न कारणों से भी महसूस की जाती है –

(1) व्यक्ति के चुनाव क्षेत्र का विस्तृत होना :– आर्थिक विकास की आवश्यकता इसलिये भी महसूस की जाती है क्योंकि व्यक्तियों की भावना से नित्य नये उद्योगों का विकास, नये निर्माण कार्य करना व नये क्षेत्रों का विकास किया जाता है । व्यक्ति की रूचि के अनुसार कार्य करने में क्षमता में वृद्धि होती है ।

(2) आर्थिक विषमताओं में रोक :– आर्थिक विषमताओं में रोक लगाने के लिए भी आर्थिक विकास आवश्यक है न्याय की दृष्टि से देश में सामाजिक व आर्थिक समानता को बनाये रखना अति आवश्यक समझा जाता है । आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए ही नियोजित अर्थ व्यवस्था अपनाई जाती है इससे आर्थिक विषमताओं में कमी आती है ।

(3) आर्थिक उपलब्धियाँ :– आर्थिक उपलब्धियां पाने के लिये भी विकास आवश्यक है । क्योंकि आर्थिक विकास की प्रकिया के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था को अनेक आर्थिक लाभ होते हैं जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, पूंजी निर्माण, व्यापार, आर्थिक स्थायित्व, उत्पत्ति के साधनों का न्याय पूर्ण एवं सर्वोपयुक्त वितरण, प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी उपव्ययों पर रोक, राष्ट्रीय आय का

उचित वितरण और प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विदोहन । इससे सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास के द्वारा उपलब्धि प्राप्त होती है ।

(4) नागरिकों के आर्थिक स्तर में सुधार के लिए :– आर्थिक विकास के द्वारा किसी देश की अर्थव्यवस्था का नियोजित करके उस देश के नागरिकों को भी आर्थिक स्तर में सुधार का अवसर मिलता है इसके द्वारा व्यक्ति अपनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ायेगा और अपने जीवन स्तर को उच्च बनायेगा ।

(5) कय शक्ति में वृद्धि व बचत में वृद्धि :– आर्थिक विकास के द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है इससे देश के व्यक्तियों की मौलिक आय में वृद्धि होती है जिससे उनकी कय शक्ति बढ़ जाती है और आय अधिक होने के कारण व्यक्तियों व राष्ट्र दोनों की बचत की पद्धति में वृद्धि होती है ।

आर्थिक विकास मानवता को जन्म देता है :– प्रो0 लुईस का मत है कि आर्थिक सम्पन्नता मनुष्य के आर्थिक व सामाजिक कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है जब समाज के सभी लोगों की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ होती है तो शोषण, उत्पीड़न वैमनस्य, लूट, चोरी व डकैती आदि अनैतिक तत्व स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं और उनके स्थान पर स्नेह, सहयोग, सद्भावना व आत्मीयता जन्म लेती है । विधाता ने किसी को चोर डाकू के रूप में पैदा नहीं किया । भूख की पीड़ा, सामाजिक सम्मान न मिलना और जीवन के अभाव में ही मनुष्य को इस कार्य के लिए प्रेरित करते हैं । प्रो0 लुईस ने इस सत्य का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया है – यद्यपि बीमारों, अपाहिजों, दुर्भाग्य के मारों, विधवाओं एवं अनाथों को भरण पोषण की इच्छा आदिम समाज की अपेक्षा सभ्य समाज में अधिक नहीं पायी जाती लेकिन आज के समाज में इस काम के लिए अधिक साधन अवश्य जुटाये जा सकते हैं अभाव अमानवता को जन्म देती है जबकि सम्पन्नता मानव की उत्प्रेरणा शक्ति है ।

उपरोक्त विवरण को देखकर कहा जााता है कि आर्थिक विकास का प्रभाव व्यक्ति, समाज व देश तथा विश्व सभी पर पड़ता है ।

◆◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय 2
झाँसी जनपद की भौगोलिक स्थिति

अध्याय – 2

झाँसी जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक दृष्टि से बुन्देलखण्ड क्षेत्र वीरों की कर्मभूमि होने कारण प्राचीन समय से विश्वविख्यात रहा है । बुन्देलखण्ड भारतवर्ष का हृदय है और बुन्देलखण्ड का हृदय झाँसी है । इसका पुरातन नाम बलवन्त नगर था । ओरछा जो इस समय मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ की तहसील है, के किले से झरोंखों से देखने पर यह नगर उस समय झांई की तरह दिखाई पड़ता था । अतः धीरे–धीरे कालान्तर में "झांई" शब्द झाँसी के रूप में प्रचलित हुआ ।

सन् 1857 की कान्ति के पश्चात सन् 1858 में झाँसी पर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य हो गया । महारानी लक्ष्मीबाई अपने जीवन की अन्तिम श्वांस तक अंग्रजों के छक्के छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुई । भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की परमोज्जवल प्रथम दीपशिखा झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में ऐसे कौशल दिखाये थे कि अंग्रेज भी लज्जित होने लगे और उन्होंनें भी उनके पराकम एवं शौर्य की प्रशंसा की थी । हिन्दी की सुप्रसिद्ध कवियत्री स्व0 सुभद्रा कुमारी चौहान का सुप्रसिद्ध गीत महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है :–

"बुन्देलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी" ।[1]

स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी महारानी लक्ष्मीबाई इसी वीर भूमि की वीरांगना थीं जिन्हें आज भी विश्व का कोना–कोना स्मरण करता है । उन्होंने अपने बलिदान से झाँसी को ही नहीं बल्कि भारत को गौरवान्वित किया है । झाँसी में एक और वीरांगना थीं झलकारी बाई जो महारानी लक्ष्मीबाई की विश्वासपात्र सहेली थीं, इनका नाम भी बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई सच्चे अर्थ में स्वतंत्रता की नींव का पत्थर बन गयीं ।

झाँसी एवं बुन्देलखण्ड के प्रति पर्यटकों के निरंतर बढ़ते आर्कषण से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि यहां के देवालय व तीर्थ सलि जहां मन को अनंत शांति व पवित्रता के अहसास

---

1. झाँसी दर्शन श्री मोतीलाल "अशान्त"

से भर देते हैं, वहीं यहाँ के ऐतिहासिक व रमणीक स्थल भी देशी व विदेशी पर्यटकों की तमाम अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं । पर्यटन की इसी सम्पूर्णता के कारण सरकार भी बुन्देलखण्ड को इन्द्र के देश के रूप में प्रचारित कर यहां पर्यटन की दृष्टि से तमाम सुविधायें जुटाने में लगी है ।

झाँसी दुर्ग :–झाँसी दुर्ग ,झाँसी मुख्यालय के मध्य स्थित है । इस दुर्ग से महारानी लक्ष्मीबाई ने सन् 1957 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों पर गोले बरसाये थे, जिसके कारण आज भी यह दुर्ग ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है, यह दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन सुरक्षित है ।

रानी महल :– किले के नीचे उत्तर पूर्व की ओर विशाल दुमंजिला रानी महल है । यह महल मराठा व बुंदेली वास्तुकला के मिश्रित स्वरूप को उजागर करता है महल की आंतरिक व बाह्य दीवारें वास्तुशिल्प व चित्रकारी की जीवंत मिसाल प्रस्तुत करतीं हैं ।

लक्ष्मी ताल :– शहर में ही एक प्राचीन ताल है जो लक्ष्मी ताल के नाम से प्रसिद्ध है, इस तालाब के किनारे प्राचीन लक्ष्मी जी का मंदिर है, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई प्रतिदिन पूजा अर्चना करने आया करतीं थीं । यहीं पर यहीं पर रानी लक्ष्मी बाई के पति महाराजा गंगाधर राव की समाधि भी स्थित है तथा विख्यात् महाकाली पीठ मंदिर भी इसी तालाब के किनारे स्थित है।

संत जूड तीर्थ स्थल :– अत्यन्त दयालु व सहृदय संत जूड के नाम को समर्पित ईसाइयों के इस तीर्थ स्थल का निर्माण सन् 1929 में फ्रांसिस ज़ेवियर फेनेक के प्रयासों से किया गया था । रम्य प्राकृतिक सुषमा से घिरे इस तीर्थ की ख्याति देश में ही नहीं, पूरे विश्व में है । इसके भव्य गुम्बद व निर्माण शैली पर्यटकों को भी आर्कषित करते हैं । प्रतिवर्ष अक्टूबर में यहां संत जूड का पर्व बड़े ही उत्साह व श्रद्धा से मनाया जाता है ।

राजकीय संग्रहालय :– यह संग्रहालय ऐतिहासिक दुर्ग से अधिक दूर नहीं है । यहां झाँसी एवं बुन्देलखण्ड के इतिहास से संबंधित तमाम पुरावशेष संग्रहीत है । पर्यटकों के लिये यहां काफी कुछ है । यही कारण है कि वे इसे देखे बिना झाँसी दर्शन को अपूर्ण मानते हैं । ***वर्तमान निदेशक ए. के. पाण्डेय*** के कार्यकाल में इसे विकसित करने के काफी प्रयास हो रहे हैं । यहां चित्रकला और संस्कृति से जुड़ी प्रर्दशनियों को लगवाने के निदेशक के प्रयास काफी सार्थक सिद्ध हुये हैं और इस बहाने संग्रहालय की ओर भी पर्यटकों का रूझान निरंतर बढ़ रहा है ।

बरूआसागर की झील व दुर्ग :—झाँसी मुख्यालय से 22 कि0मी0 दूर झाँसी खजुराहो मार्ग पर 18वीं शताब्दी में निर्मित दुर्ग शैली का एक भव्य प्रसिद्ध स्थित है । इस किले से लगी प्रसिद्ध बरूआसागर झील है, जो रमणीक है । इस झील के किनारे तीज त्यौहारों पर मेले लगते हैं तथा इस दुर्ग से कुछ दूरी पर स्वर्गाश्रम झरना स्थित है जहाँ अनेक मंदिर स्थित हैं । इस दुर्ग को हैरिटेज होटल में परिवर्तित किया जा सकता है तथा झील में फिशिंग एवं नौका विहार की सुविधा हेतु प्रस्ताव है ।

झाँसी जिला बुन्देलखण्ड का एक ऐतिहासिक जनपद है । जिसके चारों तरफ रानी लक्ष्मीबाई के काल के पत्थर की दीवार बनी हुई थी । दीवार में बाहर से आने वालों के लिए मुख्य द्वार बने हुए थे, जिसे प्रमुख दतिया दरवाजा, खण्डेराव गेट, बड़ागाँव, सागर गेट/ओरछा गेट मुख्य थे । इस चहार दीवारी से घिरे हुए नगर की स्थापना राजा वीरसिंह जूदेव ने की थी जो आज झाँसी के किले के नाम से प्रसिद्ध है ।

झाँसी के चारों तरफ बहुत से मंदिर हैं, जो गुप्तकाल के बताये जाते हैं । जो खण्डहर की दशा में मिलते हैं । चन्देल राजाओं के जमाने में भी मंदिरों का निर्माण काफी संख्या में किया गया, जिनके अवशेष बरूआसागर में जराय का मठ, सकरार, पंचवारा, खुर्द और वनगुवाँ में मिलते हैं ।

जिला झाँसी में एरच ग्राम/टाउन एरिया में मध्यकालीन, मुस्लिम मस्जिदों तथा दरगाह, किले के अवशेष खण्डहर साथ–साथ दिखाई देते हैं ।

पर्यटन की दृष्टि से रानीमहल, रानी लक्ष्मीबाई का किला, म्यूज़ियम, रानी लक्ष्मीबाई पार्क, काली जी का मंदिर, भूतनाथ, नारायण बाग, सेंटज्यूट चर्च, खाकी शाह का मकबरा, महाकालेश्वर मंदिर दर्शनीय स्थान हैं ।

झाँसी के पास ओरछा का मंदिर सोनागिर, दतिया के राजभवन शिवपुरी का नेशनल पार्क तथा खजुराहो, दतिया का पीताम्बरा पीठ, बालाजी का सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं एवं दर्शनीय स्थान हैं । इसके अतिरिक्त जिला झाँसी में बरूआसागर में स्वार्गाश्रम, गढ़कुण्डार किला, मऊरानीपुर में पहाड़ी पर शिव मंदिर, गौरैया ग्राम में शिव मंदिर प्रसिद्ध स्थान हैं ।

जनपद झाँसी में वर्ष 2001 में कुल 364435 पर्यटक जिले के दर्शनीय स्थल देखने आये जिनमें से भारतीयों की संख्या 360630 एवं विदेशियों की संख्या 3805 रही ।

भौगोलिक संरचना

भारत के सीमान्त प्रदेशों में से उत्तर प्रदेश राज्य 25.31 उत्तरी अक्षांश तथा 77.84 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है । इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी से लगी तिब्बत तथा नेपाल की सीमाएं दक्षिण में मध्य प्रदेश, पूर्व में बिहार तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान राज्यों की सीमाएँ मिलती हैं ।

उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 240928 वर्ग कि0मी0 है । क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के पश्चात् उत्तर प्रदेश भारत का चौथा विशाल राज्य है । भौगोलिक क्षेत्रफल में इस राज्य का अंश 8.9 प्रतिशत है । जबकि कुल जनसंख्या में इसका योगदान 6.2 प्रतिशत सर्वाधिक है ।

झाँसी जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में 25.13 और 25.57 उत्तरी अक्षांश एवं 78.48 से 79.25 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है । जनपद झाँसी का क्षेत्रफल 5024 वर्ग कि0मी0 है इसकी पश्चिमी तथा दक्षिणी सीमा पूरी तरह से मध्य प्रदेश से घिरी है तथा उत्तर में जनपद जालौन एवं पूर्व में जनपद हमीरपुर स्थित जिले को साधारणतया दो भागों में विभक्त किया जा सकता है ।

प्रथम :– पूर्वी उत्तरी अक्षांश भाग जो कि अधिकांश मैदानी क्षेत्र है में काबर एवं पडुवा किस्म की मिट्टी पायी जाती है । कृषि की दृष्टि से यह उपजाऊ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बेतवा, धसान एवं पहूज नदियाँ हैं । इस क्षेत्र में पांच विकासखण्ड चिरगाँव, मोंठ, बामौर, गुरसरांय तथा मऊरानीपुर विकासखण्ड आते हैं ।

द्वितीय :– इस क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं, इस भाग में विन्ध्याचल पहाड़ की श्रंखला के कारण पठारी भूमि है व लाल मिट्टी पायी जाती है । इस भू–भाग में पहाड़, झाड़वन व जंगली भूमि मिलती है, इस क्षेत्र में विकासखण्ड बंगरा, बड़ागाँव, बबीना पड़ते हैं । बेतवा जनपद की सबसे लम्बी नदी है । जो राजघाट, माताटीला पारीछा होते हुए जनपद जालौन में प्रवेश करती है । पहूज नदी विकासखण्ड बबीना की मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है तथा जनपद के पश्चिमी भाग से बहती मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है । धसान नदी जनपद झाँसी एवं जनपद हमीरपुर के मध्य सीमा निर्धारित करती है ।

---

1. सामाजिक समीक्षा वर्ष 2003–2004 जनपद झाँसी। *2.* दैनिक जागरण (झाँसी, 30नवम्बर 2004)

जनपद - झाँसी

उ०

SCALE - 1 C.M. = 6.25 K.M.

संकेत तालिका

क्र॰ सं॰	विवरण	संकेत
1-	राज्य सीमा	
2-	जनपद सीमा	
3-	तहसील सीमा	
4-	विकास खण्ड सीमा	
5-	जनपद मुख्यालय	
6-	विकास खण्ड केन्द्र	
7-	तहसील केन्द्र	
8-	राष्ट्रीय मार्ग	
9-	पक्की सड़कें	
10-	रेलवे लाईन	
11-	नदियाँ	

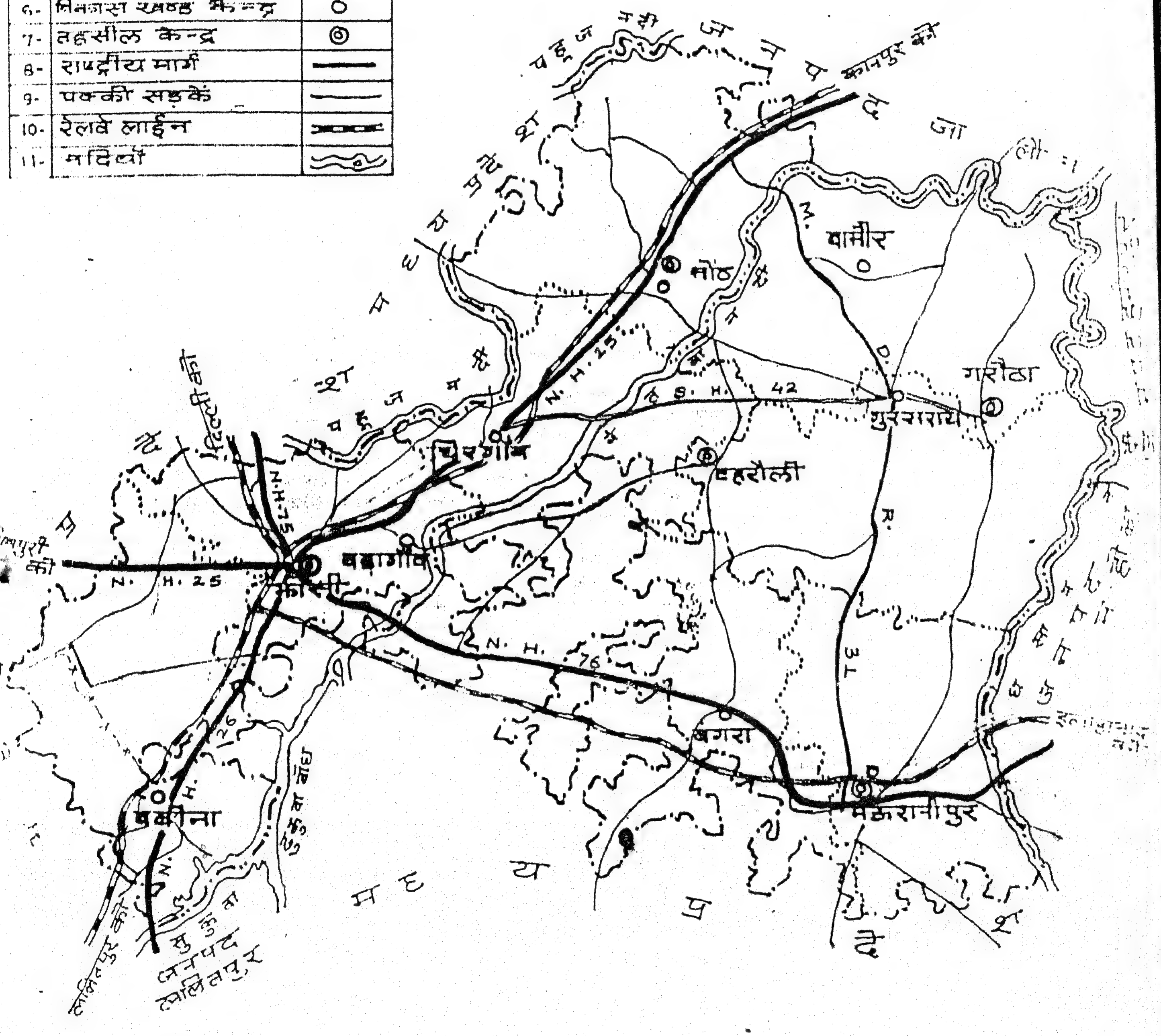

जनपद- झाँसी

संकेत तालिका

क्र. सं.	विवरण	संकेत
1-	राज्य सीमा	
2-	जनपद सीमा	
3-	तहसील सीमा	
4-	विकास खण्ड सीमा	
5-	जनपद मुख्यालय	
6-	विकास खण्ड केन्द्र	
7-	तहसील केन्द्र	
8-	राष्ट्रीय मार्ग	
9-	पक्की सड़कें	
10-	रेलवे लाईन	
11-	नदियाँ	

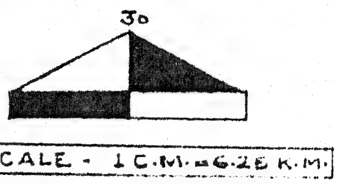

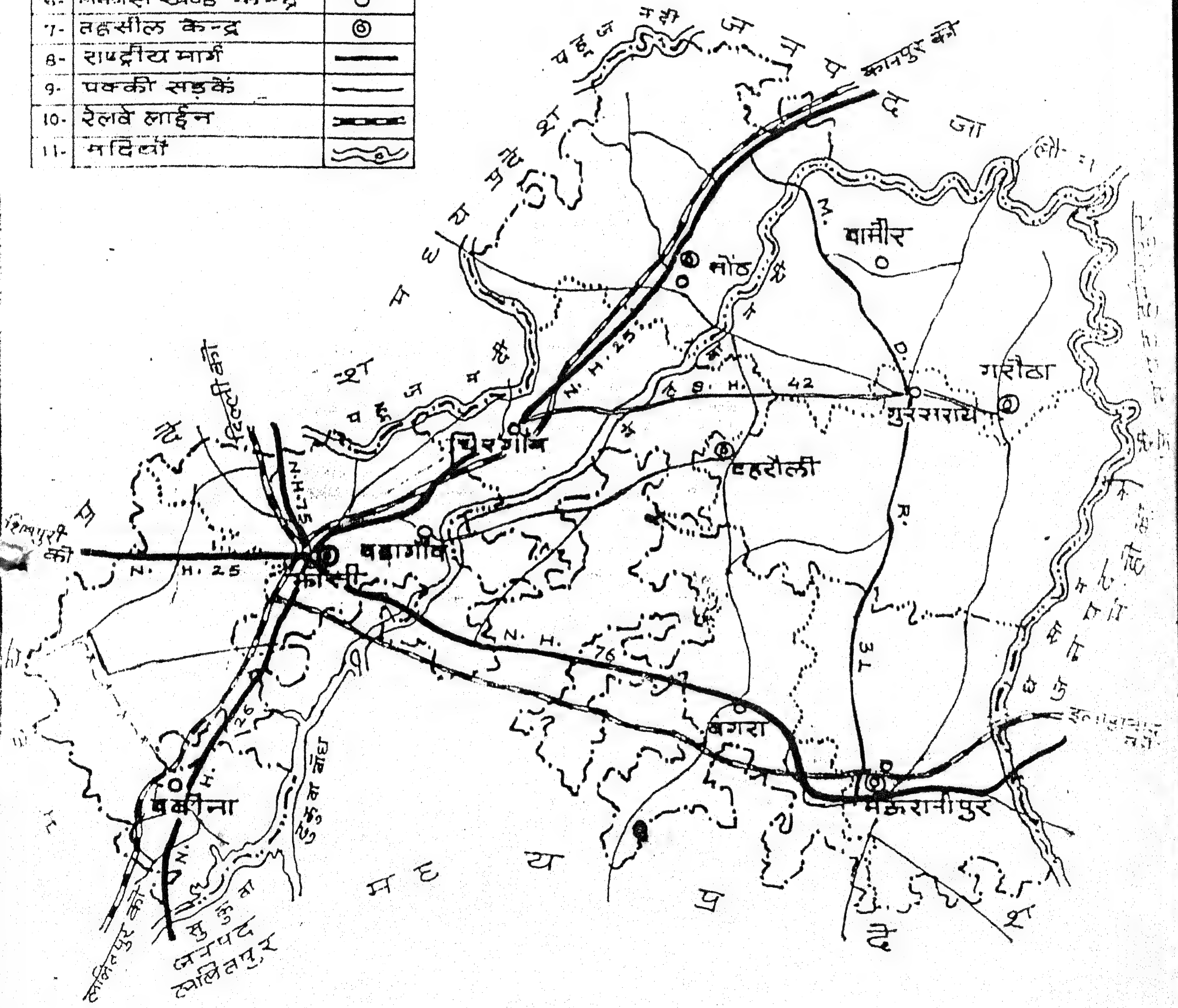

2.1 झाँसी जनपद की प्रशासनिक संरचना

जनपद का मुख्यालय झाँसी नगर है तथा जनपद के सर्वागींण विकास हेतु इसे पाँच तहसीलों में विभक्त किया गया है– झाँसी, मोंठ, मऊरानीपुर, गरौठा, टहरौली में विभाजित किया गया है तथा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आठ विकास खण्ड मोंठ, चिरगाँव, बामौर, गुरसरांय, बंगरा, मऊरानीपुर बड़ागाँव एवं बबीना बनाये गये हैं । प्रत्येक विकास खण्ड में निम्नानुसार ग्राम हैं :–

तालिका संख्या – 1

खण्डवार ग्रामों की संख्या

जनगणना 1991 के अनुसार ग्रामों की संख्या			
विकासखण्ड	आबाद	गैर आबाद	कुल ग्राम
1	2	3	4
मोंठ	127	22	149
चिरगांव	105	15	120
बामौर	101	14	115
गुरसरांय	103	17	120
बंगरा	82	6	88
मऊरानीपुर	83	4	87
बबीना	72	1	73
बड़ागाँव	87	0	87
योग जनपद	760	79	839

स्रोत – सामाजिक समीक्षा वर्ष 2002–2003 जनपद झाँसी, राज्य नियोजन संस्थान उ0प्र0 अर्थ एवं संख्या प्रभाग, झाँसी ।

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में कुल ग्राम 839 हैं, जिनमें आबाद ग्रामों की संख्या 760 तथा गैर आबाद ग्रामों की संख्या 79 है । जनपद के बबीना विकासखण्ड में सबसे कम 72 आबाद ग्राम तथा 1 गैर आबाद ग्राम है । विकासखण्ड मोंठ में आबाद ग्रामों की संख्या 127 तथा गैर आबाद 22 सभी विकासखण्डों की तुलना में सबसे अधिक है । चिरगांव में आबाद ग्रामों की संख्या 105, गैर आबाद 15 तथा बामौर में आबाद ग्राम 101, गैर आबाद 15 ग्राम है । गुरसरांय में आबाद 103, गैर आबाद 17 कुल ग्रामों की संख्या विकासखण्ड गुरसरांय में 120 है । बंगरा में कुल ग्राम 88, मऊरानीपुर 87, और बड़ागांव में भी कुल ग्रामों की संख्या 87 ही है ।

तलिका संख्या – 2

झाँसी जनपद एक दृष्टि में

कम संख्या	मद	इकाई	अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
1	भौगोलिक क्षेत्रफल	वर्ग कि0मी0	1991	5024.0
2	तहसील	संख्या	2002–03	5
3	विकासखण्ड	संख्या	2002–03	8
4	न्याय पंचायत	संख्या	2002–03	65
5	ग्राम सभा	संख्या	2002–03	452
6	आबाद ग्रामों की संख्या	संख्या	2002–03	760
7	गैर आबाद ग्राम	संख्या	2002–03	79
8	वन ग्राम	संख्या	2002–03	3
9	कुल ग्राम	संख्या	2002–03	839
10	नगर पालिका परिषद	संख्या	2003–04	6
11	छावनी क्षेत्र	संख्या	2003–04	2

12	नगर पंचायत	संख्या	2003–04	7
	पुलिस स्टेशन (ग्रामीण)		2003–04	8
	नगरीय	संख्या	2003–04	18
	पशु चिकित्सालय	संख्या	1997	20
13	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	संख्या	2003–04	2
14	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	संख्या	2003–04	60
15	चिकित्सालय एवं औषधालय (ऐलोपैथिक)	संख्या	2003–04	33
16	आयुर्वेदिक	संख्या	2003–04	28
17	होम्योपैथिक	संख्या	2003–04	6
18	विद्युतीकृत कुल ग्राम	संख्या	2003–04	578
19	जिला सेक्टर पर कुल परिव्यय	संख्या	2003–04	200200
20	वास्तविक व्यय	हजार रू.	2003–04	94568
21	लघु औद्योगिक इकाईयां	संख्या	2003–04	1746
22	कार्यरत व्यक्ति	संख्या	2003–04	4520
23	जूनियर बेसिक स्कूल	संख्या	2003–04	1253
24	सीनियर बेसिक स्कूल	संख्या	2003–04	390
25	माध्यमिक विद्यालय	संख्या	2003–04	124
26	महाविद्यालय	संख्या	2003–04	12
27	स्नात्कोत्तर महाविद्यालय	संख्या	2003–04	5
28	विश्वविद्यालय	संख्या	2003–04	1
29	पोलीटेक्निक	संख्या	2003–04	2

स्रोत –

1. सामाजिक समीक्षा वर्ष 2002–03 जनपद झाँसी, रा0 नि0 सं0 उ0प्र0 अर्थ एवं संख्या प्रभाग, झाँसी
1. सांख्यिकीय पत्रिका 2000–01, 2002–03, 2003–04

2.2 जलवायु एवं वर्षा

झाँसी जिले में प्राकृतिक वातावरण के अर्न्तगत जलवायु की यह विशेषता है कि ग्रीष्मकाल में अधिक गर्म तथा शीतकाल में अधिक ठंड होती है जो प्राकृतिक चट्टानों के कारण होती है । मध्य नवम्बर से जनवरी तक अधिक ठंड तथा मई जून माहों में भीषण गर्मी पड़ती है । जनपद में जलवायु के और वर्षा के अनियमित रहने के कारण यहां कृषि पर भी विपरीतम प्रभाव पड़ता है और कृषकों को हानि का सामना करना पड़ता है । यहाँ शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल शीघ्र देर तक रहता है । जनपद झाँसी का न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 3

जनपद झाँसी में गत वर्षों में तापमान की स्थिति

(डिग्री सेंटीग्रेट में)

क0सं0	वर्ष	न्यूनतम तापमान	उच्चतम तापमान
1.	1999	5.0 डिग्री सेंटीग्रेड	48.0 डिग्री सेंटीग्रेड
2.	2000	3.4 डिग्री सेंटीग्रेड	46.5 डिग्री सेंटीग्रेड
3.	2001	5.1 डिग्री सेंटीग्रेड	45.5 डिग्री सेंटीग्रेड
4.	2001–02	2.8 डिग्री सेंटीग्रेड	45.7 डिग्री सेंटीग्रेड

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2000–01, 2002–03

जनपद झाँसी में पिछले (उपरोक्त) वर्षों के रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1999 में न्यूनतम तापमान 5.0 सेंटीग्रेट और अधिकतम तापमान 48.0 सेंटीग्रेट रहा । वर्ष 2000 में न्यूनतम तापमान की स्थिति 3.4 सेंटीग्रेट और अधिकतम तापमान की 46.5 सेंटीग्रेट रही । वर्ष 2001 में न्यूनतम तापमान 5.2 सेंटीग्रेट और अधिकतम 45.5 सेंटीग्रेट रहा । वर्ष 2001–02 में न्यूनतम तापमान की स्थिति 2.8 सेंटीग्रेट और अधिकतम तापमान की 45.7 डि.सेंटीग्रेट रहा । जनपद के तापमान को रेखाचित्र के माध्यम से अगले पृष्ट पर दर्शाया गया है –

जनपद का तापमान

पैमाना – 1 से0मी0 = 4 सेंटीग्रेट

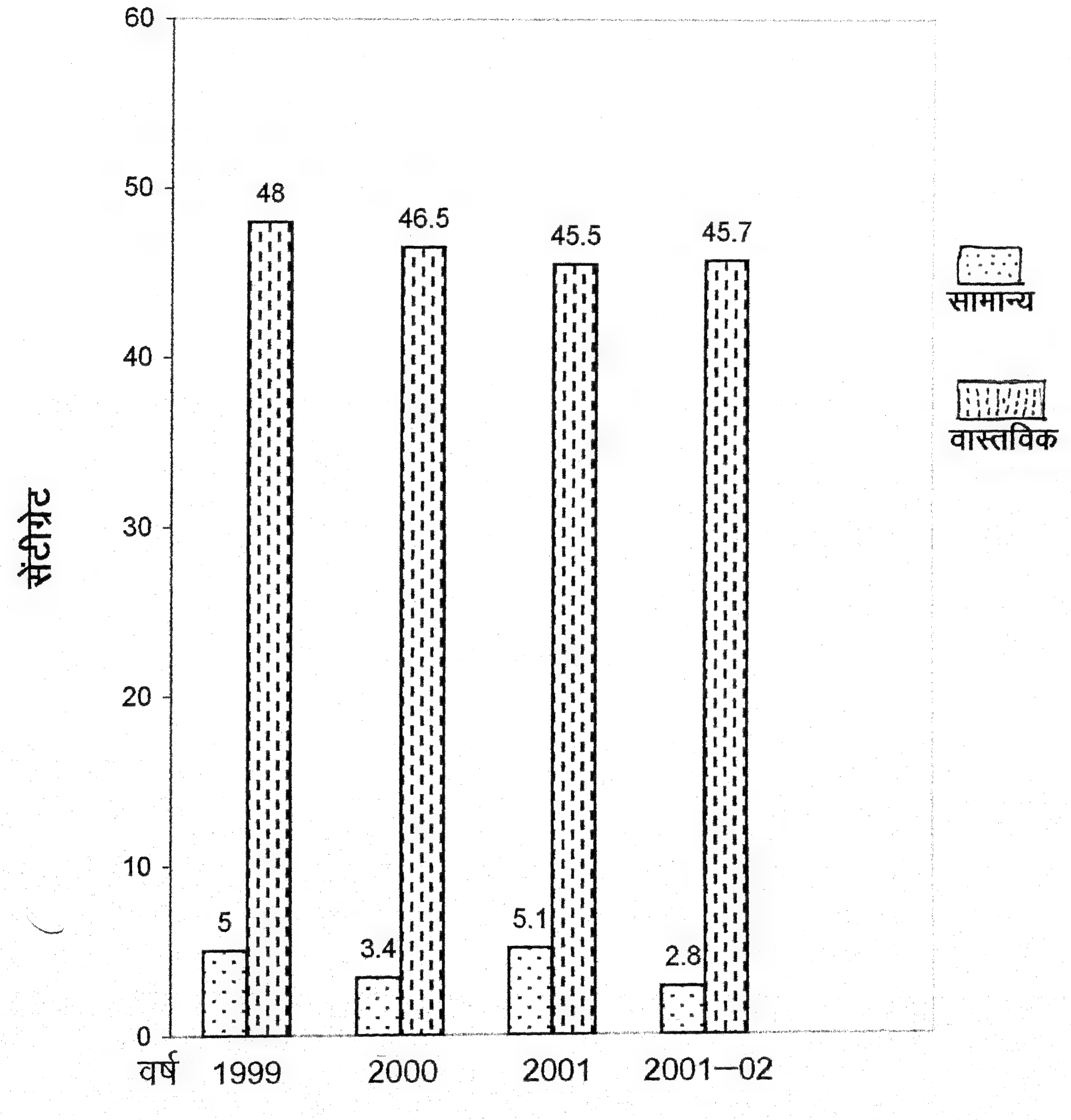

तालिका संख्या – 4

जनपद झाँसी में गतवर्षों में वर्षा का विवरण

(वर्षा मिली मीटर में)

क0सं0	वर्ष	सामान्य	वास्तविक
1.	1997	850	1084
2.	1998	850	863
3.	1999	850	1052
4.	2000	850	563

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2000–01, 2002–03

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में वर्ष 1997 में सामान्य वर्षा 850 मि0मी0 और अधिकतम 1084 मि0मी0 रही । वर्ष 1998 में सामान्य वर्षा की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया तथा अधिकतम वर्षा में कमी आयी है । वर्ष 1999 में अधिकतम वर्षा 1052 मि0मी0 रही जबकि वर्ष 2000 में 563 बहुत मि0मी0 पिछले सभी वर्षों की अपेक्षा में बहुत कम रही है । तथा यहां की औसत वर्षा 850 मि0मी0 है ।

मौसम सितम्बर माह					मानसून अवधि (1 जून से 30 सितम्बर तक)	
	वर्ष 2000	वर्ष 2001	वर्ष 2002	वर्ष 2003	वर्ष	कुल वर्षा
कुल वर्षा	66.8 मि.मी. (2.6 इंच)	936.5 मि.मी. (36.8 इंच)	195.3 मि.मी. (7.6 इंच)	770.4 मि.मी. (30.3 इंच)	2003 2002 2001	1175.1 मि.मी. (46.2 इंच) 655.5 मि.मी. (25.8 इंच) 1204.7 मि.मी. (47.4 इंच)
अधिकतम वर्षा	4 सितम्बर 19.5 मि.मी.	1 सितम्बर 12.5 मि.मी.	12 सितम्बर 67.6 मि.मी. (2.6 इंच)	11 सितम्बर 93.2 मि.मी. (3.6 इंच)	2000 1999	753.6 मि.मी. (29.6 इंच) 1110.8 मि.मी. (43.7 इंच)
अधिकतम तापमान	30 सितम्बर 37.8 डि.से.	26 सितम्बर 38.9 डि.से.	30 सितम्बर 37.2 डि.से.	22 सितम्बर 33.3 डि.से.	1998 1997	10001.1 मि.मी. (39.3 इंच) 801.1 मि.मी. (31.5 इंच)
न्यूनतम तापमान	30 सितम्बर 19.7 डि.से.	28 सितम्बर 20.4 डि.से.	12 सितम्बर 20.1 डि.से.	11 सितम्बर 20.7 डि.से.	1996 1995 1994	799.8 मि.मी. (31.4 इंच) 621.8 मि.मी. (24.4 इंच) 778.3 मि.मी. (30.6 इंच)

स्रोत :– 1. झाँसी, दैनिक जागरण (1 अक्टूबर,2003)

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 1जून से 30 सितम्बर तक मानसून अवधि में 655.5 मि.मी.(20.4 इंच) वर्षा अधिक हुई । गत वर्ष कम वर्ष के कारण सूखा पड़ गया था, जिस कारण उत्पादन में कमी आ गयी थी । इस वर्ष अच्छी वर्षा के कारण रिकार्ड तोड़ उत्पादन की पूरी सम्भावना है । गत वर्ष सितम्बर में 7.6 इंच ही वर्षा हुई थी, जबकि इस वर्ष सितम्बर माह में 30.3 इंच वर्षा हुई तथा हल्की वर्षा की सम्भावना अभी भी बनी हुई है । 10 वर्षो में सबसे कम वर्षा 1995 में 24.4 इंच हुई थी । 10 वर्षो में रिकार्ड तोड़ वर्षा वर्ष 2002 में 19 जुलाई को 24 घण्टे में कुल 221.2 मि.मी. (8.7 इंच) हुई थी । इस वर्ष सर्वाधिक वर्षा 11 सितम्बर को 24 घण्ठे में 3.6 इंच हुई । 4 से 11 सितम्बर तक काफी वर्षा होती रही । 4 सितम्बर को 2.8 इंच, 5 सितम्बर को 2.7 इंच, 6 सितम्बर को 2.4 इंच, 9 सितम्बर को 2 इंच व 10 सितम्बर को 2.5 इंच वर्षा हुई । वर्ष 2002 सर्वाधिक वर्षा 14 अगस्त को 4.8 इंच व वर्ष 2001 में सर्वाधिक वर्षा 1 जुलाई को 6.1 इंच हुई थी ।

झाँसी नगर का तापमान मई जून के माह में सवेरे 6 बजे से ही वातावरण गर्म होना शुरू हो जाता है और शाम तक गर्म रहता है । यहां अत्यधिक गर्मी रहने के कारण जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है तेज गर्म हवाओं के कारण झाँसी नगर सहित पूरे जनपद में लू व तपिश के कारण वाष्पीकरण भी तेजी से होता है । जिससे खेतों में नमी जल्दी उड़ने लगती है जिससे कृषकों को हानि का सामना करना पड़ता है कहीं कहीं तो फसल उत्पादन शून्य हो जाता है । जनपद में कृषि पर निर्भर किसानों को आर्थिक क्षति तो पहुंचती ही है साथ ही जनपद के फसलोत्पादन में गिरावट आती है, मूल्यों में वृद्धि होती है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनपद में आर्थिक विकास की गति अवरूद्ध होने का यह भी प्रमुख कारण है ।

जनपद में पिछले वर्षों में वर्षा का रिकार्ड रेखाचित्र के माध्यम से पृष्ठ संख्या 39 पर दर्शाया गया है –

जनपद में वर्षा की स्थिति

पैमाना – 1 से0मी0 = 100 मि0मी0

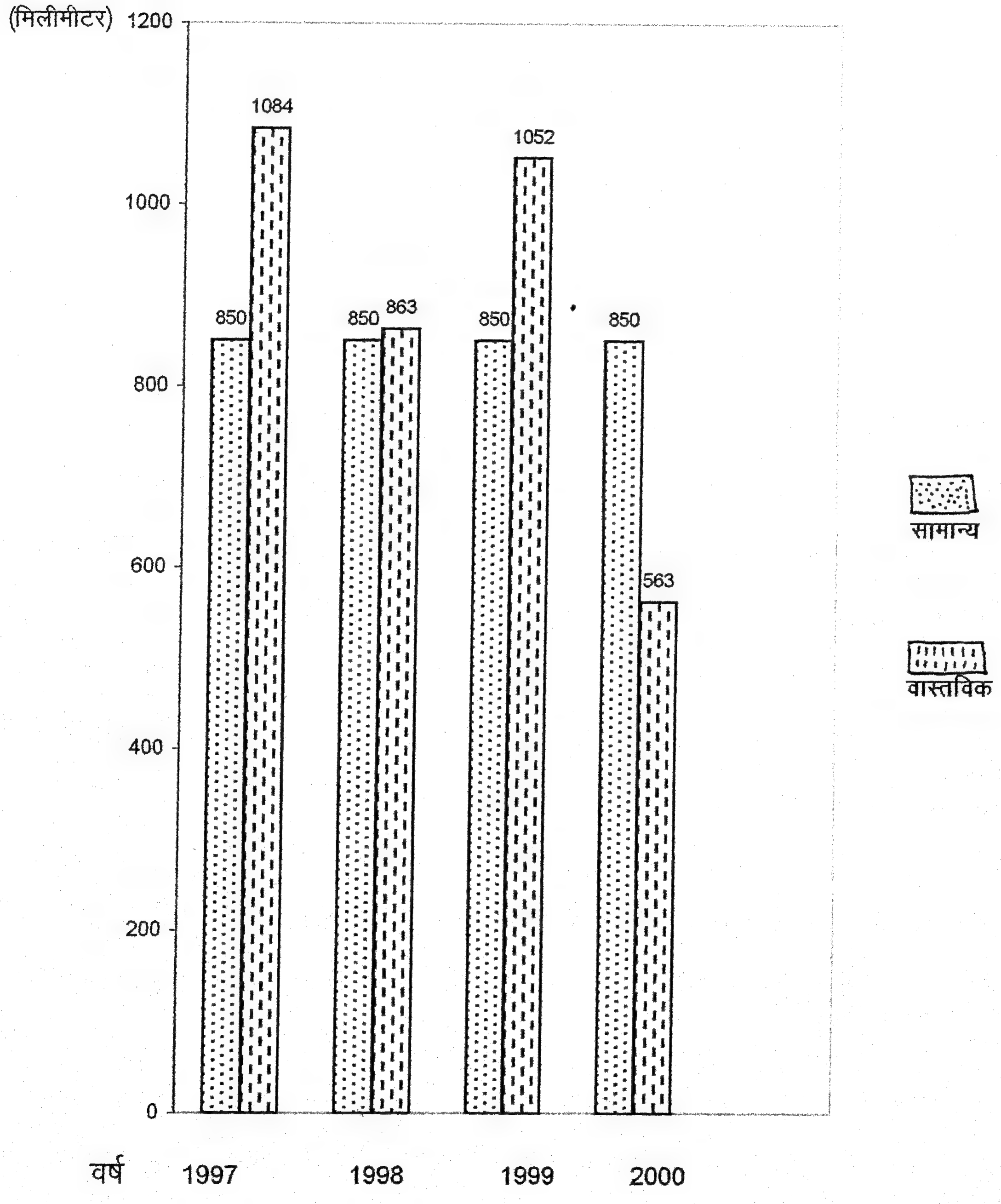

2.3 प्राकृतिक साधन

प्राकृतिक संसाधनों से अर्थ प्रकृति के उस उपहार से है जो प्रकृति ने मानव को प्रदान किये हैं । इन उपहारों में भूमि, वर्षा, जलवायु, वन, खनिज सम्पदा आदि शामिल हैं ।

भूमि संरचना :– जनपद को साधारणतया दो भागों में बाँटा जा सकता है – प्रथम पूर्वी उत्तरी अक्षांश भाग जो अधिकांश मैदानी क्षेत्र है । इस क्षेत्र में काबर एवं पडुवा किस्म की मिट्टी पायी जाती है । कृषि की दृष्टि से यह उपजाऊ क्षेत्र है । इस क्षेत्र में बेतवा, धसान व पहूज नदियाँ हैं । इस प्रकार इस प्रथम भाग में चिरगाँव, मोंठ, बामौर, गुरसरांय तथा मऊरानीपुर विकासखण्ड आते हैं । द्वितीय क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी भाग है, इस भाग में विन्ध्याचल पहाड़ की श्रंखला के कारण पठारी भूमि व लाल मिट्टी पायी जाती है । इस भू–भाग में पहाड़, झाड़वन व जंगली भूमि मिलती है । इस क्षेत्र में बंगरा, बड़ागाँव, व बबीना विकासखण्ड आते हैं ।

खनिज सम्पदा :– जनपद झाँसी में खनिज सम्पदा के रूप में इमारती पत्थर, ग्रेनाइट, पैराफिलाईट एवं डायसफोर विशेष रूप से पायी जाती है ।

नदियों के बेसिन में बहुत अच्छी बालू प्राप्त होती है । जो कि काफी दूर तक भेजी जाती है । बालू राम नगर, देदर, कलोपरा, मवईगिर्द, कोट, लकारा (पहूज नदी), बरूआसागर (दानीपुर,) एरचघाट, सेलमपुर, लखेरी नदी, सुखनई नदी, दतिया रोड, बबीना एवं बेहतर कुड़री से खनन प्राप्त होती है ।

मृदाः– जनपद की मिट्टी मुख्यतः लाल व काली का मिश्रण है, मार, काबर, पडुवा तथा रांकर किस्म की मिट्टी पायी जाती है । जनपद में प्रथम खण्ड के जिसमें विकासखण्ड चिरगाँव, मोंठ, बामौर एवं मऊरानीपुर हैं । 50 प्रतिशत में मार, 30 प्रतिशत में काबर एवं शेष में 20 प्रतिशत पडुवा मिट्टी पायी जाती है । पडुवा मिट्टी धसान, बेतवा नदी के कछार में पायी जाती है ।

रांकर मिट्टी मुख्य रूप से दूसरे सम्भाग में पायी जाती है जो पठारी क्षेत्र है । मार मिट्टी उपजाऊ है । काबर मिट्टी कड़ी होने के कारण कम उपजाऊ है, पडुवा मिट्टी उपजाऊ होती है परन्तु बिना खाद एवं अच्छी सिंचाई के अधिक प्रकार से फसलें नहीं उगाई जा सकतीं हैं । सबसे कमजोर किस्म की मिट्टी रांकर है जो पहाड़ी ढालों पर पायी जाती है । लगातार खेती के लिए अनुपयुक्त होने के कारण एवं अच्छी सिंचाई की सुविधाओं की

कमी के कारण जनपद में काफी हिस्सों में हल्की पायी जाने वाली मिट्‌टी पर अच्छी खेती नहीं हो पाती है ।

भूगर्भ–जल :– जनपद झाँसी के अधिकांश भाग में विन्ध्याचल पर्वत की श्रंखला होने के कारण भूगर्भ–जल सुगमता से उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण डी0टी0एच0 रिंग तथा इन्वेलरिंग मशीन द्वारा नलकूप खोदे जाने में काफी कठिनाई होती है । इसके सर्वेक्षण हेतु एक रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर (आर0एस0ए0सी0) स्थापित है, जो सर्वे करके जल भण्डार की सूचना एवं स्थान दर बताता है, तथा उन स्थानों को इंगित करता है जहाँ जल भण्डार उपलब्ध है ।

वन सम्पदा :– झाँसी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 5024 वर्ग कि0मी0 है तथा वनों का क्षेत्रफल 334.188 वर्ग कि0मी0 है, जो वन विभाग के सीधे नियंत्रण में है तथा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.62 प्रतिशत है ।

कुल वन क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है :–

1. आरक्षित वन	257.96240 वर्ग कि0मी0
2. संरक्षित वन	5.71407 वर्ग कि0मी0
3. अनारक्षित एवं निहित वन	70.51196 वर्ग कि0मी0
	334.18843 वर्ग कि0मी0

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

अध्याय 3

झाँसी जनपद के आर्थिक साधन एवं आर्थिक विकास

अध्याय – 3

3.1 यातायात के साधन

यातायात वर्तमान समय की मुख्य आवश्यकता है । यातायात की सुविधा न होने पर किसी भी देश का विकास नहीं किया जा सकता । अतः परिवहन के साधन वर्तमान में आर्थिक विकास की गाड़ी के पहियों के समान हैं ।

जनपद में सड़क परिवहन :– किसी भी क्षेत्र की समृद्धि एवं विकास में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है । सड़कों को क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का सूचक माना जाता है । सड़कें जनपद में वही कार्य करतीं हैं जो मानव शरीर में शिरायें करतीं हैं । जिस प्रकार धमनियां स्वच्छ रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में संचालित करतीं हैं उसी प्रकार सड़कें भी जनपद के जीवन के लिए आवश्यक उपकरण, वस्तुएं व विचार एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचातीं हैं । वस्तुओं का विनिमय व वितरण सभी जगह परिवहन साधनों पर निर्भर करता है ।

जनपद के विकास में सड़क परिवहन का महत्व :–

(1) बहुउद्देशीय सेवा :– सड़कों का प्रयोग अनेक तरह के वाहनों के लिए किया जाता है सड़क पर बैलगाड़ी, तांगा, मोटर, ट्रक, स्कूटर, साइकिल आदि सभी वाहन चल सकते हैं । इस प्रकार ये जनपद में यातायात के साधनों का विकास करती हैं ।

(2) कृषि विकास :– सड़कें कृषि के विकास में सहयोग करतीं हैं । कृषि उपकरणों को जनपद में सड़कों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है कृषि उपज को जनपद की मण्डियों व देश के अन्य भागों में ले जाने में सहायक हैं इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है । सड़कों के होने से कृषकों को अपनी उपज की सही कीमत मिल सकती हैं ।

(3) कम पूँजी :– रेलों की तुलना में सड़कों के विकास व निर्माण पर व्यय कम आता है अतः जनपद में जहाँ पही से ही पूँजी की कमी है सड़कों का विकास कम पूँजी की सहायता से किया जा सकता है ।

(4) पूरक साधन :– सड़क अन्य साधनों से माल ढोने में पूरक साधन के रूप में कार्य करती है जैसे –रेलों से माल को ले जाना है तो उसको पहले सड़कों के माध्यम से ही रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया जाता है ।

(5) अधिक रोजगार :– सड़क परिवहन से अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है । नेशनल काउन्सिल ऑफ एप्लाइड इकोनोकिम रिसर्च के अध्ययन के अनुसार, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में समान पूँजी से दो गुने व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा प्रदान करता है ।

(6) औद्योगिक विकास :– सड़कों के विकास से ही जनपद का विकास हो सकता है क्योंकि जब सड़कें बन चुकी होंगीं तभी यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बना अतः उद्योगों को कच्चा माल व उपकरण लाने ले जाने के लिए सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है ।

(7) सुविधाजनक :– सड़क परिवहन जनपदवासियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है । इस साधन से किसी भी स्थान से माल व सवारी एकत्रित कर अन्य स्थानों तक पहुँचाया जा सकता है ।

(8) विशिष्ट स्थानों का एक मात्र साधन :– कुछ क्षेत्र जैसे जनपद के गाँव जहाँ रेलों को नहीं पहुँचाया जा सकता वहाँ पर सड़कों का विकास करके सड़क परिवहन की सुविधा दी जा सकती है ।

(9) सामाजिक महत्व :– विकसित सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने में सहायता करतीं हैं । समय पर डाक्टरी सुविधा मानव जीवन को बचाती है । सड़कें मानवीय ज्ञान में वृद्धि करतीं हैं, पर्यटन का विकास करतीं हैं, अन्ध विश्वासों को हटाने में मदद करतीं हैं अर्थात ज्ञान का विकास एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच सकता है ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनपद के विकास में सड़कों का विशेष महत्व है । सड़क परिवहन के विस्तार से ही जनपद की प्रगति हो सकी है ।

जनपद में सड़कों की स्थिति :–

जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2001–2002 में कुल 1567.00 कि0मी0 पक्की सड़कें हैं एवं स्थानीय निकाय के अन्तर्गत 130 कि0मी0 सड़कें आतीं हैं तथा अन्य विभागों के अन्तर्गत 37 कि0मी0 पक्की सड़कें आतीं हैं । इस प्रकार वर्ष 2001–2002 में 1734 कुल पक्की सड़कें हैं। जनपद में सड़क यातायात राजकीय परिवहन निगम, उ0प्र0 एवं

मध्य प्रदेश तथा निजी बसों द्वारा होता है । जनपद में कुल 202 कि0मी0 सड़कों पर बसें चल रहीं हैं । राजकीय परिवहन निगम उ0प्र0,झाँसी से दिल्ली, बरेली, बनारस, आगरा, फरूर्खाबाद, इटावा, गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, हरिद्वार, ऋषिकेश, शिवपुरी (म0प्र0) खजुराहो जनपदों के लिए सेवा में उपलब्ध है । मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, पन्ना, सतना, छतरपुर, शिवपुरी के लिए बसों की सेवा उपलब्ध है ।

जनपद में 94 बस स्टेशन/बस स्टॉप हैं । वर्ष 2002–2003 में जनपद में उ0प्र0 परिवहन की 61 एवं म0प्र0 परिवहन की 353 बसें हैं तथा 354 व्यक्तिगत बसें एवं मिनी बसें 2 चल रहीं हैं । भारी माल वाहनों की संख्या – 1587 हैं । तिपहिया माल वाहनों की संख्या 935 है एवं टूसीटर, विक्रम तथा मिनीडोर टैक्सियों की संख्या 4438 है । दुपहिया वाहनों में स्कूटर, मोपेड तथा मोटर साइकिलों की संख्या 125155 है तथा कारें 8828 हैं । जीप 561 एवं ट्रैक्टर 11498 हैं । इन सबसे 1431.10 लाख रू0 का राजस्व प्राप्त हुआ है ।

तालिका संख्या – 5

जनपद में विकास खण्डवार पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0)

वर्ष/विकासखण्ड	पक्की सड़कों की लम्बाई		सब ऋतु योग्य सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या (जनसंख्या वार)		
	कुल	लोक नि0 वि0	1000 से कम वाले ग्राम	1000 से 1499 वाले ग्राम	1500 से अधिक वाले ग्राम
1	2	3	4	5	6
1999-00	1653	1425	195	88	115
2000-01	1661	1428	195	88	115
2001-02	1734	1567	195	88	115

विकास खण्डवार 2001-02

1–मोंठ	148	148	30	11	18
2–चिरगांव	129	129	30	11	13
3–बामौर	182	149	23	10	14
4–गुरसरांय	159	155	27	18	12
5–बंगरा	141	141	20	10	17
6–मऊरानीपुर	168	158	25	13	19
7–बबीना	112	112	20	7	9
8–बड़ागाँव	159	144	20	8	13
योग ग्रामीण	1198	1136	195	88	115
नगरीय	536	431	-	-	-
योग जनपद	1734	1567	195	88	115

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2001–02, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में वर्ष 2001–02 के अनुसार कुल आबाद ग्रामों की संख्या 760 है जबकि सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या 398 है । जनपद में सड़कों की लम्बाई कुल 1198 कि0मी0 है। वर्ष 1999 –00 में 1653 कि0मी0 थी जो वर्ष 2000–01 में बढ़कर 1661 कि0मी0 हो गयी और सन् 2001–02 में 1734 कि0मी0 हो चुकी है । लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सड़को की लम्बाई 2000–01 में 1428 कि0मी0 थी जो वर्ष 2001–02 में बढ़कर 1734 कि0मी0 हो गयी अर्थात् सड़कों की लम्बाई में वृद्धि हुई है लेकिन अपेक्षाकृत कम है । देश इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुका है और झाँसी जनपद के सभी गांव सड़कों से नहीं जुड़ पाये हैं ।

तालिका संख्या – 6

प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0)

क0स0 विकास खण्ड	प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0)			
	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03
1—मोंठ	102.0	118.0	124.8	124.8
2—चिरगांव	114.5	117.4	123.1	123.1
3—बामौर	163.0	171.7	176.6	176.6
4—गुरसरांय	148.2	146.3	153.0	153.0
5—बंगरा	100.8	120.7	127.0	127.0
6—मऊरानीपुर	128.1	138.3	143.4	143.4
7—बबीना	97.3	98.2	111.8	111.8
8—बड़ागाँव	146.8	158.4	167.9	167.9
समस्त विकाखण्ड	124.1	132.7	138.8	138.8

स्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका 2001—02, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जनपद में प्रति लाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई सन् 2000—01 में समस्त विकासखण्डों में 132.7 कि0मी0 थी जो सन् 2001—02 में बढ़कर 138.8 कि0मी0 हो गयी, उपरोक्त तालिका देखने से ज्ञात होता है कि सन् 2002—03 में भी पक्की सड़कों की लम्बाई 138.8 ही रही है । जनपद में पिछले तीन सालों में पक्की सड़कों की लम्बाई में कोई प्रगति नहीं हुई है अतः जनपद का विकास कार्य बहुत धीमे गति से हो रहा है । जनपद में कुल पक्की सड़कों की लम्बाई को रेखाचित्र में अगले पृष्ट पर दर्शाया गया है —

कुल पक्की सड़कों की लम्बाई

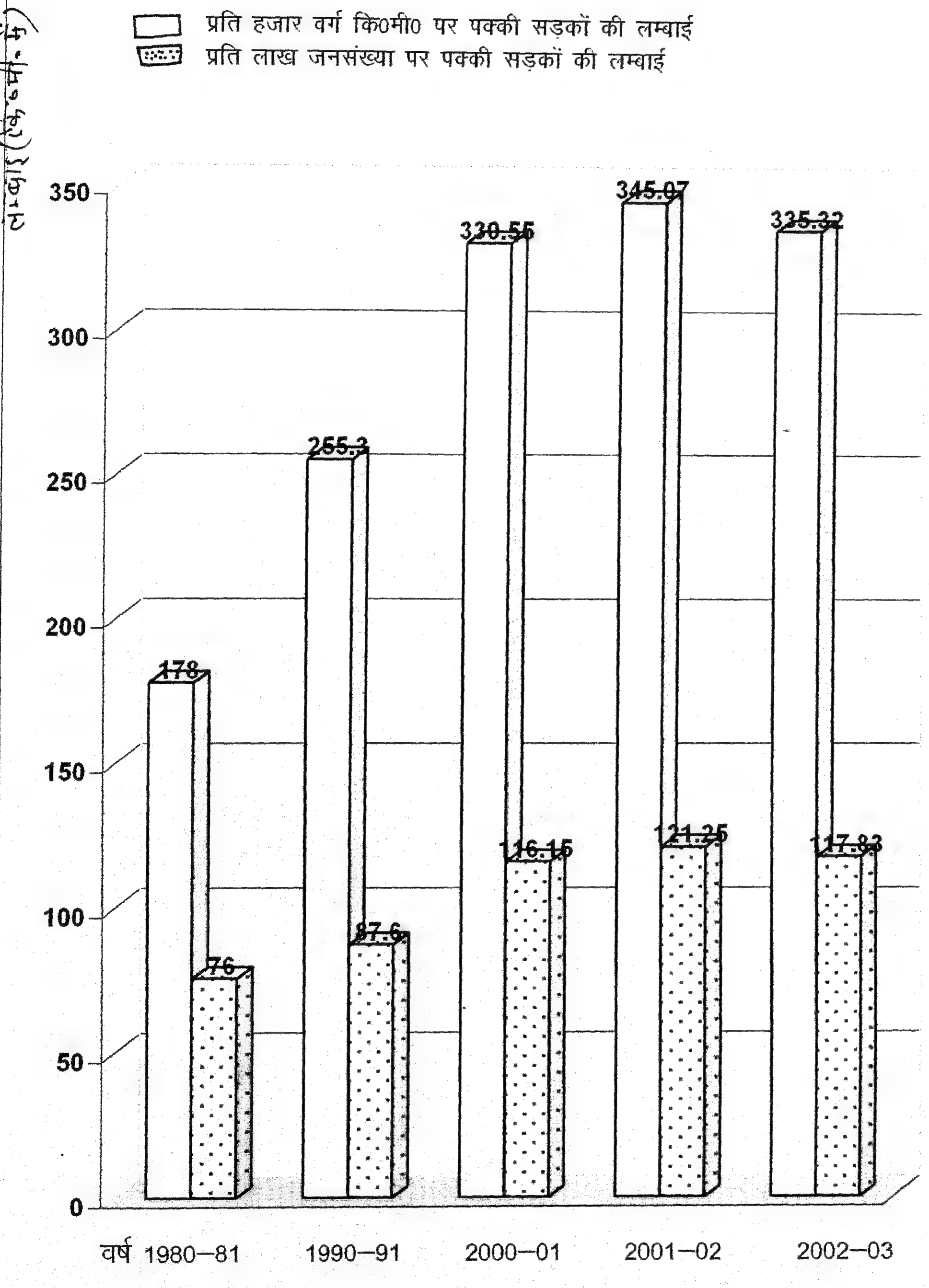

तालिका संख्या – 7

जनपद में विभिन्न विभागों की पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0 में)

क्रम संख्या	मद	1999–00	2000–01	2001–02
1	2	3	4	5
1.लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत –				
1.1	राष्ट्रीय राजमार्ग	137	137	137
1.2	प्रादेशिक राजमार्ग	142	142	142
1.3	मुख्य जिला सड़कें	70	70	70
1.4	अन्य जिला तथा ग्रामीण सड़कें	1076	1079	1218
	योग –	1425	1428	1567
2. स्थानीय निकायों के अन्तर्गत –				
2.1	जिला पंचायत	25	25	25
2.2	नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/कैण्ट	166	171	105
	योग –	191	196	130
3. अन्य विभागों के अन्तर्गत –				
3.1	सिंचाई विभाग	-	-	-
3.2	गन्ना विभाग	-	-	-
3.3	वन विभाग	27	27	27
3.4	अन्य विभाग	10	10	10
	योग –	37	37	37
	कुल योग (1+2+3)	1653	1661	1734

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और प्रादेशिक राजमार्ग की लम्बाई में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है । मुख्य जिला सड़कों की लम्बाई में कोई वृद्धि नहीं हुई । अन्य जिला तथा ग्रामीण सड़कों की लम्बाई वर्ष 2001 में 1079 किमी0 थी जो 2002 में बढ़कर 1567 हो गयी । स्थानीय निकायों के अन्तर्गत सड़कों की लम्बाई में कमी आयी है । सन् 2000–01 में 196 किमी0 से घटकर 130 किमी0 हो गयीं । तथा अन्य विभागों के अन्तर्गत सड़कों की लम्बाई में कोई वृद्धि नहीं हुई ।

रेल सेवा :– जनपद से 171 कि0मी0 ब्राडगेज की रेलवे लाइन है । इन लाइनों पर 18 रेलवे स्टेशन हैं । झाँसी से जम्मू, जबलपुर, हावड़ा, मुम्बई, बनारस, गोरखपुर, दिल्ली, अमृतसर तथा दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक से रेल सेवा उपलब्ध है । दिल्ली से भुसावल तक विद्युतीकरण हो चुका है ।

भारत में सबसे तेज चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से भोपाल के बीच चल रही है । यह पूरी गाड़ी वातानुकूलित है । यात्रियों को यात्रा के दौरान भोजन, चाय इत्यादि की व्यवस्था उपलब्ध है । यहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे का मण्डल कार्यालय तथा डीजल लोकोमोटिव की व्यवस्था एवं रख–रखाव के लिए एक कारखाना मध्य रेलवे द्वारा निर्मित कराया गया है । झाँसी रेलयात्रा का बहुत बड़ा जंक्शन है । यहाँ से उत्तर भारत को दक्षिण भारत से एवं कश्मीर को कन्याकुमारी तक जोड़ने वाली शताब्दी जैसी कई सुपर फास्ट रेलगाड़ियाँ चल रहीं हैं ।

वायु सेवा :– झाँसी में वायु सेवा शुरू करने के लिए हवाई पट्टी का निर्माण हो चुका है, जिसका परीक्षण एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयीं हैं । शीघ्र ही वायु सेवा शुरू हो जायेगी । अभी यह सेना के अधिकार में है ।

जनपद में सड़क परिवहन की समस्याएँ एवं सुझाव :–

जनपद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से सड़क परिवहन का पर्याप्त विकास हुआ है लेकिन फिर भी वह विकास संतोषजनक नहीं है । इसका कारण सड़क परिवहन की समस्यायें हैं जो कि निम्नवत् हैं –

(1) अपर्याप्त एवं खराब सड़कें :– जनपद में सड़क परिवहन की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या अपर्याप्तता एवं बुरी सड़कों का होना है । जिनमें दुर्घटनायें अधिक होती है । जनपद में कुछ सड़कों की स्थिति तो इतनी खराब है कि वे कच्ची सड़क जैसी हो गयीं हैं अतः इनकी मरम्मत की जाय और जनपद में सड़कों का जाल कम से कम वर्तमान से चार गुना अधिक कर दिया जाय तभी जनपद का समुचित विकास होगा ।

(2) व्यय की कमी :– जनपद में सड़कों पर होने वाला व्यय बहुत कम है जिसको बढ़ाया जाना चाहिए तभी सड़कों की स्थिति अच्छी होगी ।

(3) अपर्याप्त साख सुविधायें :– जनपद में साख सुविधा देने वाली वित्तीय संस्थाओं की कमी है जिससे परिवहन सुविधा का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है अतः इन सरकारों में स्थायित्व होना आवश्यक है ।

(4) अस्थायी सरकार :– जनपद में नगर पालिका व प्रदेश सरकार स्थायी न रहने के कारण भी सड़क परिवहन का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा है अतः इन सरकारों में स्थायित्व होना आवश्यक है ।

(5) जल मार्ग :– जनपद में कोई भी लम्बी दूरी का जल मार्ग नहीं है यद्यपि नदियां बड़ी हैं । जैसे बेतवा, धसान जो जनपद की सीमा से बाहर बहती हैं लेकिन इस जल मार्ग का उपयोग यातायात में नहीं किया जाता । जल मार्ग का जनपद में उपयोग केवल बीहड़ इलाकों में ही नाव द्वारा नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ही किया जाता है ।

(6) वाहन भार सीमाएं :– मोटर ट्रकों के माल लादने की सीमाएं कम हैं जिनसे मोटर ट्रक चलाने के व्यय भी पूरे नहीं होते हैं । सरकार को इनके इस भार वाहन सीमा में वृद्धि करनी चाहिए जिससे भाड़ा लागत घट सके ।

इसके अतिरिक्त मोटर ट्रांन्सपोर्ट को अनावश्यक प्रतिबन्धात्मक उपायों के अधीन कार्य करना पड़ता है । इनमें मोटर – गाड़ी अधिनियम, सिद्धान्तों एवं व्यवहारों की नियमावली भी शामिल है । प्रत्येक राज्य में अपने प्रतिबन्धात्मक उपाय हैं । इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन पर बहुत से और भारी कर भी लगाए गए हैं – आयात शुल्क, बिकी कर, रजिस्ट्रशन फीस, तथा मोटर गाड़ी कर और फालतू पुर्जो पर आयात शुल्क और बिकी कर आदि ।

3.2 संचार के साधन

जनपद में संचार व्यवस्था कें अन्तर्गत तारघर, डाकघर, टेलीफोन, रेल, सड़क आदि की व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है । जनपद के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास में संचार साधन का महत्वपूर्ण योगदान है अतः संचार की उत्तम व्यवस्था की आवश्यकता है । संचार व्यवस्था से दूरस्थ स्थानों में जहाँ विकास कार्य किया जा रहा है, उस में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हेतु सम्भव व्यवस्था होती है । बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास उसी समय सम्भव होता है जबकि विकसित केन्द्रों से आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो ।

जनपद में संचार के साधन :– जनपद में संचार के साधनों की स्थिति अग्रलिखित है :–

तालिका संख्या :– 8

जनपद में विकास खण्डवार यातायात एवं संचार सेवाएँ (संख्या)

वर्ष/जनपद विकासखण्ड	डाकघर	तारघर	पी.सी.ओ	टेलीफोन	रेलवे स्टेशन/हाल्ट	बस स्टॉप
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
वर्ष 2000–01	212	31	847	41136	18	111
वर्ष 2001–02	212	31	847	46403	18	111
वर्ष 2002–03	212	31	768	42288	18	111
वर्ष 2003–04	212	31	768	42497	18	111
विकास खण्डवार 2003–04						
1–मोंठ	28	1	21	613	2	14
2–चिरगांव	21	–	15	74	1	14
3–बामौर	24	1	6	131	–	6
4–गुरसरांय	20	1	17	329	–	11
5–बंगरा	17	1	12	709	2	10
6–मऊरानीपुर	22	–	10	176	1	13
7–बबीना	18	1	27	694	3	14
8–बड़ागाँव	22	1	11	716	3	14
योग ग्रामीण	172	6	119	3442	12	96
योग नगरीय	40	25	649	39055	6	15
योग जनपद	212	31	768	42497	18	111

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2001–02, 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात हुआ कि जिले में 212 डाकघर तथा 31 तारघर उपलब्ध हैं । प्रति लाख जनसंख्या पर डाकघरों की संख्या 14.8 है । जबकि तारघर प्रति लाख जनसंख्या पर 2.2 ही उपलब्ध है । वर्ष 2003–2004 तक जनपद में टेलीफोन 42497 तथा एस0टी0डी0 एवं पी0सी0ओ0 10847 कार्य कर रहें हैं । जनपद में विकासखण्ड चिरगांव और मऊरानीपुर में अभी तक तारघर नहीं हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तारघरों को स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है ।

उपरोक्त विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में संचार का अभाव है इसलिए सरकार और जनता दोनों को इनके विकास को लाने में योगदान देना चाहिए । जिस जनपद में संचार साधनों का अभाव होगा वहां की विकास की गति धीमी होगी । जनपद में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तो 10 और 15 किलोमीटर तक कोई संचार सुविधा नहीं है जिससे ग्रामीणों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

आज से करीब 15 वर्ष तक पूर्व टेलीफोन को एक विलासिता का साधन माना जाता था । आम आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था लेकिन 15 वर्षों में इसने संचार क्षेत्र में इस तरह से अपनी घुसपैठ बना ली है कि इसके बिना जीवन कुछ अधूरा सा प्रतीत होने लगा है । यह जीवन का अनिवार्य अंग होता चला जा रहा है । हमारे देश में भी लगभग हर शहर इसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ गया है । परस्पर सामाजिक जुड़ाव आम लोगों के बीच बढ़ा है । परन्तु हमारे देश की भौगोलिक स्थिति एवं गरीबी ने ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी प्रगति में उतना ही अपेक्षित योगदान नहीं दिया है । ग्रामीण क्षेत्रों में केबिल का रखरखाव काफी मंहगा है तथा टेलीफोन अक्सर खराब बने रहते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेतार प्रणाली काफी सफल हो सकती है । ग्रामीण क्षेत्रों में संचार प्रसार अवश्य ही देश की प्रगति में योगदान देगा ।

जनपद में रेलवे हाल्ट 18 तथा बस स्टॉप 111 हैं । दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करके दूरदर्शन सेवा के मानचित्र पर झाँसी का नाम अंकित कर दिया गया है । सामूहिक दूरदर्शन योजना के अन्तर्गत जिले में 124 टेलीविजन सैट लगाये गये हैं । आकाशवाणी केन्द्र कानपुर रोड पर महारानी लक्ष्मीबाई मेडीकल कॉलेज के सामने है । इस केन्द्र से प्रसारण एफ0एम0 बैण्ड पर चल रहा है ।

3.3 शक्ति के स्रोत

वर्तमान युग में किसी भी क्षेत्र या जनपद या देश का विकास उस क्षेत्र में उपलब्ध शक्ति के साधनों पर निर्भर करता है जिस क्षेत्र में सस्ते व पर्याप्त शक्ति के साधन उपलब्ध होते हैं वह देश अपना आर्थिक विकास सरलतापूर्वक व तीव्र गति से करता है इसका कारण यह है कि सभी क्षेत्रों में शक्ति के साधन अपर्याप्त होते हैं या अविकसित होते हैं वह क्षेत्र अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं के होते हुए भी मन्द गति से विकास कर पाता है या नहीं कारण है कि प्रत्येक देश अपनी आर्थिक योजनायें बनाते समय शक्ति संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान देता है । अपने वर्तमान रूप में विद्युत एक औद्योगिक उत्पादन है । बिजली के उत्पादन के लिए पावर स्टेशन बनाये जाते हैं, जहाँ भारी संयत्रों की मदद से कोयले और पानी की शक्ति का शक्ति का ईधन के रूप में प्रयोग कर बिजली तैयार की जाती है । बिजली का प्रयोग करने के लिए हमें कुछ सामान की आवश्यकता पड़ती है । विद्युत के उत्पादन और उपभोग से सम्बन्धित ये सब यंत्र तथा उपकरण जो उद्योग बनाता है, विद्युत उद्योग के नाम से जाना जाता है । बिजली के व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ साथ विद्युत उद्योग का भी विकास होता है । जैसे – गाँवों का विद्युतीकरण होगा, बिजली की मांग भविष्य में बढ़ेगा । परिणामस्वरूप विद्युत उद्योग में पूंजी निवेश और विनियुक्त श्रम की मांग बढ़ेगी । दूसे शब्दों में विद्युत उद्योग में रोजगार के अवसरों में वृद्धि सम्भावना बढ़ेगी । विद्युत उद्योग के अन्तर्गत बिजली पैदा करने के लिए आवश्यक यंत्र जैसे – जेनरेटर, ट्रान्सफार्मर, उच्च वोल्टेज के स्विच गियर, मोटे तार, ए0सी0एस0आर0 कन्डक्टर, इन्सुलेटर इत्यादि का उत्पादन होता है । इस उद्योग के उत्पादन की द्वितीय श्रेणी में वे सारी चीजें आती हैं, जिनकी जरूरत बिजली का बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाले उद्योगों को होती है । जैसे – कम शक्तिशाली स्विच गियर, बिजली की मोटर, कम शक्तिशाली बिजली के तार आदि । बिजली की मोटर की आवश्यकता न केवल कारखानों में होती है बल्कि खेतों में भी होती है । इसके अतिरिक्त घरेलु उपभोग के दर्जनों ऐसे यंत्र उपकरण हैं जिनका संचालन विद्युत के अभाव में सम्भव नहीं है । बिजली के बल्ब, पंखे, हीटर, टेलीविजन, रेफ्जिरेटर आदि उद्योगों का अस्तित्व तो विद्युत के कारण ही है । जिनमें लाखों श्रमिकों को रोजगार प्राप्त है ।

बिजली के सामान स्वतंव्रता के पूर्व मुख्य रूप से विदेशों से ही मंगवाये जाते थे । स्वतंत्रता के बाद सरकार ने देश के औद्योगीकरण और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर जोर

दिया । फलस्वरूप देश में विद्युत उद्योग की गहरी नींव पड़ी और इससे यह अपेक्षा की गयी कि यह राष्ट्र की बिजली के समान से सम्बन्धित जरूरतों को पूरा करेगा । यह एक ऐसा क्षेत्र था, जिसमें विदेशी पूर्ति पर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं थी । आज हम बिजली के सामान के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं और विदेशों को भी निर्यात करने लगे हैं । सार्वजनिक क्षेत्र का उपकम भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड देश में बिजली उत्पादन के उपयोग में आने वाले उपकरण तैयार करने वाला प्रमुख उपकम है । उपकरण तैयार करने के कारखाने भोपाल, हैदराबाद, हरिद्वार, रानीखेत, जमशेदपुर और बंगलौर में हैं ।

जनपद में शक्ति के साधनों का महत्व :– जनपद में शक्ति के साधनों का महत्व निम्न क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है ।

(1) औद्योगिक क्षेत्रों में :– जनपद में विद्युत की सुविधा अगर बढ़ जाये और इसकी पूर्ति सुचारू रूप से होने लगे तो जनपद में उद्योगों का विकास हो सकता है । उद्योगों के विकास के लिए विद्युत मुख्य स्रोत है जनपद में अनेक जगह उद्योगों का विकास इसलिए नहीं हो पाया है कि विद्युत पूर्ति कम है । विद्युत की पूर्ति में बिजली का योगदान, आटा चक्की व अन्य दैनिक क्षेत्रों में शक्ति के साधनों के उपयोग में वृद्धि हुई है । अपने वर्तमान रूप में विद्युत एक औद्योगिक उत्पादन है ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झाँसी

औद्योगिक क्षेत्र में हलचल मचाने वाला तथा पूर्णतः भारतीय व्यावसायिक तकनीकी जानकारी से परिपूर्ण भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड नामक यह कारखाना बुन्देलखण्ड मे झाँसी क्षेत्र से लगभग 14 किमी0 दूर खैलार मे स्थित है। इसकी अलौकिक विशेषता यह है कि इसमे विदेशी सहयोग का समावेश नहीं हैं ।

झाँसी के इस विशाल कारखाने मे उच्च बोल्टता, उपकेन्द्रो, इस्पात उद्योगों में और रेलों में प्रत्यावर्ती धारा के लिये विभिन्न स्पेशल ट्रांसफार्मरों का निर्माण किया जाता है । औद्योगिक विकास में इस कारखाने का महत्वपूर्ण योगदान हैं ।

भेल झाँसी में पेपरफज सिस्टम की स्थापना हुई तथा भेल झाँसी विश्व के सर्वोत्कृष्ट ट्राँसफार्मरों का निर्माण करने लगा है ।

(2) कृषि क्षेत्र में :– जनपद एक कृषि प्रधान देश है कृषि उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत या पेट्रोलियम की आवश्यकता है कृषि में सिंचाई के लिए व गेंहुँ की फसल की कटाई

के लिए थ्रेसर के लिए शक्ति की आवश्यकता है । अगर इसकी पूर्ति बढ़ जाये तो कृषि उत्पाद में वृद्धि हो सकती है ।

(3) व्यक्तिगत क्षेत्र में :– व्यक्तिगत क्षेत्र में भी विद्युत का प्रयोग बढ़ जाने के कारण शक्ति के साधनों का महत्व बढ़ा है क्योंकि वर्तमान के वैज्ञानिक दैनिक उपभोग के उपकरण बिजनी से ही चलते हैं । आज व्यक्ति के पास इन उपकरणों की वृद्धि हो रही है इसलिए जनपद में प्रति व्यक्ति शक्ति के साधनों की खपत भी बढ़ी है ।

(4) परिवहन क्षेत्र में :– परिवहन वर्तमान की मुख्य आवश्यकता है बसों, ट्रकों व अन्य गाड़ियों के लिए पेट्रोलियम उत्पाद की भी मांग बढ़ी है । इसलिए परिवहन क्षेत्र में शक्ति के साधनों के उपयोग में वृद्धि हुई है ।

(5) अन्य क्षेत्र में :– जनपद के अन्य क्षेत्र में भी शक्ति के साधनों का महत्व कम नहीं है । जैसे पीने के पानी की पूर्ति में बिजली का योगदान, आटा चक्की व अन्य दैनिक क्षेत्रों में शक्ति के साधनों के उपयोग में वृद्धि हुई है ।

ऊर्जा में शक्ति के साधनों का संकट :– वर्तमान में जनपद में शक्ति के साधनों की स्थिति निम्न है :–

जीवों से प्राप्त शक्ति :– जनपद में जीवों से प्राप्त शक्ति का बहुत उपयोग किया जाता है इसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक किया जाता है कृषि में बैलों व भैसों द्वारा जुताई, बुवाई व मडाई की जाती है । बैल, भैंसा गाड़ी व घोड़ा गाड़ी का उपयोग माल ढोने व परिवहन के लिए भी किया जाता है । जीवों से प्राप्त शक्ति में मानव शक्ति भी आती है । मानव शक्तिका प्रयोग जनपद के सभी क्षेत्रों में किया जाता है ।

कोयला :– जनपद में किसी भी तरह के कोयले का भण्डार नहीं है । जनपद में कोयले का उपयोग भी दैनिक उपभोग, प्रेस, भट्टी व अंगीठी तक ही सीमित है ।

खनिज तेल व पेट्रोलियम :– वर्तमान युग में हर क्षेत्र के लिए खनिज तेल व पेट्रोलियम बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संसाधन हैं इस पर क्षेत्र का औद्योगिक विकास, प्रतिरक्षा व परिवहन साधनों की उन्नति का आधार है ।

जनपद के विकास में पेट्रोलियम का विशेष महत्व है लेकिन यहां इसका कोई भी प्राकृतिक भण्डार नहीं है । इसका आयात देश के अन्य भागों से किया जाता है फिर भी इसका वितरण किया जाता है ।

वायु एवं सूर्य शक्ति :– वायु को भी शक्ति के रूप में काम में लाया जाता है देश के कुछ हिस्सों में पवन चक्कियों को चलाकर उसका उपयोग किया जाता है लेकिन जनपद में इसका उपयोग केवल किसानों द्वारा दाल, चावल व अनाज से भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है । सूर्य शक्ति का प्रयोग जनपद में नहीं के बराबर है । जनपद में सूर्य शक्ति का उपयोग गांवो में अनाज को धोने के बाद सूखने के लिए, गीले कपड़ों को सुखाने के लिए ही किया जाता है । जनपदवासियों को चाहिये कि वह सूर्य शक्ति वाले हीटर लेकर इनका उपयोग खाना बनाने में करें ।

विद्युत :–किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए यदि कोई घटक महत्वपूर्ण है तो वह है विद्युत शक्ति । यह उद्योगों के लिए एक आवश्यक तत्व है इसके अतिरिक्त कृषि का विकास एवं सामाजिक स्तर के लिये भी विद्युत का विशेष महत्व है । ग्रामीण व शहरी विकास के लिए भी यह आवश्यक घटक है । जनपद की अर्थव्यवस्था में शायद ही कोई क्षेत्र हो जहाँ विद्युत की आवश्यकता न पड़ती हो । पीने वाले पानी के लिए, परिवहन साधनों के रख रखाव के लिए संचार सुविधाओं के लिए, घरों व सड़कों पर रोशनी के लिए, उद्योगों आदि सभी कार्यों के लिए विद्युत की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है ।

यदि विद्युत चोरी पर किसी प्रकार नियन्त्रण कर लिया जाय तो भोग व उत्पादन का अन्तर स्वतः समाप्त हो जायेगा और क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी । परन्तु इस बीमारी को जनजागरण तथा आम जनता में क्षेत्र के विकास की भावना जागृत कर ही समाप्त किया जा सकता है । क्योंकि इस बीमारी की जड़ें समाज के प्रत्येक हिस्से में फैलीं हैं ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विद्युत की कमी समाप्त करने के लिए मुख्य कारण आर्थिक कठिनाईयां हैं क्योंकि यदि आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध होता तो पारीछा तापीय परियोजना, झाँसी की स्थापित दोनों यूनिटों को चालू हालत में रखा जा सकता है तथा दो अन्य यूनिटों की स्थापना भी की जा सकती है जिससे विद्युत संकट का निवारण हो जायेगा । अतः क्षेत्रीय सम्मेलन में आर्थिक संकट पर गहरी विचार विमर्श की आवश्यकता है ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगभग आठ महीने सूर्य की रोशनी तेज रहती है जिससे सौर ऊर्जा के उत्पादन की सम्भावनाएं प्रबल हैं । इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन में लागत बहुत कम आती है तथा क्षेत्र के छोटे छोटे हिस्सों में इस ऊर्जा उत्पादन से मांग को आंशिक रूप से पूरा किया जा सकता है ।

तालिका संख्या :– 9

जनपद में विभिन्न कार्यों में विद्युत उपभोग (हजार कि0वॉट घंटा)

क0सं0	पद	1999- 00	2000-1	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6
1.	घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शाषित	101705	110000	121700	123280
2.	वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	26821	27220	27230	21620
3.	औद्योगिक विद्युत शक्ति	151581	142700	134210	135380
4.	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	723	5290	5200	5130
5.	रेल	4567	-	-	0
6.	कृषि विद्युत शाषित	38807	34980	21070	17410
7.	सार्वजनिक जलकल एवं सफाई	3387	3110	2710	5770
	योग	327591	32330	312120	308590

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2001–02, 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शाषित के उपभोग में वृद्धि हुई है जो कि वर्ष 2001–02 में 121700 हजार किलो वॉट घंटा उपयोग हुयी और 2002–03 में बढ़कर 123280 हो गयी है । वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति के उपभोग में कमी आयी है जो कि वर्ष 2001–02 में 27230 हजार किलो वॉट घंटा उपभोग हुई तथा वर्तमान में घटकर 21620 रह गयी है । जो वर्ष 2001–02 की तुलना में में कम है जबकि अन्य सभी विद्युत उपभोग क्षेत्रों में वृद्धि हुई है । विद्युतीकृत गामों का रेखाचित्र अगले पृष्ट पर दर्शाया गया है –

विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

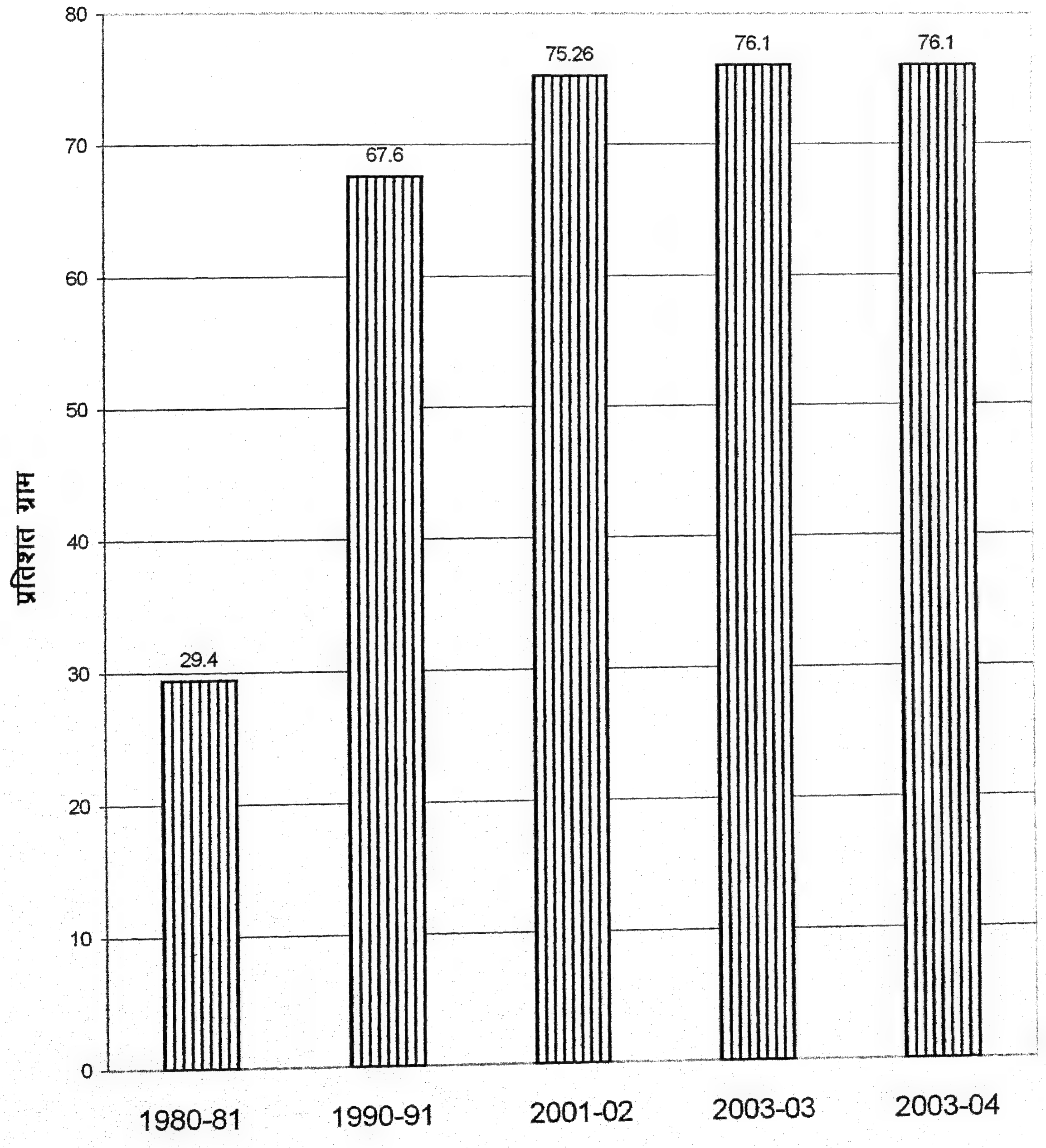

तालिका संख्या :– 10

जनपद में विकास खण्डवार विद्युतकृतग्राम एवं अनु0 जाति बस्तियाँ

वर्ष / विकासखण्ड	विद्युतीकृत ग्राम		विद्युतीकृत अनु0जाति बस्तियों की संख्या	विद्युतीकरण से असेवित अनु0जाति बस्तियों की संख्या	वर्गीकृत निजी नलकूप / पम्प सेटों की संख्या
	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार संख्या	जिनमें एल0टी0 मेन्स लगा दिये गये हैं			
1	2	3	4	5	6
2000-01	562	562	645	-	3835
2001-02	572	572	655	-	3908
2002-03	578	578	661	-	3923
2003-04	578	578	661		3947
विकास खण्डवार 2003-04					
1–मोंठ	85	85	92	-	725
2–चिरगांव	80	80	92	-	998
3–बामौर	63	63	73	-	130
4–गुरसरांय	74	74	91	-	188
5–बंगरा	7	7	81	-	259
6–मऊरानीपुर	76	76	94		388
7–बबीना	54	54	55	-	297
8–बड़ागाँव	72	72	83	-	962
योग जनपद	578	578	661	-	3947

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2001–02, 2002–03, 2003–04 झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सन् 2003–04 में 578 गांव विद्युतीकृत हैं और उन सभी में एल.टी.मेन्स लगे हैं जो एक बड़ी उपलब्धि है, जनपद में विद्युतीकृत अनु0जाति बस्तियों की संख्या भी सन् 2001–02 में 655 थी जो सन् 2003–04 में बढ़कर 661 हो गयी

तथा जनपद में वर्गीकृत निजी नलकूप/पम्प सेटों की संख्या वर्ष 2002–03 में 3923 थी जो वर्ष 2003–04 में बढ़कर 3947 हो गयी है । अतः सभी शक्ति के साधनों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट है कि जनपद में मुख्य शक्ति के साधन बिजली और पेट्रोलियम हैं।

विद्युत लाइनों का निर्माण :– वर्ष 2002–03 में कुल 57.60 कि0मी0 लाइनें खींचीं गई हैं, जिनमें से हाइटेन्सन 39.30 कि0मी0 और लो टेन्सन 18.30 कि0मी0 लाइनें हैं इन्हीं लाइनों में घरेलु कनेक्शन 1000, 53 औद्योगिक, सिंचाई हेतु व्यक्तिगत नलकूप 18 जलकल के विद्युत संयोजन दिये गये हैं एवं 6 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है जिसमें हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण भी सम्मिलित है ।

वर्ष 2002–03 में निम्न क्षमता के नये विद्युत उपग्रहों का निर्माण किया गया है । जिसमें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन एवं बोल्टेज की समस्या में विशेष सुधार हुआ है ।

1. 25 के0वी0ए0 विद्युत उपग्रह	26 नं0
2. 65 के0वी0ए0 विद्युत उपग्रह	02 नं0
3. 160 के0वी0ए0 विद्युत उपग्रह	01 नं0
4. 250 के0वी0ए0 विद्युत उपग्रह	01 नं0
कुल	30 नं0 विद्युत उपग्रह

उपरोक्त के अलावा वर्ष 2003–04 में जिला झाँसी (ग्रामीण) झाँसी में जनहित में नये विद्युत उपग्रह एवं क्षमता वृद्धि प्रस्तावित है । जिससे झाँसी का विकास एवं प्रगति को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा ।

कार्य योजना का विवरण :–

1. बरूआसागर में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु 33/11 के0वी0 1✶5 एम0वी0ए0 उपकेन्द्र का निर्माण का प्रस्ताव ।
2. बड़ागांव क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु 33/11 के0वी0 1✶5 एम0वी0ए0 उपकेन्द्र बड़ागांव टाउन में निर्माण का प्रस्ताव ।
3. मोंठ नगर एवं संलग्न क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु मोंठ टाउन में 33/11 के0वी0 1✶5 एम0वे0ए0 उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव ।
4. चिरगांव क्षेत्र विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु 33/11 के0वी0 चिरगांव की 1✶5✶1✶3 एम0वी0ए0 से क्षमता वृद्धि कर 2✶5 एम0वी0ए0 करने का प्रस्ताव ।

5. बड़ागांव में एवं बरूआसागर में विद्युत आपूर्ति के सुधार हेतु 132 के0वी0 उपकेन्द्र हंसारी पर 33/11 के0वी0 5 एम0वी0ए0 परिवर्तन की क्षमता वृद्धि कर 8 एम0वी0ए0 के परिवर्तन की स्थापना का प्रस्ताव ।

6. बिजौली औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु उपकेन्द्र बिजौली की 2✱3 एम0वी0ए0 से क्षमता वृद्धि कर 1✱5 – 1✱3 एम0वी0ए0 करने का प्रस्ताव ।

7. समथर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुधार हेतु 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र समथर के 3 एम0वी0ए0 से 5 एम0वी0ए0 में क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव ।

8. 66/11 के0वी0 उपग्रह मऊरानीपुर में 5 एम0वी0ए0 के स्थान पर 8 एम0वी0ए0 की स्थापना का प्रस्तावित है ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विद्युत की चोरी अत्यधिक रूप से हो रही है । विशेष तौर पर घरेलु एवं वाणिज्य उपयोग में विद्युत चोरी पर नियंत्रण करना आसान कार्य नहीं है क्योंकि जनता आवासों में चैकिंग करने में तरह – तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । दूषित राजनीति भी विद्युत चोरी को बढ़ावा देती है । कोई भी विभाग जहां इतनी अधिक चोरी हो, सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता । भविष्य में यदि विद्युत चोरी पर नियंत्रण न हुआ तो बुन्देलखण्ड के विकास की सफलता की सम्भावनाओं पर प्रश्नचिन्ह लग जायेगा क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास की भावना हेतु विद्युत का महत्व सबसे अधिक है ।

यदि विद्युत चोरी पर किसी प्रकार नियन्त्रण कर लिया जाय तो भोग व उत्पादन का अन्तर स्वतः समाप्त हो जायेगा औश्र क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी । परन्तु इस बीमारी को जनजागरण तथा आम जनता में क्षेत्र के विकास की भावना जागृत कर ही समाप्त किया जा सकता है क्योंकि इस बीमारी की जड़ें समाज के प्रत्येक हिस्से में फैली हैं ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विद्युत की कमी समाप्त न होने के मुख्य कारण आर्थिक कठिनाइयाँ हैं क्योंकि यदि आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध होता पारीक्षा तापीय परियोजना, झाँसी की स्थापित दोनों यूनिटों को चालू हालत में रखा जा सकता है अतः क्षेत्रीय सम्मेलन में आर्थिक संकट पर गहरी विचार विमर्श की आवश्यकता है ।

3.4 तकनीकी विकास

तकनीकी प्रगति आर्थिक विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है । विकसित क्षेत्र प्राविधि के उच्च्य स्तर के कारण की अपना तीव्र विकास कर सकते हैं । इसके विपरीत कम विकसित क्षेत्र जैसे झाँसी जनपद की अपनी गरीबी इसके पिछड़ेपन का कारण है । यहाँ पर आधुनिक तकनीकी की कमी है इसमें कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी परिवर्तन के बिना यह अपना तीव्र विकास नहीं कर सकता । अतः इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के द्वारा विकसित तकनीकी को अपनाने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए और इस उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु जनपद के अन्दर ही नयी तकनीकी का विकास और औद्योगिक उन्नत तकनीक आयात करें और अपना आर्थिक तकनीकी विकास प्राप्त कर लें ।

जनपद में तकनीकी विकास की आवश्यकता :– जनपद में आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन को दूर करने के लिये तकनीकी प्रगति की बहुत ही अधिक आवश्यकता है तकनीकी प्रगति की आवश्यकता निम्न कारणों से भी है ।

(1) कुशल श्रमिकों की उपलब्धिः– अगर जनपद में कुशल कारीगरों व श्रमिकों को पाना है तो तकनीकी विकास को अपनाना होगा क्योंकि तकनीकी विकास में आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया है तथा इन उपकरणों को चलाने के लिये कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है इसलिए पहले हमको जनपद में प्रशिक्षित कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी । जब कुशल श्रमिक अधिक मात्रा में होगें तभी जनपद का तकनीकी विकास हो पायेगा।

(2) कृषि विकास :– जनपद में तकनीकी विकास लाने पर कृषि का विकास हो सकता है । जनपद एक कृषि प्रधान क्षेत्र है । यहाँ पर अभी भी कुछ भागों में परम्परागत तरीकों से कृषि की जा रही है जिसमें समय व श्रम दोनों की नष्ट होते हैं और उत्पादन भी प्रभावित होता है यदि कृषि क्षेत्र में नयी तकनीकी अपना ली जाये और आधुनिक कृषि उपकरणों को कय करके कृषि की जाये तो श्रम व समय दोनों की ही बचत होगी । नयी तकनीकी से कृषि करने पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ जायेगा । जिससे कृषक वर्ष में दो फसलों से भी अधिक फसल प्राप्त कर सकेंगें और अच्छी

फसल प्राप्त कर लेंगें इससे कृषक की आय भी बढ़ेगी तथा औसत उपज में भी वृद्धि होगी और जनपद में कृषि का विकास होगा ।

(3) सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि :– जनपद में अभी भी ज्यादातर सिंचाई परम्परागत तरीके से की जाती है । इससे अधिक समय में कम क्षेत्रफल में सिंचाई हो पाती है और श्रम अधिक लगता है लेकिन अगर आधुनिक तकनीक को अपना लिया जाये तो नये तरीकों से दुर्गम स्थानों में भी नलकूप व नहरें निकाल कर अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है । जिससे अधिक उपज बढ़ाई जा सकेगी इसलिए नयी तकनीक को सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिये प्रयोग करना चाहिए ।

(4) परिवहन क्षेत्र में :– जनपद में अभी भी बैलगाड़ी, भैसा एवं बोगी का उपयोग परिवहन के लिये किया जाता है क्योंकि अभी भी दुर्गम गांवों में सड़क की सुविधा नहीं हो पायी है । इन गांवों का बरसात के दिनों में अन्य क्षेत्रों से सम्पर्क भी कट जाता है अगर नयी तकनीक को अपना कर सड़क बनाई जाये तो परिवहन के नये साधन पहुँचने लगेंगें और श्रम व समय दोनों की बचत होगी क्योंकि सड़क बन जाने से मोटर व टैक्सी जैसे साधन चलने लगेगें और पशु शक्ति को अन्य क्षेत्रों मे लगाया जा सकेगा ।

(5) अन्य क्षेत्रों में :– जनपद मे अन्य सभी क्षेत्रों में परम्परागत तरीके से कार्य किये जा रहे हैं जनपद में लघु व कुटीर उद्योग में कार्य परम्परागत तरीके से किया जा रहा है । यदि इन क्षेत्रों में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक को अपना लिया जाये तो प्रतिव्यक्ति उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है ।

इसी प्रकार जनपद के सभी क्षेत्रों में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक अपनाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि तकनीकी परिर्वतन आर्थिक विकास का प्रमुख प्रचालक है और तकनीक का स्तर आर्थिक प्रगति का सूचक है । शुम्पीटर ने तो नव प्रवर्तन या तकनीकी प्रगति को आर्थिक विकास का एक मात्र निर्धारक माना है । निःसन्देह तकनीकी परिर्वतन से अर्थव्यवस्था से गत्यात्मकता आती है तकनीकी जड़ता के साथ अर्थव्यवस्था भी अवरूद्व हो जाती है । किन्डलेवर्जर का कहना है कि, "विकसित देशों में वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि पर अकेले पूंजी निर्माण का परिणाम नहीं बल्कि यह तो काफी हद तक उत्पादकता में वृद्धि पर अकेले पूंजी निर्माण का परिणाम नहीं है बल्कि यह तो काफी हद तक उत्पादकता में वृद्धि का परिणाम है जो स्वयं तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप होती है ।

जनपद में तकनीक की स्थिति :—जनपद में निम्न क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक को अपना लिया गया है ।

(1) कृषि क्षेत्र में :— जनपद में कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, थ्रेसर इत्यादि उपकरणों को जो आधुनिक तकनीक की देन है को अपना कर कृषि की जाने लगी है ।

(2) परिवहन क्षेत्र में :— परिवहन क्षेत्र में भी बैलगाड़ी व घोड़ा गाड़ी की जगह अब धीरे–धीरे मोटर, ट्रक, टैक्सी आदि ले रहे हैं अतः इस क्षेत्र में भी तकनीकी परिवर्तन हुए हैं ।

(3) औद्योगिक क्षेत्र में :— जनपद में गत वर्षों में उद्योगों की स्थिति सुधरी है इसके पूर्व जनपद में परम्परागत उद्योग ही कार्यरत थे लेकिन अब बड़े उद्योगों की स्थापना भी यह दर्शाती है कि जनपद में औद्योगिक क्षेत्र में भी तकनीकी परिवर्तन हुए हैं ।

(4) अन्य क्षेत्र में :— जनपद में अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी परिवर्तन आ रहे हैं जैसे तेल, बैल कोल्हु की जगह मशीनों तथा आटा, हाथ चक्की की जगह मशीनी चक्कियों से पिसने लगा है । लोग पैदल न चलकर गाड़ियों से चलते हैं । व्यक्ति उन्नत ढंग के वैज्ञानिक उपकरणों को दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं ।

जनपद में निःसन्देह स्वतंत्रता के बाद तकनीकी प्रगति हुई है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है यहाँ और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है तभी जनपद के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है ।

वैकल्पिक ऊर्जा एवं सम्भावनायें :— आदि काल से मनुष्य ने ऊर्जा का महत्व समझ लिया जब उसने अपने शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भोजन की व्यवस्था की होगी । जैसे – जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया मनुष्य को अपने शरीरिक ऊर्जा के अतिरिक्त अपने अन्य कार्यों हेतु ऊर्जा की आवश्यकता महसूस होने लगी । उत्तरोत्तर उसने पशुओं को अपने विभिन्न कार्यों को सुलभ बनाने हेतु प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया । तात्पर्य यह है कि जिस दर से ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती गई उसी दर से मानव सभ्यता का विकास भी होता गया । ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि हम ऐसे ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक दोहन करना प्रारम्भ कर दें जो सस्ते एवं सुलभ हों जैसे – सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि ।

3.5 आर्थिक साधन और आर्थिक विकास

आर्थिक विकास किसी भी क्षेत्र के लिए आर्थिक व सामाजिक कल्याण का एक सशक्त माध्यम है । आर्थिक विकास से प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होती है । जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ती है फलस्वरूप उत्पादन तथा विनियोग बढ़ाया जाता है । इससे पूँजी निर्माण को गति मिलती है और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होकर क्षेत्र के आर्थिक विकास का प्रवाह अविराम गति से बढ़ सकता है ।

प्रत्येक क्षेत्र का निवासी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है ताकि अपने जीवन की संध्या आने के पूर्व वह अपने बच्चों का जीवन खुशहाल बना सके । अगर विलासमयी नहीं तो आरामदायक जीवन अवश्य व्यतीत कर सके और इन सबका एक ही उपाय है तीव्र आर्थिक विकास करना लेकिन उस आर्थिक विकास में आर्थिक साधनों को भी विकसित करना आवश्यक है अन्यथा आर्थिक विकास अधूरा रह जायेगा ।

आर्थिक विकास के साधन हैं :– यातायात, संचार, तकनीकी विकास और शक्ति के साधन । जब तक किसी क्षेत्र के ये आर्थिक साधन पिछड़े रहेंगें तब तक उस क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं हो सकेगा । विम्सिन्न साधनों का आर्थिक विकास से सम्बन्ध ठीक वैसा है जैसे एक सिक्के के दो पहलू । पहला पहलू आर्थिक साधन और दूसरा आर्थिक विकास है । इन आर्थिक साधनों की प्रगति होने पर ही आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होगी । आर्थिक साधनों का आर्थिक विकास से सम्बन्ध निम्नवत् है –

यातायात के साधन और आर्थिक विकास :– किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए यातायात के साधनों का मुख्य स्थान है । सड़कों का जाल बिछाया जा सकता है जनपद में सड़कों का जाल नहीं है यहाँ सड़कों की लम्बाई सीमित ही है यातायात के साधनों में वृद्धि होने पर एक जगह से दूसरी जगह आना जाना और अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त हो जाना तथा सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाना आसान हो जाएगा । यातायात के साधनों का अभाव ही आर्थिक विकास की गति को अवरूद्ध करता है इससे व्यक्ति श्रम व समय दोनों को नष्ट करता है और उसकी कार्यक्षमता में कमी आती है । कार्य कम करने से उत्पादन कम होता है इससे आय कम होती है तो प्रति व्यक्ति आय कम होती है और आर्थिक विकास कम हो जाता है ।

यातायात के साधनों में वृद्धि करने से आर्थिक प्रगति होगी । व्यक्ति कार्य करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में पहुँच जायेगा । इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, उत्पादन वृद्धि से आय में वृद्धि होगी इसके फलस्वरूप आर्थिक विकास में वृद्धि होगी ।

संचार के साधन और आर्थिक विकास :– आर्थिक विकास को बरकरार रखने में संचार साधनों का विशेष योगदान है । संचार साधनों के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि किस जगह श्रम शक्ति की मांग है और कितनी कीमत मिल जायेगी ? इससे श्रमिक दूसरी जगह कार्य करने पहुँच जाते हैं और मजदूरी प्राप्त कर लेते हैं । इसी तरह व्यक्ति आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त कर लेता है । आर्थिक सम्पन्नता मनुष्य के आर्थिक व सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है जब समाज में सभी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है तो शोषण, वैमनस्य, लूटखसोट आदि का स्वतः ही निराकरण हो जाता है । अच्छे संचार के साधनों द्वारा व्यक्ति को सूचना तुरन्त प्राप्त हो जाती है ।

अगर संचार साधनों का अभाव है तो सूचना देर से प्राप्त होती है, दूसरी जगह की जानकारी भी देर से प्राप्त होगी । कोई व्यक्ति जनपद के बाहर कार्य करता है और वह स्वयं न आकर संचार साधनों से अपने परिवार की स्थिति जान लेता है और अपनी स्थिति की जानकारी परिवार को करा देता है तो इससे दोनों की अनिश्चितता में कमी आती है तथा इसी प्रकार उस व्यक्ति की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है । संचार साधनों में इसी प्रकार विकास की नीतियां व अन्य तरह की जानकारी दूर दराज तक पहुँच जाती है जो कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है । अगर संचार साधनों का विकास किया जाये तो निशचित ही आर्थिक विकास में वृद्धि होगी ।

संचार साधनों का विकास होने पर कीमत नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है यहीं से हमें देश व विश्व के अन्य हिस्सों में वस्तुओं की कीमतों का ज्ञान हो जाता है जोकि केता व विकेता दोनों के लिए लाभदायक है । इससे बाजार में एकरूपता आती है तथा व्यापारियों को भी विश्वास रहता है ।

शक्ति के साधन और आर्थिक विकास :– शक्ति के साधनों का आर्थिक विकास को बढ़ाने व कम करने में विशेष योगदान है । किसी भी क्षेत्र में अगर शक्ति के प्रचुर साधन हैं तो वह क्षेत्र उतनी ही गति से आर्थिक विकास कर लेगा । जनपद में शक्ति के साधनों का

अभाव है, कोयले का अभाव है, पेट्रोलियम भण्डार नहीं हैं तथा विद्युत का भी अभाव रहता है। जिससे यह क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र अन्तर्गत आता है ।

शक्ति के साधनों में कोयला मुख्य साधन है जिससे कि परिवहन सुविधा का विस्तार किया जा सकता है और विद्युत उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है । दूसरा मुख्य शक्ति का साधन पेट्रोलियम व खनिज पदार्थ हैं इनका उत्पादन जमीन के अन्दर से होता है यह आवश्यक नहीं कि ये सभी जगह मिल जायेंगें क्योंकि इनके भण्डार सीमित व कुछ विशिष्ट जगहों पर ही हैं । तीसरा मुख्य स्रोत विद्युत है जो कि वर्तमान समय की मुख्य मांग है । बिजली का उपयोग दैनिक जीवन में आवश्यक हो गया है । अन्य स्रोत है वायु व सौर्य ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि ।

उपर्युक्त शक्ति के सभी साधनों का विकास आवश्यक है अगर शक्ति के साधनों का विकास कर लिया जाये तो क्षेत्र का आर्थिक विकास समुचित हो सकता है । *जॉन डब्लयू मिलर के शब्दों में :–"रोजगारोन्मुखी विकास के किसी कार्यकम के लिए विद्युत शक्ति की प्रचुर मात्रा में वृद्धि दर आवश्यक है ।"*

तकनीकी साधन और आर्थिक विकास :–

तकनीकी साधन आर्थिक विकास का वह आर्थिक साधन है जिससे हम वर्तमान औद्योगिक क्रान्ति व वैज्ञानिक परिवर्तन को प्राप्त कर सकते हैं । तकनीकी विकास से आशय है व्यक्ति व समाज द्वारा परम्परागत तरीकों को छोड़कर नये वैज्ञानिक व आधुनिक तरीकों से कार्य करना । हमारे पास शक्ति व संचार के साधन प्रचुर मात्रा में है लेकिन अगर तकनीकी ज्ञान नहीं है तो सब बेकार है ।

तकनीकी परिवर्तन केवल तकनीकी ज्ञान में सुधार नहीं है बल्कि उससे अधिक है तकनीकी परिवर्तन से पहले सामाजिक परिवर्तन होने चाहिए और समुदाय में अपनी सामाजिक, राजनैतिक और प्रशासनिक संस्थाओं को बदलने की तीव्र इच्छा व तत्परता होनी चाहिए जिससे कि इन संस्थानों को नयी उत्पादन प्रणाली और आर्थिक कियाओं को तीव्र गति के अनुकूल बनाया जा सके । तकनीकी क्षेत्र में जनपद झाँसी क्षेत्र में भी क्रान्ति आयी है । कृषि व औद्योगिक क्षेत्र में नयी तकनीकी को अपनाया गया है जिससे उत्पादन व आय में वृद्धि व आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी आर्थिक साधन अपनी अपनी जगह आवश्यक हैं एक के बिना दूसरे का विकास नहीं हो सकता है । आर्थिक साधनों का विकास विकसित क्षेत्रों में देखने को मिलता है । जिस क्षेत्र में यह आर्थिक साधन कमजोर हैं ।

उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में गति भी कम है । अतः यदि आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है तो पहले आर्थिक साधनों को सशक्त बनाना होगा ।

♦♦♦♦♦♦♦♦

अध्याय 4

झाँसी जनपद के मानवीय संसाधन एवं आर्थिक विकास

अध्याय – 4

झाँसी जनपद के मानवीय संसाधन एवं आर्थिक विकास

किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास मुख्यतः प्राकृतिक साधनों और जनसंख्या पर निर्भर करता है । प्राकृतिक साधनों में मिट्टी, जलवायु, भौगोलिक दशा, खनिज एवं शक्ति के साधन प्रमुख हैं । यदि कोई क्षेत्र प्राकृतिक साधनों से समृद्ध हैं लेकिन आबादी परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टियों से निर्बल हैं तो उस क्षेत्र का समुचित आर्थिक विकास नहीं हो सकता क्योंकि प्राकृतिक साधनों का उपयोग मानव शक्ति द्वारा ही होगा । इसका यह अर्थ नहीं है कि जनसंख्या को तेजी से बढ़ने दिया जाये । यदि जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र हो जाये तो विकास की गति मन्द पड़ जायेगी ।

जनसंख्या की वृद्धि की तीव्र गति के कारण भारत में खाद्य समस्या स्वभाविक रूप से उत्पन्न हो गई है । भारत में जनसंख्या वृद्धि की तुलना में खाद्य उत्पाद में कम अनुपात में वृद्धि होती है जिससे प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धि कम हो जाती है । खाद्यान्न की कमी दो प्रकार से आर्थिक विकास में बाधक होती है –

(1) प्रति व्यक्ति अनाज की कम उपलब्धता के कारण लोगों को पौष्टिक तथा पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता । इसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है । उनकी उत्पादकता कम हो जाती है । उत्पादकता कम होने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है । तथा निर्धनता बढ़ती है ।

(2) अनाज की कमी के कारण भारत को विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता है । इस प्रकार विदेशी पूंजी तथा विदेशी विनिमय का काफी भाग खाद्यान्न आयात करने में ही चार्च हो जाता है । यह विकास कार्यकम के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है । इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाती है ।

किसी देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । जनसंख्या बढ़ने के कारण एक सीमा तक आय बढ़ती है । परन्तु एक सीमा के बाद कम होना आरम्भ हो जाती है । जब तक जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से कम होती है प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, परन्तु जैसे ही जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से बढ़ने लगती है तो प्रति व्यक्ति आय कम होने लगती है ।

1.1 जनसंख्या का आकार व घनत्व

जनसंख्या के घनत्व का अर्थ किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति वर्ग किलोमीटर औसत संख्या से है । जनपद की जनसंख्या का आकार व घनत्व जानने के लिए निम्न तालिका दर्शायी जा रही है –

तालिका संख्या – 11

क0 स0	विकास खण्ड	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी0 1991	अनु0जाति/ जनजाति का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 1991	कुछ मुख्य कर्मकरों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 1991	कृषि में लगे कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत 1991	पारिवारिक उद्योग में कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत 1991	साक्षर व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 1991
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोंठ	184	30.3	30.6	90.7	0.9	4.6
2	चिरगांव	207	29.8	34.2	89.4	1.6	47.3
3	बामौर	128	34.7	32.9	92.3	1.3	42.7
4	गुरसरांय	145	35.2	33.4	90.5	2.2	42.3
5	बंगरा	212	35.6	31.5	84.3	5.7	36.5
6	मऊरानीपुर	198	36.3	34.5	86.6	4.3	38.6
7	बबीना	200	26.8	33.2	78.0	1.6	34.6
8	बड़ागाँव	224	27.7	32.2	75.1	1.1	41.1
	स0 विकासखण्ड	181	32.1	32.8	86.0	2.4	41.1

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1991 के अनुसार समस्त विकासखण्डों में बामौर विकासखण्ड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी0 128 सबसे कम है । तथा बड़ागॉव विकासखण्ड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी0 224 है जो समस्त विकासखण्डों में सबसे अधिक है । अनु0जाति जनजाति का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 1991 के अनुसार सबसे अधिक 36.3 प्रतिशत मऊरानीपुर विकासखण्ड का है । जबकि सबसे कम 29.8 प्रतिशत

चिरगांव विकासखण्ड का है । उपरोक्त तालिका में कुछ मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत 1991 के अनुसार सबसे कम 30.6 मोंठ विकासखण्ड का तथा मऊरानीपुर विकासखण्ड का 34.5 प्रतिशत सबसे अधिक है। साक्षर व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 1991 सबसे अधिक 47.3 चिरगांव विकासखण्ड का है । जबकि सबसे कम 34.3 बबीना विकासखण्ड का है ।

तालिका संख्या – 12

जनपद में विकासखण्डवार क्षेत्रफल,आवासीय मकान,परिवारों की संख्या तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या

वर्ष/जनपद विकासखण्ड	क्षेत्रफल वर्ग(कि0मी0)	आवासीय मकानों की संख्या	परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या		
				कुल	पुरूष	स्त्री
वर्ष 1971	5027.0	142224	160028	870138	463005	407133
वर्ष 1981	5024.0	183055	199003	1137031	608428	528603
वर्ष 1991	5024.0	227704	236641	1429698	767430	662268
विकास खण्डवार वर्ष 1991						
1–मोंठ	644.2	18518	18939	118624	64094	54530
2–चिरगांव	507.4	17172	17566	104813	56469	48344
3–बामौर	805.5	16512	16824	103067	56059	47008
4–गुरसरांय	715.5	16882	17250	103913	56380	47533
5–बंगरा	524.5	16256	18343	111064	59559	51505
6–मऊरानीपुर	592.7	19636	19742	117120	62937	54183
7–बबीना	551.5	18285	18981	110029	59489	50540
8–बड़ागाँव	422.3	16332	16867	94712	51239	43473
योग समस्त विकासखण्ड	4763.6	141493	144512	863342	466226	397116
योग वन क्षेत्र	117.3	–	–	–	–	–
योग ग्रामीण	4880.9	141493	144512	863342	466226	397116
योग नगरीय	143.1	86211	92129	566356	301204	265152
योग जनपद	5024.0	227704	236641	1429698	767430	662268

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में आवासीय मकानों की संख्या वर्ष 1981 में 183055 थी 1991 की जनगणना के अनुसार आवासीय मकानों की संख्या बढ़ कर

227704 हो गयी है जो विकासखण्ड मऊरानीपुर में 19536 सबसे अधिक तथा सबसे कम बड़ागांव में 16332 है । उपरोक्त तालिका के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या 118624 मोंठ विकासखण्ड की है तथा सबसे कम 94712 बड़ागांव विकासखण्ड की है ।

तालिका संख्या – 13

जनपद में विकासखण्डवार अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या

वर्ष/जनपद विकासखण्ड	अनुसूचित जाति की जनसंख्या			अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या		
	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री
वर्ष 1971	290001	177552	112449	-	-	-
वर्ष 1981	325965	176889	149076	53	28	25
वर्ष 1991	411788	222089	189700	187	100	87
विकास खण्डवार वर्ष 1991						
1–मोंठ	35984	19524	16460	-	-	-
2–चिरगांव	31248	16902	14346	-	-	-
3–बामौर	35791	19704	16087	10	5	5
4–गुरसरांय	36566	19924	16642	22	10	12
5–बंगरा	39547	21152	18395	-	-	-
6–मऊरानीपुर	42459	22825	19634	-	-	-
7–बबीना	29449	15873	13576	14	12	2
8–बड़ागाँव	26253	14116	12137	-	-	-
योग समस्त विकासखण्ड	277297	150020	127277	46	27	19
योग वन क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
योग ग्रामीण	277297	150020	127277	46	27	19
योग नगरीय	134491	72068	62423	141	73	68
योग जनपद	411788	222068	189700	187	100	87

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जनपद मे जनगणना 1991 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या वर्ष 1981 की तुलना में बढ़ी है । जिसमें 42459 सबसे अधिक मऊरानीपुर तथा 26253 सबसे कम बड़ागांव विकासखण्ड की है । तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या समस्त विकासखण्ड में कुल 187 ही है ।

तालिका – 14

4.2 जनसंख्या का व्यवसायिक वितरण

वर्ष / जनपद विकासखण्ड	कृषक मजदूर	कृषि खनिज	पशुपालन, जंगल लगाना	उद्योग	परिवारिक उद्योग	गैर पारिवारिक उद्योग
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 1971	117494	44933	2078	402	11346	8992
वर्ष 1981	153238	39151	2344	545	16362	16998
वर्ष 1991	200398	67214	4427	995	14789	25006
विकास खण्डवार वर्ष 1991						
1–मोंठ	26327	6630	142	275	330	245
2–चिरगांव	24101	7941	208	77	576	301
3–बामौर	23555	7775	276	19	454	207
4–गुरसरांय	23643	7779	251	17	760	269
5–बंगरा	22948	6516	176	22	2002	463
6–मऊरानीपुर	25375	9654	292	28	1256	549
7–बबीना	22085	6380	265	75	586	2287
8–बड़ागाँव	16870	6008	652	162	332	1054
योग समस्त विकासखण्ड	184904	58583	2262	575	6796	5375
योग वन क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
योग ग्रामीण	184904	58583	2262	575	6796	5375
योग नगरीय	15694	8531	2165	320	7993	19631
योग जनपद	200598	67214	4427	895	14789	25006

क्रमशः तालिका – 14

वर्ष / जनपद विकासखण्ड	निर्माण कार्य	व्यायसायिक एवं वाणिज्य	यातायात एवं संचार	अन्य कर्मकार	कुल मुख्य कर्मकार	सीमान्त कर्मकार	कुल कर्मकार
1	8	9	10	11	12	13	14
वर्ष 1971	1889	13523	16914	31373	248944	-	248944
वर्ष 1981	4838	18294	23301	41137	316199	26406	342608
वर्ष 1991	8470	31721	24925	52813	430958	68674	499632
विकास खण्डवार वर्ष 1991							
1–मोंठ	172	561	273	1404	36559	12324	48678
2–चिरगांव	359	417	389	1460	35829	9630	45459
3–बामौर	110	377	82	1080	33935	7646	41580
4–गुरसरांय	107	476	108	1293	34703	9765	44468
5–बंगरा	377	564	193	1696	34957	6906	41863
6–मऊरानीपुर	221	629	269	1687	40460	7655	48114
7–बबीना	586	632	719	2676	36491	4956	41447
8–बड़ागाँव	760	727	683	3267	30470	3959	34429
योग समस्त विकासखण्ड	2692	4583	2671	14563	283204	62841	346038
योग वन क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-
योग ग्रामीण	2692	4583	2671	14563	283204	62841	346045
योग नगरीय	5778	27138	22254	38250	147754	5833	153587
योग जनपद	8470	31721	24925	52813	430958	68674	499632

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि प्रत्येक व्यवसाय कर्मकरों की संख्या में लगातार वृद्धि हुयी है । 1981 के अनुसार कुल कर्मकरों की संख्या 342608 थी जो कि 1991 में 499632 हो गयी है समस्त विकासखण्डों में कृषक मजदूरों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 184904 तथा नगरीय क्षेत्र में 15694 है । कृषि खनिज में जनपद में 67214 कर्मकर लगे है तथा पशुपालन, जंगल लगाने के व्यवसाय में 4427 कर्मकर लगे हैं । उद्योग और पशुपालन में 875 ग्रामीण तथा 320 नगरीय कर्मकर हैं । पारिवारिक उद्योग में जनपद के 14789, गैर पारिवारिक में 25006, निर्माण कार्य में 8470, यातायात संग्रहण एवं संचार में 22925 तथा अन्य व्यवसायों में 52813 कर्मकर लगे हैं । अतः स्पष्ट है कि कुल मुख्य कर्मकरों की संख्या 430958 है जिनमें सीमान्त कर्मकर 68674 हैं । तालिका से स्पष्ट होता है कि विभिन्न व्यवसायों में लगे जनपद के कुल कर्मकरों की संख्या 499632 है ।

मुख्य कर्मकारों में विभिन्न कर्मकारों का प्रतिशत वर्ष–1991(लाख संख्या)

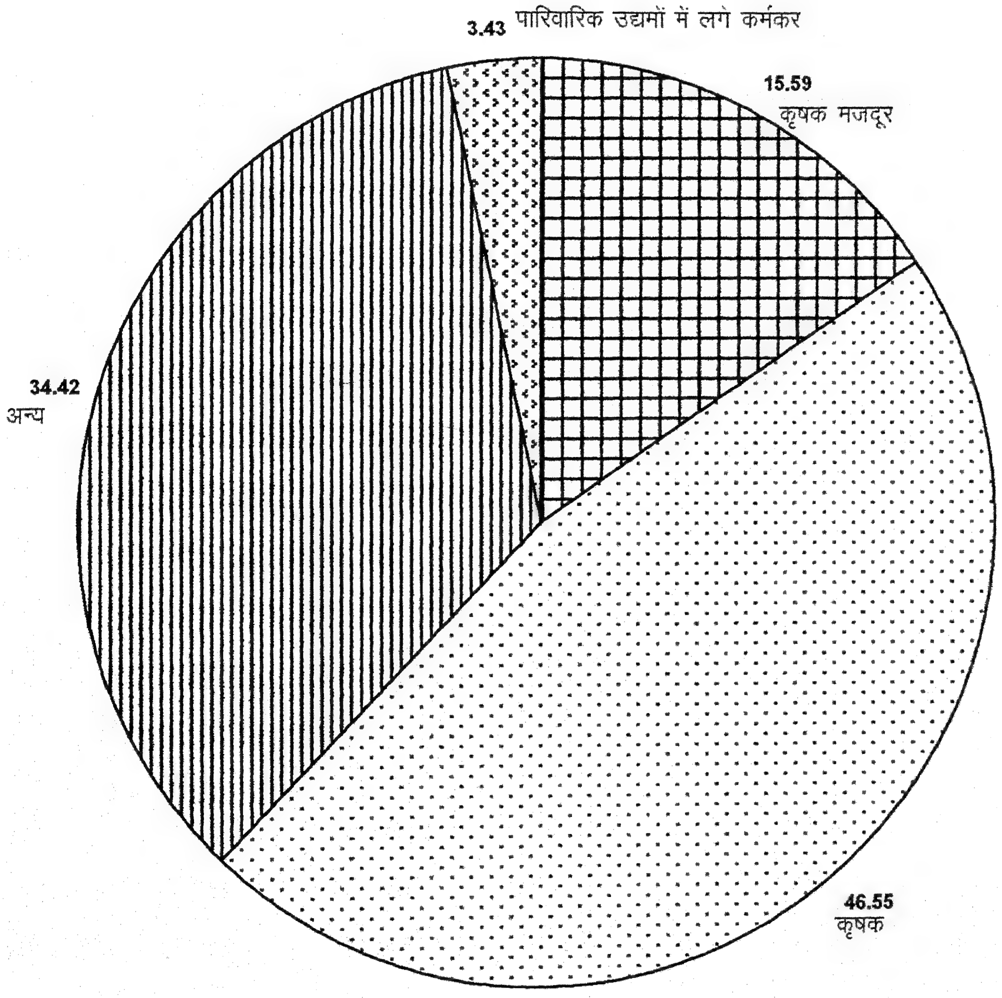

योग
मुख्य कर्मकार
4.31
(100%)

4.3 ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या

यह एक सर्वमान्य सत्य है कि आर्थिक विकास का सम्बन्ध नगरीकरण कके विकास के साथ होता है । कुछ लेखक तो यहां तक कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन आर्थिक विकास की दृढ़ कसौटी है ।

भारत में 80 प्रतिशत गांवों में रहती है । इसलिये इसे गांवों का देश कहते हैं । जनपद झांसी की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है । जनपद की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या निम्न तालिका में दर्शायी गयी है ।

तालिका – 15

जनपद में जनगणना के अनुसार प्रति दशक आबाद ग्रामों की संख्या, जनसंख्या तथा प्रति दशक अन्तर (1901–1991)

जनगणना वर्ष	आबाद ग्रामों की संख्या	जनसंख्या		प्रति दशक अन्तर		
		कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण	नगरीय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1901	1331	426875	318138	–	–	–
1911	1321	468327	335137	9.8	5.3	22.5
1921	1317	421828	293119	–9.0	–12.5	–3.4
1931	1329	457544	332113	13.2	13.3	13.0
1941	1329	535878	363876	12.2	9.6	18.3
1951	1472	565933	352621	5.6	–3.1	24.0
1961	1461	714484	455317	26.2	29.1	21.5
1971	1450	870138	548841	21.8	20.5	24.0
1981	759	1137031	705677	30.7	28.6	24.3
1991	760	1429698	863342	25.7	22.3	31.3
1901–1991	–	–	–	230.9	171.4	405.2

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में 1981 की जनगणना के अनुसार प्रति दशक आबाद की संख्या 760 है । 1941 के बाद से जनपद में जनसंख्या 1991 तक

लगातार बढ़ी है । 1991 में 22.3 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय 31.1 रही । 1981 की तुलना में 1991 में जनसंख्या में 25.7 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है ।

तालिका – 16

जनपद की ग्रामीण जनसंख्या की प्रति 10 वर्ष की जनसंख्या वृद्धि (जनगणना 1991)

वर्ष / विकासखण्ड	ग्रामीण जनसंख्या			गत दशक में प्रतिशत वृद्धि
	व्यक्ति	पुरूष	स्त्री	
1	2	3	4	5
1971	548841	292598	256243	20.54
1981	705677	380341	325336	28.58
1991	863342	466226	397116	22.34
विकास खण्डवार 1991				
1–मोंठ	118624	64094	54530	22.98
2–चिरगांव	104813	56469	48344	23.03
3–बामौर	103067	56059	47008	8.01
4–गुरसरांय	103913	56380	47533	18.60
5–बंगरा	111064	59559	51505	26.75
6–मऊरानीपुर	117120	62937	54183	24.93
7–बबीना	110029	59489	50540	30.71
8–बड़ागाँव	94712	51239	43473	25.56
योग समस्त विकासखण्ड	863342	466226	397116	22.34
योग वन क्षेत्र	-	-	-	0.00
योग ग्रामीण	863342	466226	397116	22.34

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में गत दशक मे प्रतिशत वृद्धि मे 1981 की तुलना में कमी आयी है । 1981 में 28.58 थी जो 1991 में 22.34 हो गयी । 1981 की तुलना में 1991 में बबीना विकासखण्ड का प्रतिशत 30.71 सबसे अधिक तथा सबसे कम बामौर का 8.01 रहा है, चिरगांव का 23.03, गुरसरायं 18.60, बंगरा 26.75, बड़ागांव 25.56 तथा मोंठ का 22.98 रहा ।

4.4 लिंग अनुपात, आयु अनुपात व जाति अनुपात

जनपद में जनसंख्या के लिंग अनुपात, आयु अनुपात व जाति अनुपात को जानना अति आवश्यक है ।

लिंग अनुपात :– जनपद में लिंग अनुपात में 1991 के अनुसार प्रति हजार पुरूषों पर 863 महिलाओं की संख्या है । जनपद में स्त्री–पुरूषों की आयु अनुपात को अग्रलिखित तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या –17

जनपद में आयु वर्गानुसार स्त्री–पुरूष की जनसंख्या

आयु समूह	कुल		ग्रामीण		नगरीय	
	पुरूष	स्त्रियां	पुरूष	स्त्रियां	पुरूष	स्त्रियां
1	2	3	4	5	6	7
00–04	96190	91470	58870	56350	37320	35120
05–09	101100	89733	63029	53805	38071	35928
10–14	91506	71350	54846	40180	36660	31170
15–19	78549	57373	46015	31913	32534	25407
20–24	68061	64439	45520	39520	26941	24919
25–29	62183	55918	37939	32534	24244	23384
30–34	51956	47526	31040	28150	20916	19376
35–39	44298	38136	25190	22450	19108	15686
40–44	37513	30813	21943	19070	15570	11743
45–49	31800	27200	18890	17142	12910	10058
50–54	27304	21580	18040	14412	9264	7168
55–59	19722	18490	12820	12190	6902	6300
>= 60	57248	48240	36484	29400	20764	18840
कुल सभी आयु	767430	662268	466226	397116	301204	265152

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में 5 से 9 वर्ष तक के पुरूषों की जनसंख्या सबसे अधिक है । सबसे कम जनसंख्या 55 से 59 आयु वर्ग तक के स्त्री तथा पुरूषों की पायी गयी है । ग्रामीण क्षेत्रों में 05–09 वर्ष तक के पुरूषों की जनसंख्या 63029 सबसे अधिक है । इसी प्रकार नगरीय पुरूषों की भी संख्या 3807 अन्य आयु वर्ग की तुलना में सबसे अधिक है । वर्ष तथा 00–04 वर्ष तक की ग्रामीण स्त्रियों की संख्या 56350 सभी

आयु वर्ग में सबसे अधिक पायी गयी है तथा नगरीय क्षेत्र की स्त्रियों की संख्या 05–09 आयु वर्ग में 35928 सबसे अधिक पायी गयी ।

धर्मानुसार जनसंख्या :– सभी धर्मो के अनुसार जनसंख्या का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि जनपद में किस धर्म के लोग अधिक निवास करते हैं । जनपद में धर्म अनुसार जनसंख्या को अग्रलिखित तालिका मे दर्शाया जा रहा है ।

तालिका संख्या –18

जनपद में प्रमुख धर्मानुसार जनसंख्या 1991

प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय	जनसंख्या			कुल जनसंख्या से प्रतिशत
	कुल	ग्रामीण	नगरीय	
1. हिन्दु	1290948	816426	474522	90.29
2. मुस्लिम	120329	44063	76266	8.42
3. ईसाई	7071	838	6233	0.49
4. सिक्ख	3816	225	3591	0.27
5. बौद्ध	1203	947	256	0.08
6. जैन	5973	703	5270	0.42
7. अन्य	106	18	88	0.01
8. धर्म नहीं बताया	252	122	130	0.02
कुल	1429698	863342	566356	100.00

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 1991 के अनुसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्र तथा नगरीय में हिन्दु सम्प्रदाय की जनसंख्या सभी सम्प्रदाय की तुलना में सबसे अधिक है । मुस्लिम सम्प्रदाय की कुल जनसंख्या 120329 है जिसमें 44063 जनसंख्या ग्रामों में तथा 76266 नगरों में निवास करते है । कुल जनसंख्या से प्रतिशत देखा जाये तो हिन्दु सम्प्रदाय का प्रतिशत 90.29 है, मुस्लिम सम्प्रदाय 8.42, इसाई 0.49, सिक्ख 0.29, बौद्ध 0.08, जैन 0. 42, अन्य 0.01 तथा जिन्होंने धर्म नहीं बताया उनकी कुल जनसंख्या 252 रही, जिसका प्रतिशत 0.02 है ।

4.5 साक्षरता

जिस क्षेत्र में साक्षरता का अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही उस क्षेत्र के विकास में तीव्रता आयेगी । चेस्टर बोल्स के अनुसार,"प्राकृतिक शक्तियों के नियन्त्रण और संरूपण तथा एक व्यवस्थित, प्रावैगिक और न्याय आधारित समाज के निर्माण में जो विभिन्न उपकरण सहायक होते हैं उनमें शिक्षा सबसे शक्तिशाली उपकरण है ।" इस दृष्टि से जनपद झाँसी की स्थिति कैसी है निम्न तालिका में दर्शायी गयी है –

तालिका संख्या –20

जनपद में विकासखण्डवार साक्षर व्यक्ति साक्षरता का प्रतिशत

वर्ष / विकासखण्ड	साक्षर व्यक्ति			साक्षरता का प्रतिशत		
	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल
वर्ष 1971	189469	62772	252241	40.9	15.4	28.9
वर्ष 1981	308296	113037	421333	50.6	21.4	37.0
वर्ष 1991	417310	179330	596640	66.8	33.8	51.6
विकास खण्डवार वर्ष 1991						
1–मोंठ	33887	10164	44051	65.1	23.2	46.0
2–चिरगांव	30978	9231	40209	67.1	23.8	47.3
3–बामौर	28981	7090	36077	62.5	18.6	42.7
4–गुरसरांय	28460	7290	35750	61.6	19.0	42.3
5–बंगरा	25324	7096	32420	52.7	17.4	36.5
6–मऊरानीपुर	28113	8261	36374	55.1	19.1	38.6
7–बबीना	23323	6219	29542	49.3	16.0	34.3
8–बड़ागाँव	24218	6620	30838	59.2	19.4	41.1
योग ग्रामीण	222384	61977	285261	59.1	19.6	41.1
योग नगरीय	194026	117353	311379	78.6	54.6	67.4
योग जनपद	417310	179330	596640	66.8	33.8	51.6

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 596640 व्यक्ति साक्षर हैं, जिनमें से 417310 पुरूष एवं 179330 स्त्रियां साक्षर हैं प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 41.60 है जबकि जिले का 51.6 प्रतिशत है तथा सामाजार्थिक समीक्षा (सांख्यिकीय कार्यालय) के अनुसार वर्ष 2001 में कुल 985079 व्यक्ति साक्षर हैं जिनमें से 633803 पुरूष एवं 351276 स्त्रियां साक्षर हैं जो कुल जनसंख्या का 56.39 प्रतिशत है । साक्षरता का प्रतिशत रेखाचित्र के माध्यम से अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है –

पिछले तीन दशकों में जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्तियों का साक्षरता प्रतिशत

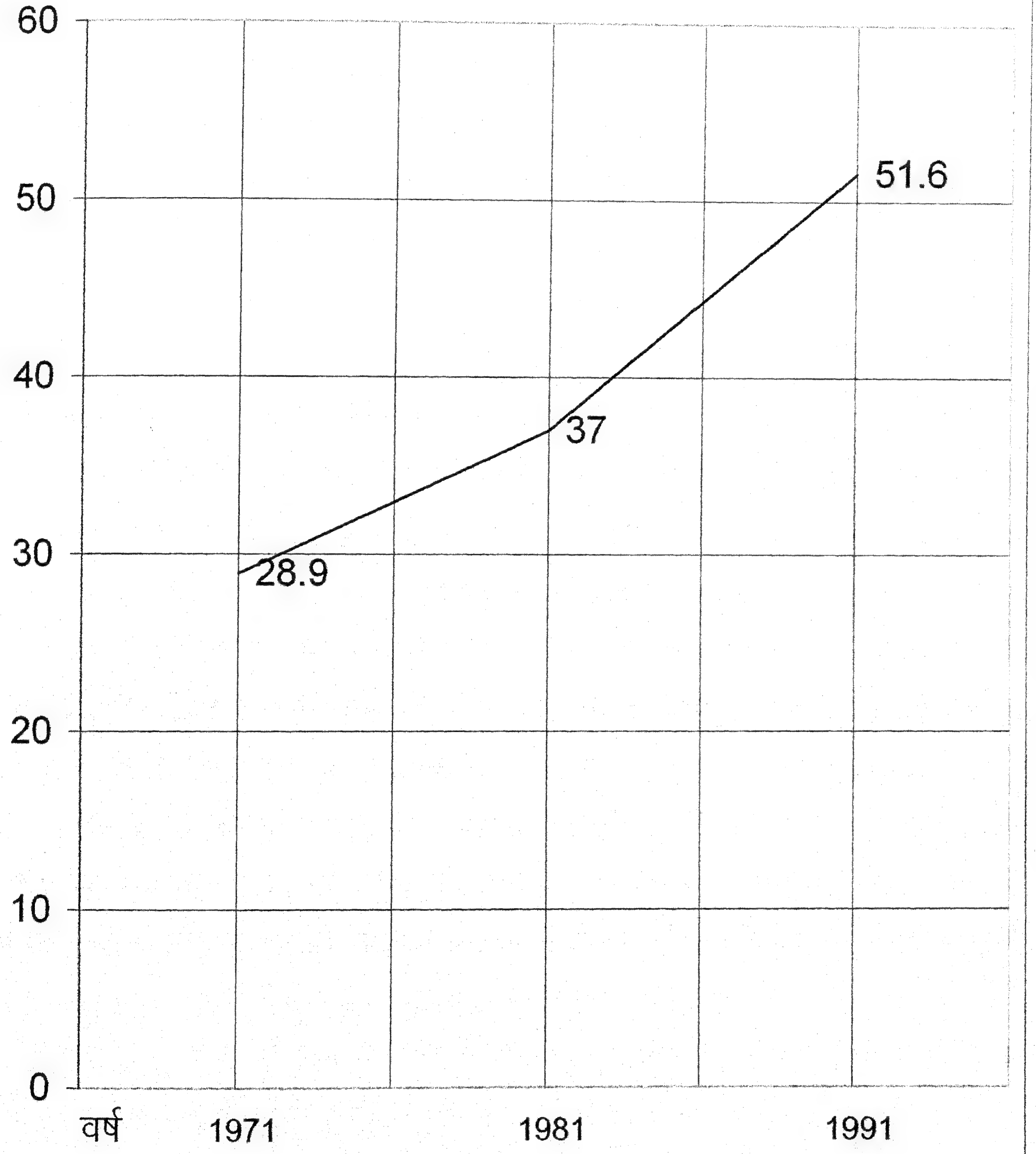

4.6 मानवीय संसाधन व आर्थिक विकास

मानवीय संसाधन का तो तात्पर्य देश विशेष की जनसंख्या उसकी शिक्षा, कुशलता, दूरदर्शिता एवं उत्पादकता से है । यानी मानवीय संसाधन की गणना करते समय न केवल वहाँ रहने वालों की संख्या वरन् उनके गुणों पर भी विचार करना होता है । मानवीय संसाधन का विकास उस प्रकिया को सूचित करता है जिससे समाज के व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल एवं उत्पादकता में वृद्धि हुआ करती है ।

किसी भी देश या क्षेत्र के आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही महत्व है जितना कि मानवीय संसाधनों का लकिन प्राकृतिक साधन वह निर्जीव आधार है जिसका विदोहन मानवीय संसाधनों के द्वारा अपने साहस और कुशलता के द्वारा किया जाता है । इसलिये कह सकते हैं कि मानवीय संसाधन व प्राकृतिक संसाधन एक ही गाड़ी के दो पहियों के समान है जिनका किसी देश के आर्थिक विकास के लिये होना अनिवार्य है । वर्तमान विकासशील युग में कुछ विद्धान मानवीय संसाधनों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और उनका कहना है कि आर्थिक विकास के लिए मानवीय संसाधन प्राकृतिक संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण है । इस सम्बन्ध में कुछ विद्धानों के विचार निम्नलिखित हैं ।

प्रो० एडम स्मिथ के मत में "प्रत्येक राष्ट्र में मानवीय श्रम वह कोष है जो जीवन की समस्त आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की पूर्ति करता है ।" स्मिथ की परिभाषा का अर्थ है किसी देश की आवश्यकता व सुविधाओं को मानवीय श्रम से पूरा किया जा सकता है ।

हार्विसन एवं मार्यस के अनुसार "आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण मानव के विकास एवं मानवीय कियाओं के संगठन पर निर्भर करता है । निःसन्देह पूंजी, प्राकृतिक साधन, विदेशी सहायता एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं । लेकिन इनमें कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं हैं कि जितना मानव शक्ति ।"

उपर्युक्त परिभाषा से अर्थ निकलता है कि अन्य साधनों का होना बेकार है जब तक कि मानव शक्ति न हो । यानि राष्ट्र निर्माण के लिये मानव शक्ति सबसे महत्वपूर्ण हैं ।

प्रो० हिवपल के विचार में, "राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति उसकी भूमि, जल, वनों, खानों, पशु सम्पत्ति या डालरों में निहित नहीं होती हैं बल्कि उस राष्ट्र के समृद्ध एवं प्रसन्नचित पुरूषों और बच्चों में निहित होती है ।"

प्रो0 हिवपल ने भी मानव संसाधन के सुखी जीवन व उनकी कुशलता को ही विशेष स्थान दिया है जबकि प्राकृतिक साधनों को गौण ।

उपर्युक्त विद्धानों के विचारों को मनन करने के पश्चात् यही निष्कर्ष निकलता है कि मानव संसाधन प्राकृतिक संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण हैं । जो देश अपनी मानव शक्ति से जितना अधिक कार्य कुशलता एवं योग्यता से कार्य ले सकेगा वह देश उतना ही अधिक विकास कर सकेगा । यानी किसी देश के विकास के लिये मानव शक्ति का होना अनिवार्य है अगर किसी देश में मानव शक्ति कम है तो वहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विकास नहीं हो पाता और आर्थिक विकास कम होगा । इसके विपरीत अधिक मानव शक्ति का होना भी विकास की गति को कम कर देता है । मनुष्यों की संख्या इतनी अधिक न हो जाये कि उनके भोजन, वस्त्र तथा मकान की भी उपलब्धता न हो सके तथा वह निम्न जीवन स्तर में जीवन यापन करने लगे ।

जनसंख्या किसी राष्ट्र के लिए सम्पत्ति और दायित्व दोनों हैं । किसी राष्ट्र की उन्नति मानवीय साधनों को संगठित करने पर निर्भर करती है । जन शक्ति राष्ट्र की पूंजी है । यदि इस जन शक्ति का उचित प्रकार से उपयोग नहीं होता है तो नवीन रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगें और यह साधन एक भार बन जायेगा ।

मानवीय संसाधन और आर्थिक विकास का आपस में गहरा सम्बन्ध है । इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है ।

1. जनसंख्या का आर्थिक विकास पर प्रभाव :– जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । जन शक्ति के द्वारा प्राकृतिक साधनों का उचित दोहन होता है । जिससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है । लेकिन ये तभी तक अच्छा रहता है जब तक कि प्रति व्यक्ति आय सीमा उच्च स्तर पर पहुँच जाती है इसके बाद यदि जन शक्ति बढ़ती रहती है तो आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है और प्रति व्यक्ति आय कम होने लगती है । यह सिद्धान्त अनुकूलतम सिद्धान्त पर आधारित है । यदि जनसंख्या कम और प्राकृतिक साधन अधिक हैं लेकिन उन देशों में जहाँ जनसंख्या पहले से अधिक होती है और वे अर्द्ध विकसित देश हैं वहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधा ही उपस्थित करती है । इस बाधा को हटाने के लिए मानव शक्ति का नियोजन आवश्यक है । जिस देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है वह देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास कर सकता है ।

2. आर्थिक विकास का जनसंख्या पर प्रभाव :— एक देश के आर्थिक विकास का उस देश की जनसंख्या पर काफी प्रभाव पड़ता है । इस प्रभाव को जनसांख्यिकीय संक्रान्ति सिद्धान्त द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । इस सिद्धान्त के अनुसार देश को तीन अवस्थाओं में होकर गुजरना पड़ता है । पहली अवस्था में जहाँ देश अविकसित हैं वहाँ बाल विवाह, अशिक्षा, अन्य धार्मिक कारणों से जन्म दर अधिक और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मृत्यु दर भी अधिक होती है । अतः इस अवस्था में जनसंख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती । दूसरी अवस्था में देश विकासशील स्थिति में होता है जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने के कारण मृत्यु दर कम हो जाती है लेकिन जन्म दर में विशेष कमी नहीं होती । तीसरी अवस्था में शिक्षण वृद्धि, रहन सहन के स्तर में वृद्धि, रूढ़िवादी दृष्टिकोण की समाप्ति, उत्पादन में वृद्धि हो जाती है । इसमें जन्मदर व मृत्यु दर दोनों में कमी आ जाती है । इससे जनसंख्या में वृद्धि की दर भी कम हो जाती है और समाज में आर्थिक सन्तुलन होने लगता है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास का जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है ।

जनसंख्या का जनपद झाँसी में विकास में योगदान रहा है । लेकिन मानवीय संसाधनों के पिछड़े होने के निम्न कारण रहे हैं –

4.7 मानवीय संसाधन के पिछड़े होने के कारण

जनपद में झाँसी के आर्थिक विकास की अवस्था में जनसंख्या के पिछड़े होने के कारण निम्नलिखित हैं :—

1. अशिक्षा :— जनपद में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का साक्षरता का प्रतिशत 56.39 है । अर्थात बाकी जनसंख्या अनपढ़ है । इस जनसंख्या में उत्तम तकनीक से कृषि करने की भी योग्यता व इच्छा नहीं है । और कार्य कुशलता भी कम है । जनपद के मानवीय साधन शिक्षा व प्रशिक्षण के अभाव के कारण अपेक्षाकृत अविकसित हैं ।

2. निर्धनता :— जनपद झाँसी में निर्धनता के कारण यहाँ के व्यक्तियों का रहन—सहन का स्तर नीचा है । इनकी शिक्षा का स्तर कम है जिससे प्रति व्यक्ति आय कम है फलस्वरूप मानवीय संसाधन पिछड़े हुए हैं ।

3. कृषि पर निर्भरता :– जनपद की जनसंख्या कृषि पर आधारित है जनपद में कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाब है, यह भी जनपद के मानवीय संसाधनों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है ।

4. भाग्यवादिता :– जनपदवासी रूढ़िवादी तथा अन्य विश्वासों को मानने वाले हैं । यहाँ के व्यक्तियों में यह मान्यता है कि भगवान सभी कुछ करता है । इसलिये ये लोग गरीबी को भी भगवान की देन मानकर आर्थिक विकास नहीं कर पाते हैं ।

5. जन्मदर का अधिक होना :– जनपद में अशिक्षा व भाग्यवादिता के कारण जन्मदर अधिक है । यहाँ लोगों की मान्यता है कि जितने बच्चे अधिक होगें उतना आगे चलकर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी लेकिन ये लोग यह नहीं समझते कि अधिक बच्चों से इनकी गरीबी में वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है ।

6. बेरोजगारी :– जनपद में बेरोगारों की संख्या अधिक है । यहाँ पर कृषि आधारित बेरोगारी भी विद्यमान है । इससे प्रति व्यक्ति आय कम रहती है और मानवीय संसाधन पिछड़े रहते हैं । बेरोजगारी में भी निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति है ।

7. मूल्य स्तर में वृद्धि :– मूल्य स्तर में वृद्धि इस तरह होती है कि जब अधिक जनसंख्या होगी तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और उत्पादन में अनुकूल वृद्धि नहीं होगी तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायेंगीं जिसके कारण आर्थिक स्तर निम्न रहता है ।

9. साहसियों की कमी :– जनपद में साहसियों की कमी है । क्योंकि साहसियों के अभाव में यहाँ नये उद्योगों में पंजी विनियोजन नहीं हो पाता जिससे रोजगार के अवसर कम विकसित होते हैं और आर्थिक विकास को गति भी धीमी रहती है ।

उपर्युक्त कारणों को देखने से स्पष्ट होता है कि यहां पर मानवीय संसाधन पिछड़े हैं तथा जनसंख्या का आर्थिक स्तर निम्न हैं । जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय कम है और आर्थिक विकास की गति निम्न हैं ।

♦♦♦♦♦♦♦♦

अध्याय 5
झाँसी जनपद के वित्तीय साधन

अध्याय–5

वित्तीय साधन एवं आर्थिक विकास

वित्तीय साधनों के अन्तर्गत बैंकों, सहकारी संस्थायें, भूमि विकास बैंक तथा सरकारी स्रोत हैं । आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए वित्त की बहुत आवश्यकता होती है इसके बिना क्रियाकलाप नहीं चल सकते और इन क्रिया कलापों को चलाने के लिए पूँजी निर्माण की आवश्यकता होती है । इसमें मानवीय पूँजी का भी बहुत योगदान है, पूँजी निर्माण व मानवीय पूँजी दोनों का आर्थिक विकास में महत्व है ।

पूँजी निर्माण का आर्थिक विकास में महत्व :– पूँजी निर्माण के महत्व को आर्थर लुईस ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है "पूँजी निर्माण आर्थिक विकास की केन्द्रीय समस्या है ।" इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय साधन के रूप में पहले पूंजी का निर्माण आवश्यक है, पूंजी निर्माण के बिना विनियोग की कमी रहती है । जिसके फलस्वरूप उत्पादन कम होता है और आर्थिक विकास कम होता है । इसलिये पूंजी निर्माण विकास की वित्तीय साधन की धुरी है । ***प्रो0 वागले के अनुसार, " भौतिक प्रगति की प्रकिया में पूंजी निर्माण सदैव से ही प्रधान चालक तत्व के रूप में रहा है और पूंजी निर्माण की दर शुरू से ही आर्थिक विकास की सीमाओं का निर्धारण करती हैं ।"***

अल्प विकसित देशों में अवरूद्ध आर्थिक विकास की प्रमुख कारण पूंजी व पूंजी निर्माण का कम होना है । प्रो0 रोष्टोव ने भी पूंजी संचय को आत्म स्फूर्ति अवस्था को प्राप्त करने की एक पूर्व शर्त माना है । आर्थिक विकास की दृष्टि में पूंजी निर्माण का महत्व इस प्रकार है ।

(1) राष्ट्रीय आय में वृद्धि :– पूंजी निर्माण तथा राष्ट्रीय आय में धनात्मक सम्बन्ध है । पूंजी निर्माण से राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है जिससे राष्ट्रीय आय की दर तथा मात्रा बढ़ जाती है ।

(2) उत्पादन वृद्धि सम्भव :– पूंजी संचय से मशीनों का प्रयोग बढ़ जाता है जिससे उत्पादन के लम्बे तरीके उत्पादकता में शुद्ध वृद्धि कर देते हैं, फिर संचय से निवेश में वृद्धि हो जाती है ।

(3) बाजार का विस्तार और दरिद्रता के दुष्चक्र का अन्त :– दरिद्रता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए पूंजी निर्माण एक आवश्यक शर्त बतायी है । जब पूंजी का निर्माण होता है उससे निवेश करने की क्षमता बढ़ती है फलस्वरूप उत्पादन आय, क्रय शक्ति, रोजगार तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है । जिससे बचतें तथा निवेश और अधिक बढ़ते हैं । यह क्रम अगर इसी प्रकार चलता रहता है तो अर्द्धर संरचना के निर्माण से बाजार की अपूर्णतायें भंग होकर इनका विस्तार होता है ।

(4) अन्य कारण :– इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं – भुगतान करने से शेष की समस्या का समाधान होता है, विदेशी सहायता व ऋण से छुटकारा मिल जाता है, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ विकास रखने में सहायक हैं मुद्रा स्फीति को रोकने में सहायक हैं, प्राविधिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है । इस प्रकार कह सकते हैं कि वित्तीय साधनों को पूरा करने में पूंजी निर्माण का विशेष महत्व है । पूंजी निर्माण के द्वारा ही आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सकता है ।

मानवीय पूँजी का आर्थिक विकास में महत्व :– आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्न का परिणाम है प्रो0 आर्थर लुईस ने लिखा है कि मानवीय पूंजी ही वित्तीय जैसा श्रोत है । ***प्रो0 रिचार्ड टी गिल के अनुसार, "आर्थिक विकास कोई यान्त्रिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक मानवीय उपक्रमक है जिसकी प्रगति उन लोगों की कुशलता, गुणों दृष्टिकोण एवं अभिरूचि पर निर्भर करती है । "***

अतः इस दृष्टि से मानवीय साधनों के विकास में किया गया प्रत्येक विनियोग सही अर्थों में वास्तविक विनियोग माना जायेगा । चूंकि आर्थिक विकास पूर्णतया मानवीय साधनों पर निर्भर करता है इसलिये मानवीय साधनों का विकास आर्थिक विकास की एक पूर्ण आवश्यकता है यहाँ मानवीय पूंजी को हम वित्तीय साधन मानते हैं क्योंकि वित्तीय साधनों के होने पर भी अगर मानवीय साधन विकसित न हों तो आर्थिक विकास अवरूद्ध हो जायेगा । इसलिये मानवीय पूंजी का आर्थिक विकास में विशेष योगदान रहता है ।

जनपद में वित्तीय साधनों के स्रोत :–

1. करारोपण :– इसके अन्तर्गत सम्भाव्य आर्थिक आधिक्य की प्राप्ति विषमताओं को कम करना, प्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भरता, कर नीति का लोचपूर्ण होना, कर चोरी पर रोक, बचत और विनियोग में वृद्धि व न्यूनतम दुष्प्राणों को अपनाना पड़ेगा ।

2. **बचत तथा जनता से ऋण** :— वित्तीय साधना एकत्र करने के लिए बचतों को प्रोत्साहित करना होगा और अधिक बचत न हुई तो जनता से ऋण लेना होगा ।

3. **सार्वजनिक उपकमों से आय** :— सरकार द्वारा कार्यरत उपक्रमों की आय भी वित्तीय स्रोत के अन्तर्गत आती हैं ।

4. **हीनार्थ प्रबन्धन** :— इस स्रोत के द्वारा अतिरिक्त मात्रा में नोट छाप कर वित्तीय स्रोतो को पूरा किया जा सकता है हीनार्थ प्रबन्धन मुद्रा प्रसार को जन्म देता है इसलिये इसका प्रयोग सर्तकता से किया जाना चाहिये अन्यथा यह वित्तीय स्रोत विकास की जगह विनाश को जन्म देगा ।

5. **बाह्य साधन** :— इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से विदेशी पूंजी को रखा गया है । इसके द्वारा भी विकास को बढ़ाया जा सकता है ।

5.1 जनपद में वित्तीय साधनों के सरकारी स्रोत

किसी भी योजना के निर्माण के लिये मूलभूत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नीति सिद्धान्तों पर ध्यान रखना आवश्यक होता है जैसे :—

1. "विकास सामाजिक न्याय के साथ हो" इस सिद्धान्त को मानते हुए योजना निर्माण के समय विशेष रूप से समाज के पिछड़े हुए वर्गों को रोजगार एवं विकास के अनुसार उपलब्ध करने हेतु ध्यान देना होगा ।
2. जिले के आर्थिक विकास के लिये स्थानीय, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम तथा सर्वोत्तम उपयोग हो, जिससे आय एवं रोजगार दोनों में वृद्धि हो सके ।
3. भूमि, पशुधन, लघु एवं कुटीर उद्योगों की उत्पादकता की वृद्धि इस प्रकार के विकास से जो लाभ सम्भावित है उसका अधिकांश भाग समाज के दलित वर्ग, छोटे किसान, भूमिहीन कृषक तथा ग्रामीण उद्यमियों को मिल सके ।
4. राष्ट्रीय न्यूनतम उत्पादकता कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु व्यवस्था जिसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पेयजल, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण निर्धनों हेतु आवास, पर्यावरण सुधार, पौष्टिक आहार हेतु समुचित व्यवस्था ।

5. रोजगार के ऐसे अवसरों का सृजन किया जाना होगा जिनसे भूमिहीन छोटे कृषकों आदि को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सके।

इन्हीं मूलभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए जिला योजना की संरचना प्रत्येक वर्ष की जाती है । नवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997—2003 का जनपद झाँसी का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है —

तालिका संख्या — 21

वर्ष	शासन द्वारा बजट का प्रावधान	अवमुक्त धनराशि	व्यय की गयी धनराशि (हजार रू0में)
1997—98	173092	143318	123173
1998—99	190900	156996	147406
1999—2000	176882	163028	129692
2000—2001	186096	148235	126660
2001—2002	134085	118830	112191
2002—2003	133702	115425	106148
योग :—		845832	745270

स्रोत :— सामाजार्थिक समीक्षा 2002—03 राज्य नियोजन संस्थान उ0प्र0 अर्थ एवं संख्या प्रभाग, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि जनपद झाँसी में शासन द्वारा बजट का जो प्राविधान किया गया है उसमें से गत छः वर्षो में अवमुक्त धनराशि 845832 ह0 रू0 में से 745270 हजार रू0 व्यय किया गया है काफी कम है, इससे स्पष्ट है कि जनपद के सामाजार्थिक विकास के स्तर को उच्च स्तर तक ले जाने के लिये सफल आर्थिक प्रयासों की आवश्यकता है ।

वर्तमान में राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा उनके सापेक्ष जनपद की स्थिति की निम्न तालिका से स्पष्ट देखा जा सकता हैं—

तालिका संख्या – 22

प्रतिमान	राष्ट्रीय लक्ष्य	जनपद की स्थिति		
		2002–03	2003–04	2004–05
1. कुल अग्रिम का प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	40%	63%	66%	69%
2. कुल अग्रिम का प्रत्यक्ष कृषि में अग्रिम	18%	30%	29%	32%
3. कुल अग्रिम का कमजोर वर्ग में अग्रिम	10%	23%	16%	21%
4. कुल अग्रिम का विभेदक ब्याज दर योजना में अग्रिम	01%	-	-	-
5. ऋण जमा अनुपात	60%	27%	32%	38%

स्रोत :– जिला ऋण योजना 2005–06 पंजाब नेशनल बैंक (अग्रणी बैंक कार्यालय, झाँसी।)

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनपद की स्थिति विभेदक ब्याजदर को छोड़कर शेष राष्ट्रीय लक्ष्यों में प्रभावशाली रही है और जनपद में कार्यरत सभी बैंक राष्ट्र द्वारा निर्धारित मापदण्डों से काफी आगे चल रहे हैं ।

1. वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 में कुल अग्रिम का प्राथमिकता क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्य 40 प्रतिशत के विपरीत क्रमशः 63 प्रतिशत, 66 प्रतिशत, एवं 69 प्रतिशत वितरित किया गया है। जो प्रशंसनीय हैं ।

2. जनपद में प्रत्यक्ष कृषि क्षेत्र में कुल अग्रिम का वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 में क्रमशः 30 प्रतिशत, 29 प्रतिशत एवं 32 प्रतिशत ऋण वितरित किया गया जो कि राष्ट्रीय लक्ष्य 18 प्रतिशत से अधिक है ।

3. राष्ट्रीय नीति के अनुसार कुल अग्रिम में कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व कम से कम 10 प्रतिशत होना चाहिए। झाँसी जनपद के सभी बैंकों में क्रमशः 23प्रतिशत, 16प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत ऋण वितरित कर राष्ट्रीय लक्ष्यों के विपरीत लगभग दो गुनी उपलब्धि प्राप्त की है जो कि प्रदर्शित करता है कि जनपद के सभी बैंक कमजोर वर्ग को अधिक ऋण देकर गरीबी दूर करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं ।

4. राष्ट्रीय लक्ष्यों में जनपद के ऋण जमा अनुपात में बैंकों की प्रगति क्रमशः 27प्रतिशत, 32प्रतिशत एवं 38 प्रतिशत रही जो कि राष्ट्रीय लक्ष्य 60 प्रतिशत से पीछे हैं। जिसकी भविष्य में बाधक कारणों का अध्ययन कर समुचित निराकरण किये जाने की आवश्यकता है। अन्य कारणों के अतिरिक्त जनपद में ऋण अनुपात कम होने के मुख्य कारणो में सामान्यतः जिले का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होना, किसी बड़े उद्योग का स्थापित न होना तथा कृषि का वर्षाधीन होने के कारण उन्नत न हो पाना है ।

5.2 व्यावसायिक बैंक

विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाने एवं औद्योगिक विकास में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है । जिले में वर्ष 2005–2006 में निम्नलिखित बैक शाखायें कार्यरत हैं :–

तालिका संख्या – 23

झाँसी जनपद में खण्डवार विभिन्न बैंकों की स्थिति

(वर्ष 2005–2006)

क्रम सं	बैंक का नाम	बड़ागांव	बबीना	मोंठ	बामौर	बंगरा	मऊरानीपुर	गुरसरांय	चिरगांव	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पंजाब नेशनल बैंक	6	5	3	3	3	3	2	1	26
2	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	8	3	2	1	1	2	–	3	20
3	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	6	5	–	–	–	1	1	2	15
4	इलाहाबाद	2	–	–	–	–	–	–	–	2

	बैंक									
5	बैंक ऑफ बड़ौदा	1	–	–	–	–	–	–	–	1
6	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	2	–	–	–	–	–	–	–	2
7	यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक	1	–	–	–	–	–	–	–	1
8	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1	–	–	–	–	–	–	–	1
9	इण्डियन ओवरसीज बैंक	–	1	–	–	–	–	–	–	1
10	केनरा बैंक	1	–	–	–	–	–	–	–	1
11	बैंक ऑफ इण्डिया	1	–	–	–	–	–	–	–	1
12	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1	–	–	–	–	–	–	–	1
13	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4	3	2	3	2	3	4	2	23
14	जिला सहकारी बैंक	3	4	2	2	2	1	2	1	17
15	भूमि विकास बैंक	1	–	1	1		1	–	–	4
16	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	–	1	–	–	–	–	–	–	1
17	ओरियन्अल बैंक ऑफ कामर्स	1	–	–	–	–	–	–	–	1
18	विजया बैंक ऑफ	1	–	–	–	–	–	–	–	1
19	देना बैंक	1	–	–	–	–	–	–	–	1
20	सिण्डीकेंट बैंक	1	–	–	–	–	–	–	–	1
21	आई.सी. आई.सी. आई	1	–	–	–	–	–	–	–	1
22	एच.डी.एफ. सी	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	योग –	44	22	10	10	8	11	9	9	123

स्रोत :– जिला ऋण योजना 2005–06 पंजाब नेशनल बैंक (अग्रणी बैंक कार्यालय, झाँसी।)

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता हैं कि जनपद में कुल व्यावसायिक बैंकों की संख्या 123 है जिसमें सबसे अधिक 44 बड़ागांव विकासखण्ड में हैं । झाँसी जनपद में सबसे अधिक

8 भारतीय स्टेट बैंक बड़ागांव विकासखण्ड में ही हैं । बैंको की श्रेणी में बंगरा विकासखण्ड की स्थिति दयनीय है । यहां कुल व्यावसायिक बैंकों की संख्या 8 ही हैं । जनपद में सबसे अधिक पंजाब नेशनल बैंक की शाखायें कार्य कर रही हैं ।

तालिका संख्या – 24

जनपद में व्यावसायिक बैंकों में जमाराशि एवं ऋण वितरण (हजार रू.)

क सं	मद	2000-2001	20001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5
1.	धनराशि जमा	10975439	13368316	14818166
2.	कुल ऋण वितरण	2928223	3407155	4010863
3.	जमा धनराशि से ऋण वितरण का प्रतिशत	27	25	27
4. प्राथमिकता क्षेत्र से ऋण वितरण				
4.1	कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित कार्य	199957	831616	1185317
4.2	लघु उद्योग	78244	49453	601690
4.3	अन्य	208556	260058	741698
योग	4.1–4.3	486757	1141127	2528705

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में व्यावसायिक बैंकों में जमा धन राशि में हर वर्ष वद्धि हुई है । जो 2000–01 में 10975439 थी वह 2002–03 में 14818166 हो गयी इसके बाद फिर कुल ऋण वितरण में भी वद्धि हुई है । जमा धनराशि में ऋण वितरण के प्रतिशत में सन् 2001–02 में गत वर्ष की तुलना में कमी आयी है तथा 2002–03 में पुनः 27 प्रतिशत हो गयी ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनपद मे व्यवसायिक बैंकों में जमा स्वीकार्य करना तथा ऋण वितरण में प्रगति हुई हैं लेकिन यह प्रगति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती क्योंकि जनपद में अभी भी बचत की प्रवत्ति कम है और इसमें असमानता भी है । इस असमानता में धनिकों की बचतें अधिक हैं जबकि गरीब की बचत प्रवृत्ति नगण्य है। इसलिये

इस बचत को उपलब्धि नहीं माना जा सकता है । बचत में वृद्धि के लिये प्रोत्साहन की आवश्यकता है । ऋण भी सम्पन्न लोग अधिक पा जाते हैं जबकि गरीब और जरूरतमंदों को ऋण भी नहीं मिल पाता है कुछ गरीब गरीबी के कारण ऋण लेना नहीं चाहते इसका मुख्य कारण अशिक्षा है ।

तालिका संख्या – 25

जनपद में विकासखण्ड वार अनुसूचित व्यावसायिक बैंक तथा ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या

वर्ष / विकासखण्ड	राष्ट्रीयकृत / व्यावसायिक बैंक शाखायें	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखायें	अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक शाखायें
1	2	3	4
2000-01	75	23	22
2001-02	75	23	22
2002-03	76	23	22
2003-04	76	23	22
विकासखण्ड वार 2003–04			
1. मोंठ	3	2	-
2. चिरगांव	3	2	-
3. बामौर	2	3	1
4. गुरसरांय	-	4	1
5. बंगरा	2	2	1
6. मऊरानीपुर	2	4	1
7. बबीना	3	2	-
8. बड़ागाँव	2	3	-
योग ग्रामीण	17	22	4
योग नगरीय	59	1	18
योग जनपद	76	23	22

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में वर्ष 2000–01 से 2001–02 तक उपरोक्त बैंकों की संख्या में स्थिरता रही है । जबकि 2002–03 में राष्ट्रीयकृत /व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई तथा वर्ष 2003–04 में पुनः स्थिरता आ गयी हैं । इसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

व्यावसायिक बैंकों की सफलतायें :– जनपद में व्यावसायिक बैंकों ने सफलता प्राप्त की है । इनकी शाखाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है लेकिन जमाधन राशि में वृद्धि हुई है । कृषि व अन्य ऋणों में वृद्धि हुई है ।

असफलतायें :– बैंकों को असफलता भी मिली है क्योंकि यातायात की सुविधा गांवों में न हो पाने के कारण शाखाओं का विस्तार नहीं हो पाया है । इसके साथ ही गरीब व्यक्ति बचतें नहीं कर पाते इसलिये भी इन बैंकों की जमा राशि में आशा जनक वृद्धि नहीं हो पायी है । जनपद में शाखाओं की कमी है । जिन्हें बढ़ाया जाना चाहिए तथा लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ।

5.3 सहकारी संस्थाएँ

समाज में प्रायः अकेला व्यक्ति कुछ भी करने में असमर्थ होता है । किन्तु यदि कुछ व्यक्ति आपस में मिल जायें तो वे कठिन से कठिन काम को सरल बना सकते हैं । सहाकारिता का जन्म इसी धारणा से हुआ है । जिस प्रकार एक कच्चा धागा इनता कमजोर होता है कि उसे कोई भी तोड़ सकता है उसी प्रकार एक निर्धन या साधनहीन व्यक्ति चाहने पर भी कुछ नहीं कर पाता । किन्तु जब अनेक कच्चे धागों को मिलाकर डोरी बना ली जाती है तब वह मजबूत हो जाती है। इसी प्रकार जब अनेक दुर्बल तथा साधनहीन व्यक्ति मिलकर एक संगठन बना लेते हैं तब वे सब मजबूत हो जाते हैं इस प्रकार के संगठन को ही सहकारी समिति कहा जाता है ।

जनपद में सहकारी संस्थाओं के अन्तर्गत सहकारी कृषि ऋण समितियाँ व सहकारी बैंक तथा अन्य सहकारी समितियाँ क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ, संयुक्त कृषि समितियाँ, प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ, मतस्य सहकारी समितियाँ, बुनकरों की प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियाँ, गन्ना सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं । इन सहकारी संस्थाओं

के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों व अन्य वर्ग की जमा तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों का वितरण किया जाता है ।

सहकारी कृषि ऋण समितियाँ :– जनपद में सहकारी कृषि ऋण समितियाँ कार्यरत हैं । ये समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं । इनके द्वारा कृषकों की मांग के अनुरूप मध्यकालीन एवं अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किये जाते हैं । जनपद में विकासखण्डवार सहकारी समितियों की संख्या सदस्यता तथा पूंजी व कृषकों की सदस्य संख्या को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैं –

तालिका संख्या – 26

जनपद में विकासखण्डवार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ

वर्ष/विकासखण्ड	संख्या	सदस्यों की संख्या	अंश पूंजी (,000 रू0)	कार्यशील पूंजी (,000 रू0)	जमा धन राशि (,000 रू0)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2000-01	66	153995	41693	235563	4119
2001-02	66	166745	39941	264913	3357
2002-03	66	170618	45099	291719	3161
2003-04	66	155812	46132	284058	13664
विकासखण्ड वार 2003-04					
1. मोंठ	6	25397	2652	8525	74
2. चिरगांव	5	13286	5501	35391	1205
3. बामौर	10	19162	6730	41175	1461
4. गुरसरांय	9	13170	8352	24144	7599
5. बंगरा	7	12266	3162	22258	1023
6. मऊरानीपुर	7	17574	5156	32403	364
7. बबीना	8	12427	2634	27573	175
8. बड़ागाँव	7	14499	3191	31504	175
योग ग्रामीण	59	127781	37378	222973	12076
योग नगरीय	7	28031	8754	61085	1588
योग जनपद	66	155812	46132	284058	13664

क्रमशः

तालिका संख्या – 26

वर्ष / विकासखण्ड	वर्ष में वितरित ऋण		समितियों के अन्तर्गत	सहकारी कृषि एंव ग्राम्य विकास बैंक द्वारा वितरित (,000 रू0)	सहकारी बैंक शाखायें
	अल्पकालीन (,000 रू0)	मध्य कालीन (,000 रू0)	ग्राम		
1	7	8	9	10	11
2000-01	97031	59	723	-	18
2001-02	113571	16611	678	-	18
2002-03	122060	13126	678	-	18
2003-04	130711	0	678	-	18
विकासखण्ड वार 2003-04					
1. मोंठ	6000	0	127	-	-
2. चिरगांव	21481	0	103	-	-
3. बामौर	22454	0	71	-	1
4. गुरसरांय	9778	0	103	-	1
5. बंगरा	10652	0	77	-	1
6. मऊरानीपुर	18272	0	76	-	1
7. बबीना	8308	0	63	-	-
8. बड़ागाँव	7308	0	58	-	-
योग ग्रामीण	104253	0	678	-	4
योग नगरीय	26458	0	-	-	14
योग जनपद	130717	0	-	-	18

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका में दी गयी समितियों की संख्या वर्ष 2001 से 2003–04 तक 66 ही है इसमें कोई बढ़ोत्तरी नही हुई है । समितियों के सदस्यों की संख्या में वर्ष 2000 से 2002 तक बढ़ोत्तरी हुई है इसके बाद वर्ष 2003–04 में सदस्यों की संख्या 170618 से घटकर 155812 रह गयी है । समितियों की अंश पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में लगातार वृद्धि हुई है तथा जमा धनराशि में भी सफलता प्राप्त हुई है जो एक उपलब्धि है । समितियों के

जमा स्वीकार्य करने के अलावा ऋण वितरण भी किया जाता है । इन समितियों के द्वारा अल्पकालीन ऋण 3 माह से एक वर्ष के लिये दिया जाता है । मध्यकालीन ऋण एक वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के लिए दिया जाता है । इनके द्वारा अल्पकालीन ऋण में अत्यधिक वृद्धि हुई है वर्ष 2002–03 में 122060 हजार रू. था जो बढ़कर 2003–04 में 130717 हजार रू. हो गया । मध्यकालीन ऋण में कमी आई है ।

जनपद में सहकारी बैंकों की स्थिति :– जनपद में सहकारी संस्थाओं के अन्तर्गत कृषि सहकारी समितियों के बाद सहकारी बैंक स्थिति आती है इन बैंकों के द्वारा ऋण वितरित किया जाता है, ये बैंक अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देते हैं । इन बैंकों के द्वारा ऋण कृषि क्षेत्र के लिये दिया जाता है । ये बैंक जमा भी स्वीकार्य करते हैं । जनपद में सहकारी बैंकों की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या 27

जनपद में सहकारी बैंक तथा सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक

कम स0	मद	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1. जिला सहकारी बैंक				
1.1 शाखायें		18	18	18
1.2 सदस्यता		318	318	323
1.3 हिस्सा पूंजी (,000 रू0)		40943	42454	46697
1.4 कार्यशील पूंजी(,000 रू0)		913855	897794	911136
1.5 ऋण वितरण (,000 रू0)				
1.5.1 अल्पकालीन		105870	119765	141552
1.5.2 मध्य कालीन		26105	12019	50
2. सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक				
2.1 शाखाएं		4	4	4
1.2 सदस्यता		24579	24579	28549
1.3 हिस्सा पूंजी (,000 रू0)		13698	13698	21101
1.4 कार्यशील पूंजी(,000 रू0)		195295	195295	262025
1.5 ऋण वितरण (,000 रू0)		40365	46511	55781

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में जिला सहकारी बैंकों की शाखायें 18 है । जिनमें सदस्यों की संख्या वर्ष 2002–03 में 318 थी जो बढ़कर वर्ष 2003–04 में 323 हो गयी । ऋण वितरण में अल्पकालीन ऋणों की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन मध्यकालीन ऋणों कमी आयी है तथा सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों की शाखायें 4 है जिनकी सदस्यता, हिस्सा पूंजी, कार्यशील पूंजी एवं ऋण वितरण सभी वृद्धि हुई है ।

जनपद में अन्य सहकारी समितियाँ :– जनपद में अन्य सहकारी समितियों के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी समितियाँ आती हैं – कय – विकय सहकारी समितियाँ, संयुक्त कृषि समितियाँ, प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, मतस्य सहकारी समितियाँ, बुनकरों की प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियाँ, प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियाँ, तथा गन्ना सहकारी समितियाँ, कार्यरत हैं ।

तालिका संख्या 28

जनपद में अन्य सहकारी समितियाँ

कम स0 मद	2001-02	2002-03	2003-04
1 2	3	4	5
1. कय विकय सहकारी समितियाँ			
1.1 संख्या	6	6	6
1.2 सदस्य संख्या	11081	18791	18791
1.3 वर्ष में लेन देनकी गयी वस्तुओं का मूल्य(,000 रू0)	18373	5207	5207
2. संयुक्त कृषि समितियाँ			
2.1 संख्या	32	32	32
2.2 सदस्य संख्या	679	679	679
2.3 समिति के अन्तर्गत क्षेत्रफल	1619	1619	1619
3. प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन समितियाँ			
3.1 संख्या	72	75	137
3.2 सदस्य संख्या	4480	3650	5120
3.3 कार्यशील पूंजी(,000 रू0)	44	150	200

3.4 वर्ष में विक्रय किये गये उत्पादन का मूल्य(,000 रू0)	1021	689	4520
4. मतस्य सहकारी समितियाँ			
4.1 संख्या	15	15	15
4.2 सदस्य संख्या	789	789	789
4.3 कार्यशील पूंजी(,000 रू0)	16730	16730	16730
4.4 वर्ष में कय-विक्रय किये गये मतस्य का मूल्य	-	-	-
5. बुनकरों की प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियाँ			
5.1 संख्या	148	148	148
5.2 सदस्य संख्या	12632	5180	5180
5.3 कार्यशील पूंजी(,000 रू0)	4469	3160	3160
5.4 वस्त्र उत्पादन वर्ष में मात्रा (,000 मीटर) मूल्य(,000 रू0)	29400 454752	5050 24938	2734 31059
6. प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियाँ			
6.1 संख्या	56	56	56
6.2 सदस्य संख्या	405	395	395
6.3 कार्यशील पूंजी(,000 रू0)	556	725	725
6.4 वर्ष में विपणित उत्पादों का मूल्य (,000 रू.)	850	160	160

स्रोत :- सांख्यिकीय पत्रिका 2002-03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में अन्य सहकारी समितियों में कय विकय सहकारी समितियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है सदस्य संख्या में 2000- 02 तक स्थिरता रही तथा 2002-03 में वृद्धि हुई और वर्ष 2003-04 में पुनः स्थिरता आ गयी है। वर्ष में लेन देन की गयी वस्तुओ के मूल्य में 2001-02 में समानता है जबकि 2002-03 और 2003-04 में इसके मूल्य में काफी कमी आयी है जो घटकर 5207 हजार रू. हो गयी है। संयुक्त कृषि समितियों में संख्या, सदस्य संख्या तथा समिति के अन्तर्गत क्षेत्रफल में 2000-01 से 2003-04 तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन समितियों

की संख्या 2002–03 की तुलना में 2003–04 में अत्यधिक वृद्धि हुई है । सदस्यों की संख्या, कार्यशील पूंजी(,000 रू0), वर्ष में विक्रय किये गये उत्पादन का मूल्य(,000 रू0) सभी में 2002–03 की तुलना में वर्ष 2003–04 में वृद्धि हुई है । मतस्य सहकारी समितियों की संख्या,सदस्य संख्या, कार्यशील पूंजी(,000 रू0), वर्ष में विक्रय किये गये मतस्य के मूल्य में 2000–04 तक कोई परिवर्तन नहीं आया है । बुनकरों प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वस्त्र उत्पादन मात्रा हजार मी0 में 2002–03 की तुलना में वर्ष 2003–04 में कमी आयी है । वस्त्र उत्पादन मूल्य हजार मी0 में 2002–03 की तुलना में वर्ष 2003–04 में बढ़ोत्तरी हुयी है । प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियाँ संख्या, सदस्य संख्या, कार्यशील पूंजी(,000 रू0), वर्ष में विपणित उत्पादों का मूल्य(,000 रू.) में 2002–03 की तुलना में 2000–04 तक कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

5.4 भूमि विकास बैंक

जनपद का किसान गरीब है, ये कहा जाता है कि भारतीय कृषक ऋण में पैदा होता है तथा ऋण में ही मर जाता है । कृषि का विकास बैंकों पर आधारित है, सामान्यता किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है । कृषि साख प्रदान करने वाली संस्थायें, ग्रामीण साहूकार, महाजन, व्यापारी व कृषि साख समितियाँ हैं । जनपद में भी साहूकारों व महाजनों के द्वारा ऋण दिया जाता है परन्तु इसका उपयुक्त रिकार्ड उपलब्ध नहीं है और न ही सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। क्योकि सामान्यतः कोई भी कृषक महाजनों या साहूकारों अथवा किसी अन्य मित्रों आदि से जो ऋण प्राप्त करता है वह उसकी सही जानकारी हमकों देने में असमर्थ रहा। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कृषि को यदि यह आभास होता है कि ऋण सही मात्रा बताने से उसके सामाजिक स्तर में गिरावट आती है तो वह अपने को कभी कभी ऋणी घोषित नहीं करता । इसके विपरीत यदि सरकारी संस्था की ओर से गरीब कृषक को कोई विशेष सुविधा या अनुदान मिलने की सम्भावना होती है तो वह अपने को न होते हुए भी कर्जदार बताता है । बहुत से किसानों से सम्पर्क करने से इस स्थिति की सत्यता का आभास हुआ है।

वर्तमान में ज्यादातर कृषि साधनों की पूर्ति कृषि साख समितियों और सहकारी बैंकों के द्वारा की जाती है, इनके द्वारा केवल अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण दिये जाते हैं । इसलिये दीर्घकालीन ऋणों के लिये भूमि विकास बैंक की आवश्यकता हुई । भारत में इनकी

स्थापना का प्रथम प्रयास 1920 में पंजाब में किया गया । 1930–40 के बीच भूमि विकास बैंक का आधार प्रबल होता गया ।

भूमि विकास बैंकों का नाम बदलकर कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक हो गया है । भूमि विकास बैंकों की सामान्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं –

1. ये बैंक ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा कोष एकत्रित करते हैं ।
2. ऋण पत्र उधार लेने वाले सदस्यों से प्राप्त बंधक अच्छी तरह से सुरक्षित रखते हैं ।
3. भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को प्रदत्त सेवाओं की स्थिति में तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके महत्व की दृष्टि से कभी–कभी ऋण पत्र सरकार द्वारा गारन्टी पर दिये जाते हैं।
4. भूमि विकास बैंक अपने ऋण पत्रों की बाजार में निकासी करने तथा इनमें विनियोगी जनता को आकर्षित करने के लिए अपने निजी तरीकों को अपनाते हैं ।
5. ये बैंक अपना ऋण किश्तों में वसूल करते हैं तथा इनके समुचित उपयोग की निगरानी रखते हैं।
6. इन बैंकों का विशेष स्टाफ उधार लेने वाले सदस्य की भूमि मूल्य का अनुमान लगाता है तथा इस बात की जानकारी करता है कि उधार लेने वाले व्यक्ति का इस सम्पत्ति पर किस प्रकार का स्वामित्व है।
7. भूमि विकास बैक किसानों को साख सेवायें प्रदान करने के उपलक्ष्य में सरकार से कई तरह की विमुक्तियां प्राप्त करते हैं ।

भूमि विकास बैंक द्वारा भूमि और सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण दिया जाता है, ये बैंक सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण देते हैं लेकिन ये ऋण केवल सम्पत्ति के दो तिहाई मूल्य तक ही होता है। धोखे की सम्भावना से बचने के लिये भूमि के स्वात्वाधिकार पत्रों की बैंक विशेषज्ञों द्वारा पूर्णतया जांच की जाती है, ऋण देने के पूर्व रहन में रक्खी जाने वाली भूमि का दायित्व तथा उसकी आदेय क्षमता की जांच की जाती है । भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण की न्यूनतम तथा अधितम सीमा निश्चित की जाती है ।

इन बैंकों द्वारा पुराने ऋणों का नवीनीकरण, सिंचाई के साधनों में सुधार करने, बाग लगाने, कुंआ व इमारत आदि के रूप में स्थायी सुधार करने मवेशी तथा ट्रैक्टर आदि कृषि यन्त्र खरीदने हेतु ऋण दिये जाते हैं । भूमि विकास बैंक के अन्य कार्य भूमि तथा खेती के रूप में कार्य करना, कृषकों के प्रति भूमि का कय करना तथा उनके लिए भवनों का निर्माण करना है । ऋण वसूल करने के लिए भूमि विकास बैंक को कुछ अधिकार दिये जाते हैं, इन

बैंकों को बिना न्यायालय के हस्तक्षेतप के ही भूमि की उपज बेचकर ऋण वसूल करने का अधिकार प्राप्त होता है ।

भूमि विकास बैंक की धीमी प्रगति के कारण :– जनपद के भूमि विकास के कार्यों में विशेष प्रगति नहीं हुई है । इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं।

1. **अकुशल कार्य प्रणाली** :– इन बैंकों की कार्यप्रणाली अकुशल है । साधारणतया भूमि विकास बैंक के संचालकों में पहल का अभाव है । बैंकों की आय इतनी नहीं है कि वह एक आधुनिकतम संगठन रख सके, इनके पास मूल्यांकन स्टाफ की भी कमी है ।

2. **खेती से आय अर्जन एवं खर्च सम्बन्धी आंकड़ों का अभाव** :– जनपद में खेती से होने वाली आमदनी और खेती करने एवं रहन–सहन के खर्च करने वाले आंकड़ों का एकदम अभाव है । इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया जाता । इस अभाव में ऋण लेने वाले व्यक्तियों की ऋण लौटाने की क्षमता का ज्ञान नहीं हो पाता । किश्त की रकम कृषक की सामान्य अर्जन शक्ति के अनुसार निर्धारित नहीं होती ।

3. **पुराने ऋणों के परिशोध पर बल** :– भूमि विकास बैंक के कार्यों में यह दोष है कि वे पुराने ऋणों के परिशोध पर अधिक ध्यान देते हैं तथा कृषि एवं भूमि की उन्नति पर कम ध्यान देते हैं ।

4. **जनता का डिवेंचरों पर कम विश्वास** :– बैंक की डिवेंचरों से कृषि कोष जुटाने की विधि दोषपूर्ण है, क्योंकि जनता का इन विनियोगों पर विश्वास नहीं है ।

5. **ऋण देने की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था** :– ऋण मिलने में 6 से 9 महीने लग जाते हैं, इसके साथ ही दूसरा ऋण पहले ऋण के भुगतान पर ही दिया जाता है । यह नियम कृषकों के लिये बड़ा कठोर है क्योंकि 20 वर्षों तक भुगतान न होने पर आवश्यक कृषि यन्त्र नहीं लिया जा सकता । अतः इसमें लोच होनी चाहिये ।

6. **भूमि के कय के प्रोत्साहन का अभाव** :– जनपद में यदि कृषक भूमि कय करना चाहता है तो उसे बैंक से ऋण नहीं मिलता, इसलिये वह महाजन के पास जाता है ।

उपर्युक्त दोषों में यदि सुधार कर लिया जाए तो भूमि विकास बैंक की प्रगति को ज्यादा गति से बढ़ाया जा सकता है। इन दोषों का निवारण केवल बैंक की कार्य पद्धति में सुधार करके ही किया जा सकता है ।

तालिका संख्या 29

जनपद में भूमि विकास बैंक की स्थिति

	सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक			
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
2.1 शाखाएं	4	4	4	4
1.2 सदस्यता	24579	24579	24579	28549
1.3 हिस्सा पूंजी (,000 रू0)	13698	13698	13698	21101
1.4 कार्यशील पूंजी(,000 रू0)	195295	195295	195295	262025
1.5 ऋण वितरण (,000 रू0)	49743	40365	46511	55781

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों की शाखायें 4 है जिनकी सदस्यता 2000–01 से 2002–03 तक स्थिर रही है तथा 2003–04 में वृद्धि हुयी । वर्ष 2002–03 की तुलना में 2003–04 में हिस्सा पूंजी, कार्यशील पूंजी एवं ऋण वितरण सभी वृद्धि हुई है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सहकारी समितियों के कियाकलाप में कहीं आंशिक कमी आयी है तो कहीं वृद्धि हुई है । अगर सरकार द्वारा इनको प्रोत्साहन दिया जाये तो इनमें अच्छी प्रगति हो सकती है ।

5.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

20–सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंश धीरे – धीरे ग्राम–ऋणग्रस्तता को समाप्त करना था और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं कारीगरों को संस्थानात्मक उधार उपलब्ध कराना था । राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंकों की शाखायें इतनी अधिक नहीं थी कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सके, ग्रामीण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद

है इसलिये ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक खुशहाली के बगैर समूचे सामाजिक परिवेश की खुशहाल की तस्वीर अधूरी ही है । पहले ग्रामीण ऋण से सम्बंधित सभी कार्य सहकारी बैंकों द्वारा किये जाते थे । इन बैंकों की कार्य प्रणाली के संदर्भ में गाडगिल सहकारी ऋण जांच समिति 1945, भारतीय ग्रामीण बैंकिग जांच समिति 1950, भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण समिति 1954, ग्रामीण साख की समस्या के समाधान में विफल रहे हैं । इसके मद्देनजर ग्रामीण ऋण सम्बंधी मांग की पूर्ति के लिये अलग से संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई । बैंकिग आयोग 1972 ने ग्रामीण अंचलों में कृषि और ग्रामीण लघु कुटीर उद्योगों की सहायता के लिए ग्रामीण बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने ग्रामीण साख की आवश्यकता की पूर्ति में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है । देश में ग्रामीण बैंको की स्थापना "(द रीजनल रूरल बैंक और्डिनेन्स – 1975)" के अन्तर्गत की गयी जिसे राष्ट्रपति ने 26 सितम्बर 1975 को जारी किया ।

इन बैंकों की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीणों को महाजनों एवे साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, व्यापार, वाणिज्य उद्योग तथा अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए लघु एवं सीमान्त कृषक, खेतिहर मजदूर, दस्तकार लघु व्यवसायी तथा इनसे संबन्धित अन्य व्यवसायों को साख एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाना है । इस लक्ष्य को लेकर बैंको ने दूरस्थ ग्रामीण अचंलों में प्रवेश किया जहाँ संस्थागत वित्त की कोई एजेन्सी नहीं पहुँच सकी थी । वहाँ ये बैंक गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले के उत्थान के लिए सकिय भूमिका निभा रहे हैं ।

5.6 वित्तीय कठिनाईयाँ

वित्तीय साधनों को एकत्र करने में बहुत सी वित्तीय कठिनाइयाँ आती हैं । यह वित्तीय कठिनाइयाँ पूंजी निर्माण की धीमी प्रगति के कारण उत्पन्न होती है । पूंजी निर्माण वित्तीय साधनों का मुख्य स्रोत है । कुछ वित्तीय कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं –

1. निर्धनता के दुष्चक की वजह से बचत नहीं हो पाती और आन्तरिक स्रोत एकत्र करने में कठिनाई होती है ।
2. जनसंख्या वृद्धि दर का अधिक होना ।

ओवरसीज़ बैंक द्वारा झाँसी जनपद में कृषि कार्य योजना लागू कर दी गई है । तथा कृषि कार्ड भी प्रदान किये जा रहे हैं ।

ब) उर्वरक एवं बीज आपूर्ति :– कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय बीज निगम एवं यू0पी0एग्रो के अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा की जा रही हैं । कृषि रक्षा रसायन तथा उपकरण पर्याप्त मात्रा में जनपद में कार्यरत कृषि रक्षा इकाईयों तथा अन्य संस्थाओं पर उपलब्ध है।

विगत वर्षों में पर्याप्त मात्रा में ऋण आवेदन व्यवसायिक बैंकों को प्राप्त न होने के कारण फसली ऋण के लिये उनकी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाती थी । गत वर्षों से शासन ने विकास खण्डों एवं कृषि विकास को 50 % ऋण आवेदन एकत्र एवं प्रेषित करने के लिये निर्देश जारी किये हैं । जो कि लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगा ।

स) सिंचाई तथा कृषि यंत्र :– जनपद झाँसी के वर्षाधीन रहने तथा औसत वर्षा मात्रा कम होने के कारण सिंचाई के साधनों पर कृषकों की निर्भरता अधिक है जिसको समुचित मात्रा में पूरा करने के लिये विभिन्न सिंचाई साधनों जैसे बंधी, टपक सिंचाई, कूप बिजली एवं डीजल इन्जन, लिफ्ट सिंचाई योजना, कूप बोरिग, सिंचाई टेंक आदि की सुविधाये उपलब्ध हैं ।

द) भूमि विकास – शुष्क क्षेत्र में आने के कारण जनपद में भूमि विकास के लिये अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । भूसंरक्षण विभाग द्वारा सामुदायिक चैक डेम, बन्धी निर्माण तथा भूमि समतलीकरण आदि कार्य किया जाता है । जनपद में राष्ट्रीय जलाशय की तीन परियोजनायें – मऊरानीपुर, बंगरा एवं चिरगांव विकास खण्ड में चल रही हैं।

य) उद्यान विकास – जनपद में कृषि की विपरीत परिस्थितियों एवं कृषि पर निर्भर बहुसंख्यक जनसंख्या को लाभकारी जीविकोपार्जन प्रदान करने के दृष्टिकोण से उद्यानीकरण सर्वोत्तम विकल्प पाया गया है । कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बुन्देलखण्ड की भूमि एवं जलवायु नीबू वर्गीय फलों की खेती के लिये बहुत उपयुक्त है । इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा एक वृहद एवं महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। यह परियोजना जनपद के सभी विकासखण्डों में कार्यान्वित की गई है। संकर टमाटर, मटर तथा परम्परागत प्याज व संकर उत्पादन हेतु अम्बेडकर विशेष योजना के अन्तर्गत शाकभाजी उत्पादन योजना क्रियान्वित है।

कृषि सम्वर्गीय कार्य :–

अ) दुग्ध विकास :– जनपद में दुग्ध शाला विकास कार्यक्रम की महत्वकांक्षी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990–91 में झाँसी से कानपुर मार्ग पर चिरगांव एवं मोंठ ब्लॉक में दुग्ध पट्टी

पड़ने वाले 66 गांव का सर्वेक्षण कर लिया गया है और उनमें प्रस्तावित दुग्ध समितियां गठित की गई हैं । जिन ग्रामों में समितियां गठित हो चुकी हैं उन ग्रामों में सन् 194–95 से ऋण वितरण किया जा रहा है ।

जनपद में एक दुग्ध चिलिंग प्लान्ट की स्थापना की जा रही हैं तथा 18 बकरी पालन 10 भेड़ पालन केन्द्रों पर वर्तमान में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हैं ।

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

अध्याय 6
झाँसी जनपद का कृषि विकास

झाँसी जनपद का कृषि विकास

कृषि सभी उद्योगों की जननी और मानव जीवन की पोषक रही है । यह सभी विज्ञानों और कलाओं की सिरमौर सभ्यता का प्रतीक और प्रगति कार सूचक मानी जाती है । कृषि को आर्थिक विकास की कुंजी कहा जा सकता है क्योंकि औद्योगीकरण मूल रूप से कृषिगत विकास की देन है । जनपद झाँसी एक कृषि प्रधान क्षेत्र है । इस जनपद के निवासियों की जीविका का मुख्य साधन कृषि ही है ।

6.1 भूमि उपयोग

कृषि जिला झाँसी के ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य जीविका है । पूर्वकाल में जिले में कपास की खेती अच्छी होती थी । अब कपास की खेती पूर्णतः समाप्त हो गयी है । अब मूंगफली की खेती में अग्रणी है । यहाँ की खेती वर्षा आधारित है । अब सिंचाई के साधनों में वृद्धि करके वर्षा पर निर्भरता कम हो जाये ऐसे प्रयास जारी हैं । झाँसी की भूमि उपयोगिता से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है :–

तालिका संख्या – 30

जनपद में विकासखण्ड वार भूमि उपयोग (हेक्टेयर में)

वर्ष विकासखण्ड	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	वन	कृषि योग्य बंजर भूमि	वर्तमान परती	अन्य परती	ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	चारागाह	उद्यानों, वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2000-2001	499393	33638	15685	38813	7454	31794	40821	634	623
2001-2002	499393	33638	15488	25275	7306	31569	41257	633	1018
2002-2003	499393	33638	15490	42580	7662	31104	41334	677	829
विकास खण्डवार 2002–2003									
1. मोंठ	64874	3962	402	2822	664	1003	4968	67	75
2. चिरगांव	54288	4993	1013	2549	665	1039	5259	50	53
3. बामौर	84038	10563	1511	8977	2761	3428	6680	90	103
4. गुरसरांय	74468	4740	1586	6485	1671	1569	5751	99	120

5. बंगरा	52126	2188	2922	4146	860	1853	5335	135	224
6. मऊरानीपुर	54113	323	2008	4085	431	1370	3874	151	41
7. बबीना	69288	6398	5140	7493	371	16254	4554	32	130
8. बड़ागाँव	42820	471	678	5902	194	2815	3801	53	83
योग ग्रामीण	496015	33638	15260	42459	7617	29331	40222	677	829
नगरीय	3378	0	230	121	45	1773	1112	0	0
योग जनपद	499393	33638	15490	42580	7662	31104	41334	677	829

क्रमशः तालिका – 30

वर्ष विकासखण्ड	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	सकल बोया गया क्षेत्रफल				गन्ने के लिये तैयार की भूमि	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल	सकल सिचिंत क्षेत्रफल
			कुल	रबी	खरीफ	जायद			
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2000-2001	329931	88073	418004	296205	120721	1076	2	181041	183803
2001-2002	343209	70720	413929	301733	111437	747	12	196926	199191
2002-2003	326079	52628	378707	297659	79639	1409	0	205209	207777
विकास खण्डवार 2002–2003									
1. मोंठ	50911	845	51756	50483	1151	122	0	31578	31765
2. चिरगांव	38667	6239	44906	37364	7469	73	0	31664	31800
3. बामौर	49925	7405	57330	47058	10261	11	0	25195	25203
4. गुरसरांय	52447	15402	67849	49304	18464	81	0	21478	21538
5. बंगरा	34463	10632	45095	32264	12561	270	0	24182	24733
6. मऊरानीपुर	41830	7617	49447	41882	7469	96	0	32994	33954
7. बबीना	28916	2835	31751	16603	14930	218	0	16631	16751
8. बड़ागाँव	28823	1624	30447	22612	7297	538	0	21395	21937
योग ग्रामीण	325982	52599	378581	297570	79602	1409	0	205117	207681
नगरीय	97	29	126	89	37	0	0	92	96
योग जनपद	326079	52628	378707	297659	79639	1409	0	205209	207777

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2001–02, 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका देखने से ज्ञात हुआ है कि जनपद में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल एवं वन क्षेत्र वर्ष 2000 से 2003 तक स्थिर रहा है जबकि कृषि योग्य बंजर भूमि में वर्ष 2001–02 की तुलना में वर्ष 2002–03 में 2 हैक्टेयर बढ़ी है । इसी प्रकार वर्तमान परती एवं अन्य परती भूमि में भी गत वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि हुई है । ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि में कृषि योग्य बनाने के कारण कमी आयी है कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है । चारागाह का क्षेत्रफल जो 2001–02 में 633 था वह बढ़कर वर्ष 2002–03 में 677 हो गया है । उद्यानों वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल में कमी आयी है । बोया गया क्षेत्रफल में आशाजनक प्रगति नहीं हुई है जिसका कारण यह है कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाना एवं वर्षा की अनिश्चितता । एक बार से अधिक बोया गये क्षेत्रफल में भी कमी आयी है तथा शुद्ध सिंचित एवं सकल सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास में कृषि पर अधिक बल दिया जाना चाहिए । इसके कई उदाहरण हैं । सर्वप्रथम, कृषि – क्षेत्र में पूंजी – उत्पाद अनुपात अधिक ऊंचा नहीं है, परिणामतः थोड़ी सी पूंजी से लगातार भारी कृषि का उत्पादन किया जा सकता है । अतः कम से कम आरम्भिक अवस्था में आय में तीव्र वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि में अपेक्षाकृत अधिक विनियोग करना होगा । दूसरे, देश में बचत और विनियोग की गति अधिक हो सकती है, जबकि कृषि में बचत और विनियोग की गति अधिक हो । तीसरे, कृषि विकास के लिए विदेशी मुद्रा इतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि औद्योगिक विकास के लिए । अतः जनपद को ही नहीं पूरे भारत को विदेशी मुद्रा का सामना करना पड़ रहा है, कृषि विकास पर बल देना चाहिए ।

इस विवरण से दो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं –

(क) कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है ।

(ख) देश के सामान्य आर्थिक विकास के लिए कृषि का विकास अनिवार्य है ।

भूमि की उपयोगिता के रेखाचित्र को पृष्ठ संख्या 112 पर दर्शाया गया है –

भूमि उपयोगिता (लाख हेक्टेयर)
वर्ष 2002–03

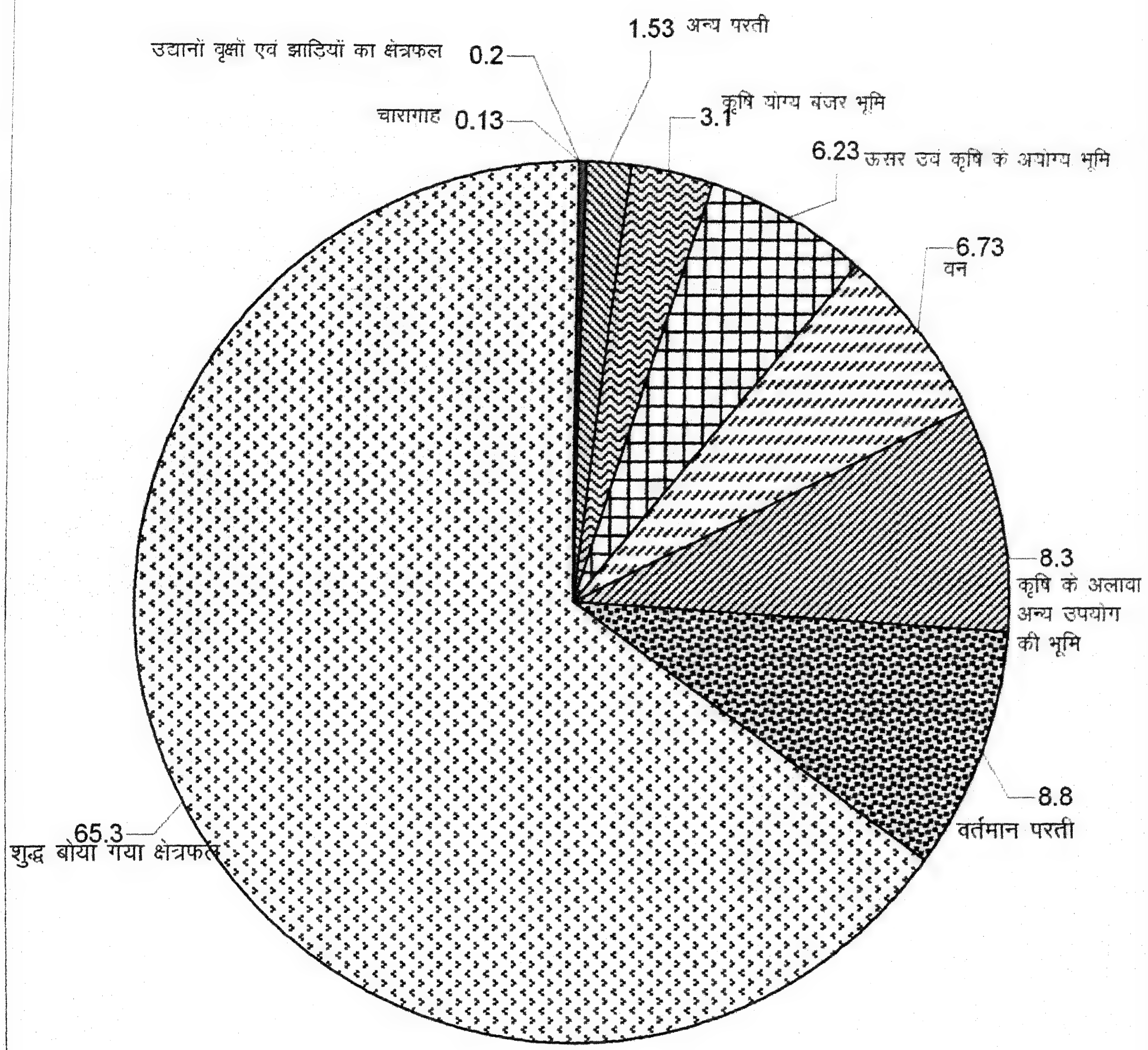

कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल
4.99
(100%)

6.2 कृषि जोतों का आकार

कृषि कार्य को भली भांति सम्पन्न कराने के लिये यह आवश्यक है कि साधनों को उचित अनुपात में एकत्रित किया जाये । कृषक के पास उपयुक्त उत्पादन इकाई होना चाहिये । इकाई से तात्पर्य जोत से होता है । यदि कृषक के पास जोत का उचित आकार होता है तो वह ठीक प्रकार से कार्य कर सकता है । जोत अनेक प्रकार की होती है जो निम्नवत् है –

1. **भू–स्वामियों की जोत :–** इस तरह की जोत पर भू–स्वामियों का अधिकार होता है । इस तरह की जोतें औसत आकार में बड़ी होतीं हैं ।

2. **कृषक जोत :–** जिस पर कृषक स्वयं खेती करता है उस जोत को कृषक जोत कहते हैं।

3. **आर्थिक जोत :–** आर्थिक जोत उसे कहते हैं जिससे मनुष्य अपने तथा अपने परिवार के समुचित आराम के लिये पर्याप्त उत्पादन कर सके ।

4. **अनुकूलतम जोत :–** अनुकूलतम जोत से आशय भूमि की उस इकाई से है जिसमें कृषक अपने साधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए कम खर्च पर अधिकतम उत्पादन कर सकें ।

जनपद में कृषि जोतों का आकार :– जनपद में कृषि करना अलाभकारी इसलिये हो गया है कि यहाँ की जोतें भूमि के उपविभाजन एवं अपखण्डन की वजह से छोटी तथा अनार्थिक हो गयीं हैं । यहां जोतें न केवल छोटी हो गयीं, अपितु विखण्डित भी हैं । वे एक स्थान पर बंधी न होकर, सारे गांव में छोटे – छोटे टुकड़ों में बिखरीं हुई हैं । जोतों के आकार की लघुता का मुख्य कारण पैतृक भूमि का विभाजन और उपविभाजन रहा है । उधर भूमि के विखण्डन कार कारण सम्पत्ति के संयुक्त स्वामियों के बीच सम्पत्ति कार विभाजन रहा है । इनमें से प्रत्येक स्वामी का यह प्रयास रहा है । कि उसे परम्परागत भूमि की प्रत्येक किस्म में हिस्सा मिले । जनपद में कियात्मक जोतों का आकार वर्ग अनुसार संख्या एवं क्षेत्रफल कृषि गणना 1995–96 के अनुसार निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है –

तालिका संख्या – 31

जनपद में कियात्मक जोतों का आकार वर्गानुसार संख्या एवं क्षेत्रफल

कृषि गणना 1995–96

	आकार वर्ग हेक्टेयर					
विकासखण्ड	0.5 हेक्टेयर से कम		0.5 से 1.00 हेक्टेयर		1.00 से 2.00 हेक्टेयर	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
विकासखण्डवार 1995-96						
1. मोंठ	15550	3955	12220	8974	13443	20524
2. चिरगांव	–	–	–	–	–	–
3. बामौर	14098	3549	12594	8931	15678	25693
4. गुरसरांय	–	–	–	–	–	–
5. बंगरा	–	–	–	–	–	–
6. मऊरानीपुर	13800	5020	12358	8640	14321	24559
7. बबीना	–	–	–	–	–	–
8. बड़ागाँव	10715	2138	8361	5836	10590	17260
योग ग्रामीण	54163	14662	45533	32381	54032	87736
नगरीय	–	–	–	–	–	–
कुल जनपद	54163	14662	45533	32381	54032	87736

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

क्रमश: तालिका संख्या – 31

विकासखण्ड	आकार वर्ग हेक्टेयर 2.00 से 4.00 हेक्टेयर		4.00 से 10.00 हेक्टेयर		10हे.तथा उससे अधिक		कुल जोतों की संख्या	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विकासखण्डवार 1995–96								
1. मोंठ	10156	28371	5708	32637	216	2675	57293	97136
2. चिरगांव	–	–	–	–	–	–	–	–
3. बामौर	11542	33330	5843	35407	386	4809	60141	111719
4. गुरसरांय	–	–	–	–	–	–	–	–
5. बंगरा	–	–	–	–	–	–	–	–
6.मऊरानीपुर	7487	25301	3960	21734	269	4615	52195	89569
7. बबीना	–	–	–	–	–	–	–	–
8. बड़ागाँव	5799	16481	2475	15031	399	6934	38339	63680
योग ग्रामीण	34984	103483	17986	104809	1270	19033	207968	362104
नगरीय	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल जनपद	34984	103483	17986	104809	1270	19033	207968	362104

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 1995–96 के अनुसार 0.5 हेक्टेयर से कम कृषि जोतों की संख्या सबसे कम 10715 हेक्टेयर विकासखण्ड बड़ागांव में है । जिसका क्षेत्रफल 2138 है । 0.5 हेक्टेयर से कम जोतों के आकार की संख्या 15550 हेक्टेयर विकासखण्ड मोंठ में सबसे अधिक है जिसका क्षेत्रफल 3995 है । 0.5 से 1.00 हेक्टेयर में जोतों की संख्या जनपद में 45533 है । जिसका क्षेत्रफल 32381 है । 1.00 से 2.00 हेक्टेयर में जोतों की संख्या जनपद में कुल 54032 है । जिसका क्षेत्रफल 87736 है । 2.00 से 4.00 हेक्टेयर में जोतों की संख्या जनपद में 34984 है । जिसका क्षेत्रफल 103483 है । 4.00 से 10 हेक्टेयर तक जोतों की संख्या जनपद में 17986 है । जिसका क्षेत्रफल 104809 है । 10 हेक्टेयर तथा उससे अधिक जोतों की संख्या जनपद में 1270 है । जिसका क्षेत्रफल 19033

है । झाँसी जनपद में समस्त विकासखण्डों में कुल जोतों की संख्या 207968 है । जिसका क्षेत्रफल 362104 है ।

जनपद में कृषि जोतों के उपविभाजन और अपखण्डन के कारण

कृषि जोतों के छोटे होने के निम्न कारण हैं –

1. **उत्तराधिकार का नियम** :– इन नियमों के कारण उपविभाजन अधिक मात्रा में होता है इसका मुख्य कारण यह है कि हिन्दु और उत्तराधिकार नियम के अनुसार, सभी लड़के (और लड़कियां भी) पैतृक सम्पत्ति में समान भाग के अधिकारी होते हैं । इस प्रकार भूमि छोटे–छोटे टुकड़ों में बंटती रहती है ।

2. **बढ़ती जनसंख्या** :– जनपद की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है । इस बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम यह होता है कि कृषि भूमि के मालिकों की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है । वे अपनी स्वंय की खेती अलग ही करना चाहते हैं अतः भूमि का उपविभाजन होना स्वाभाविक है ।

3. **कुटीर उद्योगों का पतन** :– गाँवों में कुटीर उद्योगों के पतन के बाद बेरोजगार युवक कृषि से ही जीविका चलाने को विवश हो जाते हैं । इससे कृषि पर लोगों का भार बढ़ा है । इससे उपविभाजन में वृद्धि हुई है ।

4. **ग्रामीण ऋण ग्रस्तता** :– गाँवों में देशी सात्रऋण ग्रस्तता होने के कारण कृषक अपनी भूमि के कुछ टुकड़े को बेच देते हैं । जिससे जोत का आकार छोटा हो जाता है ।

5. **कृषकों का पैतृक भूमि के प्रति मोह** :– जनपद में लोगों का अपनी पैतृक भूमि पर अधिक लगाव है । जिस कारण परिवार का प्रत्येक व्यक्ति भूमि में अपना हिस्सा प्रत्येक स्थान पर लेना चाहता है । भारतीय किसान केवल जीविका का साधन ही नहीं समझता, प्रतिष्ठा और सम्माना का आधार भी समझता है परिणामतः खेतों का आकार छोटा हो जाता है । इस कारण भूमि का उपविभाजन बढ़ा है ।

6. **संयुक्त परिवारों की समाप्ति** :– जनपद में प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार प्रथा चलती आ रही है । उससे भूमि के टुकड़े नहीं होते थे परन्तु आज संयुक्त परिवार समाप्त होने लगे हैं । इसके समाप्त होने से भूमि के जोत के आकार में विभाजन हो गया है ।

6.3 फसलें

जनपद में अलग–अलग क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं । जनपद में खाद्य फसलों में दालें तिलहन तथा उपजाऊ फसलों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है –

दालें

1. **चना** :– जनपद में दालों अन्तर्गत चने का उत्पादन समतल भूमि व असमतल भूमि दोनों तरह की भूमि पर होता है । चना जनपद की मुख्य खाद्य फसल के अन्तर्गत आता है । चने का प्रयोग दालों में भी होता है । चने को कम वर्षा में भी पैदा किया जा सकता है । इसकी बुवाई अक्टूबर नवम्बर में की जाती है तथा कटाई मार्च में होती है ।

2. **अरहर** :– अरहर भी जनपद के कम सममतल क्षेत्रों व असमतल क्षेत्रों में उगाई जाती है । इसकी बुवाई जुलाई अगस्त में होती है तथा कटाई अप्रैल में होती है । अरहर का जनपद में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है ।

3. **उर्द** :– जनपद में उर्द की खेती की जाती है । उर्द का जनपद में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है । इसकी बुवाई जुलाई व कटाई अक्टूबर में की जाती है ।

4. **मूंग** :– मूंग की खेती भी यहाँ होती है । इसकी भी बुवाई जुलाई में तथा कटाई अक्टूबर में की जाती है ।

5. **मटर** :– जनपद में मटर की खेती भी की जाती है । इसकी बुवाई अक्टूबर में व कटाई मार्च में होती है । मटर ज्यादातर सिंचित क्षेत्रों में होती है । समतल तथा असमतल दोनों क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है ।

6. **मसूर** :– जनपद में दालों की खेती में मसूर का भी महत्वपूर्ण स्थान है । इसकी बुवाई अक्टूबर में तथा कटाई मार्च में की जाती है । इसका उत्पादन सममतल कृषि क्षेत्र में होता है ।

दालों के अन्तर्गत क्षेत्रफल हेक्टेयर अग्रलिखित तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या – 32

जनपद में विकासखण्डवार दालों के अन्तर्गत क्षेत्रफल हेक्ट. में

वर्ष विकासखण्ड	कुल उर्द		मूंग खरीफ		मूंग जायद		कुल मूंग	
	कुल	सिचिंत	कुल	सिचिंत	कुल	सिचिंत	कुल	सिचिंत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2000-01	56679	2	5718	0	97	97	5815	97
2001-02	53907	1	4947	0	19	19	4966	19
2002-03	47391	9	2832	0	53	53	2885	53
विकास खण्डवार 2002-03								
1. मोंठ	468	0	101	0	0	0	101	0
2. चिरगांव	5571	9	109	0	1	1	110	1
3. बामौर	8395	0	89	0	0	0	89	0
4. गुरसरांय	15410	0	339	0	0	0	339	0
5. बंगरा	8193	0	492	0	25	25	517	25
6. मऊरानीपुर	5317	0	328	0	5	5	333	5
7. बबीना	1685	0	891	0	13	13	904	13
8. बड़ागाँव	2345	0	473	0	9	9	482	9
योग ग्रामीण	47384	0	2822	0	53	53	2875	53
नगरीय	7	0	10	0	0	0	10	0
योग जनपद	47391	9	2832	0	53	53	2885	53

क्रमशः तालिका संख्या – 32

वर्ष विकासखण्ड	मसूर		चना		मटर		अरहर	
	कुल	सिचिंत	कुल	सिचिंत	कुल	सिचिंत	कुल	सिचिंत
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
2000-01	41110	6615	69007	16215	43272	31970	2837	1
2001-02	26847	4435	89040	27820	42348	34318	2734	2
2002-03	19705	3801	91283	34834	55967	45897	1165	0
विकास खण्डवार 2002-03								
1. मोंठ	2118	126	12227	2444	11172	4420	61	0
2. चिरगांव	1729	229	6839	3923	12943	11942	83	0
3. बामौर	5436	848	20235	5953	7773	7438	377	0
4. गुरसरांय	5622	706	23592	5594	5996	5467	390	0
5. बंगरा	1651	634	11025	5684	3882	3466	145	0
6. मऊरानीपुर	2915	1150	12310	7436	12126	11639	102	0
7. बबीना	71	51	2120	1641	176	176	1	0
8. बड़ागाँव	164	57	2935	2153	1898	1348	6	0
योग ग्रामीण	19705	3801	91283	34834	55966	45896	1165	0
नगरीय	0	0	0	0	1	1	0	0
योग जनपद	19705	3801	91283	34834	55967	45897	1165	0

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में चने का क्षेत्रफल सबसे अधिक चने के क्षेत्रफल में 1999 से 2003 तक लगातार वृद्धि हुयी है । चना जनपद की प्रमुख फसलों के अन्तर्गत आता है । उर्द, मूँग, अरहर, मसूर का क्षेत्रफल सन् 2000–01 से 2002–03 की तुलना में घटा है । मटर के क्षेत्रफल में 2000–01 में 43272 था जो कि 2002–03 में बढ़कर 55967 हो गया । दालों के अन्तर्गत क्षेत्रफल के अध्ययन के बाद अब दालों की औसत उपज (कुन्तल प्रति हेक्टेयर) को निम्न तालिका में दर्शाया गया है ।

तालिका संख्या – 33

जनपद में दालों की औसत उपज (कुन्तल प्रति हेक्टेयर)

क्रम सं0	फसल का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
1.	उर्द			
अ)	खरीफ	3.84	3.51	1.7
ब)	जायद	4.6	4.91	5.31
	कुल उर्द	3.84	3.51	1.7
2.	मूँग			
अ)	खरीफ	3.12	2.19	0.92
ब)	जायद	5.71	5.04	5.79
	कुल मूँग	3.16	2.2	1.01
3.	मसूर	3.29	8.33	8.02
4.	चना	8.47	11.23	8.11
5.	मटर	9.39	15.74	16.98
6.	अरहर	11.26	1554	5.92
7.	मोंठ	0	0	0
	कुल दालें	6.37	9.7	8.88

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में दालों की औसत उपज मे मटर की औसत उपज में पिछले पांच वर्षो में अच्छी वृद्वि हुयी है जबकि मूंग की औसत उपज 1.01 सबसे कम है । इसी प्रकार मसूर, चना, अरहर इन सभी में 2001–02 की तुलना में 2002–03 में कमी ही आयी है । जनपद में दालों की कुल औसत उपज में गिरावट आयी है । दालों की औसत उपज जानने के बाद दालों के उत्पादन (मी.टन) को भी जानना आवश्यक है । जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है ।

तालिका संख्या – 34

जनपद में दालों का उत्पादन (मी.टन)

कम सं0	फसल का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
1.	उर्द			
अ)	खरीफ	21764	18921	8056
ब)	जायद	1	0	3
	कुल उर्द	21765	18921	8059
2.	मूँग			
अ)	खरीफ	1784	1083	261
ब)	जायद	55	10	31
	कुल मूँग	1839	1093	292
3.	मसूर	13525	22364	15803
4.	चना	58460	100032	74021
5.	मटर	40632	66656	95032
6.	अरहर	3194	4249	690
7.	मोंठ	0	0	0
	कुल दालें	139415	213315	193897

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में दालों का उत्पादन 2002–03 के अनुसार मटर का उत्पादन 95032 मी0टन है जो सभी दालों में अत्याधिक है । इसी प्रकार मूंग का उत्पादन सबसे कम 2002–03 में रहा है । अतः उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि जनपद कुल दालों का उत्पादन 2001–02 में 213315.00 मी0टन था । जो वर्ष 2002–03 में घटकर 193897 मी0टन हो गया है ।

खाद्य फसलें

चावल :— जनपद में चावल की कृषि भी कुछ क्षेत्रों में की जाती है । इसके लिये खेत समतल होना चाहिये इसमें पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है । इसकी बुवाई व रोपाई का कार्य जून जुलाई में तथा कटाई अक्टूबर में होती है ।

1. **गेहूँ** :— गेहूँ जनपद की प्रमुख फसलों के अन्तर्गत आता है । इसकी कृषि समतल व कुछ असमतल क्षेत्रों में भी होती है । इसकी बुवाई नवम्बर व कटाई मार्च अप्रैल में होती है ।

2. **ज्वार** :— जनपद में ज्वार का भी अपना स्थान है । इसकी बुवाई जुलाई में तथा कटाई अक्टूबर व नवम्बर में होती है । इसका उत्पादन वर्षा अच्छी होने पर अधिक व वर्षा की कमी होने पर कम होता है । ज्वार का कृषि के लिये समतल क्षेत्र में पानी की कम आवश्यकता होती है । सममतल क्षेत्र में पानी अधिक होने पर ज्वार की फसल नष्ट भी हो जाती है । असमतल क्षेत्र वाली ज्वार की फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है ।

3. **बाजरा** :— जनपद में बाजरा की कृषि कम क्षेत्र में की जाती. है । इसकी बुवाई जुलाई व कटाई अक्टूबर में होती है

4. **मक्का** :— मक्का की कृषि भी जनपद में कम क्षेत्र में की जाती है । इसकी बुवाई जुलाई में व कटाई सितम्बर–अक्टूबर में होती है ।

5. **जौ** :— जनपद में जौ का उत्पादन भी काफी अधिक मात्रा में होता है ।

6. **अन्य फसलें** :— इसके अन्तर्गत बरसात की फसलें जैसे – कोदों, काकून, साँवा, कुटकी की पैदावार की जाती है । ये सब ज्वार की साइड फसलें हैं ।

तालिका संख्या – 35

जनपद में विकासखण्डवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

वर्ष विकासखण्ड	चावल खरीफ		चावल जायद		कुल चावल		गेहूँ	
	कुल	सिचिंत	कुल	सिचिंत	कुल	सिचिंत	कुल	सिचिंत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000-01	2972	823	0	0	2972	823	128977	118321
2001-02	2986	1060	0	0	2986	1060	130628	121789
2002-03	688	121	1	1	689	122	119796	113098

विकास खण्डवार 2002-03								
1. मोंठ	112	60	0	0	112	60	23767	23727
2. चिरगांव	31	3	0	0	31	3	14898	14737
3. बामौर	0	0	0	0	0	0	11314	10126
4. गुरसरांय	3	3	0	0	3	3	12246	9115
5. बंगरा	142	1	0	0	142	1	14464	13196
6. मऊरानीपुर	68	0	0	0	68	0	12849	12019
7. बबीना	155	34	1	1	156	35	13867	13864
8. बड़ागाँव	177	20	0	0	177	20	16293	16246
योग ग्रामीण	688	121	1	1	689	122	119728	113030
नगरीय	0	0	0	0	0	0	688	688
योग जनपद	688	121	1	1	689	122	119796	113098

कमशः

वर्ष विकासखण्ड	जौ		ज्वार		बाजरा		मक्का खरीफ	
	कुल	सिचिंत	कुल	सिचिंत	कुल	सिचिंत	कुल	सिचिंत
1.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
2000-01	3714	2779	8082	0	148	0	1996	3
2001-02	3618	2786	7524	0	101	0	1861	0
2002-03	3288	2695	3497	1	62	0	1278	0
विकास खण्डवार 2002-03								
1. मोंठ	474	386	270	0	20	0	0	0
2. चिरगांव	368	351	192	1	1	0	0	0
3. बामौर	603	313	1138	0	0	0	0	0
4. गुरसरांय	309	214	1451	0	0	0	0	0
5. बंगरा	333	298	105	0	0	0	1	0
6. मऊरानीपुर	347	315	296	0	40	0	0	0
7. बबीना	390	388	18	0	1	0	1200	0
8. बड़ागाँव	464	430	27	0	0	0	76	0
योग ग्रामीण	3288	2695	3497	1	62	0	1277	0
नगरीय	0	0	0	0	0	0	1	0
योग जनपद	3288	2695	3497	1	62	0	1278	0

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में खाद्य फसलों के अन्तर्गत चावल का क्षेत्रफल 2001–02 में 2986 सबसे अधिक है । जबकि बाजरा का क्षेत्रफल 101 है जो कि अन्य की तुलना में सबसे कम है । वर्ष 2002–03 में चावल के क्षेत्रफल में अत्यधिक कमी आयी है । उपरोक्त तालिका के निरीक्षण से यह तथ्य दृष्टिगोचर होता है कि जनपद में 2001–02 में खाद्य फसलों का क्षेत्रफल 2002–03 तक अत्यधिक घटा है ।

तालिका संख्या – 36

जनपद में खाद्य फसलों की औसत उपज (कुन्तल प्रति हेक्टेयर)

कम सं0	फसल का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
1.	चावल			
अ)	खरीफ	9.79	7.06	5.59
ब)	जायद	0	0	5.59
	कुल चावल	9.79	7.06	5.59
2.	गेहूँ	23.17	27.8	25.62
3.	जौ	11.24	16.22	14.85
4.	ज्वार	8.64	5.73	1.99
5.	बाजरा	10.68	8.81	9.37
6.	मक्का			
अ)	खरीफ	12.26	6.87	3.16
ब)	जायद	16.22	0	0
	कुल मक्का	12.26	6.87	3.16
7.	मडुवा	0	0	0
8.	सावां			
अ)	खरीफ	6.7	6.18	0
ब)	जायद	0	0	0
	कुल सावां	6.7	6.18	0
9.	कोदों	7.66	7.78	0
10.	काकुन	3.04	0	0
11.	कुटकी	4.28	2.02	3.94

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में खाद्य फसलों के अन्तर्गत सबसे अधिक औसत उपज वर्ष 2001–03 तक गेहूँ की हुई है । जबकि चावल की उपज में कमी आयी है । और गत वर्ष की तुलना में ज्वार तथा मक्का में बढ़ोत्तरी हुई है । वर्ष 2002–03 सबसे कम औसत उपज बाजरा की रही है । जनपद की खाद्य फसलों के उत्पादन को अग्रतालिका में दर्शाया जा रहा है ।

तालिका संख्या – 37

जनपद में खाद्य फसलों (धान्य) का उत्पादन (मी.टन)

कम सं0	फसल का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
1.	चावल			
अ)	खरीफ	2910	2107	384
ब)	जायद	0	0	1
	कुल चावल	2910	2107	385
2.	गेहूँ	298897	363138	306875
3.	जौ	4359	5867	4884
4.	ज्वार	6982	4308	695
5.	बाजरा	158	89	58
6.	EkDdk			
अ)	खरीफ	2446	1279	404
ब)	जायद	6	0	1
	कुल मक्का	2452	1279	405
7.	मडुवा	0	0	0
8.	सावां			
अ)	खरीफ	1	1	0
ब)	जायद	0	0	0
	कुल सावां	1	1	0
9.	कोदों	1	1	0
10.	काकुन	2	0	0
11.	कुटकी	9	2	3
	कुल धान्य	315771	376792	313305

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में खाद्य फसलों के उत्पादन में सबसे अधिक 306875 मी0टन गेहूँ का हुआ है । जबकि चावल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आयी है । वर्ष 2002–03 सबसे कम उत्पादन बाजरा का रहा है । वर्ष 2001–02 में जनपद मे खाद्य फसलों का उत्पादन 376792 हुआ था जबकि 2002–03 में घटकर 313305 हो गया है । जिसका कारण यह है कि किसानों को सुविधाओं का अभाव एवं वर्षा की निर्भरता के कारण फसलों को क्षति पहुंची है ।

तिलहन

1. लाही / सरसों :– लाही / सरसों का उत्पादन जनपद में प्रचुर मात्रा में होता है । इसकी बुवाई अक्टूबर में व कटाई मार्च में होती है । इसकी खेती गेहूँ, चना की उप फसल के अन्तर्गत ज्यादा होती है, इसकी कृषि सिंचित व असिंचित दोनों तरह की भूमि पर होती है ।

2. अलसी :– अलसी की बुवाई अक्टूबर में व कटाई फरवरी मार्च में की जाती है । इसको प्रायः चने के साथ बोते हैं ।

3. तिल :– तिल की बुवाई जुलाई में व कटाई सितम्बर अक्टूबर में होती है ।

4. रेंडी :– रेंडी को गेहुँ चना या अन्य फसलों की उप फसल के अन्तर्गत बोते हैं । इसकी बुवाई जुलाई में व कटाई अक्टूबर में होती है ।

5. मूंगफली :– इसकी बुवाई जुलाई में तथा खुदाई सितम्बर अक्टूबर में की जाती है, इसको सिंचित व असिंचित क्षेत्र में बोया जा सकता है ।

तालिका संख्या – 38

जनपद में तिलहन की औसत उपज (कुन्तल प्रति हेक्टेयर)

कम सं0	फसल का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
1.	2.	3.	4.	5.
1.	लाही / सरसों	5.27	8.06	6.38
2.	अलसी	3	4.66	6.01
3.	तिल (शुद्व)	2.1	1.3	0.94
4.	रेडी	0	0	0
5.	मूँगफली	10.3	9.56	3.84

6.	सूरजमुखी	0	0	0
7.	सोयाबीन	4.99	6.56	1.62
	कुल तिलहन	8.06	8.49	4.09

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में तिलहन की औसत उपज में सबसे अधिक सरसों की उपज हुई है । सबसे कम उपज तिल की रही है । जनपद में कुल तिलहन की औसत उपज वर्ष 2001–02 में 8.49 थी । जो वर्ष 2002–03 में घटकर 4.09 रह गयी ।

तालिका संख्या – 39

जनपद में तिलहन का उत्पादन (मी.टन)

कम सं0	फसल का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
1.	2.	3.	4.	5.
1.	लाही / सरसों	1663	2798	1509
2.	अलसी	1249	1363	1156
3.	तिल (शुद्व)	909	331	104
4.	रेडी	0	0	0
5.	मूँगफली	32176	3024	7697
6.	सूरजमुखी	0	0	0
7.	सोयाबीन	2329	930	40
	कुल तिलहन	38326	35656	10506

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में तिलहन का उत्पादन वर्ष 2002–03 के अनुसार 1509 मी0टन हुआ है । मूँगफली का उत्पादन वर्ष 2002–03 में सबसे अधिक 7697 मी0टन हुआ है । इस वर्ष सबसे कम उत्पादन सोयाबीन का 40 मी0टन हुआ । अतः स्पष्ट है कि जनपद मे कुल तिलहन का उत्पादन वर्ष 2001–02 में 35656 मी0टन हुआ था । जबकि वर्ष 2002–03 में तिलहन का उत्पादन अत्यधिक घटकर कुल 10506 मी0टन हो गया ।

अन्य फसलें

1. गन्ना :– जनपद में गन्ने का उत्पादन काफी ज्यादा क्षेत्रफल में होता है । इसका उत्पादन केवल सिंचित क्षेत्र में ही होता है । इसको एक बार खेत में लगाने पर दो–तीन वर्ष तक उत्पादन किया जा सकता है । इसकी कृषि के लिये सममतल भूमि चाहिए । इसकी पेराई नवम्बर से अप्रैल तक होती है ।

2. आलू :– जनपद में आलू की कृषि अधिकतर सिंचित क्षेत्र में ही की जा सकती है ।

3. सनई :– जनपद में सनई का भी उत्पादन होता है । इसकी उपज से यहाँ पर रस्सी वगैरा बनाई जाती है ।

तालिका संख्या – 40

जनपद में अन्य फसलों की औसत उपज (कुन्तल प्रति हेक्टेयर)

कम सं0	फसल का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
1.	2.	3.	4.	5.
1.	गन्ना	417.19	466.16	451.52
2.	आलू	213.11	246.62	231.99
3.	तम्बाकू	0	0	0
4.	जूट	0	0	0
5.	कपास	0	0	0
6.	सनई	4.28	4.2	3.15
7.	हल्दी	17.44	17.9	0

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में वर्ष 2001–02 की तुलना में गन्ने की औसत उपज में कमी आयी है । गन्ने की उपज वर्ष 2001–02 मे 466.16 कुन्तल प्रति हेक्टेयर थी । जो 2002–03 में घटकर 451.52 रह गयी । आलू की भी उपज में 2001–02 की तुलना में भी कमी आयी है । आलू की उपज 2001–02 में 246.62 कुन्तल प्रति हेक्टेयर थी । जो 2002–03 में घटकर 231.99 रह गयी है । इसी सनई की उपज में भी गिरावट

आयी है । हल्दी की उपज वर्ष 2001–02 में 17.90 कुन्तल प्रति हेक्टेयर थी । जो वर्ष 2002–03 में घटकर शून्य पर आ गयी है ।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपज में कमी होने के प्रमुख कारण प्राकृतिक स्थिति, जलवायु, वर्षा एवं सिंचाई आदि हैं । जिनका फसलों के उत्पादन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है जनपद में फसलों के उत्पादन में कमी आयी है इसका मुख्य कारण कृषि योग्य भूमि का सिंचाई या वर्षा के अभाव में बंजर भूमि का होना है । कहीं – कहीं जनपद में सर्वेक्षण के अनुसार यह पाया गया है कि किसानों ने कृषि योग्य भूमि को बेचकर भवन निर्माण करा दिये है । जिसका कारण उनकी आर्थिक स्थिति का कमजोर होना पाया गया है ।

तालिका संख्या – 41

जनपद में अन्य फसलों का उत्पादन (मी.टन)

क्रम सं0	फसल का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
1.	2.	3.	4.	5.
1.	गन्ना	3963	3730	1671
2.	आलू	5860	4957	8027
3.	तम्बाकू	0	0	0
4.	जूट	0	0	0
5.	कपास	0	0	0
6.	सनई	13	15	1
7.	हल्दी	7	5	0

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका में देखने से ज्ञात होता है कि जनपद में अन्य फसलों के अन्तर्गत वर्ष 2001–02 की तुलना में वर्ष 2002–03 में आलू के उत्पादन में वृद्धि हुई है । जबकि सनई में गिरावट आयी है और हल्दी का उत्पादन शूल्य हो गया है । गन्ने का उत्पादन वर्ष 2001–02 की तुलना में घटा है ।

6.4 सिंचाई

जल केवल मानव जीवन के लिए ही नहीं बल्कि कृषि के लिये भी अनिवार्य तत्व या साधन है । भारत में कृषि पूर्णतः मानसून पर निर्भर रहतीं है, यहाँ वर्षा की अनिश्चितता रहती है अतः कृषि में भी अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, वर्षा का वितरण देश में असमान है जिन स्थानों पर कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराने पर ही अनुकूल उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है । सिंचाई सुविधायें होने पर बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य समस्या का ही हल एक बढ़ी सीमा तक किया जा सकता है ।

जनपद झाँसी का कृषि क्षेत्र पूर्णतः वर्षा की अनिश्चितता पर आधारित क्षेत्र है । यहाँ पर कृषि मानसूनी वर्षा पर अवलम्बित है, यहाँ पर वर्षा का असमान वितरण है कहीं पर कम व कहीं पर अधिक वर्षा होती है । सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होने पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन भी अधिक किया जा सकता है । खरीफ व रबी दोनों तरह की फसलों में सिंचाई की व्यवस्था आवश्यक है ।

कृषि के लिये सिंचाई की आवश्यकता :– पौधों को यह जीवन रस दो श्रोतों से प्राप्त होता है ।

1. **प्रत्यक्ष रूप में :–** प्रकृति द्वारा वर्षा के पानी के रूप में ।
2. **अप्रत्यक्ष रूप में :–** अप्राकृतिक साधनों जैसे – नहरें, तालाब, कुऐं आदि ।

जनपद में कृत्रिम साधनों के अन्तर्गत नहरें, तालाब, नलकूप, कुऐं, पम्पिंग सैट व रहट शामिल हैं । वर्षा के सम्बन्ध में अनिश्चितता रहती है, जनपद में किसी वर्ष तो वृष्टि हो जाती है लेकिन अधिकतर वर्षों में अनावृष्टि ही दृष्टिगोचर होती है । जिसके फलस्वरूप सूखा पड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । जनपद में 90 प्रतिशत वर्षा जुलाई से सितम्बर के बीच होती है और केवल 10 प्रतिशत वर्षा अन्य महीनों में होती है ।

जनपद में सिंचाई के साधन :– यहाँ पर कृषि को जल उपलब्ध कराने वाले सिंचाई के निम्नलिखित साधन हैं –

कूप :– जनपद में सिंचाई के लिये कृषक कुओं पर निर्भर हैं, कुंए कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार के हैं । कुओं में जल श्रोतों के फूटने पर प्राप्त होता है । कुओं से जल निकालने के

लिए गांवों में पहले बैलों का प्रयोग किया जाता था लेकिन अब डीजल इंजन व विद्युत पम्पों द्वारा अधिकतर कुओं से सिंचाई के लिये जल निकाला जाता है । कृषकों को आर्थिक कठिनाई का सामना इनके निर्माण के लिये करना पड़ता है । इस सम्बन्ध में सरकार ऋण तो उपलब्ध कराती ही है लेकिन ऋण की औपचारिकता में अधिक समय व कमीशनबाजी के कारण कृषकों को समुचित ऋण नहीं मिल पाता । यदि सरकार द्वारा कृषकों को आसान शर्तों पर गांव में ही ऋण उपलब्ध करवा दिया जाये तो सिंचाई के लिये कुओं का विस्तार किया जा सकता है ।

नलकूप :– सिंचाई के लिये वर्तमान में नलकूप को अधिक महत्व दिया जाता है । इसकी सहायता से जल की प्राप्ति सरलता से की जाती है । नलकूपों से सिंचाई करना या स्वयं लगवाना साधारण कृषक के लिये सम्भव नहीं है क्योंकि इसकी लागत व्यय अधिक है । इसलिये सरकार को जनपद में नलकूपों की व्यवस्था करनी चाहिये ।

तालाब :– तालाबों का निर्माण वैसे तो अधिकतर प्राकृतिक बनावट से ही होता है इनमें सिंचाई के लिये जल एकत्रित किया जाता है । तालाब की स्थिति के अनुसार इनका क्षेत्रफल कम व अधिक होता है । इनका जल सिंचाई के लिये अत्यधिक उपयुक्त माना गया है । लेकिन इनसे सिंचाई करने में कठिनाई होती है क्योंकि इनसे पम्पिंग सैट द्वारा पानी खेतों तक पहुँचाया जा सकता है इसके साथ ही इनके कच्चे होने के कारण पानी सूख जाता है और इन तालाबों को कम वर्षा की स्थिति में नहीं भरा जा सकता । तालाबों से पानी खेत तक पहुँचाने में अत्यधिक श्रम करना पड़ता है ।

जनपद में नहरें :– जनपद में नहरें भी सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । नहरों के निर्माण पर व्यय तो अधिक आता है परन्तु इनसे सिंचाई करते समय कृषकों को अधिक व्यय नहीं करना पड़ता क्योंकि इनसे पानी सस्ती दरों पर तथा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है । इससे कृषक बहुत लाभान्वित होते हैं तथा उत्पादन में वृद्धि होती है ।

सिंचित क्षेत्रफल :– जनपद में विभिन्न साधनों द्वारा सींचे गये क्षेत्रफल को निम्न तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या – 42

जनपद में विकासखण्डवार विभिन्न साधनों से सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

वर्ष विकासखण्ड	नहरें	नलकूप राजकीय	नलकूप निजी	कुऐं	तालाब	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1999-00	89460	2182	3539	77056	2051	9149	183437
2000-01	77400	4198	4197	80513	2400	12333	181041
2001-02	90073	2080	3637	86805	4860	9471	196926
2002-03	96320	2688	3856	86421	5757	10167	205209
विकास खण्डवार 2002-2003							
1. मोंठ	28112	690	531	1597	0	648	31578
2. चिरगांव	17708	1227	1223	10483	548	475	31664
3. बामौर	19543	317	1172	1556	13	2594	25195
4. गुरसरांय	9758	114	273	8183	1620	1530	21478
5. बंगरा	5540	0	140	15405	1404	1693	24182
6. मऊरानीपुर	8519	258	336	21355	283	2243	32994
7. बबीना	214	0	0	15864	353	200	16631
8. बड़ागाँव	6926	82	164	11906	1533	784	21395
योग ग्रामीण	96320	2688	3839	86349	5754	10167	205117
नगरीय	0	0	17	72	3	0	92
योग जनपद	96320	2688	3856	86421	5757	10167	205209

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2000–01 में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 77400 हेक्टेयर था वह 2002–03 में बढ़कर 96320 हेक्टेयर हो गया । जनपद में राजकीय एवं निजी नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है तथा कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में कमी आयी है इसका मुख्य कारण जनपद में नलकूपों की संख्या में वृद्धि होना है । तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में पिछले पांच वर्ष से लगातार वृद्धि हुई है इसका कारण कुओं के जलस्तर का घटना है क्योंकि जनपद झाँसी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण गर्मियों में यहाँ पानी का जलस्तर घट जाता है । तथा अन्य साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है । तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि जनपद में वर्ष 2001–02 में समस्त साधनों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल 196926 हेक्टेयर था जो वर्ष 2002–03 में बढ़कर 205209 हेक्टेयर हो गया ।

जनपद में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल रेखाचित्र के माध्यम से पृष्ठ संख्या 133 में दर्शाया जा रहा है –

विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
वर्ष 2002—03

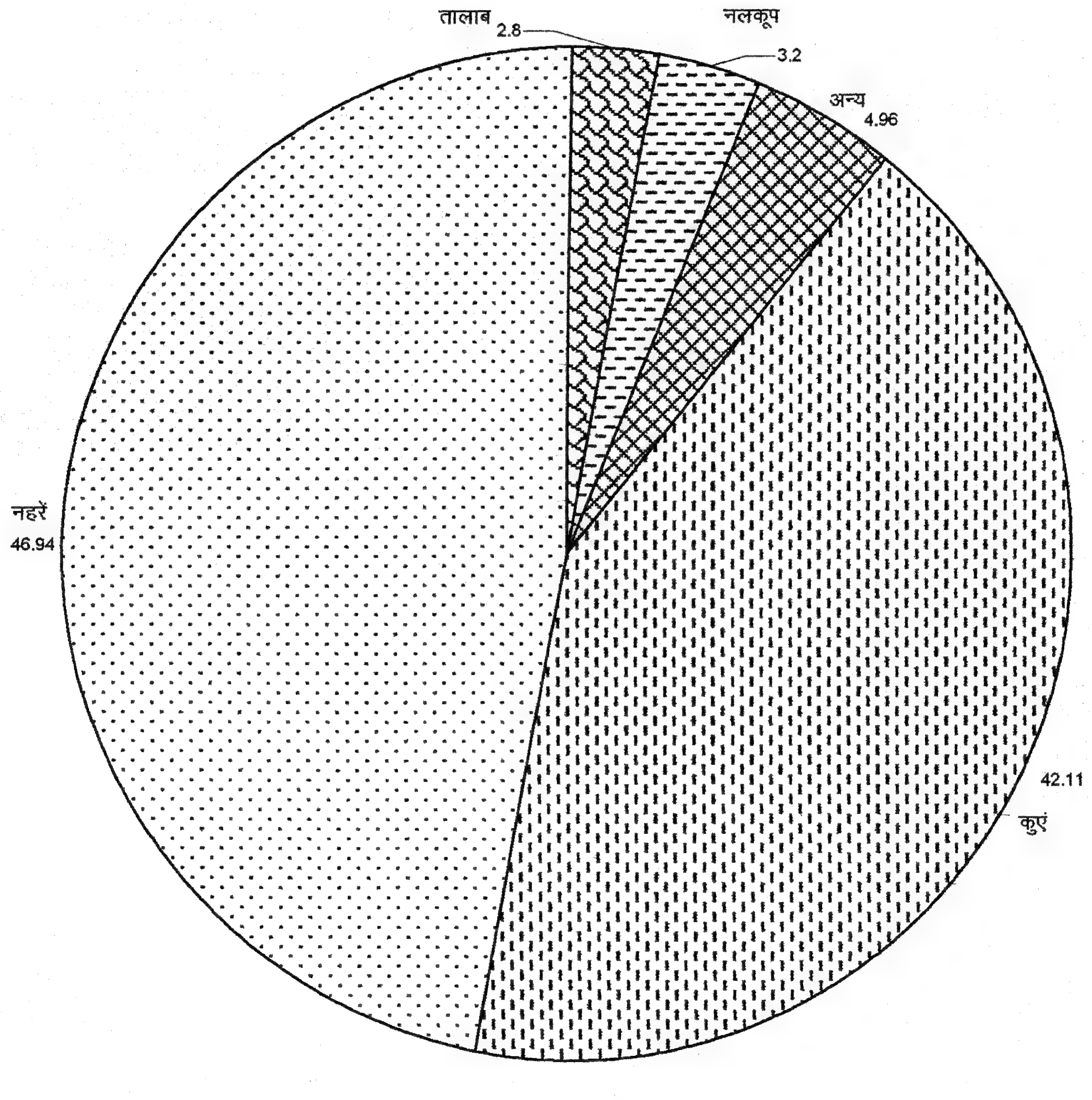

कुल सिंचित क्षेत्रफल

205209

(100%)

तालिका संख्या – 43

जनपद में विकास खण्डवार सिंचाई साधनों एवं स्रोतों की 31 मार्च, 2004 की स्थिति

वर्ष विकासखण्ड	नहरों की लम्बाई (कि.मी.)	राजकीय नलकूप (सं0)	पक्के कूप (सं0)	भूस्तरीय पम्पसैट (सं0)	उथले नलकूप विद्युत चालित (सं0)	उथले नलकूप डीजल चालित (स0)	उथले नलकूप अन्य (सं0)	उथले नलकूप योग (सं0)	गहरे नलकूप (सं0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001-02	1196	89	25606	1763	504	8961	181	9646	278
2002-03	1196	89	25712	2397	546	9261	181	9988	312
2003-04	1196	89	25712	2830	571	9460	181	10212	354
विकास खण्डवार 2003–04									
1. मोंठ	384	38	1130	278	84	1443	24	1551	51
2. चिरगांव	62	26	1507	343	67	1328	46	1441	39
3. बामौर	323	14	1143	328	89	873	3	965	65
4. गुरसरांय	108	3	1455	368	81	1190	4	1275	60
5. बंगरा	51	0	5077	414	42	986	23	1051	29
6.मऊरानीपुर	111	4	4269	272	126	1434	67	1627	62
7. बबीना	10	0	5993	431	19	826	0	845	11
8. बड़ागाँव	147	4	5138	396	63	1380	14	1457	37
योग ग्रामीण	1196	89	25712	2830	571	9460	181	10212	354
नगरीय									
योग जनपद	1196	89	25712	2830	571	9460	181	10212	354

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2001–03 तक नहरों की लम्बाई 1196 किमी0 रही है । इन वर्षो में इनकी लम्बाई में कोई वृद्धि नहीं हुई है । विकासखण्ड मोंठ में नहरों की लम्बाई सभी विकासखण्डों में सबसे अधिक तथा बबीना में सबसे कम 10 किमी0 है । जनपद में पिछले पांच वर्षो से नलकूपों की संख्या 89 ही है । जिसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है । इसी तरह राजकीय नलकूपों की संख्या विकासखण्ड मोंठ में 38 है । जबकि बबीना तथा बंगरा में इनकी संख्या शून्य है । भू स्तरीय पम्पसैट, विद्युत चालित और डीजल चालितों की संख्या में गत वर्षो की तुलना में वृद्धि हुयी है । वर्ष 2002–03 में पक्के कूपों की संख्या बबीना में सबसे अधिक 5993 तथा मोंठ में सबसे कम 1130 है । भू स्तरीय पम्प सैटों की संख्या बबीना में सबसे अधिक 431 तथा मऊरानीपुर में सबसे कम 272 हैं । उथले नलकूपों में विद्युत चालित सबसे अधिक 126 मऊरानीपुर में सबसे अधिक तथा बबीना में सबसे कम 19 है । और डीजल चालितों मोंठ में सबसे अधिक 1443 तथा बबीना में सबसे कम 826 है।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई :– जनपद में वृहद एवं मध्यम सिंचाई बेतवा नहर, गुरसरांय नहर, स्यावरी नहर, पहूज बांध, गढ़मऊ बांध, कचनेव बांध, डांगरी बांध, भरतपुर पम्प कनोल, बराटा पम्प केनाल द्वारा होती है ।

6.5 बीज एवं उर्वरक

भारत में समुचित खाद्य की व्यवस्था न होने के कारण भी खेतों की उपज कम है । लेकिन ऐसा भी प्रतीत होता है कि खेतों की उर्वरा शक्ति में भी बहुत तेजी से कमी होती जा रही है । इसी तरह की स्थिति जनपद झाँसी की कृषि की है, जनपद में विभिन्न फसलों की उपज भी धीरे–धीरे कम होती जा रही है । इसका मुख्य कारण पर्याप्त मात्रा में खाद का न मिलना और असावधानी पूर्वक फसलों को उगाने से भूमि में पोशक तत्वों की कमी है । सम्भवतः जनपद में भूमि की उर्वरा शक्ति के कम हो जाने के कारण ही प्रति एकड़ उत्पादन कम हो गया है ।

खाद की किस्में :– खाद का प्रयोग भूमि के लिये अति आवश्यक है ये खादें निम्न कार्य करती हैं –

1. पौधों को भोजन प्रदान करना ।
2. वृद्धि की प्रवित्त और भोजन के गुण परिवर्तित करना ।
3. भूमि पर प्रक्रिया और आद्रता की सीमा तक शक्ति को स्थिर रखना ।

4. भूमि गैस को सीमित करना ।

खादों के कृषि में प्रयोग होने के कारण :– खादों के प्रयोग के कृषि में निम्न कारण हैं –

1. पौधों को खाद्य पदार्थ देने के लिये ।

2. फसलों को उचित मात्रा में और उचित समय में खाद्य पदार्थ देकर के उत्पादन बढ़ाने के लियें ।

3. प्रत्येक फसल को उन तत्वों को देने के लिये जिससे वह स्वयं भूमि से नहीं प्राप्त कर सकतीं ।

4. भूमि की उर्वरा शक्ति बनाये रखने के लिए ।

जनपद में उपयोग की जाने वाली खादों में पशु खाद, मानव खाद, और हरी खाद प्रमुख हैं । जिनका प्रयोग जनपद में सफलता पूर्वक किया जा सकता है । रासायनिक खादों में अमोनिया सल्फेट, अमोनिया फास्फेट, नाइट्रेट यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटाश नाइट्रेट मुख्य हैं । फसलों का वैज्ञानिक तरीके से हेर–फेर तथा मिश्रित खेती करके भी भूमि की उर्वरा शक्ति को काफी अंश तक प्रभावित किया जा सकता है ।

1. पशु खाद :– जनपद में पशु खाद के रूप में गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है । किसान इसको एक गड्ढे में वर्ष भर एकत्रित करता रहता है और वह बाद में मई जून के महीनों में खेतों में डाल देता है । पशु खाद में हड्डी खाद व मछली की खाद भी आती है जिनका जनपद में कृषकों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता ।

2. मानव खाद :– मानव खाद के रूप में मल मूत्र की खाद आती है । जिनका जनपदवासी प्रयोग नहीं करते लेकिन गांव के किनारे वाले खेतों में यह खाद स्वयं उपलब्ध रहती है ।

3. हरी खाद :–हरी खाद में फसलों की पत्तियाँ व जड़ें आती हैं । यह खाद खेतों में अपने आप उपलब्ध होती है क्योंकि पिछली फसल की पत्तियाँ व जड़ें मिट्टी में रह जातीं हैं जो वर्षा होने पर गलकर खाद में परिवर्तित हो जाती हैं ।

4. रासायनिक खाद :– जनपद में सिंचित क्षेत्र में कृषक उपरोक्त रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं । यद्यपि हरी खाद की पद्धति को अपनाकर भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा में

काफी वृद्धि की जा सकती है । ये हरी खाद पद्धति से ही नाइट्रोजन युक्त खादें बनायी जाती हैं ।

जनपद में उर्वरकों का महत्व :– अन्य प्रकार की खादों की पूर्ति सीमित मात्रा में होती है । इसके कई कारण हैं –

1. इनकी पूर्ति यहाँ पर कम है ।

2. इनका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो लेकिन जनपद में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है । गरीब कृषकों को धनाभाव के कारण कभी–कभी समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है ।

जनपद में उर्वरकों का प्रयोग :– ए0सी0 खाद का उपयोग उपयुक्त समय में ही लाभदायक होता है । लेकित गरीब कृषकों को धनाभाव के कारण कभी–कभी समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है ।

खाद देने की पद्धति में इनकों जैवकीय खादों के साथ मिलाकर देने का ही प्रमुख चलन है मिट्टी की भिन्नता और फसलों के प्रकार पर नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम के तत्वों की आवश्यकता पर निर्भर करती है । कभी–कभी लगातार और केवल कृत्रिम खादों के उपयोग करते रहने से भूमि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । अनुसंधान कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कृत्रिम खादों की तुलना में जैवकीय खादों द्वारा फसलें अधिक उन्नत होती हैं । अनेक परोक्ष लाभों के अतिरिक्त जैवकीय पदार्थों में पोशक तत्व ही मिलते हैं जिन्हें रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते । इसलिये जैवकीय खादों को रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में ही लाभप्रद समझना चाहिए ।

जनपद में उर्वरकों का प्रयोग :– जनपद में उर्वरकों का प्रयोग सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है क्योंकि रासायनिक खादों का प्रयोग केवल सिंचाई सुविधा होने पर ही किया जा सकता है । वैसे जनपद में गोबर की खाद का प्रयोग अधिक होता है । परन्तु अब सुविधायें उपलब्ध हो जाने से रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा है । इनका प्रयोग किस वर्ष में कितना हुआ इसको निम्न तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या – 44

जनपद में विकास खण्डवार उर्वरक वितरण (मी.टन)

वर्ष	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटाश	योग
1	2	3	4	5
1999-00	11047	9432	20	20499
2000-01	11677	10668	18	22363
2001-02	13985	11096	11	250092
2002-03	12891	8961	19	21871
विकास खण्डवार 2002-03				
1. मोंठ	1946	1643	3	3592
2. चिरगांव	1725	1315	2	3042
3. बामौर	1043	727	2	1772
4. गुरसरांय	1488	1230	3	2721
5. बंगरा	1046	603	2	1651
6. मऊरानीपुर	1837	1046	2	2885
7. बबीना	1331	785	2	2118
8. बड़ागाँव	2475	1612	3	4090
योग ग्रामीण	12891	8961	19	21871
नगरीय	0	0	0	0
योग जनपद	12891	8961	19	21871

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि जनपद में उर्वरक के प्रयोग में नाइट्रोजन का उपयोग वर्ष 1999 से 2002 तक बढ़ा है । जो वर्ष 2002–03 में घटकर

12891 मी.टन हो गया है । फास्फोरस का वितरण वर्ष 2002–03 मोंठ में 1643 सबसे अधिक है । बामौर में सबसे कम 727 है । समस्त विकासखण्डों मे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश का वितरण सबसे अधिक बड़ागांव विकासखण्ड के किसान करते है। तथा सबसे कम बामौर विकासखण्ड के किसान करते है। 2001–02 में उर्वरकों का वितरण समस्त विकासखण्डों में 13985 मी0टन नाइट्रोजन का, 11096 मी0टन फास्फोरस का तथा 11 मी0टन पोटाश का वितरण हुआ था । वर्ष 2002–03 नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का वितरण घटा है लेकिन पोटाश का जो 11 मी0टन था बढ़कर 19 मी0टन हो गया है । उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल उर्वरक प्रयोग में 2002–03 में कमी आयी है ।

तालिका संख्या – 45

जनपद में खाद्यान्न भण्डारों की संख्या एवं क्षमता

कम सं0	मद	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04	
		संख्या	क्षमता (मी0 टन)	संख्या	क्षमता (मी0 टन)	संख्या	क्षमता (मी0 टन)	संख्या	क्षमता (मी0 टन)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	भारतीय खाद्य निगम	8	30340	8	30340	8	30340	8	30340
2.	केन्द्रीय भण्डारागार	10	15800	10	15800	10	15800	10	15800
3.	राज्य भण्डारागार	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	राज्य सरकार	73	7300	73	7300	73	7300	73	7300
5.	सहकारिता	21	5814	21	5814	21	5814	21	5814
6.	अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2000 से 2004 तक पिछले पांच वर्षो में जनपद की सभी मदों में खाद्यान्न भण्डारों की संख्या एवं क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

तालिका संख्या – 46

जनपद में विकासखण्डवार कृषि से सम्बन्धित कुछ मुख्य सुविधायें

वर्ष विकासखण्ड	बीज विक्रय केन्द्र संख्या		उर्वरक विक्रय केन्द्र संख्या		कीट नाशक विक्रय केन्द्र संख्या	
	सहकारिता विभाग	कृषि विभाग	सहकारिता विभाग	कृषि विभाग	सहकारिता विभाग	कृषि विभाग
1	2	3	4	5	6	7
1999-00	89460	2182	3539	77056	2051	9149
2000-01	0	0	0	0	0	0
2001-02	0		0		0	
2002-03	62	12	62	0	62	0
विकास खण्डवार 2002-2003						
1. मोंठ	8	2	8	0	8	0
2. चिरगांव	6	1	6	0	6	0
3. बामौर	10	2	10	0	10	0
4. गुरसरांय	9	1	9	0	9	0
5. बंगरा	7	1	7	0	7	0
6. मऊरानीपुर	7	1	7	0	7	0
7. बबीना	8	1	8	0	8	0
8. बड़ागाँव	7	2	7	0	7	0
योग ग्रामीण	62	11	62	0	62	0
नगरीय	0	1	0	0	0	0
योग जनपद	62	12	62	0	62	0

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2002–03 के अनुसार जनपद में बीज विक्रय केन्द्र संख्या (सहकारिता विभाग) सबसे अधिक 10 बामौर विकासखण्ड में है । सबसे कम 6 चिरगांव में हैं । विकासखण्ड बड़ागांव, मऊरानीपुर और बंगरा मे 7 हैं । मोंठ और बबीना विकासखण्ड में 8 तथा गुरसरांय में 9 हैं । कुल जनपद में बीज विक्रय केन्द्र संख्या (सहकारिता विभाग) 62 है । कृषि विभाग के बीज विक्रय केन्द्र जनपद में 12 ही हैं । उर्वरक विक्रय केन्द्र संख्या सहकारिता विभाग वर्ष 2002–03 के अनुसार 62 हैं । कीट नाशक विक्रय केन्द्र संख्या सहकारिता विभाग की 62 है । सबसे अधिक 10 बामौर

विकासखण्ड में है । सबसे कम 6 चिरगांव में हैं । विकासखण्ड बड़ागांव, मऊरानीपुर और बंगरा मे 7 हैं । मोंठ और बबीना विकासखण्ड में 8 तथा गुरसरांय में 9 हैं ।

तालिका संख्या – 47

वर्ष/विकास खण्ड	कुल ग्रामीण गोदामों की क्षमता (मी.टन)	कृषि रक्षा इकाई संख्या	राजकीय कृषि संयंत्र	
			संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
2001-02	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0
2003-04	24500	9	4	100
विकास खण्डवार 2003-2004				
1. मोंठ	100	1	1	25
2. चिरगांव	1100	1	0	0
3. बामौर	1100	1	0	0
4. गुरसरांय	900	1	1	25
5. बंगरा	100	1	1	25
6. मऊरानीपुर	900	1	0	0
7. बबीना	900	1	1	25
8. बड़ागाँव	700	1	0	0
योग ग्रामीण	6500	8	4	100
नगरीय	18000	1	0	0
योग जनपद	24500	9	4	100

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2002–03 के अनुसार जनपद में कुल ग्रामीण गोदामों की क्षमता 24500 (मी.टन) है । तथा कृषि रक्षा इकाई सभी विकासखण्डों में एक एक है तथा एक नगर क्षेत्र में है इस प्रकार इनकी कुल जनपद में संख्या 9 हैं । राजकीय कृषि संयंत्र जनपद में केवल विकासखण्ड बबीना, बंगरा, गुरसरांय और मोंठ में ही हैं । इनकी संख्या जनपद में कुल 4 है ।

6.6 कृषि तथा कृषि विकास

कृषि सभी उद्योगों की जननी और मानव जीवन की पोषक रही है । यह सभी विज्ञानों और कलाओं की सिरमौर सभ्यता का प्रतीक और प्रगति कार सूचक मानी जाती है । कृषि को आर्थिक विकास की कुंजी कहा जा सकता है क्योंकि औद्योगीकरण मूल रूप से कृषिगत विकास की देन है । विशेष रूप से अब विकासशील राष्ट्र जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है । अपने सीमित साधनों द्वारा आर्थिक विकास की दर ऊँची तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वे आधारभूत कृषि उद्योग को उन्नत न कर लें । *श्री यूर्गोवायी के मतानुसार,''कृषि आय में वृद्धि आर्थिक विकास की कुंजी है और यदि कोई राष्ट्र सर्वप्रथम उसे प्राप्त करने में असफल रहता है तो समस्त विकास प्रकिया अवरूद्ध हो सकती है । ''* प्रो0लुईस लेले, वाईनर तथा किन्डल बर्जर जैसे अर्थशास्त्रियों का भी मत है कि विकास प्रक्रिया में कृषि विकास को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू मांग की पूर्ति, आत्मनिर्भरता एवं निर्यात वृद्धि जैसी आधारभूत समस्याओं को कृषिगत विकास से ही हल किया जा सकता है । संक्षेप में आर्थिक विकास में कृषि का महत्व निम्नलिखित बातों पर परिलक्षित होता है –

1. खाद्य सामग्री की वृद्धिशील मांग को पूरा करना :– कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री का उपलब्ध करना है क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है और खाद्य सामग्री की मांग भी बढ़ रही है जो कि कृषि के लिये एक खुली चुनौती है । अतः अगर खाद्या सामग्री की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जाये तो आर्थिक विकास का ढाँचा चरमरा उठेगा और जीवन स्तर गिर जायेगा ।

2. औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति :– कृषि औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति का मुख्य श्रोत है । यदि कृषि क्षेत्र पिछड़ा है तो उद्योगों का विकास मन्द होगा और आर्थिक विकास की दर नीची बनी रहेगी । *प्रो0 रोस्टोव के अनुसार, ''कृषि औद्योगिक विकास की आधारशिला है और कृषि उत्पादन औद्योगीकरण के लिये मूलभूत चालू पूंजी है ।''*

3. पूंजी निर्माण में सहायक :– कृषि पूंजी निर्माण में सहायक है । इसमें जीवन स्तर को कम किये बिना पूंजी बचाओ अभियान के तहत उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और आर्थिक विकास के लिये साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं ।

4. विदेशी विनिमय का स्रोत :– आर्थिक विकास के लिये पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा में आयात की आवश्यकता होती है । कृषि का विस्तार व विकास होने से निर्यात क्षमता बढ़ जाती है । जिससे विकास को बढ़ाने में मदद मिलती है ।

5. औद्योगिक माल का बाजार तैयार करना :– कृषि उत्पादकता की वृद्धि से आय बढ़ती है जिससे औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ती है और औद्योगिक क्षेत्र का निरन्तर विकास होता है । इस प्रकार कृषि औद्योगिक क्षेत्र के पूरक के रूप में भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है ।

6. औद्योगीकरण बनाम कृषिगत विकास :– ये दोनो एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं क्योंकि कृषि ही औद्योगीकरण की जननी है । दूसरे शब्दों में कृषि के लिये उत्तम तकनीक उद्योगों से ही प्राप्त होती है । किसी भी क्षेत्र या देश का कृषि उद्योगों के बीच एक वांछित सन्तुलन स्थापित किये बिना न तो आर्थिक कियाओं को जारी रखा जा सकता है और न ही दीर्घकालीन विकास हो सकता है ।

7. कृषि :– कृषि कार्य पुराने और पिछड़े तरीके द्वारा किया जाता है जो निम्न उत्पादकता और निर्धनता के लिये उत्तरदायी है । अतः इस क्षेत्र में विकास नीति का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए चूँकि इन क्षेत्रों में प्रतिकूल सामाजिक तथा संस्थानिक ढांचा कृषि उत्पादकता में सबसे बड़ी बाधा है । इसलिये हमारा प्रयास वर्तमान ग्रामीण ढांचे में बदलाव लाने और उसे विकासोन्मुख बनाने का होना चाहिये ।

उपर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास और कृषि में गहन सम्बन्ध है कृषि विकास के लिए सिंचाई की सुविधाओं का अधिक विकास करना होगा । अच्छे बीज व उर्वरकों का प्रयोग करना होगा । सुविधाओं में वृद्धि करने पर उत्पादन बढ़ेगा तो व्यक्तियों की बचत व उपभोग में वृद्धि होगी तथा जीवन स्तर ऊँचा उठेगा । कृषि के विकास होने पर ही आर्थिक विकास की दर भी बढ़ेगी ।

♦♦♦♦♦♦♦

अध्याय 7

झाँसी जनपद का औद्योगिक विकास

अध्याय – 7

उद्योग और आर्थिक विकास

औद्योगीकरण शब्द उद्योग से बना है । जिसका अर्थ किसी वस्तु अथवा सेवा के निर्माण से लगाया जाता है । लेकिन मानव किसी नवीन वस्तु को जब उत्पादित करता है तो वह उसकी बुद्धि कला और चतुराई का परिणाम है । इसलिये वर्तमान में उद्योग का अर्थ विज्ञान एवं तकनीक सहायता से नवीन उपयोगिताओं या मूल्यों के निर्धारण से लगाया जाता है । जब उद्योगों की श्रृंखला व्यापक रूप धारण कर लेती है तो एक प्रक्रिया बन जाती है । इसी को औद्योगीकरण कहते हैं ।

आर्थिक विकास से तात्पर्य है किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन आना जिसके फलस्वरूप व्यक्तियों में रोजगार की वृद्धि और प्रति व्यक्ति तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना । प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से रहन सहन का ऊँचा स्तर हो जाता है । जिससे विकास की गति तेज हो जाती है ।

आर्थिक विकास और उद्योग एक दूसरे के महत्वपूर्ण पूरक हैं । वर्तमान युग का औद्योगीकरण आधार है । आज प्रत्येक देश औद्योगीकरण की दौड़ में बराबर बढ़ता जा रहा है । इसका कारण यह है कि औद्योगीकरण के आधार पर ही एक देश का आर्थिक विकास मापा जा रहा है । विश्व के जितने भी विकसित देश हैं वे सब उन्नत औद्योगिक देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं । अतः जो देश अभी तक अपना विकास नहीं कर पाये हैं वे औद्योगीकरण करके अपने विकास में लगें हैं । औद्योगीकरण राष्ट्रों को सम्पन्न बनाता है । प्रति व्यक्ति आय बढ़ाता है । जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाता है । परम्परागत अर्थव्यवस्था में व्याप्त अवरोधों को समाप्त करता है । राष्ट्र को आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए नवीन दिशा प्रदान करता है । **बाटर्न,** *"श्रम व उद्योग मानव के समान हैं जो सब अच्छे अच्छे पदार्थों को पास खींच लेते हैं ।"*

मानव जीवन में श्रम व उद्योग का अधिक महत्व है । श्रम व उद्योग एक विशेष आर्कषण है । आधुनिक युग में अनेक मानव विकास की ओर उन्मुख हैं । भौतिक सुख व समृद्धि के लिए अर्थतंत्र अत्यधिक आवश्यक है और उसकी प्राप्ति के लिए मानव को श्रम व उद्योग का सहारा लेना पड़ता है । उपर्युक्त कथन पूर्णतः सत्य हैं । मानव श्रम व उद्योग के

बल पर प्रत्येक अच्छे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है । उद्योगी व्यक्ति को कभी भी किसी भी चीज कमी नहीं पड़ती है ।

झाँसी के औद्योगिक संगठन की रूपरेखा :–

औद्योगीकरण आधुनिक युग का मौलिक आधार है । यही कारण है कि आधुनिक युग औद्योगिक युग का प्रतीक बन गया है । औद्योगीकरण किसी राष्ट्र की प्रगति एवं सम्पन्नता का केवल आधार ही नहीं वरन् उसके विकास का मापदण्ड माना जाता है । औद्योगिक विकास आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं से ग्रसित अनेकों पिछड़े हुए क्षेत्रों के नवनिर्माण के लिए आशा की एक ऐसी किरण के समान है जो उन्हें अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाती है । जिसमें पिछड़े हुए समाज को ऊपर उठाने की असीम क्षमताएं विद्यमान हैं ।

औद्योगिक विकास आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया है जो किसी परम्परागत अर्थव्यवस्था में व्याप्त अवरोध के समान समाप्त करके आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की नयी दिशाएं प्रदान करतीं हैं । ***श्री ब्राइस के अनुसार – "विकास के किसी भी सुदृढ़ कार्यकम में औद्योगिक विकास को अनिवार्यताः एवं अन्ततः एक व्यापक भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है ।"***

औद्योगिक विकास की इसी अपरिहार्यता एवं सार्वभौमिकता को देखते हुए ***पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था – "समस्त शब्द जिस देवता का पूजन करते हैं, वह देवता है औद्योगीकरण। वह देवता है मशीन । वह देवता है वृहत उत्पादन तथा अधिकाधिक लाभ के लिए प्राकृतिक शक्तियों एवं साधनों का प्रयोग ।"***

कोई राष्ट्र प्रकृति प्रदत्त साधनों की प्रचुरता से औद्योगिक विकास के चरण में कदम रखता है और कोई मानवीय साधनों की प्रचुरता से किसी के पास पूँजी निर्माण औद्योगिक विकास का आधार है किसी के पास पर्याप्त तकनीकी या आर्थिक प्रकृिया नहीं है अपितु सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक तत्व भी उससे जुड़े हैं । श्री नर्म्से के अनुसार – "मानवीय गुणों सामाजिक प्रदृत्तियाँ राजनैतिक दशाओं व ऐतिहासिक घटनाओं का विकास से अत्यन्त निकट सम्बन्ध होता है । "

झाँसी क्षेत्र का उत्तर प्रदेश संगठन में अपना अलग स्थान है । यह क्षेत्र के विभिन्न खनिज सम्पदाओं से सम्पन्न है । यहाँ काँचरेत, चुनककारा, खड़िया मिट्टी, इमारती बालू, इमारती पत्थर, ग्रेनाइट तथा पायरी फिलाइट पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ।

7.1 परम्परागत उद्योग

औद्योगिक क्षेत्र में बी.एच.ई.एल.,मिल, बैद्यनाथ प्राणदा, डायमंड सीमेंट, कंक्रीट उद्योग (बिजौली) आदि अनेक औद्योगिक कारखानें हैं जो औद्योगिक विकास मे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखे है ।

इन कारखानों में संचालन में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है । बड़े पैमाने के उद्योगों के अतिरिक्त बहुत से छोटे – छोटे पैमाने के उद्योग और लघु औद्योगिक इकाईयाँ भी औद्योगिक विकास में अपना अलग–अलग स्थान बनाए हुए हैं । जैसे – स्टोन केशर उद्योग, कारपेट उद्योग, हैन्डलूम उद्योग, दाल मिल, मसाला उद्योग, खिलौना उद्योग तथा बीड़ी उद्योग आदि ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झाँसी :–

औद्योगिक क्षेत्र में हलचल मचाने वाला तथा पूर्णतः भारतीय व्यावसायिक तकनीकी जानकारी से परिपूर्ण भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड नामक यह कारखाना बुन्देलखण्ड मे झाँसी क्षेत्र से लगभग 14 किमी0 दूर खैलार मे स्थित है। इसकी अलौकिक विशेषता यह है कि इसमे विदेशी सहयोग का समावेश नहीं हैं ।

झाँसी के इस विशाल कारखाने मे उच्च बोल्टता, उपकेन्द्रो, इस्पात उद्योगों में और रेलों में प्रत्यावर्ती धारा के लिये विभिन्न स्पेशल ट्रांसफार्मरों का निर्माण किया जाता है । औद्योगिक विकास में इस कारखाने का महत्वपूर्ण योगदान हैं।

भेल झाँसी में पेपरफज सिस्टम की स्थापना हुई तथा भेल झाँसी विश्व के सर्वोत्कृष्ट ट्रॉंसफार्मरों का निर्माण करने लगा है ।

आयुर्वेदिक दवा उद्योग :–

झाँसी के प्राकृतिक वनों में उपलब्ध जड़ी बूटियों से औषधियाँ तैयार की जाती हैं । यहाँ आयुर्वेद दवाओं की भरमार है । बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन की दवाईयों का विशाल कारखाना झाँसी में व्यवस्थित ढंग से चल रहा है जिसमें सैकड़ों श्रमिक कार्यरत है ।

7.2 मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योग

जनपद में संस्थाओं के अधीन कार्यशील औद्योगिक इकाईयों की संख्या वर्ष 98–99 में 1432 थीं । जिनमें प्रत्यक्ष कुल रोजगार सृजन लगभग 3049 का है । जनपद में मध्य रेल्वे का कैरिज एण्ड वैंगन रिपेयर वर्कशॉप, बी.एच.ई.एल खैलार,सूती मिल, करारी ह्रूम पाईप झाँसी तथा स्लीपर कारखानें, श्री निवास फर्आीलाईजरर्स लिमिटेड गोरा–मछिया झांसी, डायमंड सीमेंट फैक्ट्री झांसी, मीनाक्षी रोलिंग मिल्स झाँसी, कम्बल उद्योग, हैविट मार्केट झाँसी, कंक्रीट उद्योग बिजौली इत्यादि कारखानें प्रमुख हैं ।

झाँसी क्षेत्र न केवल बुन्देलखण्ड बल्कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अपने सम्पूर्ण औद्योगिक संगठन के साथ अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । यह क्षेत्र विभिन्न खनिज सम्पदाओं से सम्पन्न हैं। काँच रेत, ग्रेनाइट, इमारती पत्थर, पापरी फिलाइट पत्थर, चुनकारा तथा खड़िया मिट्टी, इमारती बालू, बर्तन बनाने की मिट्टी, आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कई औद्योगिक कारखाने सफलतापूर्वक संचालित किये जा रहे हैं तथा झाँसी के औद्योगिक विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाये हुये हैं ।

जनपद झाँसी में वृहद एवं मध्यम उद्योगों की विवरण निम्न प्रकार है –

जनपद में एक औद्योगिक संस्थान ग्वालियर रोड पर कार्यरत है । विकासखण्ड बड़ागांव के कोछाभाँवर में एक चीनी पात्र विकास केन्द्र तथा मऊरानीपुर में ट्रेनिंग कम इन्फारमेंशन सेन्टर कार्यरत है । कच्चे माल की उपलब्धता तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सहायता अंशपूंजी, ऋण, विपणन व्यवस्था । आधुनिकतम तकनीकी जानकारी की उपलब्धता तथा उद्यमकर्ता को प्रशिक्षित किये जाने की मूलभूत सुविधाओं हेतु जिला उद्योग केन्द्र यू0 पी0एफ0सी0, के0 वी0 आई0 सी0, सहायक निदेशालय (हैण्डलूम) आदि संस्थायें भूमिका निभा रहीं हैं ।

जिले के प्रत्येक विकासखण्ड पर उद्यमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिनके माध्यम से उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाता है । जनपद में गुरसरांय, बामौर, चिरगांव, बड़ागांव एवं मऊरानीपुर में मिनी इण्डिस्ट्रियल स्टेट विकसित करने का प्रस्ताव है । जनपद में एक इन्जीनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज भी है । इसके अतिरिक्त राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, लेडिज ट्रेनिंग सेन्टर, कृषि संयत्र, बुनकर एवं डिजाइन सेन्टर कार्यरत है । बड़े पैमाने के उद्योगों के अतिरिक्त झाँसी में अनेक छोटे–छोटे

पैमाने के उद्योग व औद्योगिक इकाइयाँ औद्योगिक विकास में निश्चित स्थान रखते है । जैसे – बीड़ी उद्योग पशु पालन, घी दूध पनीर का कार्य हथकरघा उद्योग, बढ़ई, लुहार के कार्य, पत्थर की कलात्मक वस्तुये, जूते बनाना, तेल निकालना साबुन बनाना, दरी, कालीन बनाना, छपाई, बुनाई, आयुर्वेदिक दवायें बनाना, टोकरी व चटाई उद्योग आदि । यद्यपि झाँसी मे अनेक उद्योग है। फिर भी छोटे उद्योगों का झाँसी में जाल सा बिछा हुआ है जिसमें अनेक पारिवारिक उद्योग शामिल है और अनेक महिलायें इन उद्योगों में लगी हुई है ।

हथकरघा उद्योग :–

झाँसी का मुख्य उद्योग सूत कातना रस्सी बाँटना आदि हैं । जनपद झाँसी के रानीपुर केन्द्र में कार्यरत बुनकर इकाइयों द्वारा निर्मित वस्त्र रानीपुर टेरीकॉट को पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हैं। जहाँ करीब 1200 बुनकर परिवार इस काम में लगे हैं । रानीपुर टेरीकॉट के कपड़े न केवल उ0प्र0 में बल्कि सारे भारत में प्रसिद्ध है। और देश के औद्योगिक विकास मे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है ।

बर्तन उद्योग :–

झाँसी में तमरयाऊ घटिया नामक एक मोहल्ला है । यहाँ सुन्दर अनोखे तथा कलापूर्ण बर्तनों का निर्माण होता है । सुन्दर साँचों के द्वारा अदभुत बर्तन, पीतल के बर्तन, खिलौने, हाथी, घोड़े, तथा अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है । झाँसी में एक वर्ग कुम्हारों का भी है ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जो झाँसी का प्राचीन उद्योग है । घड़े, सुराही, प्यालियाँ, चिलमें आदि मिट्टी की कलात्मक तथा सुन्दर वस्तुएँ झाँसी के कुम्हारों द्वारा बनायी जाती हैं ।

बीड़ी उद्योग :–

उपरोक्त उद्योगों के अतिरिक्त झाँसी का सबसे प्रमुख उद्योग बीड़ी उद्योग भी है । जो बड़े पैमाने पर गरीब जनता द्वारा अपनी आजीविका हेतु अपनाया गया है । किसान व खेतिहर मजदूर अंशकालिक आधार पर तथा अतिरिक्त आय अर्जन हेतु इसे अपनाये हुए हैं । नगरीय क्षेत्र में इसे पूर्णकालिक रूप तथा नियमित आय के साधन के रूप में अपनाया गया है । लगभग 20 से 25 हजार व्यक्ति विशेषकर महिलाएँ झाँसी में इसे अपनाए हुए हैं । बीड़ी उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल तेन्दु पत्ता राज्य में उपलब्ध है । बनी हुई बीड़ियाँ आसपास के जिलों तथा राज्य के बाहर भी निर्यात की जातीं हैं ।

झाँसी का बीड़ी उद्योग झाँसी के गाँव–गाँव में फैला हुआ है । प्रमुख बीड़ी कं0 में अग्रवाल बीड़ी कम्पनी, जगदीश बीड़ी कम्पनी तथा सोनू बीड़ी कम्पनी प्रमुख हैं ।

झाँसी की औद्योगिक संगठन की रूपरेखा को देखते हुए अन्त में यही कहा जा सकता है कि झाँसी औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न है । झाँसी औद्योगिक विकास के प्रत्येक चरण में अपना सहयोग बनाये है । प्रारम्भिक काल में जहाँ इसके औद्योगिक विकास की गति धीमी थी वहीं समय व गति में परिवर्तन के साथ–साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और औद्योगिक विकास की ओर झाँसी निरन्तर अग्रसर है ।

अन्य निर्माण कार्य उद्योग :–

उपरोक्त सभी उद्योगों के अतिरिक्त निर्माण कार्य सतत् जारी रहने वाला कार्य है जिससे निर्धन वर्ग को रोजगार प्राप्त होता है, निर्माण कार्य सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष होतें रहतें हैं । निजी आवास ग्रहों का निर्माण, व्यवसायिक संस्थाओं जैसे– मकानो, गोदामों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कराया जाता है । सार्वजनिक क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, बाँधों, नहर इत्यादि का निर्माण मुख्यतः कराया जाता है । दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार सुलभ होता है ।

जनपदीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्व :–

जनपद की अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है । योजना आयोग के अनुसार लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं । जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है ।

श्री मोरार जी देसाई के अनुसार, "ऐसे उद्योग से देहाती लोगों की जो अधिकांश समय बेरोजगार रहते हैं पूर्ण अथवा अंशकालीन रोजगार मिलता है ।"

जनपद की अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों से प्राप्त लाभ निम्न तथ्यों से वर्णित किया जा सकता है :–

1. **बेकारी व अर्द्धबेकारी में कमी :–** इन उद्योगो से बेकारी व अर्द्धबेकारी में कमी आती है । क्योंकि इनमें कम पूँजी लगाकर अधिक लोगों को रोजगार में लगाया जा सकता है ।
2. **ग्रामीण अर्द्धव्यवस्था के अनुकूल :–** ये उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल है । क्योंकि इनमें कम कच्चा माल गाँवों से ही मिल जाता है ।

3. आय के समान वितरण में सहायक :– इन उद्योगों में श्रमिकों का शोषण नहीं होता, तथा इनका स्वामित्व व्यक्तियों व परिवारों के हाथ में होता है । इससे आय वितरण में समानता आती है ।

4. व्यक्तिगत कला का विकास :– इन उद्योगों से कारीगरों को अपनी कला कौशल से सामान बनाकर जीविका चलाने का अवसर मिलता है । इससे उनकी योग्यता व कुशलता में वृद्धि होती है ।

5. कृषि पर भार की कमी :– इन उद्योगों में व्यक्तियों के लग जाने के कारण कृषि पर जनसंख्या के भार की कमी होती है ।

6. औद्योगिक विकेन्द्रीकरण :– कुटीर व लघु उद्योगों का स्थान गाँवों व कस्बों में होता है । जिससे उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में सहायता मिलती है ।

7. कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता :– इनमें बड़े उद्योगों जैसे अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती ।

8. शीघ्र उत्पादक उद्योग :– इन उद्योगों से जल्दी उत्पादन मिलने से जनपद वासियों को जल्दी आय होने लगती है ।

9. निर्यात में सहायक :– इन उद्योगों की वस्तुओं का दूर–दूर तक निर्यात किया जाता है ।

10. बड़े उद्योगों के लिये सहायक या पूरक :– अर्द्ध निर्मित माल कुटीर एवं लघु उद्योग बना सकते हैं । जिनका उपयोग बड़े उद्योग निर्मित माल के रूप में कर सकते हैं।

उपर्युक्त सभी बातें जनपदीय अर्थव्यवस्था में केवल लघु एवं कुटीर उद्योगां से ही सम्भव है । इनसे स्थानीय साधनों का समुचित उपयोग किया जाता है । इसके साथ ही ग्रामीण बचतें विनियोजित की जाती हैं ।

7.3 जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका

योजना आयोग द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश के 36 पिछड़े जिलों में झांसी भी एक है । जनपद के औद्योगिक विकास हेतु जिला उद्योग केन्द्र निरन्तर कार्यरत हैं ।

उद्योग विभाग द्वारा जनपद में औद्योगिक आस्थानों की स्थापना :–

पहला झांसी से 3 किमी0 दूर ग्वालियर रोड पर स्थित है । जिसका कुल क्षेत्रफल 15 एकड़ है और उसमें 18 शेड, 63 प्लाट बनाये गये हैं एवं 23 इकाइयां कार्यरत हैं । दूसरा ग्राम झांकरी तहसील मऊरानीपुर में स्थित है इसका क्षेत्रफल 13.4 एकड़ है इसमें विकसित भूखण्डों की संख्या 48 है जिसमें 33 भूखण्डों उद्यमियों को आवंटित हैं एवं 5 इकाइयां कार्यरत हैं ।

इसके अलावा झांसी ललितपुर मार्ग पर 8 किमी0 की दूरी पर ग्राम बिजौली में उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर द्वारा 200 एकड़ क्षेत्र में विकसित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गयी जिसमें कुल विकसित भूखण्ड 247 में से 243 आवंटित हैं एवं 48 इकाइयां कार्यरत हैं । शासन द्वारा समय – समय पर स्वीकृत झांसी जनपद में विकासखण्ड बंगरा (3.0 एकड़ भूमि क्षेत्र) विकासखण्ड मोंठ (2.82 एकड़ भूमि क्षेत्र) के औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की जा रही है जो लगभग तैयार है । इनकी आर्थिक गणना कर आवंटन की कार्यवाही की जा रही है । झांसी ललितपुर मार्ग पर झांसी से करीब 9 किमी0 दूर 400 एकड़ भूमि पर ग्रोथ सेंटर की स्थापना की जा रही है जिसमें 150 एकड़ भूमि विकसित की गयी है ।

जनपद में संस्थाओं के अधीन कार्यशील औद्योगिक इकाईयों की संख्या वर्ष 98–99 में 1432 है । जिनमें प्रत्यक्ष कुल रोजगार सृजन लगभग 3049 का है । जनपद में मध्य रेलवे का कैरिज एण्ड वैंगन रिपेयर वर्कशॉप,बी0 एच0 ई0 एल, सूती मिल,करारी ह्यूम पाईप तथ स्लीपर कारखाने, श्री निवास फर्टीलाइजर्स, डायमण्ड सीमेंट इत्यादि कारखानें प्रमुख हैं ।

जनपद में रानीपुर केन्द्र में कार्यरत बुनकर इकाईयों द्वारा निर्मित वस्त्र रानीपुर टेरीकाट को पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हैं ।

एक औद्योगिक संस्थान ग्वालियर रोड पर कार्यरत है । विकासखण्ड बड़ागांव के कोछाभाँवर में एक चीनी पात्र विकास केन्द्र तथा मऊरानीपुर में ट्रेनिंग कम इन्फारमेंशन सेन्टर कार्यरत है । कच्चे माल की उपलब्धता तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सहायता अंशपूंजी, ऋण,

विपणन व्यवस्था । आधुनिकतम तकनीकी जानकारी की उपलब्धता तथा उद्यमकर्ता को प्रशिक्षित किये जाने की मूलभूत सुविधाओं हेतु जिला उद्योग केन्द्र यू0 पी0एफ0सी0, के0 वी0 आई0 सी0, सहायक निदेशालय (हैण्डलूम) आदि संस्थायें भूमिका निभा रहीं हैं ।

जिले के प्रत्येक विकासखण्ड पर उद्यमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिनके माध्यम से उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाता है । जनपद में गुरसरांय, बामौर, चिरगांव, बड़ागांव एवं मऊरानीपुर में मिनी इण्डिस्ट्रियल स्टेट विकसित करने का प्रस्ताव है ।

जनपद में एक इन्जीनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज भी है । इसके अतिरिक्त राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, लेडिज ट्रेनिंग सेन्टर, कृषि संयत्र, बुनकर एवं डिजाइन सेन्टर कार्यरत है ।

तालिका संख्या :– 48

जनपद में औद्योगीकरण की प्रगति
(कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखाने)

क सं	मद	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01
1.	पंजीकृत कारखाना	–	161	158	163
2.	कार्यरत कारखाना	–	59	39	47
3.	कारखाने जिनसे रिटर्न प्राप्त हुए	–	59	39	47
4.	औसत दैनिक कार्यरत श्रमिक एवं कर्मचारियों की सं.	–	4673	3470	4182
5.	उत्पादन मूल्य (,000 रू0)	–	5197735	4048118	5033173

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 1998–99 में जनपद में पंजीकृत कारखानों की संख्या 161 थी जो 2000–01 में बढ़कर 163 हो गयी । कार्यरत कारखानों की संख्या 1998–99 की तुलना में वर्ष 2000–01 में घट गयी है । 1998–99 में कार्यरत कारखानों की संख्या 59 थी । 2000–01 में घटकर 47 हो गयी है । औसत दैनिक कार्यरत श्रमिक

एवं कर्मचारियों की सं. 1998–99 में 4673 थी जो 1999–00 में घटकर 3470 हुई और 2000–01 में बढ़कर 4182 हो गयी है । उत्पादन मूल्य 1998–99 में 5197735 था जो 1999–00 में घटकर 4048118 हुआ और 2000–01 में बढ़कर 5033173 हो गया ।

तालिका संख्या :– 49

जनपद में पंजीकृत कारखाने, लघु औद्योगिक इकाईयाँ, खादी ग्रामोद्योग इकाईयाँ एवं उनमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2002–2003

वर्ष/विकासखण्ड	पंजीकृत कारखाने		लघु औद्योगिक इकाइयाँ		खादी ग्रामोद्योग इकाइयाँ	
	कारखानों की संख्या	कार्यरत व्यक्ति	इकाइयों की संख्या	कार्यरत व्यक्ति	इकाइयों की संख्या	कार्यरत व्यक्ति
1	2	3	4	5		6
2000-01	67	1340	1255	2772	230	1150
2001-02	67	1340	1255	2772	216	1642
2002-03	67	1340	1343	3101	404	926
2003-04	67	1377	1433	3410	404	926
विकास खण्डवार 2003-04						
1–मोंठ	-	-	-	-	-	-
2–चिरगांव	-	-	-	-	-	-
3–बामौर	-	-	-	-	-	-
4–गुरसरांय	-	-	-	-	-	-
5–बंगरा	-	-	-	-	-	-
6–मऊरानीपुर	-	-	-	-	-	-
7–बबीना	-	-	-	-	-	-
8–बड़ागाँव	-	-	-	-	-	-
योग जनपद	67	1377	1433	3410	404	926

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2000–04 तक पंजीकृत कारखानों की संख्या 67 रही जिनमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2003–04 के अनुसार 1377 है । लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 2001–02 में 1255 थी जो 2002–03 में 1343 हुई और 2003–04 में बढ़कर 1433 हो गयी इनमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है । खादी ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या 2000–01 में 230 थी जो 2003–04 में बढ़कर 404 हो

गयी , इनमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 2001–02 के अनुसार 1642 थी जो गिरकर 926 हो गयी । अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि खादी ग्रामोद्योग इकाइयों में कार्यरत व्यक्तियों को रोजगार से हटाया गया है । इससे जनपद में बेरोजगारी बढ़ी है ।

तालिका संख्या :– 50

जनपद में औद्योगिक आस्थान

क सं	मद	2000&2001	2001&2002	2002&2003	2003&04
1.	आस्थानों की संख्या	2	2	4	5
2.	शेडों की संख्या				
	2.1 आवंटित	18	10	18	18
	2.2 कार्यरत	8	8	10	10
3.	प्लाटों की संख्या				
	3.1 आवंटित	63	63	55	129
	3.2 कार्यरत	23	23	30	40
4.	रोजगार में लगे व्यक्तियों की औसत संख्या	165	165	121	130
5.	उत्पादन का मूल्य (,000 रू.में)	144	144	244	265

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में औद्योगिक आस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है जबकि शेडों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । प्लाटों की संख्या आवंटित वर्ष 2002–03 में 55 थी जो वर्ष 2003–04 में बढ़कर 129 हो गयी तथा इनमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है रोजगार में लगे व्यक्तियों की औसत संख्या वर्ष 2002–03 में 121 थी जो वर्ष 2003–04 में बढ़कर 130 हो गयी । उत्पादन के मूल्य में वर्ष 2000 से 2004 तक लगातार वृद्धि हुई है ।

उद्योग केन्द्र की उद्योग नीति :–

1. **पंजीकरण :–** जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयों का प्रस्ताव तथा स्थायी पंजीकरण निः शुल्क किया जाता है । पंजीकरण के उपरान्त ही इकाई विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सुविधायें तथा सहायता के लिये पात्र होती है ।

2. **चुंगीकर :–** सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयों को इकाई पंजीकरण की तिथि से बाहर से यन्त्र, संयन्त्र तथा कारखाना भवन की सामग्री लाने वाले सीमा शुल्क छूट की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । यह सुविधा औद्योगिक इकाईयों के विस्तार तथा नवीनीकरण हेतु भी उपलब्ध रहती है । चुंगीकर छूट हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी इकाई की होती है ।

3. **औद्योगिक आस्थानों में भूखण्ड तथा शेडों का आवंटन :–** जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आस्थानों में उपलब्ध भूखण्ड व शेडों का आवंटन औद्योगिक इकाईयों के स्थापानार्थ किया जाता है । जिसकी वसूली किराया कय पद्धति से 15 वार्षिक किस्तों में की जाती है ।

4. **कारखाना भवन निर्माण सामग्री :–** औद्योगिक भवन निर्माणार्थ नियमित सीमेंट, लोहा या अल्य सामग्री जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है ।

5. **किराया कय पद्धति पर मशीनरी उपलब्ध कराया जाना :–** उत्तर प्रदेश लघु उद्योग नियम के माध्यम से 10 प्रतिशत के मार्जिन पर मशीनें, यन्त्र, संयत्र लघु उद्योग इकाईयों को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं ।

6. **कच्चे माल की सुविधा :–** नियंत्रित कच्चा माल जिसकी औद्योगिक इकाईयों द्वारा अपने उत्पादन हेतु प्रयोग में लाना होता है । जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है ।

7. **मार्जिन मनी ऋण :–** जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से मार्जिन मनी ऋण के अन्तर्गत लघु स्तर इकाईयों को मशीनरी व अन्य उपकरण जिन पर 2 लाख रूपये तक का विनियोजन है की लागत का अधिकतम 20 प्रतिशत ऋण दिये जाने का प्राविधान है ।

8. **बिकी कर छूट :–** जनपद में नयी इकाईयों द्वारा उत्पादित माल पर 7 वर्ष तक बिकीकर की छूट दिये जाने का प्रावधान है । बिकी कर छूट हेतु निर्धारित प्रारूप पर इकाईयों द्वारा आवेदन किया जाता है ।

9. प्रशिक्षण :– उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत ग्रामीण दस्तकारों एवं शिल्पकारों तथा भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें आर्थिक सुविधायें उपलब्ध करायी जातीं हैं

10. खादी तथा ग्रामोद्योग :– जनपद में खादी तथा ग्रामोद्योग के अन्तर्गत विशिष्ट उद्योगों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है । तथा उन्हें उपादान भी दिया जाता है ।

11. उद्यमिता विकास कार्यक्रम :– जनपद को तीव्र गति से औद्योगिक विकास हेतु प्रतिवर्ष सभी तहसीलों में एक वर्ष में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है । जिसमें उन भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योग लगाने हेतु पूर्ण जानकारी दी जाती है ।

12. पावर लूम :– शासन द्वारा तीव्र गति से औद्योगिक विकास हेतु पावर लूम इकाई लगाने वाले उद्यमी को जिला स्तर से जिला उद्योग केन्द्र 250 रू0 प्रति पावर लूम की दर से बैंक में धनराशि जमा कर पावर लूम लाइसेंस प्रमाण पत्र देने की सुविधा प्रदान की जाती है।

उद्योग निदेशालय के सहयोगी संस्थान निगम :– जनपद में उद्योग विकास को सहयोग देने के लिये निम्न संस्थान व निगम कार्यरत हैं –

उत्तर प्रदेश वित्त निगम :– उत्तर वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवम्बर 1954 को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा की गयी थी, जिसका मुख्यालय कानपुर है । जनपद में कार्य हेतु मण्डलीय कार्यालय परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी का कार्यालय है ।

जनपद में लघु व कुटीर उद्योगों की समस्यायें :–

1. कच्चे माल की समस्या
2. तकनीकी समस्या
3. वित्त की समस्या
4. विपणन की समस्या
5. बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता
6. शक्ति की अपर्याप्तता
7. सूचना व परामर्शों का अभाव
8. कुशल प्रबन्धों का अभाव
9. प्रमाणीकरण का अभाव

10. परिवहन सुविधा का अभाव
11. बीमार इकाईयाँ
12. विज्ञापन की कमी

जनपद में लघु उद्योगों के सुधार के उपाय :–

1. सहकारी समितियों का विकास
2. उत्पादन तकनीक में सुधार
3. सलाहकारी संस्थाओं का विस्तार
4. वृहद व लघु उद्योगों में समन्वय
5. किस्तों में नियन्त्रण
6. प्रदर्शनियों व मेलों का आयोजन
7. प्रशिक्षण
8. बिकी की सुविधायें
9. वित्तीय सुविधा

उपर्युक्त उपायों को अपनाकर ही जनपद में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जा सकता है ।

सुझाव

उद्योगों का विकास करके ही आर्थिक विकास की गति बढ़ा सकते हैं ।

उद्योग एवं कृषि :– प्रत्येक देश आर्थिक विकास की योजना बनाते समय इस बात को ध्यान में रखता है कि वह उद्योगों को प्रमुखता दें या कृषि को प्रमुखता दें । क्योंकि यहाँ पर कृषि विकास के साथ साथ ही उद्योगों का विकास करना होगा तभी विकास की गति तेज होगी ।

वास्तव में देखा जाय तो उद्योग एवं कृषि एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वन्दी नहीं । इसलिये यह उचित ही है कि दोनो का विकास किया जाये, न ही कृषि बिना उद्योगों के अपना विकास कर सकती है और न ही बिना कृषि के विकास हो सकता है । एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में चेतावनी दी गयी थी कि "औद्योगिक क्षेत्र में बिना कोई पूरक परिवर्तन होने पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देगी जिससे आर्थिक विकास में रूकावट पैदा हो जायेगी । यानि इस चेतावनी से स्पष्ट है कि कृषि में परिवर्तन करके उत्पादन बढ़ाने के

बिना अगर उद्योग पर अधिक ध्यान देकार प्रगति की गयी तो विकास की गति कम हो जायेगी । इसलिये इन दोनों का साथ–साथ विकास किया जाये तभी क्षेत्र का आर्थिक विकास बढ़ सकता है ।

यातायात और उद्योग :– किसी क्षेत्र का औद्योगिक विकास किसी क्षेत्र के परिवहन के साधनों के विकास पर आधारित होता है । यदि कहीं उद्योगों की सीपना कर दी जाये और यातायात के पर्याप्त साधन नहीं हैं तो उद्योगों के लिये कच्चा माल प्राप्त नहीं हो पायेगा । जिससे उनमें उत्पादन नहीं होगा तो उद्योग को बन्द होने जैसी स्थिति पैदा हो जायेगी । यदि यातायात के विकास को ध्यान में लिया जाये और साथ साथ उद्योगों का विकास किया जाये तो उद्योग के लिये कच्चा माल मिलता रहेगा और फलस्वरूप परिवहन साधनों से तैयार माल भी बाजार में पहुँच जायेगा । इस प्रकार उद्योगों के विकास करने के लिये यातायात के साधनों का भी विकास हो अन्यथा आर्थिक विकास को नहीं बढ़ाया जा सकता ।

जो क्षेत्र उद्योग की दृष्टि से विकसित हैं उनमें यातायात के सभी तरह के साधन अवश्य होते हैं । जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, और वायु परिवहन । इनमें सड़क परिवहन व रेल परिवहन बहुत ही प्रमुख कार्य करते हैं । इनके द्वारा तैयार माल को तुरन्त बाजार तक पहुँचा दिया जाता है और कच्चे माल को उद्योगों में पहुँचा देते हैं । इसलिये उद्योगों के कियाकलाप बिना किसी रूकावट के चलते रहते हैं ।

उद्योग और बेकारी :– उद्योग और जनशक्ति बहुत ही घनिष्टता से कार्य करते हैं । एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता । उद्योगों में मशीनों से कार्य करने के बावजूद व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है । क्योंकि बिना मानव शक्ति के कोई भी मशीनरी कार्य नहीं किया जा सकता ।

मानव शक्ति को लगाने के लिये क्षेत्र की आवश्यकता होती है । जैसे कृषि या उद्योग । उद्योग के होने पर ही व्यक्ति के कार्य का सृजन होता है । पहले लोग यह कार्य कुटीर उद्योग के अन्तर्गत करते थे । तो बड़े पैमाने पर कार्य न होने के कारण सीमित व्यक्ति ही कार्य कर पाते हैं । लेकिन वर्तमान में उद्योग का विकास हुआ इनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है । और उत्पादन में वृद्धि के लिये व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी ही पड़ेगी । इससे आय में वृद्धि हुई है तो राष्ट्रीय आय बढ़ी है । आर्थिक विकास की गति बढ़ी है । इसके फलस्वरूप बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी को कम करने में मदद मिल सकती है।

उद्योग और संचार :– औद्योगिक विकास के लिये संचार के साधनों का विकसित होना भी आवश्यक होता है । विकसित संचार के साधनों के माध्यम से ही उद्योगपति उत्पादन की मांग, पूर्ति, बाजार दशाओं व कच्चे माल व अंतिम उत्पादन की कीमत आदि के सम्बन्ध में नवीनतम सूचनाओं से अवगत होते रहते हैं ।

7.4 उद्योग और आर्थिक विकास

प्रस्तुत विवरण से ये स्पष्ट हो गया है कि उद्योगों का पर्याप्त विकास हो जाने से देश की आर्थिक विकास की गति बढ़ी है । जनपद में गत दशकों में उद्योगों के विकास से आर्थिक विकास में प्रगति हुई है । जनपद में बड़े पैमाने व मध्यम पैमाने के उद्योगों के स्थापित हो जाने से उत्पादन में वृद्धि हुई है । जनपद के लोगों को उद्योगों में रोजगार मिला है । इस प्रकार रोजगार के नये अवसरों का सृजन हुआ है । और व्यक्तियों की आय में वृद्धि हुई है तो इससे आर्थिक विकास की गति भी जनपद में तेजी से हुई है । जनपद में उद्योगों में धीरे–धीरे नवीनता एवं आधुनिकता का समावेश हुआ है । मशीनों का उपयोग कमिक ढंग से बढ़ने लगा है तथा उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं में समयानुसार एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है । सामान्यतः औद्योगिक विकास में स्थिरता न रहकर गतिशीलता आयी है । जो कि क्षेत्र के विकास को दर्शाती है । जनपद में वर्तमान में जिस तरह से उद्योगों का तीव्र गति से विकास हो रहा है उसी तरह से क्षेत्र भी उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है ।

जनपद के विकास कार्यकम :– वार्षिक कार्य योजना 2005–06 के अन्तर्गत उन सभी ऐसे कार्यक्रमों का समावेश किया गया है जिसके अन्तर्गत बेरोगार को रोजगार मिल सके तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वर्ग को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया जा सके । शासन द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । जिन्हें कार्यान्वित करने हेतु विभिन्न बैंकों का लक्ष्य निर्धारित करके सफलता प्राप्ति की जा सकती है । प्रमुख शासकीय योजनाओं का विवरण इस प्रकार है –

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व–रोजगार योजना (डेयरी उद्योग, मसाला उद्योग, रेक्सीन बस्ता बैग तथा लघु सिंचाई व अन्य क्लस्टर (कार्यकलाप) ।

2. प्रधानमंत्री रोजगार योजना
3. स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना
4. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना
5. ग्रामोद्योग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं मनी मार्जिन मनी योजना
6. राष्ट्रीय दलहन योजना
7. निः शुल्क बोरिंग योजना
8. हथकरघा बुनकर योजना
9. पिछड़ी जाति मार्जिन मनी ऋण योजना
10. मतस्य पालन योजना
11. सघन मिनी डेयरी योजना
12. उ0 प्र0 डायवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट
13. सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास योजना

♦♦♦♦♦♦♦♦

अध्याय 8

आय,रोजगार एवं आर्थिक विकास

अध्याय – 8

आय, रोजगार एवं आर्थिक विकास :– आय और रोजगार का आर्थिक विकास के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान है । आय कम होने पर बचत कम तथा विनियोग भी कम होगा । जिससे रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो पायेगा और जीवन स्तर भी निम्न रहेगा । प्रति व्यक्ति आय कम होने पर देश की आय भी निम्न स्तर पर होगी और इस कारण देश का आर्थिक विकास मन्द गति से होगा ।

प्रति व्यक्ति आय की व्याख्या :– अल्प विकसित क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुये होते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय विकसित क्षेत्रों की तुलना में कम होती है । प्रो0 कुरियारा के मतानुसार, ''प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर एक अल्प विकसित देश की आधारभूत विशेषता है ।''

यूजीन स्टील के मतानुसार, ''संसार की 70 प्रतिशत जनसंख्या अल्प विकसित देशों में निवास करती है । जबकि इस जनसंख्या को विश्व की कुल आय का 20 प्रतिशत भाग ही प्राप्त होता है ।'' इसके विपरीत 30 प्रतिशत जनसंख्या को विश्व की कुल आय का 80 प्रतिशत भाग प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि अल्प विकसित देशों में अधिकांश निवासी गरीबी के दुष्चक्र में जकड़े है ।

प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण जहाँ एक ओर अपर्याप्त उत्पादन, बचत का अभाव, सीमित विनियोग तथा निम्न उत्पादन की समस्या देखने में आती है । दूसरी तरफ लोगो का निम्न जीवन स्तर होने से अनेक प्रकार के अभाव व रोग विपन्नता आदि के परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं । पौष्टिक पदार्थो का सेवन नहीं कर पाते जिससे उनका जीवन अल्प पोषित रहता है । इन देशों में औसत उपभोग क्षमता 2000 कैलोरी से अधिक बढ़ नहीं पाती जबकि उन्नत देशों में यह औसत 3000 कैलोरी से भी कुछ अधिक है ।

अल्प विकसित देशों में फैली इस असीम दरिद्रता पर टिप्पणी करते हुए विश्व बैंक के गर्वनर रार्बट मैकसम ने कहा था कि ''असीम दरिद्रता जीवन की एक अवस्था है जो इस प्रकार अल्प पोषण, निरक्षरता रूग्णता ऊँची शैशव मृत्यु दर अल्प पोषण और निम्न जीवन प्रत्याशा द्वारा वधित हो जाती है ।'' यह असीम दरिद्रता की किसी भी परिभाषा से नीचे हो सकती है ।

8.1 झाँसी की प्रति व्यक्ति आय

जिला आय की प्रवृत्ति :– जिला आय की प्रवृत्ति विभिन्न सेक्टरों में स्थिति का जनपद में मुख्य राजस्व स्रोतों से तुलनात्मक आय का विवरण निम्न प्रकार है –

तालिका संख्या – 51

जिला आय की प्रवृत्ति विभिन्न सेक्टरों में

क0 सं	आय के स्रोत	धनराशि लाख रू. में वर्ष 2001–02	धनराशि लाख रू. में वर्ष 2002–03
1.	2	3	4
2.	आबकारी	2342.57	2699.52
3.	खनिज	217.56	418.23
4.	व्यापार कर	4229.07	6738.05
5.	स्टाम्प ड्यूटी	1876.98	2678.31
6.	मनोरंजन कर	134.99	143.00
7.	मण्डर शुल्क (कृषि वर्ष के अनुसार)	580.96	685.10
8.	परिवहन	1080.37	1431.10
9.	रोडवेज	499.83	636.05
10.	स्थानीय निकाय नगरपालिका, नगर पंचायत	1902.18	2046.14
11.	वन विभाग	23.51	28.60
12.	पंचायती राज	8.33	8.33
13.	वॉट माप विभाग	4.82	10.30
14.	अल्प बचत	7504.00	8116.00
15.	मुख्य एवं विविध देय(राजस्व विभाग)	920.76	1053.27
	योग :–	213525.93	26692.00

स्रोत :– सामाजार्थिक समीक्षा 2002–03 राज्य नियोजन संस्थान उ0प्र0 अर्थ एवं संख्या प्रभाग झाँसी ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि गत वर्ष 2001–02 की अपेक्षा वर्ष 2002–03 में प्रत्येक विभाग की आय में वृद्धि हुई है एवं पंचायती राज विभाग की आय स्थिर रही ।

जनपद में प्रतिव्यक्ति औसत आय कम होने के कारण :– जनपद में प्रतिव्यक्ति औसत आय कम होने के निम्नलिखित कारण हैं –

1. **पूँजी का अभाव :–** जनपद में प्रतिव्यक्ति औसत आय कम होने से बचत कम होती है। इसी कारण पूँजी निर्माण की दर भी यहाँ कम रही है । इससे स्पष्ट है कि पूंजी के अभाव में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है अतः उत्पादन मात्रा की कमी में प्रति व्यक्ति आय कम होना स्वाभाविक है ।

2. **बढ़ती जनसंख्या :–** जनसंख्या वृद्धि दर के अनुपात में जनपद की वार्षिक आय नहीं बढ़ी है यहाँ की जनसंख्या वृद्धि प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि में अवरोधक बनी है और इस प्रकार प्रतिव्यक्ति आय का कम रहना सामान्य बात है ।

3. **साहसी योग्यता का अभाव :–** साहसी योग्यता के अभाव में जनपद में नये व्यवसाय व उद्योग स्थापित नहीं हो पाये हैं । योग्य साहसी का अभाव आज भी इस जनपद में बना हुआ है । बड़े उद्योगों की स्थापना के बजाय लघु उद्योगों की स्थापना को भी योग्य साहसी मिलना भी यहां कठिन कार्य है । यही कारण है कि यहां पर उद्योग धन्धें बहुत कम हैं ।

4. **निम्न उत्पादकता :–** यहाँ पर उत्पादकता देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है । कुल उत्पादकता न्यून होने के कारण ही श्रमिकों के पारिश्रमिक की दर भी अपेक्षाकृत कम है।

5. **भाग्यवादिता एवं रूढ़िवादिता :–** इस पिछड़े जनपद में मानव साधन के अविकसित होने के कारण भाग्यवादिता व रूढ़िवादिता का गहन हाथ दिखलायी पड़ता है । श्रमिक अधिक परिश्रम नहीं करना चाहते और न यह उत्पादन की पुरानी तकनीक को बदलना ही चाहते है । उत्पादन परम्परागत विधियों से होने तथा श्रमिकों एवं उत्पादकों के परम्परागत विचारों ने आय स्तर को बढ़ने से रोक रखा है ।

6. **अन्य कारण :–** इन कारणों के अतिरिक्त आधारभूत सेवाओं का अभाव सीमित पूँजी, वित्तीय संस्थाओं की कमी और प्राकृतिक साधनों का उचित विदोहन न हो पाना भी प्रति व्यक्ति आय को कम बनाये रखने में कारण बना हुआ है ।

जनपद में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के सुझाव :— जनपद में प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाने के लिये निम्न उपाय अपनाये जा सकते हैं – जनसंख्या में वृद्धि दर को कम करना, उद्योगों का विस्तार तथा उपयुक्त क्षमता का पूर्ण उपयोग करना व कृषि का आधुनिकीकरण, आधारभूत सेवाओं का विस्तार, बचतों को प्रोत्साहन और पूंजी निर्माण प्रत्येक क्षेत्र में में उत्पादन बढ़ाकर, साहसियों को पर्याप्त सुविधायें और प्रेरणा देकर, शक्ति साधनों में वृद्धि करने, भाग्यवादिता एवं रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिये शिक्षा का प्रसार करना चाहिये और प्राकृतिक साधनों का उचित विदोहन करके जनपद में प्रतिव्यक्ति आय बढ़ायी जा सकती है।

जनपद में प्रतिव्यक्ति आय को बढ़ाकर हम उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की प्रति व्यक्ति आय के स्तर को बढ़ा सकते हैं । कृषि व उद्योगों के विकास के माध्यम से भी प्रति व्यक्ति आय व रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है।

8.1 आय का वितरण

अल्प विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का जनसंख्या के बीच वितरण असमान ढ़ग से होता है । राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग अल्पसंख्यक अमीरों को प्राप्त होता है, जबकि जनसंख्या के बहुत बड़े भाग अर्थात निर्धन वर्ग को राष्ट्रीय आय का थोड़ा भाग ही मिल पाता है । गरीबी एक अभिशाप है किन्तु इससे भी बुरी बात धन का असमान वितरण है । जनपद में आय तथा धन का वितरण अत्यधिक असमान ढ़ग से हुआ है । और विषमता निरन्तर बढ़ती जा रही है । रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा 1985 के सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नतम् 20 प्रतिशत जनसंख्या को कुल आय का 9 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है । जबकि उच्चतम् 5 प्रतिशत को कुल आय का 17 प्रतिशत, उच्चतम् अर्द्ध भाग को कुल आय का 69 प्रतिशत प्राप्त होता हैं । नगरीय क्षेत्रों में स्थिति लगभग इसी प्रकार की है अन्तर है तो केवल इतना कि थोड़े से व्यक्ति बहुत समृद्ध हैं । और बहुसंख्यक अति निर्धन है ।

जनपद के गांव में निर्धनों की अधिकता है उनके पास पर्याप्त मात्रा में उन्नत साधन नहीं है । राष्ट्रीय इसके विपरीत पहले से धनवान कृषक उन्नत तकनीक का उपयोग करके अधिक उपज प्राप्त करते हैं । जिससे उनकी आय अधिक है ।

जनपद में सरकारी कर्मचारियों का आय वितरण :— यहाँ सरकारी कर्मचारियों के आय वितरण में भी असमानता पायी जाती है इसको नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया है ।

इस तालिका में वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मूल वेतन बहुत कम है, शिक्षकों का वेतन ठीक है इसके अतिरिक्त अधिकारी वर्ग के पास आय का अधिक हिस्सा है स्पष्ट है कि इण्टर कॉलेज व डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के पास, प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के पास आय का अधिक भाग है इसके अलावा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पास आय का मध्यम भाग तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पास आय का निम्न भाग है ।

तालिका संख्या – 52

31 मार्च 2002 को जनपद में कर्मचारियों के आंकड़े

कम सं	वेतन वर्ग	मूल वेतन वर्गानुसार			कुल आय वर्गानुसार		
		चतुर्थ श्रेणी	अन्य कर्मचारी शिक्षक सहित	केवल शिक्षक	चतुर्थ श्रेणी	अन्य कर्मचारी शिक्षक सहित	केवल शिक्षक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2550 से कम	2106	6	0	1892	6	0
2.	2550-3000	1123	1	0	96	0	0
3.	3000-3500	1992	1195	0	245	1	0
4.	3500-4000	830	1885	0	349	3	0
5.	4000-4500	49	1524	0	959	714	0
6.	4500-5000	23	1448	10	1274	1119	1
7.	5000-6000	2	1402	72	1310	1576	1
8.	6000-7000	0	930	127	0	2057	5
9.	7000-8000	0	429	89	0	1432	28
10.	8000-9000	0	251	64	0	1037	53
11.	9000-10500	0	447	37	0	634	113
12.	10500-12000	0	137	8	0	375	108
13.	12000-15000	0	179	34	0	489	81
14.	15000-18000	0	109	30	0	249	25
15.	18000-22000	0	18	8	0	179	26
16.	22000-26000	0	3	0	0	102	30
17.	26000-30000	0	0	0	0	28	8
18.	30000 से अधिक	0	0	0	0	3	0
	योग	6125	10004	479	6125	10004	479

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2003–04, झाँसी ।

आर्थिक असमानताओं के लाभदायक प्रभाव :– आय वितरण की असमानता से कुछ लाभदायक परिणाम सामने आते हैं यह परिणाम निम्नवत् हैं –

1. **पूँजी निर्माण का स्रोत :–** आर्थिक विकास के लिये पूंजी निर्माण एक आवश्यक तत्व है, पूंजी निर्माण बचत की मात्रा पर निर्भर करता है, बचत उपभोग के स्तर से प्रभावित होती है । जब आय के वितरण में असमानता होती है तो उपभोग भी कम होता है यानि यह धनी वर्ग उपभोग को उस सीमा से अधिक नहीं बढ़ा पाता, फलस्वरूप अधिक आय के कारण यह वर्ग बचत करने के लिए बाध्य हो जाता है जिससे बचत और पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है।

2. **उत्पादन कुशलता में वृद्धि :–** आय असमानता ही प्रत्येक व्यक्ति को अधिक और कठिन परिश्रम करने के लिये प्रेरित करती है, यदि सभी की आय समान हो तो व्यक्ति अधिक कार्य करना नहीं चाहेगा । अतः उत्पादन कुशलता में प्रेरणा बनाये रखने के लिये आय असमानतायें अति आवश्यक हैं ।

3. **नये उत्पादों के विकास में सहायक :–** प्रारम्भ में नये उद्योगों की वस्तुओं की कीमत अधिक होती है धनी वर्ग ऐसी वस्तुओं को खरीदकर उन उद्योगों को सहारा देते हैं, किन्तु जब उनका उत्पादन बड़ी मात्रा में होने लगता है तो इनकी लागत और कीमत घट जाती है । उदाहरणार्थ रेडियो केवल धनी लोगों के पास होता था लेकिन अब सभी इसे रख सकते हैं।

आर्थिक असमानताओं के हानिकारक प्रभाव :– आय के असमान वितरण से निम्नलिखित हानियां हैं –

1. **साधनों का अनुचित वितरण :–** आय असमानता की वजह से साधनों अनुचित आवंटन होता है जिससे अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता, उत्पादन शक्ति, आय में कमी होती है ।

2. **उत्पादन शक्ति में ह्रास :–** आय असमानता के कारण उत्पादन शक्ति में कमी आती है । उत्पादन की मात्रा कम होने से आय का स्तर गिर जाता है ।

3. **सामाजिक कल्याण में कमी :–** आय का असमान वितरण सामाजिक कल्याण में कमी लाता है । अतः जब धनी लोगों की आय बढ़ती है तो समाज को कम लाभ प्राप्त होता है परन्तु यही अतिरिक्त आय निर्धन व्यक्तियों को मिलती है तो उससे समाज को अधिक लाभ होगा । दूसरे शब्दों में यदि आय धनी व्यक्तियों से निर्धन व्यक्तियों में हस्तान्तरित की जाय तो समाज के कुल कल्याण में वृद्धि होती है ।

4. अन्य प्रभाव :– आय असमानताओं से समाज दो वर्गों में बंट जाता है । जिससे तनाव तथा वर्ग संघर्ष पनपता है । राजनैतिक दृष्टि से आय की असमानायें अस्थिरता को जन्म देती है । इसके कारण ही क्रान्तियाँ होती हैं, सरकारें बदल दी जातीं हैं । नैतिक दृष्टि से आय की असमानतायें अन्यायपूर्ण हैं, एक और धनी व्यक्ति विलासिता का जीवन जीता है तो दूसरी ओर बहुसंख्यक गरीब लोग भूखे और नंगे रहते हैं ।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आय की असमानतायें आर्थिक विकास में साधक नहीं बाधक हैं। और इन्हें निश्चित रूप से कम किया जाना चाहिये । इन्हें कम करने के दो तरीके हो सकते हैं – प्रथम निम्न स्तर की आय को बढ़ाकर, और दूसरा उपाय आय को प्रगतिशील करारोपण द्वारा घटाकर । आय पुनः वितरण की नीति आर्थिक विकास की कीमत पर आधारित नहीं होनी चाहिए । अर्थात् इससे उच्च आय वर्गों की बचत तथा निवेश प्रेरणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये अन्यथा विकास अर्थव्यस्था ठप हो जायेगी ।

8.2 रोजगार की स्थिति

जनपद में ज्यादातर श्रमिक कृषि कार्यों में लगे हुए हैं । जनपद तथा उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसमें कृषि कार्यों में 1919 के अनुसार कृषि में लगे कर्मकरों का कुल जनसंख्या का 86 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत हैं।

जनपद में कर्मकरों की स्थिति :– जनपद में कुल जनसंख्या का 1991 के अनुसार 32. 1 प्रतिशत ही कार्यशील है जो बहुत कम है ।

जनपद के कर्मकरों की गणना :– 1998 आर्थिक गणना के अनुसार जनपद मं कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति –

तालिका संख्या – 53

जनपद में आर्थिक वर्गीकरण 1998

क0सं0	मद	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	2	3	4	3
1. उद्यमों की संख्या				
1.1	कृषि	794	313	1107

1.2	अकृषि	10448	25162	35610
1.3	योग	11242	25475	36717
2.	संस्थानों की संख्या जिनमें सामान्यतया भाड़े पर व्यक्ति कार्यरत हैं (कृषि+ अकृषि)	2112	7790	9902
3.	स्वकार्य उद्योगों की संख्या (कृषि+ अकृषि)	9130	17685	26815
4. उद्यमों में सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति (अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत)				
4.1	पुरूष	16702	61348	78050
4.2	स्त्री	3345	6444	9789
4.3	योग	20047	67792	87839
5. भाड़े पर सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति				
5.1	पुरूष	5672	33932	39604
5.2	स्त्री	918	3317	4235
5.3	योग	6590	37249	43839

उपरोक्त तालिका के अनुसार जनपद में आर्थिक गणना 1998 के अनुसार जनपद उद्यमेां की संख्या में कृषि में लगे ग्रामीणों की संख्या 794 है और नगरीय 313 व अकृषि में उद्यमियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 10448 है जबकि नगर क्षेत्र 25162 ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है । संस्थानों की संख्या जिनमें सामान्यतया भाड़े पर (कृषि+ अकृषि) ग्रामीण क्षेत्र में 2112 है जबकि नगर क्षेत्र में इससे अधिक 7790 व्यक्ति कार्यरत हैं । स्वकार्य उद्योगों की संख्या (कृषि+ अकृषि) नगर क्षेत्र में अधिक है । उद्यमों में सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति (अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत) ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगर क्षेत्र में स्त्रियों तथा पुरूषों दोंनों की संख्या अधिक है । भाड़े पर सामान्यतया कार्यरत व्यक्तियों में पुरूषों की संख्या 5672 ग्रामीण क्षेत्र में है और 33932 नगर क्षेत्र में है । इसी प्रकार स्त्रियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 918 तथा नगर क्षेत्र में 3317 है ।

रोजगार कार्यालयों की स्थिति :– रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 54

रोजगार कार्यालयों द्वारा लगाये गये व बेरोजगार पंजीकृत व्यक्ति

कम सं	मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1-	सेवायोजन कार्यालयों की संख्या	1	1	1	1
2-	जीवित पंजिका पर अभ्यर्थियों की संख्या	36007	32771	34241	37575
3-	वर्ष में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	8071	7214	8276	11680
4-	सूचित रिक्तियों की संख्या	49	54	68	124
	वर्ष में रोजगार पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या	31	5	15	24

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2002–03, 2003–04 झाँसी ।

उपरोक्त तालिका को देखने पर पता चलता है कि जिले में सेवायोजन कार्यालय की संख्या 01 है, जिसमें वर्ष 2002–03 में सजीव पंजी पर अभ्यर्थियों की संख्या 34241 है । इस वर्ष 2003–04 में सजीव पंजी पर अंकित अभ्यर्थियों की संख्या 37575 है वर्ष में अधिसूचित रिक्तियों की संख्या 124 रही,

जिसमें 24 की ही नियुक्ति हो सकी । इसमें अतिरिक्त कार्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को टंकण एवं आशुलिपिक का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

बेरोजगारी :– जनपद में दो तरह की बेरोजगारी है –

1. **शिक्षित बेरोजगारी :–** यहाँ शिक्षित बेरोजगारी की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है । यह 2002–03 में 34241 थी जो बढ़कर 37575 हो गयी ।

2. **अदृश्य बेरोजगारी :–** जनपद में कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों में अदृश्य बेरोजगारी पायी जाती है ये इस तरह की बेरोजगारी है कि कृषि में वर्ष में कुछ समय कार्य करने के

बाद इनको कार्य नहीं मिलता। इन बेरोजगार व्यक्तियों को पारिवारिक उद्योगों में समायोजित किया जा रहा है ।

बेरोजगारी के कारण :– जनपद में बेरोजगारी के मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, हस्त कला एवं लघु उद्योगों का पतन, त्रुटिपूर्ण अर्थ नियोजन, पूंजी निर्माण की गति का मन्द होना, बड़े उद्योगों का धीमा विकास, योजनाओं में उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल देने के बावजूद भी इतने उद्योग धन्धें नहीं हैं । जितने कि लोग उनमें काम करना चाहते हैं । यन्त्रीकरण एवं अभिनवीकरण, बड़े व मध्यम उद्योगों का विस्तार न होना, अधिकतर कर्मकरों का कृषि पर आधारित होना आदि है ।

बेरोजगारी दूर करने के उपाय :– जनपद में बेरोजगारी दूर करने के लिये निम्न उपाय अपनाये जा सकते हैं – जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया जा सकता है, शिक्षा प्रणाली को तकनीकी व व्यवसायिक बनाया जाय, कुटीर व लघु उद्योगों का विकास किया जाये, कृषि की दशा सुधारी जाय, प्राकृतिक साधनों का उचित विदोहन तथा कृषि आधारित उद्योगों का विकास किया जाये, बड़े उद्योगों की स्थापना की जाय और इनकी क्षमता का उपयोग किया जाय । कुटीर व लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये ।

जनपद में बेरोजगारी दूर करने के लिये उद्योगों व व्यवसाय को बढ़ावा देकर शिक्षित बेरोजगी को कम किया जा सकता है तथा कृषि आधारित बेरोजगारों को कुटीर उद्योगों जैसे – मुर्गी पालन, गोंद उद्योग, बुनाई कढ़ाई व हस्तकला आदि को बढ़ावा देकर अदृश्य कृषि बेरोजगारी के भार को कम किया जा सकता है । योजनाओं के अन्तर्गत ऐसे कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए जिससे रोजगार का स्तर सामान्य रूप से बढ़ता जाये । इसके लिए सिंचाई, सड़कें, बिजली, कृषि, वन, ग्रामीण विद्युतीकरण, भूमि संरक्षण, तथा निर्माण कार्य अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है । जिससे भविष्य में रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने का मौका मिलेगा जैसे – स्कूल शिक्षा, अस्पताल, आवास, ग्रामीण पेयजल योजनाएं आदि । रोजगार बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि जनपद में कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाया जाये । इसके लिए खनिज तथा बागानों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है । ऐसे उद्योगों की स्थापना पर बल देना चाहिए जिनसे तुरन्त उत्पादन आरम्भ हो जाता है ।

8.3 प्रति व्यक्ति आय व आर्थिक विकास

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की प्रवृत्ति यह बताती है कि व्यक्ति का जीवन स्तर ऊँचा उठ रहा है । अतः आर्थिक विकास में वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय के कम या अधिक होने पर अधिक आर्थिक विकास में परिवर्तन हो सकते हैं । आज प्रगतिशील युग की मुख्य समस्या आर्थिक विकास की समस्या है, वर्तमान आर्थिक जगत में आर्थिक विकास का विचार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तथा अधिकांश अर्थशास्त्रियों द्वारा किये जाने वाले चिन्तन का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। आर्थिक विकास जैसे कि इस शब्द से स्पष्ट होता है'' अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता के स्थल को बढ़ाना'' विस्तृत अर्थ में आर्थिक विकास से अभिप्राय प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि करना, निर्धनता को दूर करना तथा समान्य जीवन स्तर में सुधार करना है। प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक विकास में बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध हैं, एक का असर दूसरे पर पड़ता है। ***रोष्टोव के अनुसार,*** ''आर्थिक विकास एक ओर पूंजी व कार्यशील शक्ति में वृद्धि दरों के बीच तथा दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि की दर के बीच ऐसा सम्बन्ध है जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है ।''[1]

काउज के शब्दों में, ''आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि प्रकिया से बनता है इस प्रकिया का केन्द्रीय उद्देश्य अर्थव्यवस्था के लिये प्रतिव्यक्ति व वास्तविक आय का ऊँचा और बढ़ता हुआ स्तर प्राप्त होता है ।''[2]

प्रति व्यक्ति आय के उत्पादन को आर्थिक विकास से सम्बन्ध बताते हुये ***विलियमसन एवं बैट्रिक*** ने विचार व्यक्त किया है कि ''आर्थिक विकास या वृद्धि से अर्थ इस प्रकिया से है जिससे किसी देश या क्षेत्र के निवासी उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके प्रतिव्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि करते हैं ।''[3]

प्रतिव्यक्ति आय व आर्थिक विकास का सम्बन्ध स्थापित करते हुये ***हार्वे लिविन्स टीन*** लिखते हैं कि ''विकास में किसी अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने में वृद्धि करना निहित है।''[4]

8.4 रोजगार व आर्थिक विकास

पूर्ण रोजगार से आशय है कि सभी व्यक्ति कार्य पर लगे हैं यानि कोई बेरोजगार नहीं है । इससे श्रम शक्ति का सही उपयोग होता है तो उत्पादन एवं लोगों की आय बढ़ती है, जिससे रहन–सहन का स्तर ऊँचा उठता है और उनकी कार्यशक्ति में वृद्धि होगी, व आय बढ़ेगी जिससे अधिक बचतें और अधिक पूंजी निर्माण होगा, तथा विनियोग में वृद्धि होगी और उत्पादन बढ़ेगा । इनके फलस्वरूप आर्थिक विकास में वृद्धि होगी । आर्थिक विकास ये आशय अर्थव्यवस्था का अधिक विकास यानि अधिक उत्पादन एवं आय का अधिक होना । आर्थिक विकास की दर अधिक होने पर नये–नये रोजगार के अवसरों का सृजन होता है । जनपद की अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित और पिछड़ी हुई है मगर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हो तो श्रमशक्ति का पूरा उपयोग किया जा सकता है । लेकिन अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होती ।

इस प्रकार आर्थिक विकास और रोजगार का घनिष्ठ सम्बन्ध है अगर रोजगार के अवसरों में कमी आये तो उत्पादन कम इससे आय कम होगी और बचत कम होगी तथा विनियोग भी कम होगा इसके फलस्वरूप आर्थिक विकास इस तरह से नहीं करना कि तकनीकी विकास के फलस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हो क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्थिक विकास से राष्ट्रीय आय मे वृद्धि तो होगी लेकिन प्रधान कार्यक्रमों व तकनीकी सुधारों के लागू करने पर रोजगार की संभावना बढ़ने की बजाय घटने लगेगी। क्योंकि उपलब्ध जनशक्ति को उसी अनुपात में खपाया नही जा सकता अतः बेरोगारी में वृद्धि होगी आर्थिक विकास के बढ़ने से बेरोजगारी में कमी होगी । आर्थिक विकास करते वक्त यह ध्यान देना होगा कि विद्यमान बेरोजगारी को देखते हुये उपलब्ध जनशक्ति से सद्उपयोग करने की आवश्यकता है । जब तक जनशक्ति का वैज्ञानिक ढंग से नियोजन नहीं किया जायेगा तब तक बेरोजगारी को कम नहीं कर सकते हैं । इसके लिये शिक्षा व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन करना होगा तथा शिक्षा के मूल्यों में आधुनिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा । जनशक्ति के गुणात्मक पक्ष को सफल बनाने के लिये भौतिक मानसिक व मनोवैज्ञानिक तथा संगठनात्मक पहलुओ का स्वास्थ्यप्रद आधार पर विकसित करना आवश्यक है। जनशक्ति का पेशेवार व्यावसायिक ढांचा रोजगार की सम्भावना की स्थिति तथा जन्म वृद्धि को कम करने के कार्यक्रम बनाने पड़ेगें । आर्थिक विकास के बढ़ाने से रोजगार के

अवसरों का विस्तार होगा । क्योंकि जब पूंजी का अधिक निर्माण होगा तो बचतें भी अधिक होगीं और विनियोग में वृद्धि के साथ–साथ अन्य व्यवसायों की वृद्धि होगी । साक्षरता का प्रतिशत बढ़ेगा, व्यवसायों की वृद्धि से उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, रहन–सहन का स्तर बढ़ेगा तथा बचतें बढ़ेगीं और अधिक पूंजी का निर्माण होगा । जिससे विनियोग में वृद्धि होगी, उत्पादन और बढ़ जायेगा जिसके फलस्वरूप आय बढ़ेगी तो नवीन रोजगार के अवसर भी सृजित होंगें ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के बढ़ने से आय बढ़ती है उत्पादन बढ़ता है, साहसिक योग्यता में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, रहन–सहन का स्तर ऊँचा उठता है बचतें बढ़ती हैं । नयी पूंजी का निर्माण होता है । नये उद्योगों का विकास होता है जिससे नये रोजगार के अवसर निकलते हैं । इस तरह आर्थिक विकास और रोजगार का घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि जनपद के संसाधनों का उचित विदोहन करके तथा इनमें समन्वय स्थापित करने पर ही कुल आय, प्रतिव्यक्ति आय और रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है ।

1- W.D Rostow- Problems of economic growth P.10
2- W.Krause-Problems of economic growth P.81
3- Williamson & Buttrick-Principles economic development P.7
4- Harvey Leilenstein- Economic Backwardness and Economic growth P.10

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय 9
झाँसी जनपद का सर्वेक्षण

अध्याय – 9

9.1 जनपद झाँसी तहसील के विकास खण्डों का परिचय

झाँसी की तहसील का सर्वेक्षण :– जनपद झाँसी तहसील के अन्तर्गत दो विकासखण्ड आते हैं – बबीना और बड़ागांव यें दोनों विकासखण्ड जनपद के दक्षिणी पश्चिमी भाग में विकासखण्ड बबीना, बड़ागांव आते हैं । जनपद के दोनों विकासखण्डों में 200 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है ।

विकासखण्ड बबीना का परिचय :– बबीना विकासखण्ड का क्षेत्रफल 551.5 है । ये जनपद के दक्षिणी – पश्चिमी भाग में स्थित है । पहूज नदी विकासखण्ड बबीना की मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है तथा जनपद के पश्चिमी भाग से बहती हुई मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है ।

बबीना विकासखण्ड के दस गांवों का सर्वेक्षण किया गया । ये ग्राम हैबदा, मुटरन, खैरा, मनकुंआं, धरमका पुरवा, डोंगरी, कुम्हारों का पुरवा, देवरी सिंह पुरा, हरपालपुर, बसाई । विकासखण्ड बबीना के महत्वपूर्ण आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं –

तालिका संख्या – 55

बबीना विकासखण्ड की स्थिति

1	क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0	551.5
2	कुल ग्रामों की संख्या	72
3	आवासीय मकानों की संख्या	18285
4	परिवारों की संख्या	18981
5	कुल जनसंख्या (संख्या)	110029
6	जिला मुख्यालय से दूरी	29 कि0मी0
7	कुल ग्रामों की संख्या	72
8	कुल कर्मकार	41447
9	सर्वेक्षित परिवार (संख्या)	100

विकासखण्ड बबीना में कुल 72 ग्राम हैं जिसमें 10 गावों के 100 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया ।

विकासखण्ड बड़ागांव का परिचय :– बड़ागांव विकासखण्ड का क्षेत्रफल 422.3 वर्ग कि0मी0 है । इस विकाखण्ड में कुल 87 ग्राम हैं । यहां की कुल जनसंख्या 94712 है । ये विकासखण्ड जनपद के दक्षिणी–पश्चिमी भाग में पड़ता है । इस विकासखण्ड में दस गांवों का सर्वेक्षण किया गया । ये ग्राम गढ़मऊ, बिरगुवां, पहलगुवां, खिरिया, गोरामछिया, घुघुवा, वनगुवां, प्रीतमपुर, गोमटा खिरक, बड़ीसार मऊ । इन गांवों के 100 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया ।

विकासखण्ड के सर्वेक्षण के दौरान जिन शोध विधियों का उपयोग किया गया है वह निम्नलिखित हैं –

9.2 अपनायी गयी निर्देशन विधि एवं प्रश्नावली

प्रस्तावित शोध कार्य हेतु मुख्यतः दो शोध विधियों का उपयोग किया गया है ।

1. पुस्तकालय पद्धति :– पुस्तकालय में बैठकर विद्यमान पुस्तकों, ग्रन्थों, पत्र–पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशित सामग्री की सहायता ली गयी हैं ।

2. अध्ययन स्थल पर जाकर अध्ययन पद्धति :– शिक्षार्थी द्वारा स्वयं घटनाओं का अवलोकन किया गया है । घटनास्थल से तथ्यों का संकलन किया गया है, प्रमाणित एवं सांकेतिक समंकों को एकत्रित किया गया है झाँसी जनपद की तहसील झाँसी के आर्थिक विकास की समस्याओं का गहन अध्ययन करने के लिये अनुसूची एवं प्रश्नावली तैयार करके दैव निर्देशन विधि द्वारा आवश्यक तथ्यों का संकलन किया गया है ।

शोध का उद्देश्य :– प्रस्तावित शोध कार्य एक वर्णात्मक शोध प्ररचना है । इसका उद्देश्य झाँसी जनपद के आर्थिक विकास का तथ्यों के आधार पर वर्णात्मक विवरण प्रस्तुत करना है इसके साथ ही निर्णयात्मक शोध प्ररचना ही होगी क्योंकि इसका उद्देश्य झाँसी जनपद के आर्थिक विकास की समस्याओ के कारणों के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उन समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत करना है ।

प्रश्नावली :– प्रस्तुत सर्वेक्षण में निम्नलिखित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है –

1. कृषक का नाम
2. परिवार के सदस्यों की कुल संख्या
3. कृषि करने वाले पूर्णकालीन कृषकों की संख्या
4. कृषि करने वाले अंशकालीन कृषकों की संख्या
5. अन्य कार्यों में लगे सदस्यों की संख्या
6. कुल कृषि जोत (एकड़ में)

अ) सिंचित भूमि

ब) असिंचित भूमि

7. बोयी गयी फसलों के नाम

अ) सिंचित

ब) असिंचित

8. सिंचाई के स्रोत

अ) निजी

ब) सरकारी

9. सिंचित साधनों के नाम
10. कृषि उपकरण

अ) निजी

ब) किराये पर

11. उन्नत बीजों का प्रयोग करते हैं । तो कहाँ से प्राप्त करते हैं ?
12. रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं । तो कहाँ से प्राप्त करते हैं ?

अ) मात्रा

ब) प्राप्त स्थान

13. वार्षिक आय
14. मण्डी का नाम जहाँ पर उपजज बेचते हैं ।
15. क्या भण्डार गृहों की सुविधा है ?
16. भूमि बन्धक करके ऋण लिया गया है ।

अ) कहाँ से

ब) कितना

17. क्या नियमित ऋण भुगतान करते हैं ?

18. फसलों की औसत उपज

अ) सिंचित

ब) असिंचित

19. क्या फसल बिक्री से परिवार का भरण – पोषण हो जाता है ?

20. यदि नहीं हो तो किन स्रोतो से अतिरिक्त आय जुटाते हैं ?

21. क्या आप शिक्षित हैं ?

22. परिवार के अन्य शिक्षित सदस्यों की संख्या/ शिक्षा का स्तर

अ) पुरूष

ब) स्त्रियाँ

9.3 सर्वेक्षण एक रिपोर्ट

विकासखण्ड बबीना :– बबीना विकासखण्ड जिला मुख्यालय से 29 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है इस विकासखण्ड में ग्राम हैबदा, मुटरन, खैरा, मनकुंआं, धरमका पुरवा, डोंगरी, कुम्हारों का पुरवा, देवरी सिंह पुरा, हरपालपुर और बसाई का सर्वेक्षण किया गया। इन गांवों में 100 परिवारों से प्रश्नावली के माध्यम से ज्ञात किया है कि सवेक्षित परिवारों में 30 परिवार सामान्य वर्ग, 40 पिछड़े वर्ग और 30 अनुसूचित जाति के परिवारों के थे । ये परिवार मुख्यतः कृषि में लगे हुये हैं ।

सामान्य वर्ग :– सामान्य वर्ग में परिवारों का औसत आकार 5 है इन परिवारों के सदस्य वर्ष भर कृषि कार्यों में लगे रहते हैं । यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है । सिंचाई के साधनों में मुख्य रूप से तालाबों का प्रयोग होता है । सामान्य वर्ग के 30 परिवारों में 18 परिवार निजी नलकूप से सिंचाई करते हैं तथा 8 परिवार राजकीय नलकूपों का प्रयोग करते हैं अन्य 4 परिवारों की सिंचाई का साधन तालाब ही है । इन परिवारों में 28 परिवारों के पास कृषि

उपकरण निजी हैं जबकि अन्य 12 परिवारों द्वारा किराये पर उपकरण लेकर कृषि उपकरण काम में लाते हैं । इनकी साक्षरता दर 50 प्रतिशत है ।

पिछड़ी जाति :– बबीना विकासखण्ड के 40 पिछड़ी जाति के परिवारों का सर्वेक्षण किया गया । इन परिवारों में साक्षरता बहुत कम है तथा 40 परिवारों में से 30 परिवार कृषि कार्यो में लगे हैं तथा 10 अन्य कार्य करते हैं । इस विकासखण्ड में पिछड़ी जाति में अंशकालीन कृषकों के परिवार ज्यादा हैं । इन परिवारों 25 परिवार कुओं से सिंचाई करते हैं तथा शेष तालाबों तथा अन्य साधनों द्वारा कृषि करते हैं । इस विकासखण्ड में भूमि की उर्वरा शक्ति कम है तथा किसानों को कृषि उपज का बहुत अधिक लाभ नहीं मिल पाता । इस जाति में कृषि उपकरण निजी नहीं पाये गये ये लोग किराये से ही कृषि उपकरणों का प्रयोग करते हैं।

अनुसूचित जाति :– इस विकासखण्ड में अनुसूचित जाति के 30 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया । इन परिवारों में मुख्य व्यवसाय कृषि और निर्माण कार्य है । इनमें से केवल 5 परिवारों के पास भूमि है पर सिंचाई राजकीय नलकूपों और तालाबों से ही करते हैं । इन परिवारों की साक्षरता दर निम्न है और इनके पास कृषि योग्य भूमि न होने के कारण ये परिवार अन्य परिवारों पर आश्रित हैं । इनके पास कृषि उपकरण भी नहीं हैं अतः कहा जा सकता है कि इनकी स्थिति दयनीय है । इन परिवारों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि इनकी स्थिति गरीबी रेखा से नीचे है ।

विकासखण्ड बड़ागांव :– विकासखण्ड बड़ागांव की जिला मुख्यालय से दूरी 14 कि0मी0 है । यहां की कुल जनसंख्या 94712 है । ये जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पड़ता है । इस विकासखण्ड में कुल ग्रामों की संख्या 87 है । इन ग्रामों में गढ़मऊ, बिरगुवां, पहलगुवां, खिरिया, गोरामछिया, घुघुवा, वनगुवां, प्रीतमपुर, गोमटा खिरक और बड़ीसार मऊ 10 गांवों का सर्वेक्षण किया गया तथा इन 10 गांवों में 100 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया।

सामान्य वर्ग :– विकासखण्ड बड़ागांव में सामान्य वर्ग में परिवारों का औसत आकार 5 है इन परिवारों के सदस्य वर्ष भर कृषि कार्यों में लगे रहते हैं । यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है । सिंचाई के साधनों में मुख्य रूप से तालाबों का प्रयोग होता है । सामान्य वर्ग के 50 परिवारों में 30 परिवार निजी नलकूप से सिंचाई करते हैं तथा 10 परिवार राजकीय नलकूपों का प्रयोग करते हैं अन्य 10 परिवारों की सिंचाई का साधन तालाब व कुएं है । इन परिवारों

में 30 परिवारों के पास कृषि उपकरण निजी हैं जबकि अन्य 20 परिवारों द्वारा किराये पर उपकरण लेकर कृषि उपकरण काम में लाते हैं । इनकी साक्षरता दर 60 प्रतिशत है ।

पिछड़ी जाति :– विकासखण्ड बड़ागांव के 30 पिछड़ी जाति के परिवारों का सर्वेक्षण किया गया । इन परिवारों में साक्षतरा के प्रति जागरूकता देखी गयी है । तथा 30 परिवारों में से 25 परिवार कृषि कार्यो में लगे हैं तथा 5 अन्य कार्य करते हैं । इस विकासखण्ड में कृषकों के परिवार ज्यादा हैं । इन परिवारों 20 परिवार नहरों से सिंचाई करते हैं तथा शेष तालाबों तथा कुंओं अन्य साधनों द्वारा कृषि करते हैं । इस विकासखण्ड में भूमि की उर्वरा शक्ति अच्छी है तथा किसानों को कृषि उपज का लाभ मिल जाता है । इस जाति में कृषि उपकरण इस विकासखण्ड में निजी पाये गये कम कृषक ही किराये से कृषि उपकरणों का प्रयोग करते हैं ।

अनुसूचित जाति :– इस विकासखण्ड में अनुसूचित जाति के 20 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया । इन परिवारों में मुख्य व्यवसाय कृषि और पारिवारिक उद्योग है । इनमें से केवल 5 परिवारों के पास भूमि है बाकी 15 परिवार दूसरों के खेतों पर मजदूरी का कार्य करते हैं इनका सिंचाई का मुख्य साधन राजकीय नलकूप और तालाब है । इन परिवारों की साक्षरता दर निम्न है और इनके पास कृषि योग्य भूमि न होने के कारण ये परिवार अन्य परिवारों पर आश्रित हैं । इनका भरण पोषण कृषि कार्य से नहीं चल पाता । इनके परिवारों में कुछ श्रमिक वर्ग, पारिवारिक उद्योग आदि करके अपनी जीविका चलाते हैं ।

9.3 सर्वेक्षण से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष

झाँसी तहसील के दोनों विकासखण्डों बबीना तथा बड़ागांव का सर्वेक्षण करने पर निम्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं –

1. परिवारों की सदस्य संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है ।
2. शिक्षा का प्रतिशत निम्न स्तर का है ।
3. सिंचाई की सुविधा की कमी है ।
4. नदियों के किनारे भूमि ऊबड़ खाबड़ है ।
5. कृषि भूमि की उत्पादकता कम है ।
6. इन परिवारों में 60 प्रतिशत की आर्थिक स्थिति कमजोर है ।

7. कृषकों में अधिक उत्पादन के लिये जागरूकता नहीं है ।

8. ज्यादातर कृषक रूढ़िवादी व अंधविश्वासी हैं ।

9. ज्यादातर परिवार संयुक्त परिवार प्रणाली के अन्तर्गत संगठित हैं ।

10 अधिकांश कृषक मण्डियों तक न पहुंच पाने के कारण अपनी उपज को गांव में ही बेच देते हैं जिससे वे उपज की उचित कीमत प्राप्त नहीं कर पाते ।

11. गांवों में उच्च शिक्षा की कमी है, क्योंकि लोगों में शिक्षा के प्रति रूचि नहीं है ।

12. गांवों में सभी के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, छुआछूत का प्रभाव अधिक है ।

13. गांव में यातायात की सुविधा की कमी अभी बनी हुई है ज्यादातर कच्ची सड़कें तथा ऊँची नीची हैं ।

14. गरीब कृषक महाजनों व साम्राज्यवादियों के द्वारा पीड़ित किये जाते हैं ।

15. पिछड़ी जाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या में अधिक है ।

16. अधिकतर अच्छे संसाधन सामान्य जाति के पास हैं जबकि अनुसूचित जाति के लोगों के पास औसत कृषि भूमि भी बहुत कम है । जो उनके भरण पोषण के लिये अपर्याप्त है । ये लोग गरीब तथा साधन हीन हैं ।

17. ग्रामीण कृषक बैंकों व सहकारी संस्थाओं से ऋण लेने में डरते हैं । इसलिये अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं कर पाते ।

18. महिलाओं में शिक्षा स्तर न के बराबर है ।

19 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अभाव है ।

20 कृषकों द्वारा परम्परागत तरीके से खेती करना अलाभकारी बना हुआ है । केवल सिंचित भूमि को छोड़कर अन्य कृषि भूमि की उत्पादकता निम्न है ।

21. कृषि आधारित कुटीर उद्योग धन्धों का अभाव है । जिसके कारण अंशकालीन कृषक खाली समय में कोई अन्य कार्य नहीं कर पाते ।

22. गांवों में सरकारी ऋण लेने के प्रति खराब दृष्किोण है जिससे कृषि को यंत्रीकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता ।

9.5 सर्वेक्षण से प्राप्त समस्याएं

इन गांवों के परिवारों के आर्थिक विकास में बाधक कई समस्याएं दृष्टिगोचर हुईं हैं जिसके कारण इन परिवारों व गांवों का आर्थिक विकास नहीं हो पाया है ये समस्याऐं केवल इन गांवों की ही नहीं हैं वरन् पूरे तहसील की हैं जो निम्नलिखित हैं –

1. **यातायात का अभाव** :– इन गांवों में यातायात का अभाव है । गांव सड़क से भी नहीं जुड़े जिन गांवों में सड़क है भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है । इसी कारण यहां पर आवागमन के आधुनिक साधन नहीं चल पाते और कृषक अपनी उपज को आसानी से मण्डियों में नहीं ले जा पाते जिस कारण उनको उचित कीमत नहीं मिल पाती । यातायात के साधनों व सड़कों के अभाव के कारण आर्थिक विकास की गति में अवरोध उत्पन्न होता है ।

2. **शिक्षा की कमी** :– कृषकों व गांवों के परिवारों के सदस्यों में शिक्षा की कमी है यह कमी उनको प्रगतिशील नहीं बनने देती । इनकी महिलाओं में तो शिक्षा केवल नाम मात्र को है । महिलायें यहाँ पर सरकारी नौकरियो में अशिक्षित होने के कारण कार्य नहीं कर पातीं । गांव के कृषकों के विकास में शिक्षा की कमी बहुत ही उत्तरदायी है । क्योंकि अशिक्षा के कारण रूढ़िवादिता व अंधविश्वास आज भी खत्म नहीं हुये हैं । अशिक्षित होने के कारण यह कृषक उन्नत तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते हैं ।

3. **स्वास्थ्य का निम्न स्तर** :– गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण स्वास्थ्य का निम्न स्तर है । इसके कारण व्यक्तियों की कार्यक्षमता में कमी आयी है। प्रत्याशित आयु में कमी हुई है । परिवार कल्याण कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न होती है । तथा मृत्युदर अधिक होती है अधिक कार्य न कर पाने के कारण इन कृषकों की आय भी कम है क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता जिससे इनके रहन–सहन का स्तर निम्न है ।

4. **उत्पादन स्तर की कमी** :– इन परिवारों को कृषि उत्पादन कम प्राप्त होता है । क्योंकि अधिकतर भूमि असिंचित है जिसकी उत्पादकता कम है और परिवार के भरण पोषण के लिये अपर्याप्त है तो ये लोग बचत कैसे कर पायेंगें ।

5. **सिंचाई की कमी** :– इन गांव में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है पानी न मिलने के कारण फसलें सूख जातीं हैं और कृषि उपज भी कम प्राप्त होती है क्योंकि यहाँ की समतल भूमि बिना पानी के उत्पादन नहीं दे पाती इस भूमि में सिंचाई साधनों का विकास न होने के

कारण भूमि का असमतलीकरण हैं लेकिन समतल क्षेत्रो में भी नलकूप व नहरें पर्याप्त न होने के कारण सिंचाई की कमी रह जाती है ।

3. **रूढ़िवादिता** :— क्षेत्र के इन गांवों में अधिकतर परिवार रूढ़िवादी हैं जिस कारण यह प्रथा कृषि के साथ साथ अधिक आय देने वाले कुटीर उद्योग जैसे – मुर्गी पालन आदि कार्य नहीं करते हैं ।

4. **कृषि मानसून का जुआ** :— कृषि मानसून का जुआ है क्योंकि यहाँ वर्षा न होने की स्थिति में फसलें तैयार नहीं हो पातीं । और इनकी औसत उपज भी कम रहती है ।

5. **बिजली आपूर्ति में कमी** :— गांवों में बिजली उत्पादन गृह नहीं है इसलिये विद्युत की सप्लाई में कमी रहती है। जिस कारण सिंचाई नहीं हो पाती क्योंकि विद्युत न होने की दशा में नलकूपों को नहीं चलाया जा सकता ।

6. **पेयजल समस्या** :— यहाँ पर पेयजल की समस्या भी देखने को मिलती है यहाँ पर गर्मियों में पानी स्तर नीचा हो जाने के कारण कुंए सूख जाते हैं और पानी का स्तर नीचा हो जाने के कारण हैण्डपम्प भी पानी नहीं देते हैं ।

7. **संयुक्त परिवार प्रथा** :— संयुक्त परिवार प्रथा होने के कारण भी उत्पादक सदस्यों की कमी रहती है जिससे आर्थिक विकास की दर कम हो जाती है।

8. **कर्मचारियों की लापरवाही** :— कर्मचारियों की लापरवाही के कारण भी गांव में सिंचाई विद्युत आपूर्ति व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न होती है। तथा उचित निरीक्षण के अभाव में सरकारी परिव्यय का शतप्रतिशत व्यय नहीं हो पाता। कर्मचारियों की उचित सलाह कृषकों को नहीं मिल पाती जिससे वह अपनी फसलों को कीड़ों व अन्य बीमारियों से बचा सकें ।

9. **सरकारी परिव्यय का कम उपलब्ध होना** :— इन गांवों में सरकारी परिव्यय की राशि कम उपलब्ध होती है जिस कारण यहां की सभी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है। इसके साथ ही पूरे पैसों का सदुपयोग भी नहीं हो पाता । परिव्यय की कमी होने के कारण शासन से सीमित मात्रा में धनराशि का मिलना है।

10. **उन्नत बीज व खाद का अभाव** :— इन गांवों के लोगों को उन्नत बीज व खाद उपयुक्त मात्रा में समय पर नहीं मिल पाती जिस कारण इनकी उपज कम होती है । इस

कमी का कारण बीज व खाद के लिये पैसे की कमी है। बीज व खाद का उपयोग सिंचाई सुविधा न होने की स्थिति में उपयोग नहीं किया जा सकता ।

11. कृषि में उन्नत तकनीक का अभाव :– कृषकों की अशिक्षा के कारण वैज्ञानिक तरीके से कृषि नहीं हो पाती और धनाभाव के कारण भी इन यंत्रों को कृषक कय नहीं कर पाते।

12.उचित कीमत का न मिलना :– कृषक अपनी उपज को मण्डियों में नहीं पहुँचा पाता क्योंकि वह गांव में ही बिचौलियों को कृषि उपज बेच देता है । इसलिये कृषि की सही कीमत नही मिल पाती । मण्डियों में उपज न पहुँचने का कारण सड़कों का अभाव भी हैं क्योंकि बरसात के दिनों में कोई वाहन मण्डियों तक नहीं पहुँच सकता ।

13. कृषि मजदूरी में कमी :– कृषि कार्य करने वाले कृषक मजदूरों का जीवन स्तर निम्न है। क्योंकि गांव में इनको उचित मजदूरी नहीं मिल पाती ।

14. भण्डारण का अभाव :– कृषकों की फसल की उपज को भण्डारण करने के भण्डारगृहों का अभाव है । इन कृषकों की उपज को इसी कारण सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। जो भण्डारगृह विकासखण्ड मुख्यालय पर है उनकी कम क्षमता और गांव से अधिक दूरी के कारण भी सभी कृषक उनका उपयोग नहीं कर पाते ।

15. ऋण मिलने में कठिनाई :– यहाँ पर कृषक अगर मौसमी कृषि कार्यों के लिये ऋण लेना चाहे तो ऋण नहीं मिल पाता क्योंकि उसके ऋण लेने तक बहुत सी कार्यवाही से गुजरना पड़ता है । जिससे समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता इसके बावजूद भी उसकी आवश्यकता के अनुरूप ऋण नहीं मिल पाता। बैंक शाखाओं की कमी के कारण गांव में कृषकों को ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता ।

16. सिंचाई क्षमता का कम उपयोग :– यहाँ सिंचाई साधनों का अभाव है । लेकिन जो सिंचाई साधन जैसे नहर, सार्वजनिक नलकूप व निजी नलकूप की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है । इनकी केवल 60 प्रतिशत क्षमता का ही सही उपयोग हो पाता है । इस कारण अधिकतर अपनी भूमि पर सिंचाई नहीं करते । अधिकांश नलकूपों की खराब दशा को तुरन्त सरकार द्वारा मरम्त न किये जाने के कारण कृषि समय निकल जाता है जिससे भी सिंचित क्षमता में कमी है ।

17. अनुपजाऊ भूमि :– यहाँ पर सिंचित भूमि की औसत उपज कम है। इस कारण कृषकों को अधिक आय नहीं मिल पाती ।

18. लघु उद्योगों की कमी :– इन गांवों में लघु तथा कुटीर उद्योगों का अभाव है । जिस कारण कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाब है । कृषकों में व्याप्त अदृश्य बेरोगारी को भी समायोजित नहीं किया जा सकता अगर तहसील में कुटीर उद्योग होते तो अंशकालीन कृषक खाली समय में उनमें काम कर सकते हैं ।

आर्थिक विकास हेतु सुझाव :–

यह समस्यायें केवल एक गाँव के एक परिवार की ही न होकर पूरे गांव व पूरे विकासखण्ड की हैं । इन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय अपनाये जा सकते हैं –

1. शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाये जिससे साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हो सके ।
2. यातायात के साधनों जैसे सड़कों की हालत में सुधार किया जाये और सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाय ।
3. उत्पादकता का स्तर कम है इसको बढ़ाने के लिये उन्नत खाद और बीज का उपयोग किया जाये ।
4. सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाये ताकि अधिक से अधिक भूमि की सिचाई की जा सके और अधिक उत्पादन लिया जा सके ।
5. रूढ़िवादिता अंधविश्वास को मिटाने के लिये प्रयास किये जायें जो केवल शिक्षा के विकास के द्वारा ही मिटाया जा सकता हैं । इसके खत्म होने पर वैज्ञानिक तरीके से कार्य किये जा सकते हैं । क्योंकि शिक्षित होने से भाग्यवादिता के भरोसे रहना कम हो जायेगा ।
6. बिजली आपूर्ति को नियमित किया जाये ताकि कृषि उपकरणों से नियमित कार्य किया जा सके और सिंचाई साधनों को लगातार चलाया जा सके । विकासखण्ड मुख्यालय पर विद्युत उत्पादन गृह की स्थापना की जाय ताकि उद्योगों व कृषि को पर्याप्त बिजली मिल सके ।
7. ग्रामों में व्याप्त पेयजल समस्या को खत्म करने के लिये हैण्डपम्पों का स्तर और नीचे तक बढ़ाया जाये तथा जिसमें बाढ़ के कारण पानी खराब हो गया है उसे ठीक किया जाये ।
8. एकांकी परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाय क्योंकि इससे सभी सदस्य उत्पादन कार्य करेंगें तो शुद्ध उत्पादन में वृद्धि होगी, उनकी आय बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा ।

9. कर्मचारियों की लापरवाही को खत्म किया जाये इसकों खत्म करने के लिये अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाय ताकि प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाया जा सके।

10 सरकारी परिव्यय में कमी है उसको बढ़ाने के लिये शासन को लिखा जाये ताकि अधिक धन ग्रामीण योजनाओं के लिये मिल सके। इसके साथ ही उपलब्ध राशि का शतप्रतिशत उपयोग किया जाये ।

11. कृषकों को उन्नत बीज व खाद गांव में ही उपलब्ध कराया जाये इसके साथ ही इनके उपयोग के लिये समय समय पर प्रशिक्षण शिविर लगाये जायें ताकि कृषक उन्नत कृषि कर सकें ।

12. वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाये ताकि कम समय में अधिक फसलें उगायी जा सकें । इसकों निम्न परम्परागत तरीके से हटकर प्रस्तावित फसल चक्र को अपनाकर कृषि की जाय :–

1) सिंचित भूमि :–	प्रस्तावित फसल चक्र:–
परम्परागत फसल चक्र :–	
धान–गेहूँ–धान– गेहूँ–	मक्का–धान–मूली–आलू–धान– गेहूँ
1 – 2 – 3 – 4	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
(दो वर्षों में चार फसलें)	(दो वर्षों में छःफसलें)
2) असिंचित भूमि :–	
गेहूँ–ज्वार	मक्का/सोयाबीन–गेहूँ–धान–सरसों/मटर
1 – 2	1 – 2 – 3 – 4
(दो वर्षों में दो फसलें)	(दो वर्षों में चार फसलें)

13. मण्डियों की संख्या बढ़ायी जाये और कृषकों को मण्डियों के भाव की जानकारी दी जाये ताकि कृषकों को दलालों से बचाया जा सके । ताकि कृषक अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर सकें ।

14 सरकार को एक न्यूनतम मजदूरी नीति बनायी जाये जिससे कृषि मजदूरों को उचित मजदूरी मिल सके। उचित मजदूरी मिलने से इनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी ।

15 बैंकिंग ऋण कानूनों में संशोधन करके आसान ब्याज दर पर कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाये, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का विस्तार किया जाये इसके साथ ही उपलब्ध सिंचाई साधनों जैसे नहरें, सरकारी नलकूप व निजी नलकूप की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाये ।

16. भूमि के लगातार असमतली कारण को रोकने के लिये वृक्ष लगाये जायें, बंधी डाली जाये और यंत्रों द्वारा जमीन को समतल बनाया जाये ।

17.पर्याप्त प्रदूषण को कम करने के लिये और अच्छी वर्षा प्राप्त करने के लिये अधिक से अधिक वृक्ष लगाये जायें । प्रदूषण कम करने के लिये आसान ऋण पर शौचालय बनाये जायें ताकि गांव में होने वाली बीमारियों से बचा जा सके ।

18.सिंचाई साधनों की संख्या बढ़ायी जाये इसके साथ ही उपलब्ध सिंचाई साधनों जैसे – नहरें, सरकारी नलकूप व निजी नलकूप की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाये ।

इन सुझावों को यदि कियान्वित किया जाये तो सम्पूर्ण क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सकता है । इसके साथ साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था में व्याप्त बेरोजगारी को कम किया जा सकता है ।

♦♦♦♦♦♦♦

अध्याय 10
उपसंहार

अध्याय 10

10.1 झाँसी जनपद के आर्थिक विकास में अवरोधक तत्व

जनपद का विकास धीमी गति से हो रहा है । यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या कृषि से ही जीविका चलाती है । कृषि की दशा बहुत अच्छी नहीं है । इसमें निम्न तत्व बाधक हैं ।

1. निर्धनता :– यह जनपद पिछड़े हुये जनपदों की श्रेणी में आता है । यहाँ की कुछ जनता गरीबी की सीमा रेखा से नीचे निवास करती है । जनपद के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ के प्राकृतिक साधनों का सही तरह से विदोहन नही हो पाता है इसलिये व्यक्तियों को अधिक रोजगार नहीं मिल पाता । इसी वजह से उनका जीवन स्तर नीचा रहता है । जहाँ पर व्यक्तियों की आय का सभी हिस्सा व्यय हो जायेगा वहाँ पर बचत कम मात्रा में होती है । तो विनियोग में वृद्धि नहीं होती और आर्थिक विकास अवरूद्ध हो जायेगा । गरीबी का साम्राज्य और जब जनपद वासी गरीब होंगें तो आर्थिक विकास की दौड़ में रूकावट पैदा होती है ।

जनपद एक अर्द्धविकसित क्षेत्र है । जनपद अर्द्धविकसित इसलिये है क्योंकि यह निर्धन है । कहा गया है कि निर्धनता स्वयं में एक अभिशाप है । जिससे जनपद के पास विकास प्रवर्तन के आवश्यक साधन नहीं जुट पाते । यहाँ के निवासी निर्धन इसलिये भी हैं कि कृषि की दशा उन्नत नहीं है इनकी वार्षिक आय बहुत कम है ऐसी दशा में अपने रहन – सहन के स्तर को ऊँचा नहीं कर पाते और गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं । यही निर्धनता जीवन के सर्वांगीण विकास में बाधक बनी हुई है ।

2. बाजार की अपूर्णतायें :– जनपद में बाजार की अपूर्णतायें विद्यमान है । यहाँ पर सभी विकासखण्ड मुख्यालयों में मण्डी अवश्य हो गयी है लेकिन उत्पादित साधनों की प्रगतिशीलता बाजार की खराब दशा, बेलोच सामाजिक ढांचा, तकनीकी विकास का अभाव है । जनपद के विकासखण्डों में मण्डी की स्थिति भी बेकार है क्योंकि कई कठिनाईयों के कारण उपज मण्डी तक न पहुँचकर बिचौलियों के हाथ में बिक जाती है ।

3. बचत व पूँजी निर्माण की निम्न दर :– आर्थिक विकास के मार्ग में पूँजी की आवश्यकता होती है । जनपद एक अर्द्धविकसित क्षेत्र है । अर्द्धविकसित क्षेत्र में पूंजी का अभाव एक सामान्य लक्षण है । जनपद के सभी विकासखण्डों में पूंजी की बचत कम है ।

अधिक बचत न होने के कारण पूंजी निर्माण की निम्न दर के कारण अधिक विनियोग नहीं हो रहा है । यहाँ पर अकुशल और अशिक्षित व्यक्तियों के कारण पुराने उपकरण तथा उत्पादन की पुरानी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है । कृषि उपकरणों को आधुनिक बनाया जाय तो उत्पादन बढ़ेगा और आय में वृद्धि होगी । लेकिन यहाँ पर व्यक्तियों की आय केवल भरण पोषण में ही खर्च हो जाती है । इसलिये बचतें नहीं हो पातीं ।

जनपद में अधिकांश बचतें उच्च आय वर्ग से प्राप्त हो सकती हैं । लेकिन ये लोग बचत को उत्पादन क्षेत्र में न लगाकर मूल्यवान तथा विलासिता की वस्तुओं को खरीदने में अपव्यय कर देते है । इस प्रकार जनपदवासियों की वास्तविक आय बचत विनियोग तथा पूंजी निर्माण का स्तर नीचे रहता है । इसलिये पूंजी स्टाक को बढ़ा पाना मुश्किल है । जनपद के अधिकांश इलाके अभी भी पिछड़े हुये और गरीब हैं जिस कारण भी बचतें नहीं हो पातीं । इसलिये पूंजी के अभाव के कारण जनपद पिछड़ेपन एवं निर्धनता के दुष्चक्र में फँसा हुआ है ।

4. यातायात के साधनों का अभाव :– जनपद में सड़कों की कमी है । जनपद में सभी गांव सड़कों से नही जुड़े हैं । इसलिये यहाँ जनपदवासियों को यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है । जनपद में कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ बरसात के समय में आवागमन नहीं हो सकता । सड़कों के न होने के कारण कृषि उत्पादन मण्डियों तक नहीं पहुंच पाते इस वजह से जनपद के कृषकों को उचित कीमत न मिल पाने के कारण उनका रहन सहन का स्तर निम्न रहता है । सड़कों की कमी भी जनपद के विकास में बाधक बनी हुई है। जनपद में सड़कों की कमी के कारण आवागमन के साधनों का भी गांवों में अभाव पाया जाता है ।

5. शिक्षा का अभाव :– जनपद में शिक्षा का स्तर निम्न है जनपद में तकनीकी ज्ञान का भी अभाव है । जनपद में मात्र दो पोलिटैक्निक व दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं जिनसे उपयुक्त शिक्षा का प्रसार नहीं हो पा रहा है । शिक्षा विकास का दूसरा नाम है, जितना अधिक शिक्षा का स्तर होगा उतना ही अधिक विकास होगा । इससे स्पष्ट है कि शिक्षा की कमी के कारण जनपद के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही हैं।

6. विद्युत :– वर्तमान समय में किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है । जनपद में विद्युत की आपूर्ति कम है जो कि आर्थिक विकास में अवरोध उत्पन्न करती है । विद्युत की आपूर्ति उद्योगों व कृषि दोनों क्षेत्रों पर बुरे प्रभाव डालती है ।

7. संचार सेवाओं की कमी :– आर्थिक विकास के निर्माण में संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है । संचार वर्तमान प्रगति का सूचक है । आज संचार के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हो रही है । इस प्रगति में डाकघरों की संख्या का विस्तार, तारघरों में वृद्धि, टेलीफोन की संख्या में वृद्धि हुई है । आज व्यक्ति अपने ही स्थान से सम्पूर्ण विश्व की जानकारी को दृश्यालोकन सहित प्राप्त कर लेता है । इसका मुख्य स्रोत संचार है । जनपद में संचार सेवाओं की कमी है जनपद के सभी गांवों में डाकघर नहीं है । इस कारण जनता को दूर देश के अन्य भागों की उपयुक्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती । संचार साधनों के न होने के कारण उद्योगों को उच्च कच्चा माल प्राप्त होने व उत्पादन बिक्री में भी विलम्ब होता है । संचार साधनों की कमी विकास में रूकावट पैदा करती है ।

8. कृषि एवं भूमि सम्बन्धी बाधायें :– जनपद झाँसी कृषि प्रधान जनपद है । यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है । किन्तु जनपद में कृषि एवं भूमि की स्थिति अच्छी नहीं है । जनपद के कुछ क्षेत्र में भूमि असमतल, ऊँची नीची पायी जाती है । जनपद की बाकी भूमि कृषि के लिये अच्छी है । लेकिन जनपद में कृषि क्षेत्रों में अधिक दबाब, कृषि जोतों का अपखण्डन व उपविभाजन, कृषि वित्त की समस्या, सिंचाई के साधनों का अभाव, कृषि विपणन की सुविधाओं का अभाव, उन्नत औजारों व खाद बीज का अभाव भी कृषि विकास में बाधक बना हुआ है । जब तक कृषि विकास न होगा तब तक जनपद का आर्थिक विकास भी नहीं हो पायेगा ।

9. बेरोजगारी :– जनपद में दो तरह की बेरोजगारी पायी जाती है । एक शिक्षित बेरोजगारी दूसरी कृषि बेरोजगारी । कृषि में अल्प समय के लिये कार्य करने वाले मजदूर वर्ष में 6 महीने बेरोजगार रहते हैं । इनके कार्य के लिये गांवों में कुटीर व लघु उद्योगों का अभाव है । इस वजह से इनकी आर्थिक दशा सुदृढ़ नहीं हो पाती । शिक्षित बेरोजगारी भी लाखों में पहुँच गयी है । अगर आज जनपद में 50 या 60 हजार नये पदों का सृजन हो जाये तो ये तुरन्त भर सकते हैं । इसलिये स्पष्ट है कि जहाँ लोग बेरोजगार होंगें वहाँ का अधिक आर्थिक विकास नहीं हो सकता ।

10. प्रबन्धकीय योजना का अभाव :– जनपद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होने के बावजूद भी योग्य प्रबन्धक नहीं मिल पाते इसलिये जनपद में प्रबन्धकीय योग्यता का अभाव है । इसके साथ साथ साहसियों की कमी है जो कि नये उद्योगों के स्थापित होने में बाधक हैं।

11. सामाजिक कारण :– जनपद के आर्थिक विकास में सामाजिक रीति रिवाज एवं धार्मिक मान्यतायें भी बाधा उत्पन्न कर रहीं हैं जिसके कारण बहुत से उद्योग लाभकारी होते हुए भी स्थापित नहीं हो पाते । यदि स्थापित कर भी लिये जायें तो भी उनका उत्पादन नहीं बिकेगा । जैसे – बोन उद्योग, मछली उद्योग आदि ।

अशिक्षा व पूँजी की कमी के कारण वैज्ञानिक तकनीक को भी नहीं अपनाया जा पा रहा है । यही नहीं जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकारी नियम, सामाजिक प्रतिबन्ध आदि विकास में बाधक है । संयुक्त परिवार में कार्य करने वाले सदस्यों की कमी होती है और उत्तराधिकार के नियम के अन्तर्गत भूमि का उपविभाजन होने से कृषि की दशा खराब हो रही है ।

12. राजनैतिक अस्थिरता :– जनपद में राजनैतिक अस्थिरता भी विकास में बाधक सिद्ध हुई है । देश व राज्य सरकारों में यदि कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव जनपद की राजनैतिक स्थिति पर अवश्य पड़ता है । सरकारों का जल्दी जल्दी बदलना, आन्तरिक अशांति रहने, व्यापक और राजनैतिक जागृति के अभाव में जनपद की आर्थिक उपलब्धियाँ बहुत ही कम हो जाती हैं । राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति में जनपद में साधनों का कुशलता पूर्वक आवंटन नहीं हो पाता । ऐसी स्थिति में बाहरी पूँजीपति भी पूँजी नहीं लगाना चाहता ।

13. वैज्ञानिक जानकारी व तकनीकी जानकारी का अभाव :– जनपद मे वैज्ञानिक की कमी है । तकनीकी ज्ञान भी कम है । जनपद में तो कोई भी तकनीकी ज्ञान देने वाला बड़ा प्रशिक्षण संस्थान नहीं है इसी कारण जनपद में प्राचीन उत्पादन विधियों का उपयोग किया जा रहा है । जिससे धन व समय दोनो नष्ट हो रहे हैं । इससे उत्पादन का स्तर भी कम है जिसके कारण भी आर्थिक विकास को तेज करने में बाधा पड़ती है ।

14. प्रशासनिक कुशलता का अभाव :– जनपद के कर्मचारियों में कुशलता का अभाव है । जनपद में अकुशल व भ्रष्ट प्रशासन तन्त्र देखने को मिलता है । आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संचालन की जिम्मेदारी सरकार की है । किन्तु दर्भाग्य से यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था जिनके हाथों में हैं वे उत्तरदायित्वों को संभालने में असमर्थ हैं । अधिकांश सरकारी कर्मचारी अकुशल व भ्रष्ट हैं । इन कर्मचारियों द्वारा केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है

। इन सबका परिणाम यह है कि काफी धन व्यय होने के बाद भी विकास बहुत कम हुआ है।

15. सिंचाई सुविधाओं की अव्यवस्था :– जनपद में सिंचाई सुविधाओं की अव्यवस्था है । नहरों की नालियां कच्ची हैं और उनका विस्तार भी कम है । जनपद में अधिकांश सरकारी ट्यूबवैल खराब ही बने रहते हैं जो कि अधिकारियों के पास शिकायत करने के बावजूद ठीक नहीं होते हैं । इनके पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता । इससे उपज कम होती है और विकास कम होता है ।

16. स्वास्थ्य का निम्न स्तर :–जनपद में मानव स्वास्थ्य की सुविधायें काफी कम गांवों में है । इस कारण व्यक्तियों का स्वास्थ्य सही नहीं है । इससे उनकी श्रम शक्ति का सही उपयोग विकास में नहीं हो पाता । इसलिये स्पष्ट है कि स्वास्थ्य की कमी भी आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है ।

17. जलवायु :– जनपद की जलवायु मौसमी हवा पर आधारित है । जलवायु भी विकास में बाधक है । क्योंकि अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण भी कृषि उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । कम उपज के कारण आय में कमी आती है और इससे रहन सहन का स्तर भी नीचा हो जाता है । पेयजल की समस्या ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है । जिस कारण आर्थिक विकास से संसाधनों को हटाकर इन समस्याओं के समाधान के लिये जुटाना पड़ता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि जलवायु भी जनपद के विकास में बाधक हैं ।

जनपद के विकासखण्डों के आंकड़े देखने से ज्ञात है कि कृषि, सिंचाई, विद्युत एवं औद्योगिक विकास में जिला पिछड़ा हुआ है । जनपद की सामान्य वर्षा 850 मि0मी0 है । वर्षा वितरण की असमानता है, जिस कारण 90 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के मध्य हो जाती है और प्रत्येक तीन वर्ष में सूखे की सम्भावना रहती है । अत्यधिक ढाल एवं पथरीली होने के कारण यहां के विकासखण्डों की है । यहां अभी भी कृषि वर्षा पर आधारित है । सिंचाई साधनों को विकसित करना अत्यन्त आवश्यक है ।

सामाजिक सुविधाओं में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है । जिले में औद्योगिक विकास हेतु कारखानों की अधिक से अधिक स्थापना हेतु वृहद योजना तैयार करने की आवश्यकता है, इससे बेरोगारी दूर करने में काफी मदद मिलेगी ।

10.2 झाँसी जनपद के आर्थिक विकास की आवश्यकता

जनपद में लोगो का जीवन स्तर निम्न है इस आवश्यकता को देखते हुए यहां का आर्थिक विकास करना शासन के लिए आवश्यक हो गया है । पिछले आकंड़े देखे जायें तो आर्थिक विकास के उद्देश्य से ही वर्ष 1951–52 पहली पंचवर्षीय योजना आरम्भ की गयी, जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध, अकाल तथा विभाजन से हुई क्रांति को उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को अधिक से अधिक विदोहन करके ऐसी नीतियां निर्धारित करना था, जिससे अर्थ एवं व्यवस्था को वांछित दिशा में विकसित होने में सहायता मिले । दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकिया को आगे बढ़ाने के साथ मूलभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल देते हुए विकास की गति में शीघ्रता लाना रहा है । तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं को कम करने एवं सघन विकास से आत्मनिर्भरता तथा स्वचलित अर्थव्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया । चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, रोजगार के अधिकतम साधनों को सृजित करना तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, खाद्यान्न में वृद्धि करना, पिछड़े समुदाय के स्तर में वृद्धि करना, विद्युत, सिंचाई तथा सड़कों आदि की स्थापना का सुदृढ़ीकरण तथा बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण करने का रहा । छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करने का था इसमे विभिन्न कार्यकम जैसे अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु स्पे0 कम्पोनेंट जैसी योजनाये 2 अक्टूबर 1980 से चलायी गयी और जिला ग्राम्य अभिकरण एजेन्सी इन्हें कार्यान्वित करने हेतु अस्तित्व में आयी । तब से निरन्तर प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करना, अनुसूचित जाति उत्थान, कृषि में उत्पादकता, सिंचाई हेतु सुविधायें, विद्युत उद्योग धन्धे में सरकारी सहभागिता, क्षेत्रीय विषमतायें दूर करने का ध्यान रखा गया, ग्रामीण सड़कें ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पेयजल, पौष्टिक आहार, ग्रामीण निर्धनों हेतु आवास जैसी योजनायों को ध्यान मे रखकर योजनायें कार्यान्वित की गयीं ।

किसी भी योजना के निर्माण के लिये मूलभूत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नीति सिद्धान्तों पर ध्यान रखना आवश्यक होता है जैसे :–

1. ''विकास सामाजिक न्याय के साथ हो'' इस सिद्धान्त को मानते हुए योजना निर्माण के समय विशेष रूप से समाज के पिछड़े हुए वर्गों को रोजगार एवं विकास के अनुसार उपलब्ध करने हेतु ध्यान देना होगा ।

2. जिले आर्थिक विकास के लिए स्थानीय, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम तथा सर्वोत्तम उपयोग हो, जिससे आय एवं रोजगार दोनों में वृद्धि हो सके ।

3. भूमि, पशुधन, लघु कुटीर उद्योगों की उत्पादकता की वृद्धि इस प्रकार के विकास से जो लाभ सम्भावित है उसका अधिकांश भाग समाज के दलित वर्ग, छोटे किसान, भूमिहीन कृषक तथा ग्रामीण उद्यमियों को मिल सके ।

4. राष्ट्रीय न्यूनतम उत्पादकता कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु व्यस्था जिसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पेयजल, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण निर्धनों हेतु आवास, पर्यावरण सुधार, पौष्टिक आहार हेतु समुचित व्यवस्था करना ।

5. ऐसे सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थापनाओं का निर्माण जिससे उपरोक्त तथ्यों की पूर्ति हो सके ।

6. अवस्थित, अवस्थापनाओं, संस्थाओं को इस प्रकार पुर्नगठित किया जाये, जिससे गरीबों के हितों की रक्षा हो सके ।

7. रोजगार के ऐसे अवसरों का सृजन किया जाना होगा जिनसे भूमिहीन छोटे कृषकों आदि को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें ।

8. रोजगार के अधिक अवसरों को उपलब्ध कराना जिससे दलित वर्ग, भूमिहीन ग्रामीण, उद्यमियों को प्रशिक्षित कर विकसित करना होगा ।

10.3 झाँसी जनपद के आर्थिक विकास की संभावनायें

जनपद के विकास के लिये कार्य किया जाये तो कई क्षेत्रों में विकास की सम्भावनायें हैं । निम्न क्षेत्रों में विकास की सम्भावनायें हैं–

1. **कृषि के क्षेत्र में :–** यह एक कृषि प्रधान जनपद है। यहां पर कृषि परम्परागत तरीके से की जाती है । इस कारण उत्पादकता कम हैं। फलस्वरूप फसलें अच्छी नहीं हो पाती हैं । यहां कृषि क्षेत्र में विकास की सम्भावनायें निम्नवत् हैं–

1) उन्नत बीजों का उपयोग करके बीज उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है । इनका प्रयोग करने से वर्तमान की अपेक्षा उत्पादन दोगुना हो जायेगा । इन उन्नत बीजों का उत्पादन भी जनपद में ही किया जा सकता है । ऐसे बीजों का तीन वर्ष तक उपयोग किया जा सकता हैं।

2) उन्नत कृषि यन्त्रों को अपनाकर कृषि करने से धन एवं समय दोनों की बचत होगी और उत्पादन लागत कम आयेगी, साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा इसके साथ जो समय बचेगा उसमें अन्य कार्य या कृषि आधारित उद्योग चलायें जा सकते हैं ।

3) परम्परागत फसल चक्र की जगह अगर प्रस्तावित फसल चक्र अपनाया जाय तो अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है–

अ) <u>सिंचित भूमि</u> :–

परम्परागत फसल चक्र :–	प्रस्तावित फसल चक्रः–
धान–गेहुँ– धान– गेहूँ	मक्का–धान–मूली–आलू–धान– गेहूँ
1 – 2 – 3 – 4	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
(दो वर्षों में चार फसलें)	(दो वर्षों में छःफसलें)

ब) <u>असिंचित भूमि</u> :–

गेहूँ–ज्वार	मक्का / सोयाबीन–गेहूँ–सरसों / मटर
1 – 2	1 – 2 – 3
(दो वर्षों में दो फसलें)	(दो वर्षों में तीन फसलें)

जनपद में परम्परागत तरीके से कृषि की जा रही है । अगर प्रस्तावित फसल चक्र को अपनाया जाये तो सिंचित क्षेत्र में दो वर्ष में 6 फसलें तथा असिचित क्षेत्र में दो वर्ष में 3 फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, इस प्रकार आर्थिक विकास को भी बढ़ाया जा सकता है।

4) उर्वरकों का अधिक प्रयोग करके भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और सिंचाई उपलब्ध हो जाने पर तीन फसलें भी एक वर्ष में उगायी जा सकती हैं। इससे जनपद के शुद्ध उत्पादन में वृद्धि होगी ।

5) सम्भावित तरीकों से कृषि करने पर परती जमीन को कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जुलाई के बाद ग्लाइकोसिक दवा का प्रयोग करके कांस को समाप्त किया जा सकता हैं । इस प्रकार उपजाऊ कृषि भूमि में वृद्धि की जा सकती है ।

6) कृषि पशुओं की दशा सुधारने पर दुग्ध विकास डेरियों का संचालन किया जा सकता है, कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पशुओं की नस्ल सुधारी जा सकती हैं ।

इस तरह कृषि क्षेत्र में सम्भावित तरीकों को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है । और औसत उपज में भी वृद्धि की जा सकती है। इससे कृषि प्राप्त आय को बढ़ाया जा सकता हैं ।

2. सिंचाई के क्षेत्र में :—जनपद में सिंचाई के साधनों का आधुनिकीकरण करके सिंचाई का विकास किया जा सकता है । जनपद में सिंचाई सुविधा के विकास में निम्न सम्भावनायें है—

1) नहरों का आधुनिकीकरण करके इनकी सिंचाई क्षमता को बढ़ाया जा सकता है । और इनकी वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करके भी सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि की जा सकती है । नहरों की नालियां बढ़ायी जाय और इनको पक्का बनाया जाये, ऐसा करने से इनके अर्न्तगत आने वाले क्षेत्र का 90 प्रतिशत भाग सींचा जा सकता है ।

2) राजकीय नलकूपों की संख्या बढ़ायी जाये, जनपद में पक्के तालाब व चैकडैमों को बनाया जाये और इनकी पूरी क्षमता का उपयोग करके वर्तमान सिंचित क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है ।

3. उद्योगों के क्षेत्र में :— जनपद में बड़े पैमाने के उद्योगों में वृद्धि के लिये सरकार द्वारा प्रयास किये जाने चाहिये तथा लघु व कुटीर उद्योगों में आधुनिकीकरण के द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करने की पूरी सम्भावनायें हैं ।

जनपद में शुगर फैक्ट्री, हथकरघा उद्योग, हस्तकला, चर्म उद्योग, ईंट उद्योग आटा मिल, दाल मिल, तेल मिल, मूर्ति मिल, लाख उद्योग, इमारती चुना उद्योग, साबुन उद्योग, कागज उद्योग कृषि यंत्र उद्योग, बर्फ उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, गिलास उद्योग आदि के विकास की अत्यधिक सम्भावनाये हैं । इस तरह विकास सम्भावनाओं के द्वारा जनपद में औद्योगिक विकास को बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है ।

4. वनों का विकास :– जनपद में नदियों के किनारे असमतल भूमि पर पेड़ लगाये जा सकते हैं । इनमें शीशम, सागौन, यूकेलिप्टस, पोपलर, नीम आदि इमारती लकड़ी का उत्पादन किया जा सकता है । और जनपद की आय बढ़ायी जा सकती है । कागज उद्योग के लिये भी कच्चे माल पर आधारित पेड़ लगाये जा सकते हैं ।

5. यातायात व संचार साधनों का विकास :– यातायात के साधनों का विकास जनपद में किया जा सकता है । जनपद में प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा जा सकता है । इस प्रकार आवागमन के साधनों का विकास होगा । संचार साधनों के विकास के लिये गांव गांव तक टेलीफोन लाइन बिछाई जा सकती है । पब्लिक काल आफिस, तार घर व डाकघर की संख्या बढ़ाकर सरकारी राजस्व में भी वृद्धि की जा सकती है ।

6. वित्तीय साधन :– जनपद में वित्तीय संसाधनों में सरकारी स्रोत, व्यावसायिक बैंक एवं भूमि विकास बैंक का योगदान हैं इनकी शाखाओं का विकास करने की पूरी सम्भावना हैं । सरकारी व्यय तो सीमित रहता है । लेकिन बैंकिग शाखाओं को बढ़ाकर और व्यक्तियों की बचत करने के लिये प्रेरित करके विनियोग के लिये धन जुटाया जा सकता है । बैंकिग शाखाओं की गति से कृषि व उद्योगों के लिये ऋण वितरण में समुचित वृद्धि करके भी विकास को बढ़ाया जा सकता है ।

10.4 झाँसी जनपद के आर्थिक विकास कें सुझाव

(1) कृषि में सुधार के लिये सुझाव :–

1) किसानों को कृषि रक्षा दवाईयां उपलब्ध करवायी जायें ताकि उनके प्रयोग से कीड़ो व खरपतवार से फसलों की रक्षा की जा सके साथ ही कैम्प लगाकर दवाईयों के प्रयोग करने की विधि कृषकों को समझायी जाये ।

2) सभी विकासखण्डों में कृषि रक्षा प्रसार योजना को लागू किया जाये ताकि जनपद में सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास किया जा सके ।

3) कृषि में केवल प्रमाणित उन्नत बीजों का उपयोग किया जाये, किसानों को चाहिये कि स्वयं अपने कुछ क्षेत्र में उन्नत बीजों को लगाकर उसका तीन वर्ष तक प्रयोग करें ।

4) किसान नाईट्रोजन एवं फास्फोरस का ही उपयोग करते हैं । जबकि पोटास का उपयोग फसल से पुष्ट दाना लेने हेतु अत्यन्त आवश्यक है । असिंचित क्षेत्र में पोटाश का उपयोग करके अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं । तथा उत्पादन में वृद्धि की जा सकती हैं । इसलिये इसका उपयोग बढ़ाया जाये तथा ये जानकारी किसानों तक पहुंचाई जायें ।

(2) सिंचाई क्षेत्र में विकास किया जाये :– जनपद में सिंचाई के साधनों की कमी है और जो वर्तमान में हैं वे भी समस्याओं से ग्रसित हैं जनपद मे सिंचाई साधनों के अभाव के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है । किसानों को भय है कि लगातार पड़ रहे सूखा से कहीं उनके खेतों की उर्वरा शक्ति समाप्त न हो जाये । किसाानों इस मामले पर शासन की उदासीनता पर बताया कि शासन की फसल बीमा व जल संग्रहण आदि योजनाओं से कोई लाभ नहीं है । योजनायें सिर्फ कागजों तक सीमित हैं । इसके लिए शासन को के निम्न उपाय चाहिए –

1) नहरों का जनपद में सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इनकी क्षमता के मुताबिक इनसे सिंचाई नहीं की जाती । अतः इनकी शत प्रतिशत क्षमता का प्रयोग किया जाय । नहरों की सफाई करायी जाये तथा नालियाँ पक्की बनायी जायें ताकि कच्ची नालियों में बेकार होने वाले पानी से अतिरिक्त क्षेत्रों में सिंचाई की जा सके ।

2) जनपद में बहने वाली नदियों के पानी को रोक कर उन पर बांध बनाकर नहरों का निर्माण करके सिंचाई की समस्या से निजात पाई जा सकती है ।

3) जनपद के जिन क्षेत्रों में पानी की विकट समस्या है वहाँ पर ऐसी फसलें बोई जायें जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है । इससे वहाँ का जल स्तर नहीं गिर पायेगा । जैसे – ज्वार, बाजरा, उर्द आदि ।

4) जनपद कर सिंचाई में सरकारी नलकूप का अत्यधिक महत्व है । इन नलकूपों की क्षमता 250 एकड़ प्रति नलकूप की है, लेकिन वर्ममान में 100 एकड़ तक ही प्रत्येक नलकूप से सिंचाई की जाती है तो इसकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जाये इसके साथ ही सरकारी नलकूपों की संख्या बढ़ायी जाये ।

5) सिंचाई साधनों के चलाने के लिये बिजली की नियमित आपूर्ति की जाये ।

(3) पेयजल व्यवस्था में सुधार किया जाये :– व्यक्ति के लिये पीने के पानी अति आवश्यक है । गर्मियों में पानी की समस्या विकराल रूप ले लेती है । इसमें सुधार के लिये निम्न उपाय किये जा सकते हैं –

1) जगह जगह पानी की टंकिया बनवाकर गांवों में पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जाये ।

2) कुओं की नियमित जांच करके दवाई डाली जाय ताकि पानी में विशैले कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके ।

(4) विद्युत व्यवस्था में सुधार लाया जाये :– जनपद में सब स्टेशनों की संख्या जनपद के क्षेत्रफल के सापेक्ष्य में बहुत कम है इनकी संख्या बढ़ायी जाये और यहाँ नया स्टेशन स्थापित किया जाये ताकि कृषि सिंचाई, उद्योग, पेयजल योजनाओं से बकाये को प्राप्त करने के लिये कड़े कदम उठाये जायें अन्यथा बकाये वाले क्षेत्रों को तुरन्त विद्युत आपूर्ति बन्द कर दी जाये ।

अवैध रूप से कटिया डालकर विद्युत चोरी को जाँच करके रोका जाये तथा चोरी करने वालों को अधिक जुर्माना या कड़ी सजा दी जाये । ट्रांन्सफार्मर अच्छे किस्म के लगाये जाये ताकि कम से कम जनपद में विद्युत आपूर्ति की बाधा को दूर किया जा सके । जनपद में विद्युतीकरण के लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा किया जाये ।

विद्युत तारों एवं खम्भें को बदलकर अच्छे किस्म के लगाये जाये ताकि दुर्घटनाओं से व हमेशा के व्यय से छुटकारा पाया जा सके ।

(5) शिक्षा में सुधार :– जनपद में शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है । ताकि वर्तमान साक्षरता प्रतिशत को बढ़ाया जा सके । शिक्षा के प्रसार व सुधार के लिये निम्न उपाय अपनाये जा सकते हैं ।

1) प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण कराया जाये, गांवों में प्राइमरी पाठशाला खोली जायें, इन विद्यालयों में उस गांव के ही नहीं बल्कि जनपद के बाहर के अध्यापक रखे जायें क्योंकि गांव के अध्यापक अपने व्यक्तिगत कार्यो में लगे रहते है और विद्यालय को सही रूप से नहीं देख पाते ।

2) हर एक हजार आबादी वाले गांव में प्राइमरी पाठशाला तथा दो हजार वाले आबादी वाले गांव में जूनियर हाईस्कूल खोला जाये ।

3) विकाखण्ड के सभी मुख्यालयों में इन्टर कालेज व महिला महाविद्यालय खोले जाये ।

4) जनपद में तकनीकी व व्यवसायिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाये ताकि छात्र पढ़कर अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकें ।

5) जनपद में प्रौढ़ शिक्षा व आंगन बाड़ी कार्यक्रम को चलाने के लिये निरीक्षण को अधिक चुस्त किया जाये ।

(6) तकनीकी प्रशिक्षण में वृद्धि :– जनपद में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ायी जाये । जिससे जनपद के अधिक से अधिक युवक–युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें ।

(7) उद्योगों में सुधार किया जाये :– परम्परागत लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाये । उद्योगों को बिजली आपूर्ति नियमित रखी जाये । औद्योगिक क्षेत्र में यातायात का विकास किया जाये ताकि उद्योगों को आसानी से कच्चा माल मिल सके और तैयार माल बाहर बाजार तक पहुँचाया जा सके ।

(8) प्रशासनिक सुधार :– प्रशानिक सुधारों के अन्तर्गत हर विभाग के कार्यो की नियमित जाँच की जाये, अफसरशाही को रोका जाये भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ जांच करके तुरन्त कड़ी कार्यवाही की जाये, इन विभागों की जांच शासन स्तर पर की जानी चाहिए ।

(9) वित्त व्यवस्था में सुधार :– किसी भी योजना को चलाने के लिये धन की आवश्यकता होती है । जनपद में योजनाओं के लिये विता सरकार द्वारा उपलब्ध होता है । लेकिन पर्याप्त नहीं है । इस वित्त को बढ़ाने के लिये बैकिंग व्यवस्था का विस्तार किया जाये जिससे अधिक बचतें प्राप्त की जा सकें ताकि उन बचतों का विनियोग करके आर्थिक क्रियाओं को पूरा किया जा सके । सरकारी परिव्यय में वृद्धि की जाये इसके साथ ही जो परिव्यय सैक्टर योजनाओं को मिलता है उनका शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाये ।

(10) अन्य उपाय :– जनपद के आर्थिक विकास को बढ़ाने हेतु निम्न उपाय भी अपनाने चाहिए –

1. कृषि मण्डियों की वृद्धि की जाये और किसानों को वहाँ पर आड़तियों की मनमानी से बचाया जाये ।
2. जनपद में भूमि संरक्षण के अन्तर्गत भूमि के समतलीकरण के लिये ट्रैक्टर व बुलडोजर मंगवायें जायें ।

3. स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाये ताकि जनपद के गांव गांव में व्यक्तियों को स्वास्थ्य की सुविधायें मिल सकें । इन गांवों में दवाईयां उपलब्ध करायी जायें, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की वृद्धि की जाये और निरीक्षण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि दवाईयां मरीजों को ही मिल रही है । जनपद मुख्यालय में उपलब्ध अस्पताल को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त किया जाये तो जनपद वासियों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल जनपद में ही की जा सकती है ।

4. पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये अच्छे किस्म के सुलभ शौचालयों का निर्माण किया जाये ।

5. पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये परिवहन विभाग वाहनों की जांच की जाये ताकि जनपद के वायुमण्डल में कार्बन की मात्रा को कम किया जा सके ।

उपर्युक्त उपायों को अपनाकर जब कार्य रूप में परिणित किया जायेगा तभी जनपद की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है ।

सरकार द्वारा जनपद के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न 20 सूत्रीय कार्यक्रम निरन्तर जारी है, इसमें व्यापक विकास कार्यक्रम लिए गयें हैं जैसे – स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार सृजन, लघु उद्योग, सिंचाई, कृषि उत्पादन, भू आवंटन, बंधुवा मजदूर पुर्नवास, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा, आवास, वृक्षारोपण, विद्युतीकरण, ऊर्जा, राष्ट्रीय बचत आदि विकासोन्मुखी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । वर्ष 2002–03 में जनपद झाँसी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की विशेष मदों में की गयी प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है –

तालिका संख्या – 56

सूत्र से संबधित कार्यक्रम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य 2002–03	उपलब्धि कमिक
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	संख्या	1810	537
जवाहर ग्राम्य समृद्धि योजना		860	1007
लघु उद्योगों की स्थापना	संख्या	85	85

निजी लघु सिंचाई	हेक्टेयर	3334	3492
बीमारियों से बच्चों का प्रतिरक्षण	हेक्टेयर	44-27	45-96
अनुसूचित जाति	संख्या	2735	1825
आवास स्थल आवंटन परिवार	संख्या	900	1089
इन्दिरा आवास नवनिर्माण (ग्रामीण)	संख्या	1078	1078
इन्दिरा आवास उच्चीकरण	संख्या	-	-
मलिन बस्ती सुधार लाभान्वित जनसंख्या	संख्या	79249	79249
वृक्षारोपण रोपित पौधे	संख्या	15	15
ग्रामीण विद्युतीकरण अनुसूचित जाति बस्ती	संख्या	2	6
पम्पसैटों का ऊर्जन	संख्या	14	14
विकसित चूल्हों का वितरण	संख्या	1485	1633
बायो गैस संयत्रों की स्थापना	संख्या	70	70
राष्ट्रीय बचत (शुद्ध जमा)	संख्या	7284	8116

स्रोत :– सामाजार्थिक समीक्षा वर्ष 2002–03, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, जनपद झांसी ।

जनपद के अन्य विकास कार्यक्रम एक दृष्टि में :– जनपद में वर्ष 2002–03 में किये गये ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है –

तालिका संख्या – 57

कम संख्या 1.	मद 2.	इकाई 3.	वार्षिक लक्ष्य 2002–03 4.	कमिक पूर्ति 5.
अ) कृषि(गुणात्मक बीजों का कुल वितरण)				
1.	धान	कुन्तल	57	53
2.	गेहूँ	कुन्तल	6505	6920
3.	अन्य धान	कुन्तल	572	601
4.	दलहन	कुन्तल	4318	4164
5.	तिलहन	कुन्तल	546	396
ब) तत्व के रूप में खाद वितरण				
1.	नत्रजन	मी0 टन	15132	13453
2.	फास्फोरस	मी0 टन	11868	9780
3.	पोटाश	मी0 टन	56	56
स) फसली ऋण				
1.	सहकारी बैंकों द्वारा	लाख रू0	1419	1142
2.	व्यवसायिक बैंकों द्वारा	लाख रू0	1591	1880
स) पंचायत एवं ग्रामीण स्वच्छता				
1.	पुलिया निर्माण	संख्या	–	23
	व्यक्तिगत शौचालय	संख्या	1766	1923
द) समाज कल्याण (छात्रवृत्ति लाभान्वित जनसंख्या)				
1.	अनुसूचित जाति	संख्या	92700	98363
	पिछड़ी जाति	संख्या	15650	14076
	अल्पसंख्यक	संख्या	15050	13892
	विकलांग	संख्या	178	183
पेंषान (लाभान्वित जनसंख्या)				
वृद्धावस्था / किसान पेंशन				
1.	अनुसूचित जाति	संख्या	6485	6485
2.	अन्य	संख्या	6485	6485
विधवा पेंशन				
1.	अनुसूचित जाति	संख्या	3012	3012
2.	अन्य	संख्या	3679	3679
विकलांग पेंशन				
1.	अनुसूचित जाति / जनजाति	संख्या	727	727
2.	अन्य	संख्या	2660	2133

स्रोत :– सामाजार्थिक समीक्षा वर्ष 2002–03, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, जनपद झांसी ।

उपरोक्त विकास कार्यक्रम जनपद में चलाये जा रहे हैं इसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जनपद में निम्न आय वाले परिवारों की संख्या अधिक है इसलिये सामाजिक सुविधाओं में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है । जिले में औद्योगिक विकास कारखानों की अधिक से अधिक स्थापना हेतु वृहद योजना तैयार करने की आवश्यकता भी है, इन सभी

कार्यक्रमों अथवा कारखानों के विकास से जनपद में व्याप्त गरीबी व बेरोगारी दूर होने की सम्भावना है ।

झाँसी जनपद कृषि आधारित है और फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुओं का पालन भी पूरक क्रिया कलापों के रूप में आमतौर पर अपनाए जाते हैं । इसलिए सीमांत एवं लघु कृषकों तथा कृषि मजदूरों की इन क्रिया कलापें में बैंक वित्त के माध्यम से आय बढ़ाने का योगदान हो सकता है ।

जिले में पशु पालन विभाग अपने निम्नवत् कार्यालयों या सेवा केन्द्रों द्वारा पष्शुओं के पालन में सहयोग कर रहा है ।

कार्यालय /सेवाकेन्द्र 2002–03

1. पशु चिकित्सालय	20
2. पशुधन विकास केन्द्र	15
3. कत्रिम गर्भाधान केन्द्र	01
4. भेड़ विकास केन्द्र	04
5. पोल्ट्री यूनिट	01

अण्डा तथा कुक्कुट मांस को बढ़ावा देने हेतु चन्द्रशेखर आजाद कृषि विज्ञान केन्द्र भरारी (झाँसी) स्थापित है जिसमें लेयर्स ब्रायलर्स के दिनायु चूजे उपलब्ध कराये जाते हैं ।

विभिन्न शासकीय योजनाओं में वर्ष 2005–06 के निर्धारित लक्ष्य :–

1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना :–

- ✓ **पात्रता :–** आयु 18 से 35 वर्ष हो । अनु0 जाति, महिला एवं विकलांग हेतु आयु 45 वर्ष तक ।
- ✓ पारिवारिक वार्षिक आय 40,000 रू0 से अनाधिक ।
- ✓ कम से कम 3 वर्ष से क्षेत्र के स्थाई निवासी हों ।
- ✓ कक्षा 8 उत्तीर्ण या हाईस्कूल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आई0टी0आई0 उत्तीर्ण तथा सरकार द्वारा प्रायोजित कम से कम 6 माह की अवधि का तकनीकी कार्यक्रम में प्रशिक्षण किया हो ।

✓ सरकार द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना में अनुदान ऋण सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को इस योजना की पात्रता से बंचित होना पड़ेगा ।

अनुदान :– योजना लाभ का 15 प्रतिशत 7500 रू0 प्रति लाभार्थी ।

ऋण सीमा :– बैंक केवल योजनानुसार अधिकतम 2 लाख रूपये तक का दिया जा सकता है । केवल व्यापार हेतु रू0 1 लाख ऋण दिया जायेगा । 1 लाख से अधिक ऋण पर समवार्षिक प्रतिभूति भी देनी होगी ।

✓ पात्र व्यक्ति जिला उद्योग केन्द्र में निर्धाति रूप पर अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगें ।

ब्याज दर – रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया द्वारा समय समय पर निर्धाति ब्याज दर के अनुसार लागू होगी ।

वसूली – योजनाओं के आधार पर वसूली समय, बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया के निर्देशानुसार रखी जायेगी ।

2. पिछड़ी जाति मार्जिन मनी ऋण योजना :–

पात्रता :–

✓ उत्तर प्रदेश का निवासी हो ।

✓ जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो ।

✓ उ0 प्र0 शासन द्वारा अनुसूचित पिछड़ी जाति का हो ।

✓ जिसकी वर्तमान में समस्त श्रोतों से आय निम्न प्रकार हो ।

अ – शहरी क्षेत्र – रू0 1850 वार्षिक

ब – ग्रामीण क्षेत्र – रू0 11000 वार्षिक

✓ आयु तथा जाति प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम नहीं हों, द्वारा जारी किया गया हो ।

लाभार्थियों का चयन :–

✓ एक निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित तिथि तक इच्छुक पात्र व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना पत्र जिला प्रबन्धक कार्यालय को प्रषित किया जायेगा ।

✓ प्रार्थना पत्रों की जांच कार्यालय या बैंक की संस्तुति के बाद निर्धारित तिथि को जिला स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

✓ जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्धारित तिथि को साक्षात्कार तथा जांच आख्या के आधार पर स्वीकृत या अस्वीकृत किया जायेगा ।

मार्जिन मनीऋण :–

✓ 25 प्रतिशत अथवा 10000 रू जो भी कम हो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर दिया जायेगा ।

✓ प्रतिशत अथवा रू0 8000 पर जो भी कम हो पिछड़ा जाति वित्त विकास निगम द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर दिया जायेगा ।

✓ 50 प्रतिशत अथवा बैंक द्वारा मान्य रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर दिया जायेगा ।

✓ 10 प्रतिशत लाभार्थी का अंश जो उसके द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा ।

ऋण की अदायगी :–

मूलधन एवं ब्याज निर्धारित ब्याज सहित अधिकतम 10 वर्ष या योजना में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर की जायेगी ।

✓ उत्तर प्रदेश के लोकधन देयों की वसूली अधिनियम 1972 की धारा 2 (क) के अन्तर्गत होगी ।

✓ 25000 रू0 तक के ऋण, रजिस्ट्रेशन तथा स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त होंगें ।

◆◆◆◆◆◆◆◆

सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची

संदर्भ ग्रन्थों की सूची

1.	A.K Sen	Choice of Technique
2.	Elfred Bonne	Studies in Economic Development
3.	Gerald & Robart	Economic Development
4.	Harbart Frankel	Economic Impact of Underdeveloped Countries
5.	J.E. Meacle	The Growing Economy
6.	N.Koldor	A Model of Economic Growth
7.	W.A Lewis	Economic Development with Unlimited Supply of Labour
8.	A.N.Agarwal	Principles of Economic Investment
9.	L.S. Bhat	Regional Planning in India
10.	R.L. Cohen	Economics of Agriculture
11.	R.C. Arora	Industrial & Rural development
12.	Benjamin Higgins	Economic Development
13.	Jiwitesh K. Singh	Labour Economics
14.	Srinivas A.P	Investment Allocation in Indian Planning
15.	एल.एच. नाथूरामका	भारतीय अर्थव्यवस्था
16.	एस. पी. सिंह	आर्थिक नियोजन सिद्वान्त एवं व्यवहार
17.	भण्डारी और जौहरी	भारत में आर्थिक नियोजन
18.	टी.सिंह	भारत का आर्थिक विकास
19.	एम.एल झिंगन	विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन
20.	एम.डब्ल्यू.हनीफ	आर्थिक विकास के सिद्वान्त

21.	डा0 सुरेन्द्र कटारिया	भारतीय लोक प्रशासन
22.	रूद्र दत्त के. पी. एम. सुन्दरम	भारतीय अर्थव्यवस्था
23.	टी. आर. जैन	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास
24.	W.W Rastow	Stage of economic growth
25.	Veman Rao	Choice of technique
26.	S.E Harris	Economic planning
27.	R.T Gill	Economic development
28.	Joan Rabinson	Essay in the theory of economic groth
29.	J.K Mehta	Economic of groth
30.	Eugene Stanly	The future of undeveploped countries
31.	John Schumpeter	The Theory of economic development
32.	Dr. Mohan lal	Regional Development
33.	Dr. M.L. Maurya	Public Finance
34.	Dr. M.L. Maurya	Managerial Economics

♦♦♦♦♦♦♦

पत्र–पत्रिकायें

1. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा – राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तर प्रदेश
2. उत्तर प्रदेश – आंकड़ों द्वारा सिंहावलोकन – अर्थ एवं संख्या विभाग, उ0 प्र0
3. प्रदेश इनफोरमेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमैंट, उ0 प्र0
4. टाइम्स ऑफ इंडिया
5. जनसत्ता
6. नवभारत टाइम्स
7. अमर उजाला
8. दैनिक जागरण
9. दैनिक भास्कर
10. कुरूक्षेत्र
11. प्रतियोगिता दर्पण
12. सामाजार्थिक समीक्षा वर्ष 2002–03, राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तर प्रदेश (झाँसी)
13. जिला ऋण योजना 2005–06, अग्रणी बैंक कार्यालय, झाँसी

14 चैम्बर वार्ता बुन्देलखण्ड चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की मासिक पत्रिका

15 बुन्देलखण्ड समाज सृजन संवाद लेख सारांश पुस्तक (1999)

16 इकॉनोमिक्स एवं पोलिटिकल वीकली, मुम्बई

17 जर्नल ऑफ एप्लाईड इकोनोमिक्स एण्ड मेंनेंजमेंट, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

18 एप्लाईड इकोनोमिक्स जर्नल, लखनऊ ।

BUNDELKHAND UNIVERSITY Central Library Acc. No. 12548 Date........ JHANSI

♦♦♦♦♦♦♦♦